# जिला आपदा प्रबंधन योजना

# DISTRICT DISASTER MANAGEMENT PLAN 2026-2027

## जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, जनपद चमोली

# संदेश

जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
चमोली।

जनपद चमोली उत्तराखण्ड राज्य का एक सुदुरवर्ती जनपद है तथा जनपद की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा चीन से लगी हुई है जनपद की भौगोलिक स्थिति अत्यन्त जटिल है तथा जनपद भूकम्प की दृष्टि से जोन–V में अवस्थित है। जनपद अन्तर्गत समय–समय पर प्राकृतिक आपदा की घटनायें घटित होती रही हैं जिससे की जन–धन की भी व्यापक हानि हुई है आपदाओं के प्रति अति संवेदनशील होने के साथ ही यात्रा अवधि में जनपद के श्री बद्रीनाथ धाम एंव श्री हेमकुण्ड साहिब में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्वालुओं का आवागमन होता है। जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के तहत जनपद की समस्त संभावित आपदाओं से निपटने हेतु जनपद आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना तैयार की गयी है। जिससे आपदा के विगत अनुभव एवं जनपद में विद्यमान भौतिक, मानवीय, विभागीय एवं संस्थागत संसाधनों के समावेश के साथ–साथ उन सभी सूचनाओं का उल्लेख किया गया है, जो किसी भी आपदा का सामना करने के लिये आवश्यक हैं।

प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में यह एक सार्वभौमिक सत्य है, कि आपदाओं को रोका नहीं जा सकता है। परन्तु आपदा के प्रभाव को कम किया जा सकता है। प्राकृतिक आपदाओं की समस्याओं को समग्र जनसहभागिता, उत्तरदायित्व एवं उच्च कोटी के प्रबन्धन एवं उपायों के क्रियान्वयन द्वारा नियंत्रित एवं न्यून किया जा सकता है। जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना को एक व्यवहारिक एवं सुव्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने के लिए आपदा प्रबन्धन एंव पुनर्वास विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून एंव राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून द्वारा समय–समय पर दिये गये सहयोग हेंतु में आभार प्रकट करता हूँ।

मैं आशा करता हूँ कि जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, चमोली द्वारा तैयार की गयी जनपद आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना जनपद के समस्त अधिकारियों के लिये उपयोगी होने के साथ–साथ उनके क्षमता विकास में भी सहायक सिद्ध होगी।

**शुभकामनाओं सहित,**

**गौरव कुमार (आई.ए.एस.),**
**जिलाधिकारी,**
**चमोली।**

# प्राक्कथन

अपर जिलाधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
चमोली।

जनपद चमोली उत्तराखण्ड राज्य का एक सीमावर्ती एवं आपदा–संवेदनशील जनपद है। इसकी सीमाएँ रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ जनपदों तथा उत्तर में तिब्बत (चीन) से लगती हैं। जनपद में श्री बद्रीनाथ धाम, हेमकुण्ड साहिब, औली, फूलों की घाटी एवं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जैसे प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल स्थित हैं।

जनपद का अधिकांश भाग उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित होने के कारण भूस्खलन, अतिवृष्टि, बादल फटना, हिमस्खलन तथा सड़क अवरोध जैसी प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील है। विशेष रूप से जून से अक्टूबर तक मानसून अवधि में आपदा जोखिम बढ़ जाता है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रभावी प्रबंधन हेतु जिला, विकासखण्ड एवं ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाओं तथा कार्यदल का सुदृढ़ गठन एवं नियमित अद्यतन आवश्यक है। यद्यपि प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, तथापि पूर्व तैयारी, जनसहभागिता, क्षमता विकास एवं समन्वित प्रयासों द्वारा उनके प्रभाव को न्यूनतम किया जा सकता है।

राहत एवं बचाव कार्यों की सफलता संबंधित अधिकारियों एवं कार्मिकों की तत्परता, निर्णय क्षमता, समन्वय एवं नेतृत्व पर निर्भर करती है। मुझे विश्वास है कि यह जिला आपदा प्रबंधन योजना आपदा की प्रत्येक अवस्था में प्रभावी मार्गदर्शन प्रदान करेगी। इस योजना को अधिक व्यावहारिक एवं उपयोगी बनाने में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, देहरादून द्वारा समय–समय पर प्रदान किए गए मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ।

**शुभकामनाओं सहित,**

**विवेक प्रकाश (पी.सी.एस.),**
**अपर जिलाधिकारी,**
**चमोली।**

# प्रस्तावना

## जनपद आपदा प्रबन्धन अधिकारी, आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, चमोली।

जनपद चमोली उत्तराखण्ड राज्य का एक महत्वपूर्ण सीमांत एवं पर्वतीय जनपद है। यह अलकनन्दा नदी घाटी में स्थित है तथा अपनी विशिष्ट भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यावरणीय पहचान के लिए प्रसिद्ध है। जनपद में श्री बद्रीनाथ धाम, हेमकुण्ड साहिब, औली, फूलों की घाटी एवं नंदा देवी जैवमंडल जैसे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व के स्थल स्थित हैं। जनपद का अधिकांश भाग उच्च हिमालयी एवं दुर्गम भू–भाग से आच्छादित होने के कारण विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है।

हिमालयी क्षेत्र भूगर्भीय दृष्टि से सक्रिय होने के कारण भूकम्प, भूस्खलन, अतिवृष्टि, बादल फटना, हिमस्खलन तथा नदीजनित आपदाओं जैसी घटनाओं की संभावना बनी रहती है। विगत वर्षों में जलवायु परिवर्तन, तीव्र विकास गतिविधियों तथा बढ़ते मानव हस्तक्षेप के कारण आपदाओं की आवृत्ति एवं प्रभाव में वृद्धि देखी गई है, जिससे जन–धन, अवसंरचना तथा आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

आपदा की स्थिति में त्वरित आकलन, प्रभावी समन्वय, राहत एवं बचाव कार्यों का समयबद्ध संचालन, चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता, संचार एवं परिवहन व्यवस्था की निरंतरता तथा आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं जलवायु अनुकूलन उपायों का महत्व और अधिक बढ़ गया है।

इन्हीं आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए जिला आपदा प्रबंधन कार्ययोजना (District Disaster Management Plan) तैयार की गई है, जिसमें आपदा जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी, त्वरित प्रतिक्रिया, राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण से संबंधित रणनीतियों का समावेश किया गया है। यह कार्ययोजना विभिन्न विभागों एवं हितधारकों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन में मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगी।

जनपद चमोली में संभावित आपदाओं से होने वाली क्षति को न्यूनतम करने तथा सुरक्षित एवं सतत विकास को प्रोत्साहित करने हेतु इस कार्ययोजना का प्रभावी क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक है।

**(नन्द किशोर जोशी),**
**आपदा प्रबन्धन अधिकारी,**
**चमोली।**

## मार्गदर्शन

श्री गौरव कुमार
अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी, चमोली।

## पर्यवेक्षण

श्री विवेक प्रकाश
अपर जिलाधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, चमोली।

## शोध, सर्वेक्षण एवं संकलन

श्री नन्दकिशोर जोशी
जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, चमोली।

## सहयोग एवं परामर्श

समस्त जनपदीय अधिकारी, जनपद चमोली।

## अद्यतन कार्य

05 जनवरी, 2025

## विशेष सहयोग

श्री आशुतोश पन्त, डाटा इन्ट्री आपरेटर

# विषय सूची


| क्र. स. | अध्याय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| | **अध्याय – 01**<br>**जनपद परिचय (Introduction)** | |
| 1.1 | जनपद का ऐतिहासिक परिचय | 1-22 |
| 1.2 | जनपद की प्रशासनिक संरचना (डी.डी.एम.पी. के उद्देश्य एवं औचित्य, जनपद आपदा प्रबंधन कार्ययोजना के अधिकार, जनपद आपदा प्रबंधन कार्ययोजना का विकास– हितधारक एवं उनकी जिम्मेदारियाँ, योजना का उपयोग, पूर्व चेतावनी संकेत एवं बिना चेतावनी वाली घटनाएँ, योजना की समीक्षा एवं अद्यतन प्रक्रिया, संशोधन एवं रखरखाव) | |
| 1.3 | आर्थिक, व्यवसायिक एवं सामाजिक परिदृश्य | |
| 1.4 | 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद की जनसांख्यिकी एवं सामाजिक/आर्थिक विवरण | |
| 1.5 | जलवायु एवं वर्षा | |
| 1.6 | भौगोलिक स्थिति एवं स्थलाकृति | |
| 1.7 | प्राकृतिक संसाधन एवं वन संपदा | |
| 1.8 | खनिज संसाधन | |
| 1.9 | भूमि उपयोग एवं भूमि वर्गीकरण | |
| | **अध्याय – 02**<br>**खतरों, संवेदनशीलता, क्षमता और जोखिम आकलन**<br>**(Hazard, Risk, Vulnerability, and Capacity Assessment)** | |
| 2.1 | जनपद की रूपरेखा | 23-39 |
| 2.2 | जनपद कि भौगौलिक स्थिती एंव जलवायु | |
| 2.3 | जनपद में विभिन्न सम्भावित आपदाओं हेतु वार्षिक कैलेंडर | |
| 2.4 | जनपद में पिछली आपदाओं का मैट्रिक्स | |
| 2.5 | जनपद में प्रमुख संभावित आपदाओं हेतु संवेदनशीलता तथा जोखिम विश्लेषण – भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र | |
| 2.6 | जनपद में भूस्खलन प्रभावित संवेदनशील ग्रामों का विवरण | |
| 2.7 | पुर्नवासित एंव पुनर्वास हेतु प्रस्वावित ग्रामों का विवरण | |
| 2.8 | सडक दुर्घटना | |
| 2.9 | वनाग्नि/अग्नि काण्ड | |
| 2.10 | मानव वन्य जीव संघर्ष | |
| 2.11 | तहसील ज्योतिर्मठ के नगर पालिका परिषद क्षेत्र ज्योतिर्मठ में विगत वर्षों में हुये भूस्खलन के दृष्टिगत संवेदनशीलता विश्लेषण | |
| | **अध्याय – 03**<br>**आपदा प्रबन्धन हेतु संस्थागत व्यवस्थायें**<br>**(Intuitional Arrangements for Disaster Management)** | |
| 3.1 | राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन संगठनात्मक संरचना | 40-69 |
| 3.2 | राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन संगठनात्मक संरचना | |
| 3.3 | जिला स्तर पर आपदा प्रबन्धन का संगठनात्मक ढांचा | |
| 3.4 | जनपद स्तर पर आईआरएस | |
| 3.5 | जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र की स्थापना और जिले में उपलब्ध सुविधाएं | |
| 3.6 | जनपद में विभिन्न आपदायों के रोकथाम हेतु समितियों का गठन | |
| 3.7 | संकट प्रबन्धन समुह | |
| 3.8 | आपदा त्वारित कार्यवाही दल (क्यू.आर.टी.) | |

| क्र. स. | अध्याय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 3.9 | तहसील स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति | |
| 3.10 | तहसील में घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस) | |
| 3.11 | तहसील स्तरीय त्वरित कार्यवाही दल | |
| 3.12 | ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति | |
| | **अध्याय – 04**<br>**रोकथाम और शमन उपाय/आपदा जोखिम न्यूनीकरण**<br>**(Prevention and Mitigation Measures)** | |
| 4.1 | आपदा जोखिम न्यूनीकरण का तात्पर्य | 70-75 |
| 4.1.2 | आपदा जोखिम के न्यूनीकरण के उपाय | |
| 4.2 | खतरे के लिए विशिष्ट रोकथाम और न्यूनीकरण शमन उपाय | |
| 4.2.1 | संरचनात्मक उपाय | |
| 4.2.2 | गैर संरचनात्मक उपाय | |
| 4.3 | राज्य व केंद्र सरकार के विभाग तथा स्थानीय निकायों का विभागीय आपदा प्रबंधन योजना | |
| 4.4 | राज्य के नियंत्राधीन समस्त अस्पतालों की आपदा प्रबंधन योजना | |
| 4.5 | सामुदायिक भागीदारी और क्षमता निर्माण | |
| 4.6 | समस्त विद्यालयों का विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना एवं विद्यालय सुरक्षा से संबन्धित कार्य | |
| 4.7 | समस्त व्यवसायी भवनों, मॉल, सिनेमा हाल, थियेटर, स्टेडियम आदि का अग्निशमन एवं निकासी योजना | |
| 4.8 | नीति और शासन | |
| | **अध्याय – 5 तैयारी के उपाय**<br>**(Preparedness Measures)** | |
| 5.1 | तैयारी उपायों का उद्देश्य | 76-102 |
| 5.2 | जनपद सामान्य तैयारी जांच सूची | |
| 5.3 | राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र (SEOC) | |
| 5.4 | जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र (DEOC) | |
| 5.5 | स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ | |
| 5.6 | आपदा प्रतिक्रिया में शामिल हितधारकों की पहचान | |
| 5.7 | विकलांग व्यक्तियों की निकासी (Evacuation) और प्रतिक्रिया (Response) | |
| 5.8 | विभिन्न कार्यों के लिए टीमों का गठन | |
| 5.9 | जनपद में IRS (Incident Response System) को सक्रिय करना | |
| 5.10 | अन्य एजेंसियों से सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया | |
| 5.11 | लॉजिस्टिक्स, उपकरणों और भंडार की जांच और प्रमाणन | |
| 5.12 | चेतावनी प्रणाली का परीक्षण | |
| 5.13 | जनपद आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC) का परीक्षण | |
| 5.14 | मौसमी आपदाओं से बचाव के लिए सुरक्षा ढांचे और सुविधाओं का निरीक्षण | |
| 5.15 | जनपद में त्वरित प्रतिक्रिया दलों की पहचान | |
| 5.16 | गैर–सरकारी संगठनों (NGOs) और अन्य हितधारकों का समन्वय | |
| 5.17 | जन हानि प्रबंधन (Mass Casualty Management) | |
| 5.18 | राहत, भोजन और पानी | |
| 5.19 | आश्रय/चिकित्सा/राहत शिविर | |
| 5.20 | प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (आपातकालीन अलर्ट सिस्टम, सायरन, सैटेलाईट फोन हेल्पलाइन और इमरजेंसी नंबर) | |

| क्र. स. | अध्याय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 5.21 | विकलांग व्यक्तियों के लिए तैयारी और निकासी | |
| 5.22 | अन्य एजेंसियों से सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया | |
| 5.23 | संचार तंत्र (दूरसंचार सेवाएँ रेडियो और टेलीविजन इंटरनेट और सोशल मीडिया) | |
| | **अध्याय– 06**<br>**क्षमता विकास एंव प्रशिक्षण**<br>**(Capacity Building and training Measures)** | |
| 6.1 | प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण दृष्टिकोण | 103-109 |
| 6.2 | सरकारी अधिकारियों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण | |
| 6.3 | सामुदायिक स्तर पर प्रशिक्षण और जन जागरूकता गतिविधियाँ | |
| 6.4 | प्रस्तावित क्षमता विकास एवं जन–जागरूकता हेतु वार्षिक कैलेंडर | |
| 6.5 | संस्थागत क्षमता निर्माण | |
| 6.6 | अधिकारियों एंव नीति निर्माताओं का प्रशिक्षण | |
| 6.7 | इंजीनियर, आर्किटेक्ट, डॉक्टर इत्यादि का प्रशिक्षण | |
| 6.8 | पुलिस, एसडीआरएफ इत्यादि का प्रशिक्षण | |
| 6.9 | सामुदायिक क्षमता निर्माण एंव सामुदायिक आधारित आपदा प्रबन्धन | |
| 6.10 | प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण | |
| 6.11 | नागरिक सुरक्षा एंव स्वंय सेवक | |
| 6.12 | आपदा प्रबन्धन पर शिक्षा | |
| 6.13 | कौशल उन्नयन और फॉलोअप प्रशिक्षण कार्यक्रम | |
| 6.14 | प्रशिक्षित पेशेवरों का सूचीकरण | |
| 6.15 | विभिन्न संवेदनशील समूहों के लिए डाटा दस्तोवजीकरण | |
| | **अध्याय– 07**<br>**प्रतिक्रिया एंव राहत उपाय**<br>**(Response and Relief Measures)** | |
| 7.1 | राहत, बचाव एवं प्रतिक्रिया कार्यों के मुख्य उद्देश्य | 110-116 |
| 7.2 | प्रतिक्रिया योजना (बहु–आपदा प्रबंधन), तैयारी और त्वरित मूल्यांकन (Quick Assessment of Damages and Needs) | |
| 7.2.1 | क्षति और आवश्यकताओं का त्वरित मूल्यांकन (Quick Assessment of Damages and Needs) | |
| 7.2.2 | प्रतिक्रिया प्रवाह चार्ट (Response Flow Chart) | |
| 7.2.3 | चेतावनी और सतर्कता (Warning and Alert) | |
| 7.2.4 | जिला संकट प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक | |
| 7.2.5 | आपातकालीन संचालन केंद्र (EOC) का सक्रियकरण | |
| 7.2.6 | संसाधनों का संचालन (Resource Mobilization) | |
| 7.2.7 | बाहरी सहायता प्राप्त करना (Seeking External Help for Assistance) | |
| 7.2.8 | प्रभावित जनसंख्या की मानसिक और सामाजिक देखभाल (Psycho & Social Care of Affected Population) | |
| 7.2.9 | प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट (First Assessment Report) | |
| 7.2.10 | मीडिया प्रबंधन / समन्वय / सूचना प्रसार (Media Management / Coordination / Information Dissemination) | |
| 7.2.11 | एसओपी (SOPs) का विकास | |
| 7.2.12 | रिपोर्टिंग (Reporting) | |
| 7.3 | आपदाओं के स्तर | |
| 7.4 | जिम्मेदारी मैट्रिक्स ( Responsbility Matrix)का विकास | |

| क्र. स. | अध्याय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 7.4.1 | खतरों (Hazards) के अनुसार आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यों के लिए जिम्मेदारी मैट्रिक्स | |
| 7.4.2 | त्वरित आने वाली आपदाओं के लिए जिम्मेदारी मैट्रिक्स (Responsibility Matrix) जहां पूर्व चेतावनी उपलब्ध नहीं होती | |
| 7.5 | आपदा के विभिन्न स्तरों में राहत एवं बचाव तथा प्रतिक्रिया कार्यों के दायित्व | |
| 7.5.1 | पूर्व चेतावनी मिलने पर किये जाने वाले कार्य | |
| 7.5.2 | आपदा प्रतिवादन कार्य का सक्रियकरण | |
| 7.5.3 | राहत एवं प्रतिवादन के कार्य | |
| 7.5.4 | खोज एवं बचाव | |
| 7.5.5 | प्रारंभिक आंकलन | |
| 7.5.6 | राहत वितरण | |
| 7.5.7 | अनुश्रवण | |
| 7.5.8 | प्रतिवादन निष्क्रियकरण | |
| 7.5.9 | पुर्ननिर्माण कार्य | |
| 7.6 | जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अन्तर्गत Incident Response System (IRS) में नामित अधिकारियों का विवरण | |
| 7.7 | तहसील आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अन्तर्गत Incident Response System (IRS) में नामित अधिकारियों का विवरण | |
| | **अध्याय – 08**<br>**आपदा पुनर्निर्माण एंव पुनर्स्थापना उपाय**<br>**(Reconstruction, Rehabilitation And Recovery Measures)** | |
| 8.1 | परिचय | 117-121 |
| 8.2 | पुनःनिर्माण एवं पुर्नस्थापन के चरण | |
| 8.3 | पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापन कार्यो हेतु विभागीय दायित्व | |
| 8.4 | क्षति आंकलन प्रक्रिया | |
| 8.5 | लघु अवधि पुनःस्थापन के महत्वपूर्ण कार्य | |
| 8.6 | दीर्घ अवधि की पुनर्निर्माण गतिविधियां | |
| | **अध्याय – 09**<br>**आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना को लागू किये जाने हेतु बजट व्यवस्था**<br>**(Financial Resources For Implementation of DDMP)** | |
| 9.1 | आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत उत्तराखंड में वित्तीय व्यवस्थाएँ | 122-134 |
| 9.2 | आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत बनाए जाने वाले कोष | |
| 9.3 | राज्य सरकार के विभागों और एजेंसियों की जिम्मेदारियाँ | |
| 9.4 | तकनीकी–वित्तीय व्यवस्था (Techno & Financial Regime) | |
| 9.5 | अन्य वित्तीय विकल्प | |
| 9.6 | राज्य आपदा मोचन निधि के मानक | |
| 9.7 | आपदा न्यूनीकरण निधि | |
| 9.8 | राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से आच्छादिन न होने वाले कार्य | |
| 9.9 | पुनर्वास एंव विस्थापन | |
| 9.10 | एसडीआरएफ/न्यूनीकरण/नॉन एसडीआरएफ में बजट व्यवस्था | |
| | **अध्याय– 10**<br>**डीडीएमपी की निगरानी, मूल्यांकन, अद्यतन और रखरखाव के लिए प्रक्रिया और कार्यप्रणाली**<br>**(Procedure And Methodology For Monitoring Evaluation, Updation And Maintenance)** | |

| क्र. स. | अध्याय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 10.1 | परिचय | 135-137 |
| 10.2 | डीडीएमपी को रखरखाव और समीक्षा की जिम्मेदारी | |
| 10.3 | डीडीएमपी की उचित निगरानी और मूल्यांकन | |
| 10.4 | डीडीएमपी के लिए आपदा के बाद मूल्यांकन तंत्र | |
| 10.5 | डीडीएमपी के अद्यतनीकरण की अनुसूची | |
| 10.6 | डीडीएमए/एसडीएमए वेबसाइट पर अद्यतन योजनाओं को अपलोड करना | |
| 10.7 | मॉक ड्रिल का आयोजन | |
| 10.8 | जिला अभ्यास आयोजित करने के लिए जिम्मेदार पक्ष | |
| 10.9 | ड्रिल के आयोजन का कार्यक्रम | |
| 10.10 | निगरानी और अंतराल मूल्यांकन | |
| | **अध्याय–11**<br>**डीडीएमपी के कार्यान्वयन के लिए समन्वय तंत्र**<br>**(Coordination Mechanism for Implementation of DDMP)** | |
| 11.1 | अंतरा विभागीय/अन्तर विभागीय एंव क्षैतिज समन्वय | 138-151 |
| 11.2 | गैर सरकारी संगठनों एंव स्वयं सहायता समूहों के साथ समन्वय | |
| 11.3 | विकासखण्ड /ग्राम स्तर पर समन्वय | |
| 11.4 | राज्य स्तरीय विभागो एंव प्रशिक्षण संस्थानो के साथ समन्वय | |
| 11.5 | जिला स्तर के प्रशिक्षण संस्थानो के साथ समन्वय | |
| 11.6 | विकासखण्ड स्तर पर समन्वय | |
| 11.7 | स्थानीय स्तर पर समन्वय | |
| 11.8 | पडोसी जिलों के साथ समन्वय | |
| 11.9 | राज्य आपदा प्रबन्धन योजना के साथ समन्वय | |
| | **अध्याय–12**<br>**मानक प्रचालन विधि एवं चैक लिस्ट**<br>**(Standard Operation Procedures and Check list)** | |
| 12.1 | आपदा स्थिति की परिभाषा | 152-161 |
| 12.2 | चेतावनी प्राप्त होने पर की जाने वाली कार्यवाही तथा चेतावनी का प्रसार | |
| 12.3 | आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए वित्तीय और तकीनीकी संसाधनों तक पंहुच की प्रक्रिया | |
| 12.4 | आपातकालीन प्रतिक्रिया में विभागों एंव हितधारकों की भूमिकाऐं और जिम्मेदारियॉ | |
| 12.5 | सूचना प्रबन्धन एंव प्रसार रणनीति | |
| 12.6 | आपातकीन प्रतिक्रिया के दौरान मीडिया प्रबन्धन रणनीति | |
| 12.7 | राज्य सरकार से सहायता का अनुरोध | |
| 12.8 | राहत और पुनर्वास मानक | |

# अध्याय – 1 जनपद परिचय

**1.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः–** चमोली जिला ''गढवाल'' में दुर्गो की भूमि के जिले के रूप में जाना जाता है। आज का गढवाल पुरातन अतीत में केदारखण्ड के रूप में प्रसिद्ध है। पुराणों में केदारखण्ड को ईश्वर का निवास स्थान कहा गया है। वेद, पुराण, रामायण व महाभारत के साक्ष्यों से पता चलता हैं कि इन हिन्दू धर्मग्रन्थों की रचना केदारखण्ड में हुई थी। ऐसा माना जाता हैं कि बद्रीनाथ से 4 किमी0 दूर माणा गॉव (प्रथम गॉव चीन की सीमा से) में स्थित व्यास गुफा में भगवान गणेश द्वारा प्रथमतः वेदों का आलेखन किया गया।

ऋग्वेद (1017–19) के अनुसार, जल–प्रलय के बाद सप्तऋषियों ने अपने जीवन की रक्षा माणा गॉव में ही की। इन बातों के अतिरिक्त वैदिक साहित्य का उद्भव भी गढवाल से मिलता है, क्योंकि गढवाली भाषा के बहुत सारे शब्दों की समानता संस्कृत भाषा से मिलती है। वैदिक ऋषियों की कार्य–स्थली, जिसमें प्रमुख तीर्थस्थल चमोली का अत्रिमुनि आश्रम भी है, चमोली शहर से 25 किमी0 दूरी पर है। साथ ही बद्रीनाथ के पास स्थित गन्धमाद पर्वत कश्यप ऋषि की कार्यस्थली रहा है। आदिपुराण के अनुसार, वेदव्यास द्वारा महाभारत की रचना बद्रीनाथ के समीप व्यास गुफा में की गयी। जपनद का एक छोटा सा गॉव पाडुकेश्वर जो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाई–वे (मोटरमार्ग) पर है तथा जो बद्रीनाथ से 25 किमी0 दूरी पर है, राजा पाण्डु की तपस्थली माना जाता है। केदारखण्ड पुराण में इसे शिव की भूमि माना गया है। गढ़वाल के इतिहास के बारे में प्रमाणिक लेखन 6वीं ईसवी के बाद मिलता है, जिसमें सबसे पुराने उदाहरणों मे गोपेश्वर में त्रिशूल, पाण्डुकेश्वर में ललीतशूल आदि है। कुछ इतिहासकार और वैज्ञानिकों का मानना है कि यह भूमि आर्यजाति का मूल उद्गम स्थल है। माना जाता हैं कि 300 ईसा–पूर्व राजा खस ने गढ़वाल में नेपाल, कश्मीर व कुमाऊॅ से आकर आक्रमण किया। इस आक्रमण के बाद आपसी संघर्ष बहुत बढ़ गया और मूल निवासियों ने अपनी सुरक्षा के लिए कई किलों, जिन्हें ''गढी'' कहा गया, का निर्माण किया। लेकिन बाद में राजा खस ने मूल निवासियों को पराजित कर सभी किलों को अपने कब्जे मे ले लिया। राजा खस के बाद क्षत्रियों ने इस भूमि पर आक्रमण कर खस शासन को पूर्णतः समाप्त कर दिया। उन्होंने सैकडों गढ़ी के गढवाल को केवल 52 गढों में सीमित कर दिया। क्षत्रियों के एक जनरल कॅनटुर वासुदेव ने गढवाल की उत्तरी सीमा, जोशीमठ में अपनी राजधानी बनायी और कार्तिकेय वासुदेव कत्यूरी ने कत्यूरी राजवंश की गढवाल में स्थापना की और सैकडों वर्षों तक शासन किया।

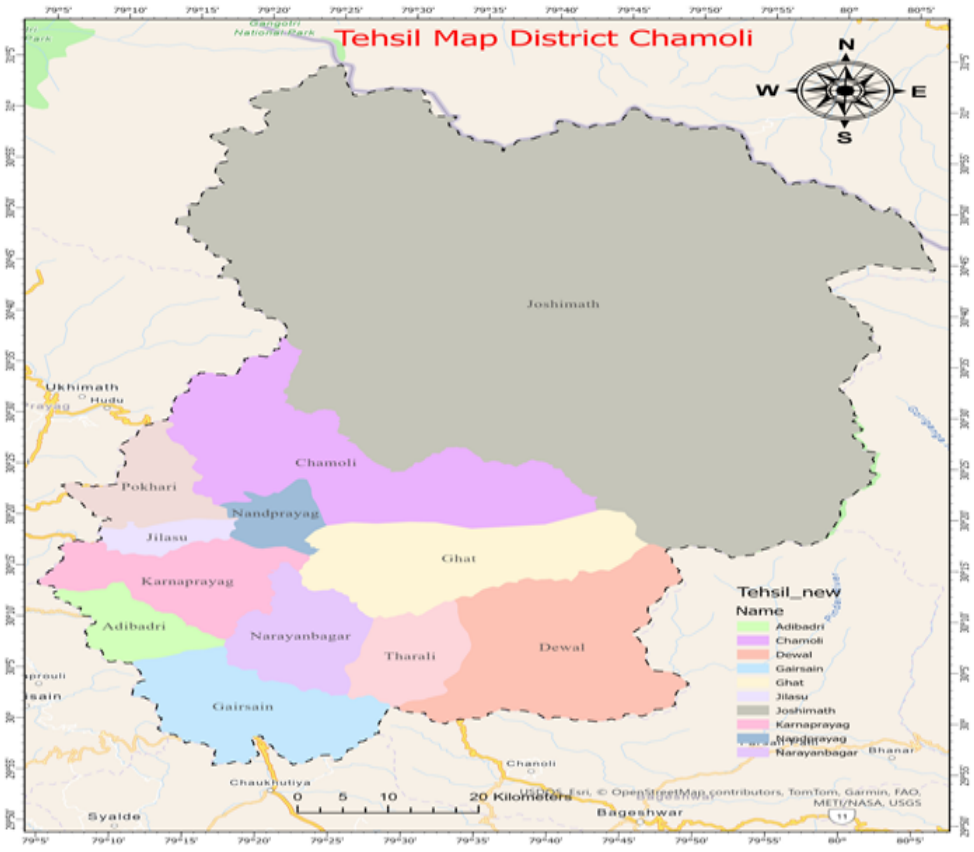

पुराणों के अनुसार, आदिगुरू शंकराचार्य ने गढवाल की यात्रा कर जोशीमठ में चार में से एक प्रसिद्व पीठ की स्थापना की। भारतवर्ष मे स्थित अन्य तीन पीठ द्वारिका, पुरी व श्रृंगेरी हैं। उन्होंने ही बद्रीनाथ में भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति को फिर से स्थापित किया, जो कि बौद्धों के डर के कारण नारद–कुण्ड में छिपाई गई थी। वैदिक पूजा के रिवाजों के बाद ही बद्रीनाथ में तीर्थयात्रा प्रारम्भ हुई। पं0 हरिकृष्ण रतूडी के अनुसार, भानूप्रताप पंवार राजवंश के प्रथम स्थापक रहे जिन्होनें गढ़वाल के 52 गढ़ों मे सबसे मजबूत गढ़ चॉनपुर गढ़ी को अपनी राजधानी बनाया। 8 सितम्बर, 1803 के विध्वंसक भूकम्प ने गढवाल राज्य की आर्थिक व प्रशासनिक व्यवस्था को कमजोर बना दिया। इस स्थिति का लाभ उठाकर अमर सिंह थापा और हस्तीदल चन्दुरिया ने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया और उन्होंने आधे से अधिक गढवाल पर अपना शासन स्थापित कर 1804 से 1815 तक राज्य किया।

इसी बीच मे पॅवार राजवंश के शासक राजा शुदर्शन ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी से सम्पर्क स्थापित कर सहायता मांगी। इस प्रकार अंग्रेजों की सहायता से उन्होंने गोरखा को हराकर राजधानी श्रीनगर सहित अलकनन्दा एवं मन्दाकनी के पूर्वी हिस्सों को ब्रिटिश गढ़वाल में सम्मिलित कर दिया। उसी समय से यह क्षेत्र **ब्रिटिश गढ़वाल** के नाम से जाना जाता है। तथा गढवाल की राजधानी को श्रीनगर से बदल कर टिहरी स्थापित कर दिया गया। शुरूआती दौर में देहरादून एंव सहारनुपर के अधीन इस क्षेत्र में अंग्रेजी हुकुमत के नियमों को जारी रखा गया। बाद में अग्रेजों ने इस क्षेत्र में एक नये जिले को स्थापित किया जिसका नाम पौड़ी रखा गया। आज का चमोली उस समय पौड़ी की एक तहसील के रूप में था। 24 फरवरी, 1960 को चमोली को तहसील से एक नये जनपद के रूप में उच्चीकृत कर दिया गया। वर्ष 1997 के अक्टूबर माह मे चमोली की दो तहसीलों एवं दो ब्लॉक (आंशिक रूप में) को एक नव निर्मित जिले रूद्रप्रयाग मे सम्मिलित कर दिया गया। सन् 1960 में चमोली को एक पृथक राजस्व जिले के रूप में मान्यता दी गयी थी, जोकि मध्य हिमालयी क्षेत्र में आता है।

चमोली जिला, उत्तरी–पश्चिमी दिशा में उत्तरकाशी, दक्षिण–पश्चिम से पिथौरागढ, दक्षिण–पूर्व में अल्मोडा एवं पश्चिम से टिहरी जनपद से घिरा है।

**1.2 जनपद की प्रशासनिक संरचना–** जनपद का कुल क्षेत्रफल 8030 वर्गमीटर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 391605 है तथा जनसख्या घनत्व 49 वर्ग प्रति किमी0 है।

| | |
|---|---|
| परगना | 06 |
| तहसील | 12 |
| विकासखण्ड | 09 |
| पुलिस थाना | 09 |
| पुलिस चौकी | 31 |
| नगर पालिका/नगर पंचायत | 11 |
| ग्राम पंचायत | 615 |
| राजस्व ग्राम | 1264 |

**जनपद आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना का लक्ष्य एंव उददे्श्यः–** जिला चमोली के डीडीएमपी का समग्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपदा प्रबंधन के सभी घटकों पर ध्यान दिया जाए, ताकि जीवन बचाने के लिए योजना, रोकथाम, तैयारी, शमन और त्वरित एवं समन्वित प्रतिक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा सके।

**डीडीएमपी के उद्देश्य इस प्रकार हैं:–**

- जिले में खतरे, जोखिम और कमजोरियों की पहचान करना।
- जिले में प्राकृतिक खतरों के जोखिम को कम करना।
- प्रभावी प्रतिक्रिया और राहत के लिए तैयारी के उपाय तैयार करना।
- समुदाय की क्षमता का निर्माण करना।

- विभिन्न हितधारकों की भूमिका और जिम्मेदारी को परिभाषित करना।
- जिले में विकास योजनाओं में डीआरआर के एकीकरण की सुविधा प्रदान करना।
- कई खतरों का प्रभावी ढंग से जवाब देने और समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन के लिए सभी स्तरों पर क्षमता विकास की सुविधा प्रदान करना।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित प्रशासन के समन्वय के लिए संस्थागत तंत्र तैयार करना।
- राज्य आपदा प्रबंधन योजना में जारी दिशा–निर्देशों के आधार पर प्रतिक्रिया योजना तैयार करना ताकि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत, बचाव और खोज सहायता प्रदान की जा सके।
- समुदाय को आपदा प्रतिरोधी भावी विकास की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार तथा मीडिया का उपयोग करके जिले में आपदा प्रतिरोधी निर्माण तंत्र को अपनाना।

**औचित्यः–** जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) आपदा प्रबंधन चक्र के सभी चरणों के लिए जिला सरकार और अन्य एजेंसियों को एक रूपरेखा और दिशा प्रदान करती है। DDMP प्रकृति में गतिशील है क्योंकि आपदा प्रबंधन में विकास के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए इसे समय–समय पर अद्यतन किया जाता है। यह आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005), DDMP के लिए मॉडल रूपरेखा और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP) के प्रावधानों के अनुसार है।

आपदा प्रबन्धन चक्र यह स्वीकार करता है कि प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए कई खतरों को शामिल करने वाले एक व्यापक ढांचे की आवश्यकता होती है। डीडीएमपी में एक एकीकृत दृष्टिकोण शामिल है जो सरकारी एजेंसियों, कई अन्य प्रासंगिक संगठनों, निजी क्षेत्र के प्रतिभागियों और स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अध्याय IV, धारा 31 के अनुपालन में, प्रत्येक जिले को स्थानीय अधिकारियों से परामर्श करने के बाद एक डीडीएमपी बनाना चाहिए। डीडीएमपी राज्य और राष्ट्रीय डीएम योजना के अनुरूप होना चाहिए।

आपदा प्रबन्धन चक्र

**जनपद आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना के अधिकारः –**

(अ) आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005: आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 31 (ii) जिला प्रशासन को स्थानीय अधिकारियों से परामर्श के बाद डीडीएमपी बनाने का निर्देश देती है। डीडीएमपी को एनडीएमपी और एसडीएमपी को ध्यान में रखते हुए बनाया जाना चाहिए।

(ब) एसडीएम योजना: उत्तराखण्ड के एसडीएमपी के अनुसार, राज्य सरकार के एसओपी के तैयारी कार्यों के तहत, डीडीएमपी को सालाना अपडेट किया जाना चाहिए।

(स) एसडीएम नीति: अध्याय 5, आपदा रोकथाम, तैयारी और शमन जिला स्तर पर डीडीएमपीएस के कार्यान्वयन का सुझाव देता है।

**जनपद आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना का विकासः–**यह योजना विभिन्न लाइन विभागों के लिए वीडीएमपी, स्कूल डीएम योजना और अन्य आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाएँ बनाने के लिए संदर्भ बिंदु रही है। जिला, तहसील, विकासखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर आपदा प्रबंधन, राहत, प्रतिक्रिया और शमन के संदर्भ में योजना को अद्यतन करने की आवश्यकता थी। आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना तैयार किये जाने हेतु निम्नलिखित बिन्दुओ पर रिर्पाट तैयार की गयी–

- मौजूदा डीएम योजना की समीक्षा
- टेम्पलेट/अभिविन्यास का विकास
- जिला स्तर पर डेटा संग्रह
- एचआरवीए रिपोर्ट
- योजना के पहले मसौदे के लिए परामर्श प्रक्रिया

आपदा प्रबंधन योजना विभिन्न मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण और धारणा में एकरूपता प्रदान करती है, जिससे अनावश्यक जटिलताओं से बचा जा सके। साथ ही, यह योजना क्षेत्र स्तर से लेकर जिला मुख्यालय और उससे आगे तक विभिन्न एजेंसियों के लिए समन्वय तंत्र प्रदान करती है। इस प्रकार, यह प्रतिक्रिया और संसाधनों के अधिकतम उपयोग के संदर्भ में दक्षता सुनिश्चित करती है। इसके अलावा, यह प्रशासन को किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रखती है।

**हितधारक एवं उनकी जिम्मेदारियांः –**

• राष्ट्रीय और राज्य स्तर – एनडीएमए, एनआईडीएम, एनडीआरएफ को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख भूमिकाएँ सौंपी गई हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) और राहत आयुक्त (सीओआर) का कार्यालय, राजस्व विभाग, राज्य में प्रमुख संस्थाएँ हैं जो आपदा प्रबंधन के सभी चरणों से निपटती हैं। सभी प्रमुख लाइन विभाग (राजस्व, पुलिस, सिंचाई, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, जल आपूर्ति और स्वच्छता, वन, लोक निर्माण विभाग, बिजली आपूर्ति) और आपातकालीन सहायता कार्य एजेंसियाँ (पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन और स्वास्थ्य/प्राथमिक चिकित्सा) आपदाओं के दौरान डीईओसी में शामिल हो जाती हैं।

• जिला स्तर पर, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए), जिसमें जिलाधिकारी को जिम्मेदार अधिकारी (आरओ) के रूप में नामित किया गया है, और जिला मुख्यालय में अन्य लाइन विभाग जिले के भीतर आपदा प्रबंधन के सभी चरणों से निपटने के लिए जिम्मेदार हैं।

• अन्य तकनीकी संस्थान, बड़े पैमाने पर समुदाय, स्थानीय स्वशासन, गैर सरकारी संगठन आदि भी जिला आपदा प्रबंधन पैनल के हितधारक हैं। हितधारकों की भूमिका इस उद्देश्य से तैयार की गई है कि संबंधित संगठनों को सभी स्तरों पर आपदा प्रबंधन के संबंध में उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझाया जा सके तथा उन्हें पूरा किया जा सके।

| क्र.सं. | विभाग | दायित्व |
|---|---|---|
| 1 | जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण | डीडीएमपी का कार्यान्वयन/अद्यतन/संशोधन।<br>• जिले में आपदा पूर्व और आपदा पश्चात प्रबंधन गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय सरकारी निकायों के साथ समन्वय स्थापित करना और उन्हें सुविधा प्रदान करना।<br>• स्थानीय प्रशासन, गैर–सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के सहयोग से सामुदायिक प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम और आपातकालीन सुविधाओं की स्थापना में सहायता करना। |
| 2 | राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण | डीडीएमपी को मंजूरी देना<br>• योजना की निगरानी और कार्यान्वयन।<br>• इस योजना के विभिन्न पहलुओं के लिए डीडीएमपी को मार्गदर्शन प्रदान करना।<br>• आपदा की स्थिति में जिले को आवश्यक सहायता प्रदान करना।<br>• शमन और तैयारी उपायों के लिए धन के प्रावधान की सिफारिश करना। |
| 3 | राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण | • आपदा प्रबंधन के लिए नीति और योजनाओं के प्रवर्तन और कार्यान्वयन का समन्वय करना। |
| 4 | सेना | • एनडीआरएफ, एसडीएमए और संबंधित विभाग के समन्वय से आपातकालीन राहत और प्रतिक्रिया गतिविधियाँ संचालित करना। |
| 5 | पुलिस, होमगार्ड | आपदा स्थितियों और उनसे संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण देना।<br>• कानून और व्यवस्था बनाए रखना |

| | | |
|---|---|---|
| | | • लूटपाट और दंगों के खिलाफ उपाय करना<br>• खोज और बचाव अभियान |
| 6 | सिचाई विभाग | • प्रभावित क्षेत्र में पानी की आपूर्ति बहाल करना।<br>• बाढ़ की स्थिति में नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना।<br>• सिंचाई से सम्बन्धित बुनियादी ढांचे की निगरानी और सुरक्षा करना। |
| 7 | चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग | पर्याप्त संख्या में मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती करना तथा सभी उपकरणों को क्रियाशील रखना। |
| 8 | उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लि. (यू.पी. सी.एल.) | • डीजी सेट आदि जैसे आवश्यक बाहरी उपकरणों की आवश्यकताओं की पहचान करें।<br>• क्षेत्र में हुए नुकसान का आकलन करें। |
| 9 | दूरसंचार विभाग | • जिले को दूरसंचार सहायता का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए कार्यों का समन्वय।<br>• प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी दूरसंचार की आवश्यकता का समन्वय। |
| 10 | सूचना एंव जनसम्पर्क विभाग | • जिला स्तर पर राहत कार्यों के प्रभावी समन्वय के लिए आपदा और आपदा पीड़ितों की स्थिति पर विश्वसनीय जानकारी प्रदान करना और एकत्र करना।<br>• विशेष जरूरतों के लिए समाचार फ्लैश भेजने के लिए सभी टीवी और रेडियो नेटवर्क के साथ समन्वय करना। |
| 11 | परिवहन विभाग | परिवहन की आवश्यकता का विश्लेषण करना।<br>विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपलब्ध वाहनों की सूची बनाना<br>आपातकालीन प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति कार्यों, खोज और बचाव और क्षति आकलन का समन्वय और कार्यान्वयन करना। |
| 12 | कृषि एवं उद्यान विभाग | • सूखा–संबंधी आपदाओं के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करना<br>• सभी प्रकार की फसलों के संबंध में आवश्यकता और क्षति का आकलन करना।<br>• कृषि क्षेत्र से संबंधित सभी बुनियादी ढाँचों का निर्बाध संचालन सुनिश्चित करना। |
| 13 | पशुपालन विभाग | आपदाओं के संदर्भ में पशु–संबंधी मुद्दों के लिए रणनीति और योजना विकसित करना।<br>• महामारी के किसी भी प्रकोप को नियंत्रित करना और रोकना।<br>• सभी पशु चिकित्सा केंद्रों की सूची बनाना और आपदा की स्थिति से निपटने की उनकी क्षमता का आकलन करना।<br>• मृत पशुओं के शवों के निपटान के लिए प्रोटोकॉल विकसित करना। |
| 14 | लोक निर्माण विभाग | उचित कोड और दिशा–निर्देश विकसित करना।<br>• इमारतों और महत्वपूर्ण इमारतों की सुरक्षा के लिए उनका निरीक्षण करना |
| 15 | राजस्व विभाग | किसी वास्तविक या संभावित आपदा की स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करना, उसे संसाधित करना और उसका प्रसार करना, ताकि परामर्श के आधार पर प्रभावित क्षेत्र में सहायता प्रदान करने में सभी प्रत्युत्तरकर्ताओं की समग्र गतिविधियों को सुविधाजनक बनाया जा सकेय<br>• आपातकालीन प्रावधानों से जुड़ी गतिविधियों का समन्वय करना |
| 16 | वन विभाग | जंगल में आग लगने की घटना की घटनाओ को नियन्त्रित करना एंव बनाग्नि की घटनाओ को रोकने हेतु प्रभावी कार्ययोजना तैयार करना। |

**जनपद आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना का उपयोगः –** आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 31 के तहत निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार आपदा की स्थिति में डीडीएमपी को संदर्भ के रूप में कार्य करना चाहिए। जिले के सभी हितधारकों और विभिन्न लाइन विभागों को आपदा प्रबंधन के प्रति अपने कर्तव्यों की

प्राप्ति के लिए डीडीएमपी से संपर्क करना चाहिए। डीडीएमए के सदस्यों को डीडीएमपी में उल्लिखित अपनी शक्तियों और जिम्मेदारियों के बारे में पता होना चाहिए और जिलाअधिकारी को आपदा की स्थिति में अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। डीडीएमपी जिला स्तर पर स्कूलों, समुदायों और लाइन विभागों (आईपीएच, पीडब्ल्यूडी, अग्निशमन, बिजली, स्वास्थ्य, पुलिस और होमगार्ड) के वीडीएमपी और व्यक्तिगत आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करेगा।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 में परिभाषित अनुसार, डीडीएमए आपदा प्रबंधन के लिए जिला नियोजन, समन्वय और कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करेगा तथा राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार जिले में आपदा प्रबंधन के उद्देश्य से सभी उपाय करेगा। तदनुसार, जिला आपदा प्रबंधन योजना स्थानीय प्राधिकारियों के परामर्श के बाद तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना और राज्य आपदा प्रबंधन योजना को ध्यान में रखते हुए जिला प्राधिकरण द्वारा तैयार की जाएगी। डीडीएमए के अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन योजना की एक प्रति तथा उसमें किए गए किसी भी संशोधन की प्रति हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को योजना के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेंगे। विचार–विमर्श के बाद एसडीएमए योजना को अनुमोदित करेगा तथा कार्यान्वयन के लिए दिशा–निर्देश जारी करेगा।

**पूर्व चेतावनी संकेत–**

ऐसे मामलों में, भारत सरकार/राज्य सरकार ने ऐसी पूर्व चेतावनी संकेत उत्पन्न करने वाली एजेंसियों को अधिकृत किया है। यदि मामला बहुत जरूरी है और ब्लॉक/तहसील/ग्राम स्तर पर कार्रवाई की आवश्यकता है, तो चेतावनी और कार्रवाई बिंदु सीधे सभी संबंधित व्यक्तियों तक पहुँचाए जाएंगे। इन संकेतों को समय पर प्राप्त करने और उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए।

ऐसी चेतावनी/परामर्श प्राप्त होने के बाद, राज्य सरकार द्वारा SEOC (राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र) इसे तुरंत DEOC (जिला आपातकालीन संचालन केंद्र) को सूचित करेगा। DEOC इस चेतावनी को जिला स्तर पर विभागों को प्रेषित करेगा।इस प्रकार के मामलों में जानकारी का प्रवाह निम्नानुसार होगाः–

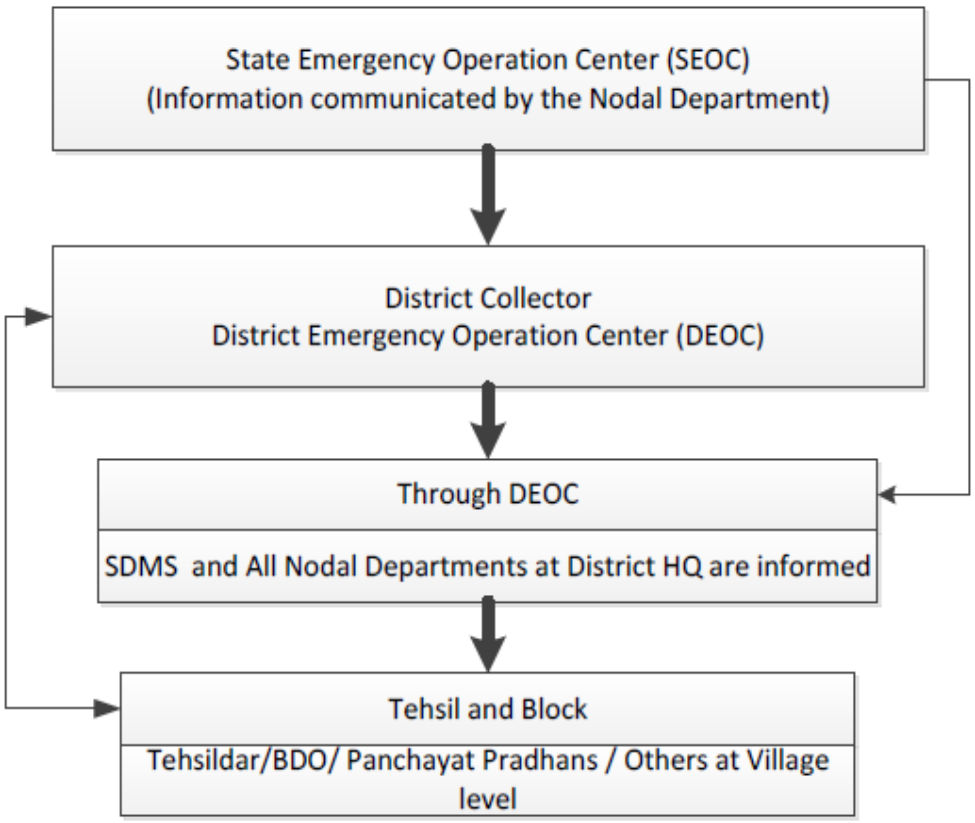


चेतावनी हेतु सूचनाओ का चक्र

## पूर्व चेतावनी के बिना संकेत :

जब कोई आपदा बिना किसी प्रारंभिक चेतावनी के आती है, तो उस स्थिति में घटना स्थल से सूचना सरकारी एजेंसी या अन्य माध्यमों से प्रारंभ होती है और ऐसी स्थिति में संस्थागत तंत्र निम्नानुसार होगाः–

- संबंधित गाँव पंचायत, ब्लॉक, पुलिस स्टेशन/एसडीएम/डीएम को घटना की सूचना देगा, और यह सूचना जिलाधिकारी (District Magistrate) तक भेजी जाएगी।
- DDMA (जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) जानकारी का आकलन करेगा और आपदा को स्तर L0, L1, L2 या L3 के रूप में वर्गीकृत करेगा।
- DEOC (जिला आपातकालीन संचालन केंद्र) सक्रिय किया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो SEOC (राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र) को सतर्क रखा जाएगा; अन्यथा, घटना की सूचना SEOC को दी जाएगी।
- DDMA, DEOC की बैठक आयोजित करेगा और घटना प्रबंधन योजना (Incident Response Plan) के तहत आपदा प्रबंधन की योजना तैयार करेगा।
- संबंधित घटना प्रतिक्रिया टीमों (Incident Response Teams) को प्रभावी प्रबंधन के लिए घटना स्थल पर भेजा जाएगा।

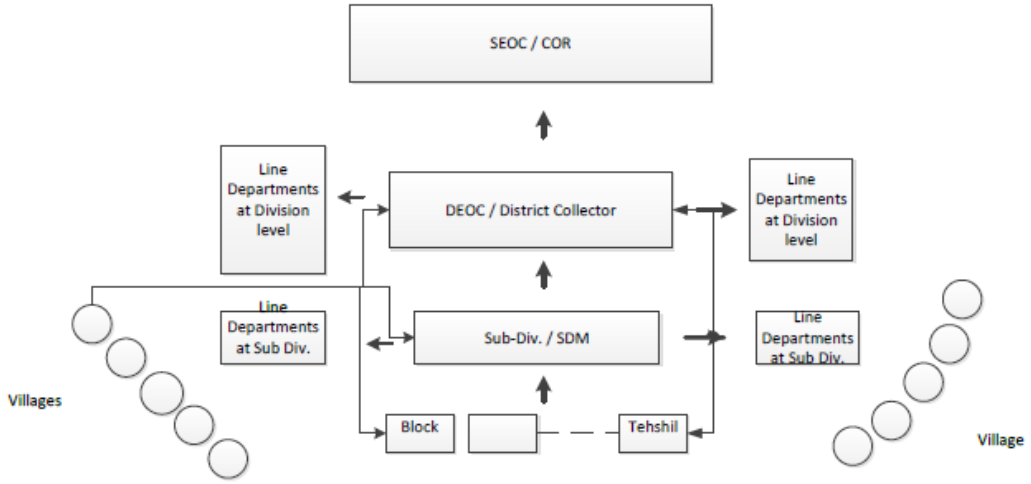


**Without Warning – Information, generally, should flow from Bottom side – up but it is a crisscross scenario**

आपदा चेतावनी प्राप्त होने पर या सक्षम प्राधिकरण द्वारा आपदा के घटित होने पर आपदा प्रतिक्रिया संरचना सक्रिय की जाएगी। आपदा के घटित होने की सूचना संबंधित निगरानी प्राधिकरण द्वारा राहत आयुक्त/एसडीएमए को सबसे तेज माध्यम से दी जा सकती है। एसडीएमए/एसईसी आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए सभी विभागों को सक्रिय करेगा, जिसमें राज्य ईओसी, जिला ईओसी, पुलिस कर्मी और ईआरसी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, वे निम्नलिखित विवरणों को शामिल करते हुए निर्देश जारी करेंगेः

- आवश्यक संसाधनों की सटीक मात्रा (जनशक्ति, उपकरण और प्रमुख विभागों/हितधारकों से आवश्यक वस्तुओं के रूप में)।
- प्रदान की जाने वाली सहायता का प्रकार।
- वह समय सीमा जिसके भीतर सहायता की आवश्यकता है।
- अन्य टास्क/प्रतिक्रिया बलों का विवरण जिनके माध्यम से समन्वय होना चाहिए।
- राज्य स्तर पर राज्य ईओसी, ईआरसी और अन्य नियंत्रण कक्षों के साथ–साथ जिला नियंत्रण कक्षों को पूरी क्षमता के साथ सक्रिय किया जाना चाहिए।

## योजना की समीक्षा और अद्यतन प्रक्रियाः –

अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण चमोली का दायित्व है कि जिला आपदा प्रबंधन योजना (डीडीएमपी) का वार्षिक रूप से और आवश्यकता पड़ने पर समय–समय पर पुनरीक्षण और अद्यतन किया जाए। सभी संबंधित विभाग आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे। हाल के समय में, आपदाओं के प्रति प्रशासनिक प्रतिक्रिया की प्रभावशीलता में प्रगतिशील सुधार हुआ है। यह मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सुव्यवस्थित प्रशासनिक मशीनरी, संबंधित विभागाध्यक्षों और विभिन्न स्तरों के अधिकारियों को पहले से आवंटित कर्तव्यों और सार्वजनिक तथा एनजीओ की साझेदारी के कारण संभव हुआ है।

**प्रशिक्षणः** योजना विकसित करने के बाद, इसे प्रसारित किया जाना चाहिए और आपदा प्रबंधन समन्वयक अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगे ताकि उन्हें योजना में पहचाने गए कार्यों को करने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और क्षमताएँ प्राप्त हों।

**योजना का अभ्यास करें:** योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अभ्यासों और वास्तविक घटनाओं के संयोजन से किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि योजना में उल्लिखित लक्ष्य, उद्देश्य, निर्णय, क्रियाएँ और समय प्रतिक्रिया को सफल बना सके। अभ्यास का उद्देश्य नीतियों, योजनाओं का परीक्षण करना और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करके तैयारी को बढ़ावा देना है।

**संशोधन और रखरखावः** योजना तैयार करने वाली टीमों को योजना की समीक्षा और संशोधन के लिए एक प्रक्रिया स्थापित करनी चाहिए। समीक्षा एक आवर्ती गतिविधि होनी चाहिए और वार्षिक आधार पर समीक्षा को न्यूनतम माना जाता है। योजना की समीक्षा और अद्यतन निम्नलिखित घटनाओं के बाद किया जाएगाः

- किसी बड़ी घटना के बाद।
- संचालन संसाधनों में परिवर्तन (जैसे, नीति, कर्मचारी, संगठनात्मक संरचनाएं, प्रबंधन प्रक्रियाएं, सुविधाएं, उपकरण)।
- योजना मार्गदर्शन या मानकों का औपचारिक अद्यतन।
- हर सक्रियता के बाद।
- प्रमुख अभ्यासों के बाद।
- जिले के जनसांख्यिकी, खतरों या खतरे की प्रोफाइल में परिवर्तन।
- नए या संशोधित कानूनों या अध्यादेशों का अधिनियमन।

मूल योजना, परिशिष्टों, उप परिशिष्टों और कार्यान्वयन निर्देशों के विकास और पुनरीक्षण के समन्वय की जिम्मेदारी उपयुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को सौंपी जानी चाहिए।

यह अनुशंसा की जाती है कि एक DDMP (जिला आपदा प्रबंधन योजना) का आंतरिक रूप से **हर वर्ष समीक्षा किया जाए और उसे या तो अद्यतन किया जाए या पुनः पुष्टि की जाए।** अद्यतन किए गए या पुनः पुष्टि किए गए दस्तावेज़ का उपयोग पिछले वर्ष की उपलब्धियों को संक्षेप में प्रस्तुत करने और अगले वर्ष के लिए न्यूनीकरण लक्ष्यों को प्राथमिकता देने में प्रशासन की मदद करने के लिए भी किया जा सकता है।

## 1.3 आर्थिक, व्यवसायिक एंव सामाजिक परिदृश्य–

| क्र.सं. | मद | इकाई | अवधि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | भौगोलिक क्षेत्रफल | वर्ग किमी0 | 2011 | 8030.00 |
| 2.1 | **जनसंख्या** | | | |
| 2.1.1 | पुरूष | संख्या ह0 में | 2011 | 193.99 |
| 2.1.2 | स्त्री | संख्या ह0 में | 2011 | 197.61 |
| 2.1.3 | योग | संख्या ह0 में | 2011 | 391.61 |
| 2.1.4 | ग्रामीण | संख्या ह0 में | 2011 | 332.21 |
| 2.1.5 | नगरीय | संख्या ह0 में | 2011 | 59.40 |
| 2.1.6 | अनुसूचित जाति | संख्या ह0 में | 2011 | 79.32 |
| 2.1.7 | अनुसूचित जनजाति | संख्या ह0 में | 2011 | 12.26 |
| 2.2 | **साक्षर व्यक्तियों की संख्या** | | | |
| 2.2.1 | कुल | संख्या ह0 में | 2011 | 280.56 |
| 2.2.2 | पुरूष | संख्या ह0 में | 2011 | 155.40 |
| 2.2.3 | स्त्री | संख्या ह0 में | 2011 | 125.16 |
| 3 | **निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या** | | | |
| 3.1 | लोक सभा | संख्या | 2024-25 | 1 (आंशिक) |
| 3.2 | विधान सभा | संख्या | 2024-25 | 3 |
| 4 | तहसीलों की संख्या | संख्या | 2024-25 | 12 |
| 5 | सामुदायिक विकासखण्ड | संख्या | 2024-25 | 9 |
| 6 | न्याय पंचायत | संख्या | 2024-25 | 39 |
| 7 | ग्राम पंचायत | संख्या | 2024-25 | 610 |
| 8.1 | **ग्रामों की संख्या (जन0 2011 के अनु0)** | | | |
| 8.1.1 | आबाद ग्रामों की संख्या | संख्या | 2011 | 1158 |
| 8.1.2 | गैर आबाद ग्रामों की संख्या | संख्या | 2011 | 76 |
| 8.1.3 | वन ग्राम | संख्या | 2011 | 12 |
| 8.1.4 | गैर वन ग्राम | संख्या | 2011 | 12 |
| 8.1.5 | कुल ग्राम | संख्या | 2011 | 1258 |
| 8.2 | **ग्रामों की संख्या (जन0 2011 के अनु0) 2024** | | | |
| 8.2.1 | आबाद ग्रामों की संख्या | संख्या | 2024-25 | 1115 |
| 8.2.2 | गैर आबाद ग्रामों की संख्या | संख्या | 2024-25 | 76 |
| 8.2.3 | वन ग्राम | संख्या | 2024-25 | 12 |
| 8.2.4 | गैर वन ग्राम | संख्या | 2024-25 | 12 |
| 8.2.5 | कुल ग्राम | संख्या | 2024-25 | 1215 |
| 9 | नगर एवं नगर समूह | संख्या | 2024-25 | 10 |

| क्र.सं. | मद | इकाई | अवधि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 10 | नगर निगम | संख्या | 2024-25 | 0 |
| 11 | नगर पालिका परिषद | संख्या | 2024-25 | 4 |
| 12 | छावनी क्षेत्र | संख्या | 2024-25 | 0 |
| 13 | नगर पंचायत | संख्या | 2024-25 | 6 |
| 14 | सेन्सस टाउन | संख्या | 2024-25 | 0 |
| 15 | **पुलिस स्टेशन** | | | |
| 15.1 | ग्रामीण | संख्या | 2024-25 | 1 |
| 15.2 | नगरीय | संख्या | 2024-25 | 8 |
| 16 | बस स्टेशन/बस स्टॉप | संख्या | 2024-25 | 239 |
| 17 | रेलवे स्टेशन (हाल्ट सहित) | संख्या | 2024-25 | 0 |
| 18 | **रेलवे लाइन की लम्बाई** | | | |
| 18.1 | बडी लाइन | कि0मी0 | 2024-25 | 0 |
| 18.2 | छोटी लाइन | कि0मी0 | 2024-25 | 0 |
| 19 | **डाकघर** | | | |
| 19.1 | नगरीय | संख्या | 2024-25 | 17 |
| 19.2 | ग्रामीण | संख्या | 2024-25 | 243 |
| 20 | टेलीफोन कनेक्शन | संख्या | 2024-25 | 368 |
| 21 | **व्यवसायिक बैंक** | | | |
| 21.1 | राष्ट्रीयकृत बैंक शाखायें | संख्या | 2024-25 | 55 |
| 21.2 | अन्य | संख्या | 2024-25 | 36 |
| 22 | ग्रामीण बैंक शाखायें | संख्या | 2024-25 | 13 |
| 23 | सहकारी बैंक शाखायें | संख्या | 2024-25 | 26 |
| 24 | सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक | संख्या | 2024-25 | 0 |
| 25 | **सस्ते गल्ले की दुकान** | | | |
| 25.1 | ग्रामीण | संख्या | 2024-25 | 587 |
| 25.2 | नगरीय | संख्या | 2024-25 | 85 |
| 26 | वायोगैस संयत्र | संख्या | 2024-25 | 674 |
| 27 | शीत भण्डार | संख्या | 2024-25 | 0 |
| 28 | **कृषि** | | | |
| 28.1 | शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल | ह0हेक्टेयर | 2023-24 | 28.440 |
| 28.2 | एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल | ह0हेक्टेयर | 2023-24 | 13.914 |
| 28.3 | शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल | ह0हेक्टेयर | 2023-24 | 1.047 |
| 28.4 | सकल सिंचित क्षेत्रफल | ह0हेक्टेयर | 2023-24 | 1.829 |
| 28.5 | **कृषि उत्पादन** | | | |
| 28.5.1 | खाद्यान्न | ह0मी0टन | 2023-24 | 39.188 |
| 28.5.2 | गन्ना | ह0मी0टन | 2023-24 | 0 |
| 28.5.3 | तिलहन | ह0मी0टन | 2023-24 | 0.786 |

| क्र.सं. | मद | इकाई | अवधि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 28.5.4 | आलू | ह0मी0टन | 2023-24 | 1.922 |
| 29 | **जलवायु** | | | |
| 29.1 | **वर्षा** | | | |
| 29.1.1 | सामान्य (टिहरी) | मि0मि0 | 2024 | 1238.30 |
| 29.1.2 | वास्तविक (टिहरी) | मि0मि0 | 2024 | 1231.30 |
| 29.2 | **तापमान** | | | |
| 29.2.1 | उच्चतम (टिहरी) | सेन्टीग्रेड | 2024 | 32.20 |
| 29.2.2 | न्यूनतम (टिहरी) | सेन्टीग्रेड | 2024 | -0.9 |
| 30 | **सिंचाई** | | | |
| 30.1 | नहरों की लम्बाई (शाखा गूल सहित) | कि0मी0 | 2023-24 | 619.602 |
| 30.2 | राजकीय नलकूप | संख्या | 2023-24 | 4 |
| 30.3 | व्यक्तिगत नलकूप तथा पम्पसेट | संख्या | 2023-24 | 0 |
| 31 | **पशुपालन** | | | |
| 31.1 | कुल पशुधन | संख्या | 2019 | 375139 |
| 31.2 | पशु चिकित्सालय | संख्या | 2024-25 | 24 |
| 31.3 | पशुधन सेवा केन्द्र | संख्या | 2024-25 | 46 |
| 31.4.1 | कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र | संख्या | 2024-25 | 46 |
| 31.4.2 | कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र | संख्या | 2024-25 | 0 |
| 32 | **सहकारिता** | | | |
| 32.1 | प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियां | संख्या | 2024-25 | 53 |
| 32.2 | समितियों के सदस्य | संख्या ह0 में | 2024-25 | 76.427 |
| 33 | **उद्योग** | | | |
| 33.1 | औद्योगिक अधिनियम 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत कार्यरत कारखाने | संख्या | 2024-25 | - |
| 33.2 | **लघु औद्योगिक इकाईयां** | | | |
| 33.2.1 | संख्या | संख्या | 2024-25 | 235 |
| 33.2.2 | कार्यरत व्यक्ति | संख्या | 2024-25 | 705 |
| 34 | **शिक्षा** | | | |
| 34.1 | जूनियर बेसिक स्कूल | संख्या | 2024-25 | 937 |
| 34.2 | सीनियर बेसिक स्कूल | संख्या | 2024-25 | 271 |
| 34.3 | उच्चतर माध्यमिक विद्यालय | संख्या | 2024-25 | 269 |
| 34.4 | महाविद्यालय | संख्या | 2024-25 | 4 |
| 34.5 | स्नातकोत्तर महाविद्यालय | संख्या | 2024-25 | 5 |
| 34.6 | डीम्ड विश्वविद्यालय / विधि महा0 | संख्या | 2024-25 | 1 |
| 34.7 | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान | संख्या | 2024-25 | 6 |
| 34.8 | पॉलीटेक्निक | संख्या | 2024-25 | 6 |
| 35 | **जनस्वास्थ्य** | | | |
| 35.1 | चिकित्सालय एवं औषाधायल | | | |

| क्र.सं. | मद | इकाई | अवधि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 35.1.1 | एलोपैथिक | संख्या | 2024-25 | 0 |
| 35.1.2 | आयुर्वैदिक | संख्या | 2024-25 | 62 |
| 35.1.3 | हौम्योपैथिक | संख्या | 2024-25 | 9 |
| 35.1.4 | यूनानी | संख्या | 2024-25 | 0 |
| 35.1.5 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टाइप (ए +बी ) | संख्या | 2024-25 | 39 |
| 35.1.6 | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र | संख्या | 2024-25 | 5 |
| 35.1.7 | परिवार एवं मात् शिशु कल्याण केन्द्र | संख्या | 2024-25 | 30 |
| 35.1.8 | परिवार एवं मात् शिशु कल्याण उपकेन्द्र | संख्या | 2024-25 | 113 |
| 35.1.9 | विशेष चिकित्सालय | संख्या | 2024-25 | 0 |
| 35.2 | क्षय | संख्या | 2024-25 | 1 |
| 35.2.1 | कुष्ठ | संख्या | 2024-25 | 0 |
| 35.2.2 | संक्रामक रोग | संख्या | 2024-25 | 0 |
| 35.3 | **आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय** | | | |
| 35.3.1 | आयुर्वेदिक चिकित्सालय | संख्या | 2024-25 | 62 |
| 35.3.2 | यूनानी चिकित्सालय | संख्या | 2024-25 | 0 |
| 35.4 | **होम्योपैथिक चिकित्सालय/औषधालय** | **संख्या** | 2024-25 | **9** |
| 36 | **पक्की सडकों की लम्बाई** | | | |
| 36.1 | कुल सडकों की लम्बाई | कि0मी0 | 2024-25 | 4597.53 |
| 36.2 | लो0नि0वि0 द्वारा संघृत सडकों की लम्बाई | कि0मी0 | 2024-25 | 4216.38 |
| 37 | **विद्युत** | | | |
| 37.1.1 | विद्युतीकृत कुल ग्राम | संख्या | 2024-25 | 1115 |
| 37.1.2 | विद्युतीकृत आबाद ग्राम | संख्या | 2024-25 | 1115 |
| 37.2 | विद्युतीकृत नगर | संख्या | 2024-25 | 10 |
| 37.3 | विद्युतीकृत अनुसूचित जाति बस्तियां | संख्या | 2024-25 | 897 |
| 37.4 | विद्युतीकृत से असेवित अनु0जाति बस्तियां | संख्या | 2024-25 | 139 |
| 38 | **नल/हैण्ड पम्प इण्डिया मार्क–2 लगाकर जल सम्पूर्ति के अन्तर्गत लाये गये** | | | |
| 38.1 | ग्राम | संख्या | 2024-25 | 1115 |
| 38.2 | नगर | संख्या | 2024-25 | 10 |
| 38.3 | अभावग्रस्त ग्रामों की संख्या | संख्या | 2024-25 | 0 |
| 38.4 | नल/हैण्ड पम्प द्वारा पेयजल आपूर्ति से असेवित अनु0जाति बस्तियां | संख्या | 2024-25 | 14 |
| 39 | **मनोरंजन** | | | |
| 39.1 | सिनेमागृह | संख्या | 2024-25 | 0 |
| 39.2 | सिनेमागृह में सीटों की संख्या | संख्या | 2024-25 | 0 |

| विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के अधीन कार्यशील औघोगिक इकाईयों की संख्या 2024–25 | | |
|---|---|---|
| क्र0सं0 | संस्थाओं का नाम | चालित |

| | | पंचायत द्वारा | क्षेत्र समिति द्वारा | औद्योगिक सहकारी समिति द्वारा | पंजीकृत संस्थाओं द्वारा | व्यक्तिगत उद्योगपतियों द्वारा | कुल योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | खादी उद्योग | -- | -- | -- | -- | 25 | 25 |
| 2 | खादी ग्रामोद्योग द्वारा प्रर्वतित ग्रामीण उद्योग | -- | -- | -- | -- | 24 | 24 |
| 3 | **लघु उद्योग इकाईयां** | | | | | | |
| 3.1 | इजीनियरिंग | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 3.2 | रासायनिक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | विधायन | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 3.4 | हथकरघा | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 3.5 | रेशम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | नारियल की जटा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | हस्तशिल्प | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 3.8 | अन्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 173 |
| 4 | योग (1+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
| 5 | योग (3.1से 3.8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 |
| 6 | कार्यरत व्यक्तियों की संख्या (1+2में) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
| 7 | लघु उद्योग इकाईयों में कार्यरत व्यक्ति (3.1 से 3.8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | 705 |
| 8 | ग्रामीण एवं लघु उद्योग इकाईयों में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या (6+7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 754 |

**जनपद में पंजीकृत कारखाने लघु औद्योगिक इकाईयों, खादी ग्रामोद्योग इकाईयां एवं उनमें कार्यरत व्यक्ति 2024–25**

| वर्ष/विकासखण्ड | पंजीकृत कारखाने | | लघु औद्योगिक इकाईयों | | खादी ग्रामोद्योग इकाईयां | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कारखानों की संख्या | कार्यरत व्यक्ति | इकाईयों की संख्या | कार्यरत व्यक्ति | इकाईयों की संख्या | कार्यरत व्यक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022-23 | -- | -- | 195 | 457 | 47 | 144 |
| 2023-24 | -- | -- | 215 | 430 | 47 | 144 |
| 2024-25 | -- | -- | 235 | 705 | 25 | 133 |
| **विकासखण्डवार 2024–25** | | | | | | |
| ज्योतिर्मठ | -- | -- | 45 | 90 | 3 | 22 |
| कर्णप्रयाग | -- | -- | 19 | 65 | 3 | 12 |
| दशोली | -- | -- | 51 | 205 | 9 | 39 |
| नन्दानगर | -- | -- | 5 | 27 | 3 | 6 |
| नारायणबगड | -- | -- | 4 | 12 | 0 | 11 |
| गैरसैण | -- | -- | 15 | 50 | 1 | 10 |
| थराली | -- | -- | 6 | 35 | 3 | 17 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| देवाल | -- | -- | 12 | 30 | 2 | 4 |
| पोखरी | -- | -- | 4 | 15 | 1 | 12 |
| योग ग्रामीण | -- | -- | 161 | 529 | 25 | 133 |
| नगरीय | -- | -- | 74 | 176 | - | - |
| योग जनपद | -- | -- | 235 | 705 | 25 | 133 |

## 1.4 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद की जनसांख्यिकी एंव सामाजिक आर्थिक विवरण–

| मद | अवधि | संकेतांक |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत | 2011 | 15.17 |
| जनसंख्या का घनत्व (प्रति वर्ग कि0मी0) | 2011 | 48.77 |
| 2001–11 दशक में जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत | 2001-11 | 5.74 |
| कुल जनसंख्या में अनु0जाति0 / जनजाति का प्रतिशत | 2011 | 26.52 |
| राज्य की कुल अनु0जाति की जनसंख्या में जनपद में अनु0जाति के व्यक्तियों का प्रतिशत | 2011 | 4.19 |
| लिंगानुपात (प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या) | 2011 | 1019 |
| **साक्षरता प्रतिशत** | | |
| कुल | 2011 | 82.65 |
| पुरूष | 2011 | 93.4 |
| स्त्री | 2011 | 72.32 |
| **परिवार का औसत आकार** | | |
| ग्रामीण | 2011 | 4 |
| नगरीय | 2011 | 4 |
| योग | 2011 | 4 |
| कुल जनसंख्या में विकलांग व्यक्तियों का प्रतिशत | 2001 | 2.71 |
| **कुल मुख्य कर्मकरों का जनसंख्या से प्रतिशत** | | |
| ग्रामीण | 2011 | 22.52 |
| नगरीय | 2011 | 6.88 |
| योग | 2011 | 29.4 |
| कृषि कर्मकरों का कुल जनसंख्या से प्रतिशत (कृषक तथा कृषि श्रमिक) | 2011 | 18.04 |
| कृषि श्रमिकों का कुल जनसंख्या से प्रतिशत | 2011 | 0.27 |
| **कुल मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत** | | |
| कृषक | 2011 | 60.47 |
| कृषि श्रमिक | 2011 | 0.93 |
| पारिवारिक उद्योग | 2011 | 2.71 |
| अन्य | 2011 | 35.89 |
| समस्त जोतों में लघु एवं सीमान्त जोतों का प्रतिशत | 2015-16 | 93.07 |
| समस्त जोतों कें अन्तर्गत क्षेत्रफल में लघु एवं सीमान्त जोतों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत | 2015-16 | 71.68 |
| सीमान्त जोतों का औसत आकार (हेक्टेयर) | 2015-16 | 0.38 |

| | | |
|---|---|---|
| समस्त जोतों का औसत आकार (हेक्टेयर) | 2015-16 | 0.74 |
| प्रति 100 हे0 प्रतिवेदित क्षेत्रफल पर पशुधन संख्या | 2019 | 44 |
| प्रति 1000 जनसंख्या पर पशुधन संख्या | 2019 | 950 |
| प्रति 100 जनसंख्या पर दूध देने वाले पशुओं की संख्या | 2019 | 23 |
| प्रति 1000 जनसंख्या पर कुक्कुट संख्या | 2019 | 86 |
| पंजीकृत कार्यरत कारखानों में प्रति लाख जनसंख्या पर लगे व्यक्तियों की संख्या | 2024-25 | -- |
| पंजीकृत कार्यरत कारखानों में प्रति औद्योगिक श्रमिक एवं कर्मचारी पर उत्पादन का मूल्य | 2024-25 | -- |
| पंजीकृत कार्यरत कारखानों में प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन का मूल्य (`) | 2024-25 | -- |
| प्रति औद्योगिक कर्मकर आवर्धित मूल्य (हजार) | 2024-25 | -- |

**जनपद में विकासखण्डवार जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण**

| वर्ष/विकासखण्ड | मुख्य कर्मकर | | | | | सीमान्त कर्मकर | कुल कर्मकर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कृषक | कृषि श्रमिक | पारिवारिक उद्योग | अन्य | कुल | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1991 | 94777 | 1191 | 2048 | 36201 | 134217 | 17383 | 151600 |
| 2001 | 58773 | 492 | 2434 | 35201 | 96900 | 67829 | 164729 |
| 2011 | 69612 | 1072 | 3115 | 41316 | 115115 | 65825 | 180940 |
| **विकासखण्डवार 2011** | | | | | | | |
| ज्योतिर्मठ | 5948 | 84 | 196 | 4626 | 10854 | 5633 | 16487 |
| कर्णप्रयाग | 5678 | 32 | 81 | 2235 | 8026 | 9016 | 17042 |
| दशोली | 6446 | 82 | 236 | 2840 | 9604 | 6834 | 16438 |
| नन्दानगर | 6602 | 282 | 220 | 2095 | 9199 | 9094 | 18293 |
| नारायणबगड | 6189 | 41 | 77 | 1882 | 8189 | 5867 | 14056 |
| गैरसैण | 15375 | 99 | 183 | 2210 | 17867 | 7579 | 25446 |
| थराली | 4604 | 65 | 63 | 1935 | 6667 | 7798 | 14465 |
| देवाल | 6649 | 83 | 108 | 1396 | 8236 | 3130 | 11366 |
| पोखरी | 6783 | 57 | 685 | 1921 | 9446 | 5653 | 15099 |
| समस्त विकासखण्ड | 64274 | 825 | 1849 | 21140 | 88088 | 60604 | 148692 |
| वन | 41 | 12 | 0 | 47 | 100 | 19 | 119 |
| ग्रामीण क्षेत्र | 64315 | 837 | 1849 | 21187 | 88188 | 60623 | 148811 |
| नगरीय | 5297 | 235 | 1266 | 20129 | 26927 | 5202 | 32129 |
| योग जनपद | 69612 | 1072 | 3115 | 41316 | 115115 | 65825 | 180940 |

**जनपद में विकासखण्डवार क्षेत्रफल,आवासीय मकान एवं परिवार, अनु0जाति एवं जनजाति की संख्या**

| वर्ष/विकासखण्ड | क्षेत्रफल वर्ग (कि0मी0) | आवासीय मकानों की संख्या | परिवारों की संख्या | कुल जनसंख्या | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | कुल | पुरूष | स्त्री |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1991 | 7519.50 | 64209 | 65196 | 325247 | 164129 | 161118 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 8030.00 | 76323 | 77381 | 370359 | 183745 | 186614 |
| 2011 | 8030.00 | 76323 | 88964 | 391605 | 193991 | 197614 |
| **विकासखण्डवार 2011** | | | | | | |
| ज्योतिर्मठ | 3883.00 | -- | 7608 | 29053 | 15784 | 13269 |
| कर्णप्रयाग | 375.23 | -- | 8999 | 38020 | 17669 | 20351 |
| दशोली | 845.48 | -- | 7856 | 35766 | 17850 | 17916 |
| नन्दानगर | 302.00 | -- | 7673 | 37408 | 18346 | 19062 |
| नारायणबगड | 223.00 | -- | 6957 | 30919 | 14414 | 16505 |
| गैरसैंण | 427.47 | -- | 11432 | 54858 | 24984 | 29874 |
| थराली | 285.41 | -- | 6487 | 29642 | 14146 | 15496 |
| देवाल | 548.00 | -- | 5180 | 23925 | 11508 | 12417 |
| पोखरी | 521.00 | -- | 6981 | 30673 | 14304 | 16369 |
| समस्त विकासखण्ड | 7410.59 | -- | 69173 | 310264 | 149005 | 161259 |
| वन | 517.00 | -- | 84 | 209 | 134 | 75 |
| ग्रामीण क्षेत्र | 7927.59 | 63134 | 69257 | 310473 | 149139 | 161334 |
| नगरीय | 102.41 | 13189 | 19707 | 81132 | 44852 | 36280 |
| योग जनपद | 8030.00 | 76323 | 88964 | 391605 | 193991 | 197614 |

**तालिका–7 क्रमशः**

| **वर्ष / विकासखण्ड** | **अनुसूचित जाति की जनसंख्या** | | | **अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **कुल** | **पुरूष** | **स्त्री** | **कुल** | **पुरूष** | **स्त्री** |
| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1991 | 57551 | 29295 | 28256 | 10085 | 4873 | 5212 |
| 2001 | 67539 | 33991 | 33548 | 10484 | 5083 | 5401 |
| 2011 | 79317 | 39718 | 39599 | 12260 | 6021 | 6239 |
| **विकासखण्डवार 2011** | | | | | | |
| ज्योतिर्मठ | 4025 | 2137 | 1888 | 5986 | 2971 | 3015 |
| कर्णप्रयाग | 7617 | 3711 | 3906 | 406 | 188 | 218 |
| दशोली | 9401 | 4792 | 4609 | 1431 | 676 | 755 |
| नन्दानगर | 8247 | 4151 | 4096 | 459 | 212 | 247 |
| नारायणबगड | 6683 | 3236 | 3447 | 34 | 21 | 13 |
| गैरसैंण | 7692 | 3605 | 4087 | 105 | 53 | 52 |
| थराली | 6808 | 3377 | 3431 | 80 | 40 | 40 |
| देवाल | 6015 | 3014 | 3001 | 23 | 13 | 10 |
| पोखरी | 7043 | 3462 | 3581 | 85 | 41 | 44 |
| समस्त विकासखण्ड | 63531 | 31485 | 32046 | 8609 | 4215 | 4394 |
| वन | 81 | 46 | 35 | 5 | 4 | 1 |
| ग्रामीण क्षेत्र | 63612 | 31531 | 32081 | 8614 | 4219 | 4395 |
| नगरीय | 15705 | 8187 | 7518 | 3646 | 1802 | 1844 |
| योग जनपद | 79317 | 39718 | 39599 | 12260 | 6021 | 6239 |

**1.5 जलवायु एंव वर्षा–** चमोली में 800 मीटर से 8000 मीटर तक के समुद्र से ऊॅचाई वाले क्षेत्र हैं, जिस कारण यहॉ का मौसम ऊॅचाई पर बहुत अधिक निर्भर करता है। यहॉ ठन्ड का मौसम मध्य नवम्बर से मार्च तक रहता है। यहॉ का अधिकतर क्षेत्र हिमालय के दक्षिणी हिस्से में आता है जिस कारण जब मानसूनी हवाये घाटियों से यहॉ प्रवेश करती है तो जून माह से सितम्बर के बीच यहॉ बहुत भारी वर्षा होती है।

**वर्षा–** यहॉ अधिकतर बारिश जून माह से सितम्बर के बीच होती है। कुल बरसात का 70 से 80 प्रतिशत दक्षिणी हिस्से में एवं 55 से 65 प्रतिशत उत्तरी हिस्से में आता है। वर्षा के प्रभाव को हम कम तापमान अर्थात कम वाष्पीकरण एवं अत्यधिक वनीय क्षेत्र के रूप में देख सकते है। यद्यपि वर्षा का प्रभाव सभी क्षेत्रों मे एक समान नही होता है जिस कारण कही – कही पर कम वनीय क्षेत्र तथा अत्यधिक ढाल भी पाया जाता है। चमोली में भारत सरकार के मौसम विभाग के द्वारा 7 अलग–अलग स्थानों पर (तहसील में ) वर्षा के मापन हेतु Rain gauge लगाये गये है जोकि जनपद में होने वाली सम्पूर्ण बारिश की मात्रा का अनुमान लगाते है।

**तापमान–** मौसम सम्बन्धी अवलोकन करने पर यहॉ का अधिकतम तापमान $34^0$C एवं न्यूनतम तापमान $0^0$C पाया गया है। जनवरी में यहॉ का तापमान न्यूनतम होता है, जोकि जून – जूलाई तक बढ़ता है। क्षेत्र–विशेष की ऊॅचाई के अनुसार तापमान में बदलाव होता रहता है। सर्दियों के समय पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठन्डी हवाओं के चलने से तापमान में तेजी से गिरावट आती है, जिस कारण पर्याप्त रूप में बर्फबारी भी होती है।

**आर्द्रता–** बरसात के दिनों में आर्द्रता अत्यधिक रहती है, जो कि औसतन 70 प्रतिशत होती है। मौसम का सबसे सूखा समय मानसून से पूर्व होता है, जिसमें दोपहर के समय सापेक्ष आर्द्रता लगभग 35 प्रतिशत तक कम हो जाती है। जनपद के कुछ स्थानों पर जाड़े के महीनों में दोपहर के बाद से आर्द्रता में बढ़ोत्तरी होती है।

**1.6 भौगोलिक स्थिति एंव स्थलाकृति–** इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी यह दर्शाती है कि हिमालय संसार की सबसे युवा पर्वतश्रृंखला है। यह क्षेत्र एक बहुत वृहत जियोसाइनीकल समुद्र की क्षरा से आपूरित था। हिमालय पर्वत का उदभव मीसोजोइक युग की समाप्ति पर हुआ प्रतीत होता है। इस पर्वत श्रृंखला के आकार प्रकार की अद्भुत कहानी को सुलझाने का प्रयास अब शुरू हुआ है, जबकि कई चट्टानों की कार्बन–डेटिंग अभी की जा रही है।

इस पर्वत श्रृंखला को चमोली जिले में अलकनन्दा नदी के द्वारा कई स्थानों पर बडी गहराई से काटा गया है तथा इस प्रकार यह आगे चलकर एक वृहतरूप में विकसित होती है, जिससे कई सहायक नदियॉ भी बनती है। इस प्रकार गहरे कटाव जैसी क्रियाओं से मेटामॉरफिक चट्टानों का भी निर्माण होता है। इन पर्वत श्रृंखलाओं में वलन उत्तर से दक्षिण की दिशा में बढते है। इस जिले का एक जीओग्राफिकल गुण दो प्रखण्डों के रूप में है जो उत्तर एव दक्षिण मे एक आभासी लाइन, जो पूर्वी–दक्षिण क्षेत्र में जोशीमठ के हेलंग तथा समीप के लगे हुए पिथौरागढ के रूप में है, को बनाती हैं तथा जनपद के लोहरखेत क्षेत्र के रूप मे आगे बढती है। हिमालय का उत्तरी भूखण्ड, जोकि ज्यादातर उच्च श्रृंखला एंव बर्फ से आच्छादित रहता है, में मध्यम से उच्च प्रकार की मेटामोरफिक चट्टानें पायी जाती हैं, जो बाद में ज्वालामुखी चट्टानों को जन्म देती हैं। दक्षिणी खण्ड निम्न–पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है, जिससे निम्न स्तर की मेटामॉरफिक चट्टाने पायी जाती है। हिमालय की इन पर्वत श्रृंखलाओं में अनेक प्रकार के लवण जैसे–क्वार्ट्ज, लौह, माइका, मेग्नाइट इत्यादि भी बहुतायत से पाये जाते है।

| जनपद में पक्की सड़कों की लम्बाई (कि0मी0) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | मद | 2022-23 | 202-24 | 2024-25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत** | | | |
| 1.1 | राष्ट्रीय राजमार्ग | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | प्रादेशिक राजमार्ग | 393.91 | 393.91 | 393.91 |
| 1.3 | मुख्य जिला सड़कें | 208.64 | 208.64 | 208.64 |
| 1.4 | अन्य जिला/ग्रामीण सड़कें/हल्का वाहन | 3443.22 | 3551.65 | 3551.65 |
| | **योग–** | 4045.77 | 4154.20 | 4154.20 |
| 2 | **स्थानीय निकायों के अन्तर्गत** | | | |
| 2.1 | जिला पंचायत | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 2.2 | नगर निगम/न0पा0परि0/नगर पंचायत/केण्ट | 91.80 | 91.80 | 153.98 |
| | **योग–** | 93.50 | 93.50 | 155.68 |
| 3 | **अन्य विभागों के अन्तर्गत** | | | |
| 3.1 | सिंचाई विभाग | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | गन्ना विभाग | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3 | वन विभाग | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 3.4 | डी0जी0बी0आर0(कि0मी0) | 172.275 | 173.170 | 254.000 |
| 3.5 | अन्य विभाग (नेशनल हाईवे)NHAI | 113.67 | 113.67 | 197.27 |
| | **योग–** | 286.755 | 287.650 | 452.080 |
| | **योग–** | 4426.025 | 4535.350 | 4761.960 |

## तालिका–50

### जनपद में विकासखण्डवार पक्की सड़कों की लम्बाई (कि0मी0)

| वर्ष/ विकासखण्ड | पक्की सड़कों की लम्बाई | | सब ऋतु योग्य सड़कों से जुडे ग्रामों की संख्या (जनसंख्यावार) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | कुल | लो0नि0वि0 | 1000 से कम वाले ग्राम | 1000 से 1499 वाले ग्राम | 1500 से अधिक वाले ग्राम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2022-23 | 4476.00 | 4095.77 | 793 | 28 | 12 |
| 2023-24 | 4535.35 | 4154.20 | 914 | 29 | 12 |
| 2024-25 | 4761.96 | 4154.20 | 933 | 29 | 12 |
| **विकासखण्डवार 2024–25** | | | | | |
| ज्योतिर्मठ | 762.26 | 349.00 | 51 | 3 | 3 |
| कर्णप्रयाग | 811.00 | 801.33 | 168 | 1 | 0 |
| दशोली | 607.19 | 597.19 | 90 | 5 | 1 |
| नन्दानगर | 472.59 | 462.59 | 63 | 5 | 3 |
| नारायणबगड | 150.11 | 121.83 | 137 | 4 | 0 |
| गैरसैण | 920.59 | 912.60 | 185 | 4 | 1 |
| थराली | 226.18 | 185.09 | 61 | 3 | 3 |
| देवाल | 254.34 | 252.34 | 65 | 4 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| पोखरी | 403.72 | 403.72 | 113 | 0 | 1 |
| योग ग्रामीण | 4607.98 | 4085.69 | 933 | 29 | 12 |
| नगरीय | 153.98 | 68.51 | 0 | 0 | 0 |
| योग जनपद | 4761.96 | 4154.20 | 933 | 29 | 12 |

**1.7 प्राकृतिक संसाधन एवं वन सम्पदा**– जनपद में प्राकृतिक संसाधन एवं वन सम्पदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है जिसका विवरण निम्नलिखित तालिका के अनुसार है–

| वन क्षेत्र का वर्गीकरण | | | |
|---|---|---|---|
| **मद** | **वर्ष** | **इकाई** | **संख्या** |
| आरक्षित वन | 2024-25 | वर्ग कि0मी0 | 4303.27 |
| वन विभाग | 2024-25 | वर्ग कि0मी0 | 2888.25 |
| वन पंचायत | 2024-25 | वर्ग कि0मी0 | 1408.24 |
| अन्य सरकारी विभाग | 2024-25 | वर्ग कि0मी0 | 6.78 |
| **(ख) संरक्षित वन** | | | |
| **मद** | **वर्ष** | **इकाई** | **संख्या** |
| वन विभाग के अन्तर्गत संरक्षित वन | 2024-25 | वर्ग कि0मी0 | 597.41 |
| वन विभाग के अन्तर्गत अवर्गीकृत एवं निहित वन | 2024-25 | वर्ग कि0मी0 | 5.44 |
| सीविल एवं सोयम वन | 2024-25 | वर्ग कि0मी0 | 88.25 |
| ग्राम वन के रूप में वन पंचायतों के नियंत्रयाधीन वन | 2024-25 | वर्ग कि0मी0 | 147.96 |
| निजी वन (नगर/छावनी क्षेत्र आदि) | 2024-25 | वर्ग कि0मी0 | 64.45 |
| **वृक्ष निधि एवं वनोपज के आंकड़ें** | | | |
| **मद** | **वर्ष** | **इकाई** | **संख्या** |
| अनुमानित वृक्ष निधि | 2024-25 | हजार क्यू0 मीटर | 8334.94 |
| इमारती लकड़ी का उत्पादन | 2024-25 | क्यू0 मीटर राउन्ड | 4.71 |
| ईधन लकड़ी का उत्पादन | 2024-25 | क्यू0 मीटर स्टैक | 0.18 |
| लीसा उत्पादन | 2024-25 | कुन्तल | 17146.79 |
| **वन्य जीव जन्तु** | | | |
| **मद** | **वर्ष** | **इकाई** | **संख्या** |
| राष्ट्रीय उद्यान | 2024-25 | वर्ग कि0मी0 | 717.83 |
| वन्य जन्तु विहार | 2024-25 | वर्ग कि0मी0 | 975.178 |
| **(ड़) महत्वपूर्ण वन्य जन्तु** | | | |
| **मद** | **वर्ष** | | **संख्या** |
| बाघ | 2010 | | 0 |
| गुलदार/पैन्थर | 2010 | | 157 |
| हाथी | 2010 | | 0 |
| कस्तुरी मृग | 2010 | | 158 |
| काला भालू | 2010 | | 204 |
| भूरा भालू | 2010 | | 0 |
| चीतल | 2010 | | 0 |
| सांभर | 2010 | | 68 |
| कांकड़ | 2010 | | 436 |

**1.8 खनिज संसाधन–** जनपद में जो लवण बहुतायत से पाये जाते है, उनमे प्रमुख हैः– 1. एस्वेस्टस 2. मैगनिस 3. सोपस्टोन 4. कॉपर 5. लौह 6. ग्रेफाइट 7. सोग 8. जिप्सम 9. लैड 10. चूना पत्थर 11. सल्फर 12. बिट्यूमन आदि।

**1.9 भूमि उपयोग एंव भूमि वर्गीकरण–** जनपद अन्तर्गत भूमि उपयोग का विवरण निम्नलिखित तालिका के अनुसार है–

**जनपद में विकासखण्डवार भूमि उपयोग (हेक्टेयर में )**

| वर्ष/विकासखण्ड | कुल प्रतिवेदित क्षेत्र | वन | कृषि योग्य बंजर भूमि | वर्तमान परती | अन्य परती | उसर एवं कृषि के अयोग्य भूमि | कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग भूमि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2021-22 | 851764.00 | 506100.00 | 12350.00 | 2546.00 | 1446.00 | 90800.00 | 16781.00 |
| 2022-23 | 851764.00 | 506100.00 | 12432.00 | 2001.00 | 1879.00 | 90799.00 | 17113.00 |
| 2023-24 | 851764.00 | 506100.00 | 12012.00 | 2227.00 | 3149.00 | 88773.00 | 17143.00 |
| **विकासखण्डवार 2023–24** | | | | | | | |
| ज्योतिर्मठ | 253059.00 | 69362.00 | 10077.75 | 318.56 | 651.28 | 57706.26 | 10425.79 |
| कर्णप्रयाग | 29556.00 | 5445.00 | 584.65 | 126.27 | 218.28 | 1018.93 | 883.43 |
| दशोली | 43695.00 | 10572.00 | 217.47 | 281.23 | 434.78 | 8711.87 | 727.93 |
| नन्दानगर | 14309.00 | 5679.00 | 52.46 | 192.28 | 189.66 | 3058.00 | 250.03 |
| नारायणबगड | 19420.00 | 3776.00 | 135.51 | 120.53 | 216.49 | 884.95 | 1242.18 |
| गैरसैण | 39777.00 | 10262.00 | 266.64 | 261.15 | 735.36 | 10583.78 | 490.79 |
| थराली | 16354.00 | 5091.00 | 80.86 | 117.66 | 189.66 | 1826.45 | 163.75 |
| देवाल | 26149.00 | 8494.00 | 287.40 | 421.87 | 216.49 | 2761.79 | 261.47 |
| पोखरी | 28449.00 | 6423.00 | 309.26 | 387.45 | 297.00 | 2220.97 | 2697.63 |
| योग ग्रामीण | 470768.00 | 125104.00 | 12012.00 | 2227.00 | 3149.00 | 88773.00 | 17143.00 |
| वन | 380996.00 | 380996.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| नगरीय | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| योग जनपद– | 851764.00 | 506100.00 | 12012.00 | 2227.00 | 3149.00 | 88773.00 | 17143.00 |

**तालिका–17 क्रमशः**

| वर्ष / विकासखण्ड | चारागाह | उद्यानों, बागों, वृक्षों एवं झाडियों का क्षेत्र | शुद्ध बोया गया क्षेत्र | एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र | सकल बोया गया क्षेत्रफल | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | कुल | रबी | खरीफ | जायद |
| **1** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 2021-22 | 47758.00 | 143617.00 | 30366.00 | 15184.00 | 42516.01 | 14353.01 | 28163.00 | 0.00 |
| 2022-23 | 47758.00 | 143612.00 | 30070.00 | 14977.00 | 45047.00 | 15174.00 | 29873.00 | 0.00 |
| 2023-24 | 47707.00 | 146213.00 | 28440.00 | 13914.00 | 42354.00 | 14109.00 | 28245.00 | 0.00 |
| **विकासखण्डवार 2023–24** | | | | | | | | |
| ज्योतिर्मठ | 3676.26 | 86713.59 | 2923.92 | 730.02 | 2575.28 | 668.85 | 1910.24 | 0.00 |
| कर्णप्रयाग | 5211.85 | 11902.39 | 4338.92 | 2471.76 | 6756.78 | 2429.07 | 4324.10 | 0.00 |
| दशोली | 8759.71 | 13319.96 | 4479.80 | 975.57 | 5887.05 | 1427.12 | 4470.75 | 0.00 |
| नन्दानगर | 1050.11 | 2864.45 | 1481.45 | 1100.25 | 2533.29 | 1038.78 | 1490.56 | 0.00 |
| नारायणबगड | 4365.78 | 4081.15 | 3186.19 | 1425.76 | 5403.40 | 1366.63 | 4045.54 | 0.00 |
| गैरसैण | 7466.86 | 9796.43 | 4177.66 | 2478.42 | 6609.08 | 2435.21 | 4169.14 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| थराली | 2061.53 | 4474.52 | 3069.23 | 615.79 | 3597.10 | 717.95 | 2888.88 | 0.00 |
| देवाल | 11331.34 | 6011.36 | 1544.36 | 675.76 | 2162.06 | 611.00 | 1553.29 | 0.00 |
| पोखरी | 3783.56 | 7049.15 | 3238.47 | 3440.67 | 6829.96 | 3414.39 | 3392.50 | 0.00 |
| योग ग्रामीण | 47707.00 | 146213.00 | 28440.00 | 13914.00 | 42354.00 | 14109.00 | 28245.00 | 0.00 |
| वन | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| नगरीय | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| योग ग्रामीण | 47707.00 | 146213.00 | 28440.00 | 13914.00 | 42354.00 | 14109.00 | 28245.00 | 0.00 |

**जनपद में मुख्य फसलों की औसत उपज (कुन्तल प्रति हेक्टेयर)**

| क्र.सं. | फसल का नाम | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **धान्य** | | | |
| 1.1.1 | चावल खरीफ | 14.43 | 14.46 | 15.76 |
| 1.1.2 | चावल जायद | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **कुल चावल** | 14.43 | 14.46 | 15.76 |
| 1.2 | गेहूँ | 16.87 | 17.60 | 17.42 |
| 1.3 | जौ | 14.69 | 15.78 | 13.26 |
| 1.4 | ज्वार | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.5 | बाजरा | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.1 | मक्का खारीफ | 21.79 | 19.75 | 19.75 |
| 1.6.2 | मक्का जायद | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | कुल मक्का | 21.79 | 19.75 | 19.75 |
| 1.7 | मंडुवा | 14.94 | 15.89 | 15.77 |
| 1.8.1 | सावां खरीफ | 16.63 | 16.45 | 18.44 |
| 1.8.2 | सावां जायद | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | कुल सावां | 16.63 | 16.45 | 18.44 |
| 1.9 | कोदो | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.10 | रामदाना | 10.42 | 8.35 | 9.68 |
| | **कुल धान्य** | 15.35 | 15.60 | 16.13 |
| 2 | **दालें** | | | |
| 2.1 | उर्द खरीफ | 7.69 | 12.97 | 8.42 |
| 2.1.1 | उर्द जायद | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | कुल उर्द | 7.69 | 12.97 | 8.42 |
| 2.2 | मूंग खरीफ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.1 | मूंग जायद | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | कुल मूंग | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3 | मसूर | 5.19 | 4.59 | 5.97 |
| 2.4 | चना | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5 | मटर | 7.04 | 6.96 | 6.59 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.6 | अरहर | 10.45 | 8.80 | 8.80 |
| 2.7 | मोठ | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2.8 | गहत | 10.22 | 7.67 | 8.00 |
| 2.9 | भट्ट | 7.65 | 10.77 | 9.05 |
| 2.10 | राजमा | 14.32 | 12.83 | 12.54 |
| | **कुल दालें** | 11.07 | 11.22 | 9.63 |
| | **कुल खद्यान(कुल धान्य + कुल दालें)** | 15.10 | 15.35 | 15.76 |
| 3 | **तिलहन** | | | |
| 3.1 | लाही / सरसों | 4.57 | 7.00 | 6.58 |
| 3.2 | मूंगफली | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3 | सूरजमुखी | 0.00 | 0.00 | 6.15 |
| 3.4 | सोयाबीन | 9.85 | 10.47 | 7.53 |
| 3.5 | तिल शुद्ध | 1.70 | 1.74 | 1.76 |
| | **कुल तिलहन** | 6.60 | 8.70 | 7.02 |
| 4 | **अन्य फसलें** | | | |
| 4.1 | गन्ना | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2 | आलू | 128.71 | 109.31 | 108.99 |
| 4.3 | हल्दी | 19.99 | 20.77 | 20.81 |
| 4.4 | प्याज | 135.31 | 150.98 | 139.48 |
| 4.5 | अरदक | 132.13 | 105.51 | 163.29 |
| 4.6 | लहसुन | 15.80 | 13.48 | 13.23 |

# अध्याय – 2 खतरा, संवेदनशीलता, क्षमता एंव जोखिम मूल्यांकन
## (Hazard, Valunurability, Capacity and Risk Assessment)

**2.1 जनपद की रूपरेखाः–** जनपद चमोली का भौगोलिक क्षेत्रफल विस्तृत है तथा प्रशासनिक दृष्टिकोण से 06 परगना एंव 12 तहसील में विभाजित है।

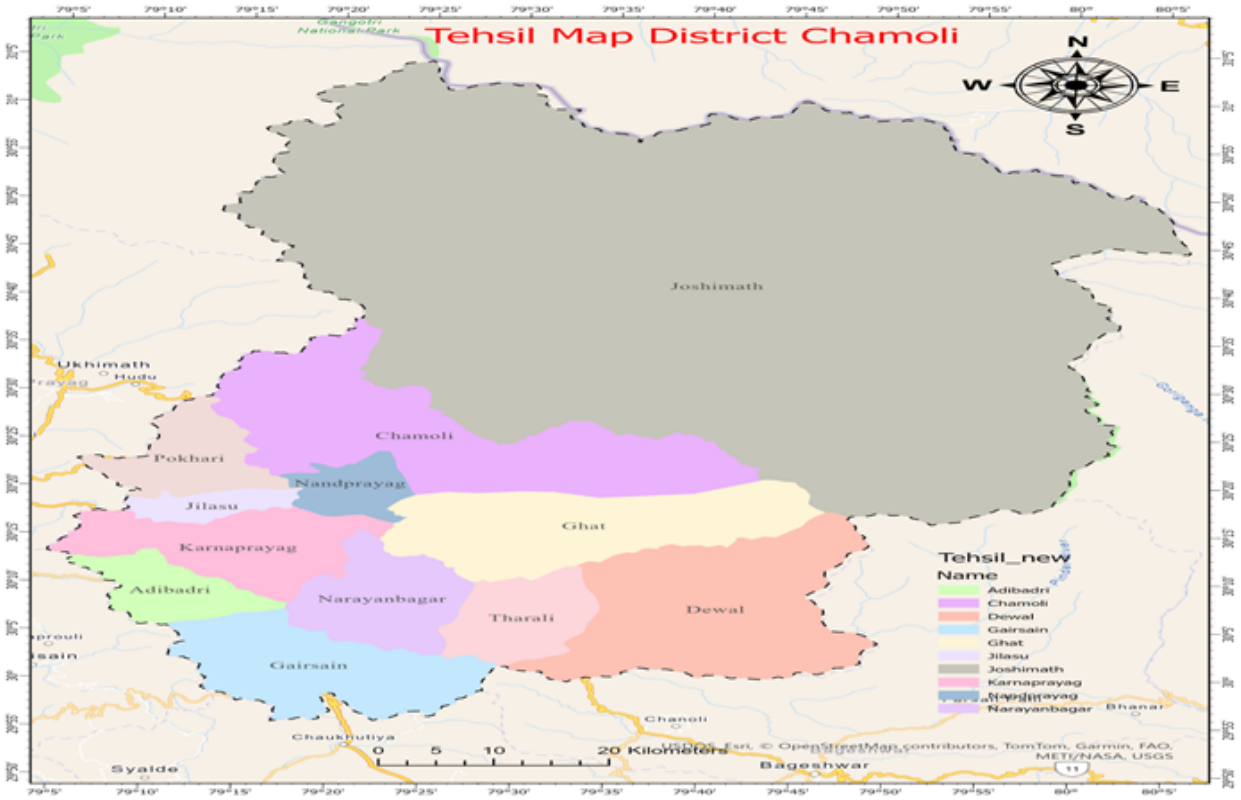


| क्र.सं. | मद | इकाई | अवधि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | भौगोलिक क्षेत्रफल | वर्ग किमी0 | 2011 | 8030.00 |
| 2 | पुरूष जनसंख्या | संख्या ह0 में | 2011 | 193.99 |
| 3 | स्त्री जनसंख्या | संख्या ह0 में | 2011 | 197.61 |
| 4 | कुल जनसंख्या | संख्या ह0 में | 2011 | 391.61 |
| 5 | ग्रामीण | संख्या ह0 में | 2011 | 320.25 |
| 6 | नगरीय | संख्या ह0 में | 2011 | 71.35 |
| 7 | अनुसूचित जाति | संख्या ह0 में | 2011 | 79.32 |
| 8 | अनुसूचित जनजाति | संख्या ह0 में | 2011 | 12.26 |
| 9 | कुल साक्षरता | संख्या ह0 में | 2011 | 280.56 |
| 10 | पुरूष साक्षरता | संख्या ह0 में | 2011 | 155.40 |
| 11 | स्त्री साक्षरता | संख्या ह0 में | 2011 | 125.16 |
| 12 | कुल तहसील | संख्या | 2017-18 | 11 |
| 13 | आबाद ग्रामों की संख्या | संख्या | 2015-16 | 1133 |
| 14 | गैर आबाद ग्रामों की संख्या | संख्या | 2015-16 | 76 |
| 15 | वन ग्राम | संख्या | 2015-16 | 12 |

| क्र.सं. | मद | इकाई | अवधि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 16 | कुल ग्राम | संख्या | 2015-16 | 1221 |
| 17 | नगर एवं नगर समूह | संख्या | 2015-16 | 8 |
| 18 | नगरपालिका परिषद | संख्या | 2015-16 | 4 |
| 19 | नगर पंचायत | संख्या | 2015-16 | 4 |
| 20 | ग्रामीण पुलिस स्टेशन | संख्या | 2015-16 | 2 |
| 21 | नगरीय पुलिस स्टेशन | संख्या | 2015-16 | 7 |
| 22 | बस स्टेशन/बस स्टॉप | संख्या | 2015-16 | 239 |
| 23 | नगरीय डाकघर | संख्या | 2015-16 | 14 |
| 24 | ग्रामीण डाकघर | संख्या | 2015-16 | 246 |
| 25 | ऐलोपैथिक | संख्या | 2015-16 | 27 |
| 26 | आयुर्वेदिक | संख्या | 2015-16 | 59 |
| 27 | होम्योपैथिक | संख्या | 2015-16 | 9 |
| 28 | यूनानी | संख्या | 2015-16 | 0 |
| 29 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | संख्या | 2015-16 | 13 |
| 30 | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र | संख्या | 2015-16 | 6 |
| 31 | परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र | संख्या | 2015-16 | 15 |
| 32 | परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण उपकेन्द्र | संख्या | 2015-16 | 110 |
| **शब्द –संक्षेपः** | **ह0–हजार।** | | | |

## 2.2 जनपद कि भौगौलिक स्थिति एंव जलवायु–

इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी यह दर्शाती है कि हिमालय संसार की सबसे युवा पर्वतश्रृंखला है। यह क्षेत्र एक बहुत वृहत जियोसाइनीकल समुद्र की क्षरा से आपूरित था। हिमालय पर्वत का उदभव मीसोजोइक युग की समाप्ति पर हुआ प्रतीत होता है। इस पर्वत श्रृंखला के आकार प्रकार की अद्भुत कहानी को सुलझाने का प्रयास अब शुरू हुआ है, जबकि कई चट्टानों की कार्बन–डेटिंग अभी की जा रही है।

इस पर्वत श्रृंखला को चमोली जिले में अलकनन्दा नदी के द्वारा कई स्थानों पर बडी गहराई से काटा गया है तथा इस प्रकार यह आगे चलकर एक वृहतरूप में विकसित होती है, जिससे कई सहायक नदियॉ भी बनती है। इस प्रकार गहरे कटाव जैसी क्रियाओं से मेटामॉरफिक चट्टानों का भी निर्माण होता है। इन पर्वत श्रृंखलाओं में वलन उत्तर से दक्षिण की दिशा में बढते है। इस जिले का एक जीओग्राफिकल गुण दो प्रखण्डों के रूप में है जो उत्तर एव दक्षिण मे एक आभासी लाइन, जो पूर्वी–दक्षिण क्षेत्र में जोशीमठ के हेलंग तथा समीप के लगे हुए पिथौरागढ के रूप में है, को बनाती हैं तथा जनपद के लोहरखेत क्षेत्र के रूप मे आगे बढती है। हिमालय का उत्तरी भूखण्ड, जोकि ज्यादातर उच्च श्रृंखला एंव बर्फ से आच्छादित रहता है, में मध्यम से उच्च प्रकार की मेटामोरफिक चट्टानें पायी जाती हैं, जो बाद में ज्वालामुखी चट्टानों को जन्म देती हैं। दक्षिणी खण्ड निम्न–पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है, जिससे निम्न स्तर की मेटामॉरफिक चट्टाने पायी जाती है। हिमालय की इन पर्वत श्रृंखलाओं में अनेक प्रकार के लवण जैसे–क्वार्ट्ज, लौह, माइका, मेग्नाइट इत्यादि भी बहुतायत से पाये जाते है।

**लवण–** जनपद में जो लवण बहुतायत से पाये जाते है, उनमे प्रमुख हैः– 1. एस्वेस्टस 2. मैगनिस 3. सोपस्टोन 4. कॉपर 5. लौह 6. ग्रेफाइट 7. सोग 8. जिप्सम 9. लैड 10. चूना पत्थर 11. सल्फर 12. बिट्यूमन आदि।

**जलवायु–** जैसाकि हम जानते हैं कि चमोली में 800 मीटर से 8000 मीटर तक के समुद्र से ऊॅचाई वाले क्षेत्र हैं, जिस कारण यहॉ का मौसम ऊॅचाई पर बहुत अधिक निर्भर करता है। यहॉ ठन्ड का मौसम मध्य नवम्बर से मार्च तक रहता है। यहॉ का अधिकतर क्षेत्र हिमालय के दक्षिणी हिस्से में आता है जिस कारण जब मानसूनी हवाये घाटियों से यहॉ प्रवेश करती है तो जून माह से सितम्बर के बीच यहॉ बहुत भारी वर्षा होती है।

**वर्षा–** यहॉ अधिकतर बारिश जून माह से सितम्बर के बीच होती है। कुल बरसात का 70 से 80 प्रतिशत दक्षिणी हिस्से में एवं 55 से 65 प्रतिशत उत्तरी हिस्से में आता है। वर्षा के प्रभाव को हम कम तापमान अर्थात कम वाष्पीकरण एवं अत्यधिक वनीय क्षेत्र के रूप में देख सकते है। यद्यपि वर्षा का प्रभाव सभी क्षेत्रों मे एक समान नही होता है जिस कारण कही – कही पर कम वनीय क्षेत्र तथा अत्यधिक ढाल भी पाया जाता है।

चमोली में भारत सरकार के मौसम विभाग के द्वारा 7 अलग–अलग स्थानों पर (तहसील में) वर्षा के मापन हेतु Rain gauge लगाये गये है जोकि जनपद में होने वाली सम्पूर्ण बारिश की मात्रा का अनुमान लगाते है।

**तापमान–** मौसम सम्बन्धी अवलोकन करने पर यहॉ का अधिकतम तापमान $34^0$C एवं न्यूनतम तापमान $0^0$C पाया गया है। जनवरी में यहॉ का तापमान न्यूनतम होता है, जोकि जून – जूलाई तक बढ़ता है। क्षेत्र–विशेष की ऊॅचाई के अनुसार तापमान में बदलाव होता रहता है। सर्दियों के समय पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठन्डी हवाओं के चलने से तापमान में तेजी से गिरावट आती है, जिस कारण पर्याप्त रूप में बर्फबारी भी होती है।

**आर्द्रता–** बरसात के दिनों में आर्द्रता अत्यधिक रहती है, जो कि औसतन 70 प्रतिशत होती है। मौसम का सबसे सूखा समय मानसून से पूर्व होता है, जिसमें दोपहर के समय सापेक्ष आर्द्रता लगभग 35 प्रतिशत तक कम हो जाती है। जनपद के कुछ स्थानों पर जाड़े के महीनों में दोपहर के बाद से आर्द्रता में बढ़ोत्तरी होती है।

जनपद चमोली एक सीमान्त जनपद है जिसकी अन्तराष्ट्रीय सीमा चीन से लगी हुई है। जनपद आपदाओं के प्रति अत्यन्त संवेदनशील है। जनपद भूकम्प की दृष्टि से जोन–V में अवस्थित है। जनपद अन्तर्गत समय–समय पर प्राकृतिक आपदा की घटनायें घटित होती रहती है जिससे की जन–धन की भी व्यापक हानि होती है आपदाओं के प्रति अति संवेदनशील होने के साथ ही यात्रा अवधि में जनपद के श्री बद्रीनाथ धाम एंव श्री हेमकुण्ड साहिब में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्वालुओं का आवागमन होता है। अत्यधिक संख्या में वाहनो के आवागमन के कारण वाहन दुर्घटना की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। प्राकृतिक आपदाओं/दुर्घटनाओं के घटित होने पर तत्काल ही खोज एवं बचाव कार्य किया जाना नितान्त आवश्यक हो जाता है। जनपद में मानसून अवधि में अतिवृष्टि/भारी वर्षा के कारण जन–धन के साथ ही सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की व्यापक क्षति होती है तथा शीतकाल में भी जनपद अन्तर्गत हिमस्खलन की घटनाऐं घटित होती रही है। उक्त के अतिरिक्त ग्रीष्मकाल में वनाग्नि की घटनाऐं घटित होती रहती है। अतः जनपद में उक्त प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु कार्ययोजना बनाये जाने हेतु जनपद की आपदा/जोखिम एवं संवेदनशीलता का विश्लेषण किया जाना आवश्यक हैं जिससे सम्भावित आपदाओं के प्रभावों का न्यूनीकरण किया जा सके।

## 2.3– जनपद में विभिन्न सम्भावित आपदाओं हेतु वार्षिक कैलेंडर–

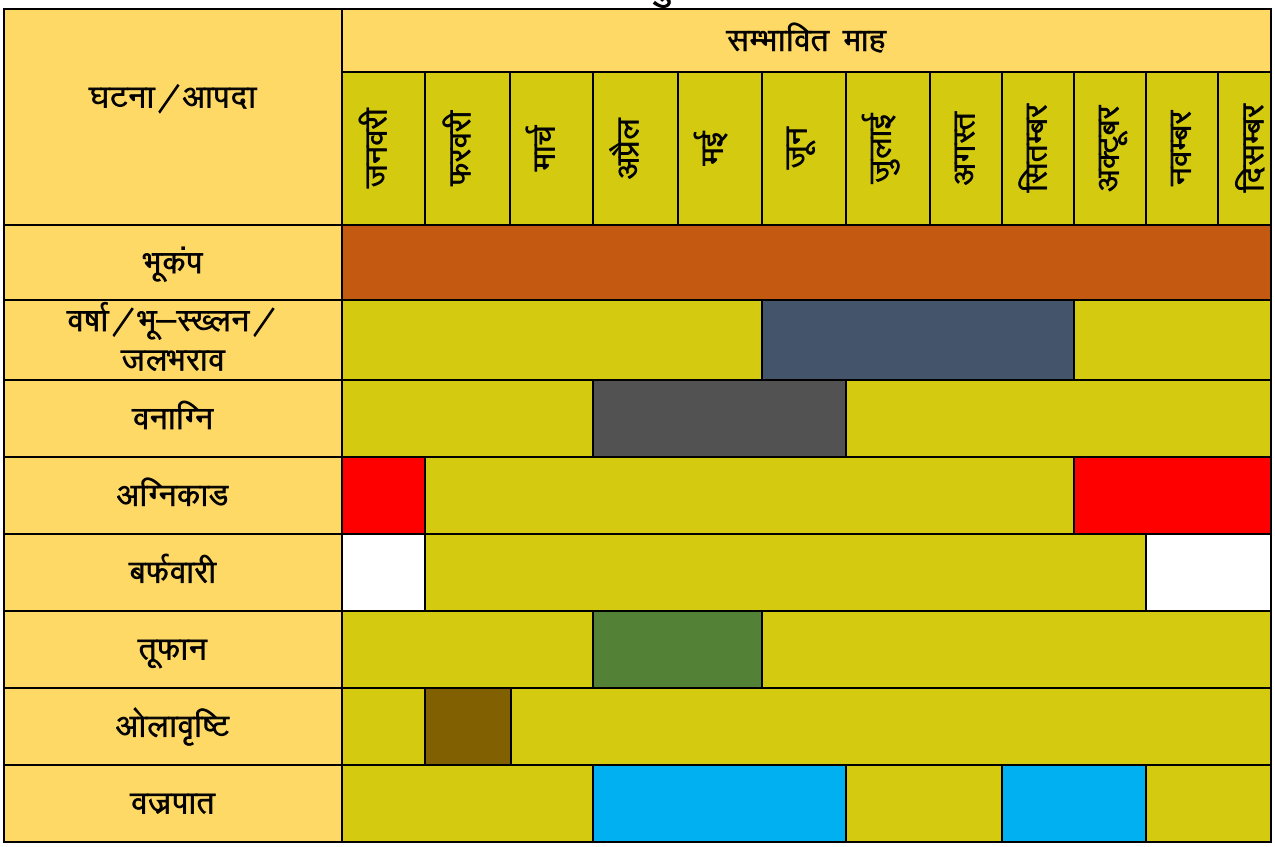


## 2.4–जनपद में पिछली आपदाओं का मैट्रिक्स

| Year | 2011-12 | | | | 2012-13 | | | | 2013-14 | | | | 2014-15 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incident Type | No. of People died | No. of Livestock Died | House Damaged | Crop Area affected | No. of People died | No. of Livestock Died | House Damaged | Crop Area affected | No. of People died | No. of Livestock Died | House Damaged | Crop Area affected | No. of People died | No. of Livestock Died | House Damaged | Crop Area affected |
| Earthquake | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flash Flood | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hallstorm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Landslide | 8 | 291 | 1014 | - | 18 | 247 | 543 | - | 34 | 1139 | 3732 | - | 13 | 198 | 338 | |
| Avalanche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cloud Burst | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flood | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cold Wave | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 8 | 291 | 1014 | 0 | 18 | 247 | 543 | 0 | 34 | 1139 | 3732 | 0 | 13 | 198 | 338 | 0 |

| Year | 2015-16 | | | | 2016-17 | | | | 2017-18 | | | | 2018-19 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incident Type | No. of People died | No. of Livestock Died | House Damaged | Crop Area affected | No. of People died | No. of Livestock Died | House Damaged | Crop Area affected | No. of People died | No. of Livestock Died | House Damaged | Crop Area affected | No. of People died | No. of Livestock Died | House Damaged | Crop Area affected |
| Earthquake | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flash Flood | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hallstorm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Landslide | 2 | 56 | 313 | - | 14 | 322 | 522 | - | 4 | 87 | 210 | - | 4 | 73 | 284 | |
| Avalanche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cloud Burst | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flood | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cold Wave | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 2 | 56 | 313 | 0 | 14 | 322 | 522 | 0 | 4 | 87 | 210 | 0 | 4 | 73 | 284 | 0 |

| Year | 2019-20 | | | | 2020-21 | | | | 2021-22 | | | | 2022-23 | | | | 2023-24 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incident Type | No. of People died | No. of Livestock Died | House Damaged | Crop Area affected | No. of People died | No. of Livestock Died | House Damaged | Crop Area affected | No. of People died | No. of Livestock Died | House Damaged | Crop Area affected | No. of People died | No. of Livestock Died | House Damaged | Crop Area affected | No. of People died | No. of Livestock Died | House Damaged | Crop Area affected |
| Earthquake | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flash Flood | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hallstorm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Landslide | 18 | 78 | 184 | - | 4 | 33 | 96 | - | 6 | 83 | 115 | - | 9 | 28 | 131 | 8 | 10 | 53 | 180 | |
| Avalanche | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Cloud Burst | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flood | - | - | - | - | 180 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cold Wave | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 18 | 78 | 184 | 0 | 184 | 33 | 97 | 0 | 24 | 83 | 115 | 0 | 9 | 28 | 131 | 8 | 11 | 53 | 180 | 0 |

**2.5– जनपद में प्रमुख संभावित आपदाओं हेतु संवेदनशीलता तथा जोखिम विश्लेषण –**

**भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रः–** जनपद अन्तर्गत भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रो को निम्नलिखित मानचित्र में दर्शाया गया है जिसमे बारम्बार भूस्खलन/भूंधसाव की घटनाए होती रहती है।

| क0स0 | तहसील का नाम | भूस्खलन/भूधसाव प्रभावित क्षेत्र |
|---|---|---|
| 1 | ज्योतिर्मठ | हाथी पर्वत, लामबगड, कचनाला, रैणी, ज्योतिर्मठ नगर पालिका क्षेत्र, पगनों, देवग्राम, उर्गम, गणाई–दाणमी, पागलनाला, पातालगंगा, लगंसी, गुलाबकोटी |
| 2 | थराली | राडीबगड, मलयापौड, झलिया, पैनगड, प्राणमति, नारायणबगड, मलतुरा, नासिर बाजार थराली। |
| 4 | कर्णप्रयाग | बहुगुणानगर कर्णप्रयाग, कमेडा, चटवापीपल, |
| 5 | चमोली | छिनका, हल्दापानी गोपेश्वर, पलेठी, नन्दप्रयाग, भनेरपानी , मायापुर, नन्दानगर, कनोल, सरपाणी, धुर्मा–कुण्डी, मठ |

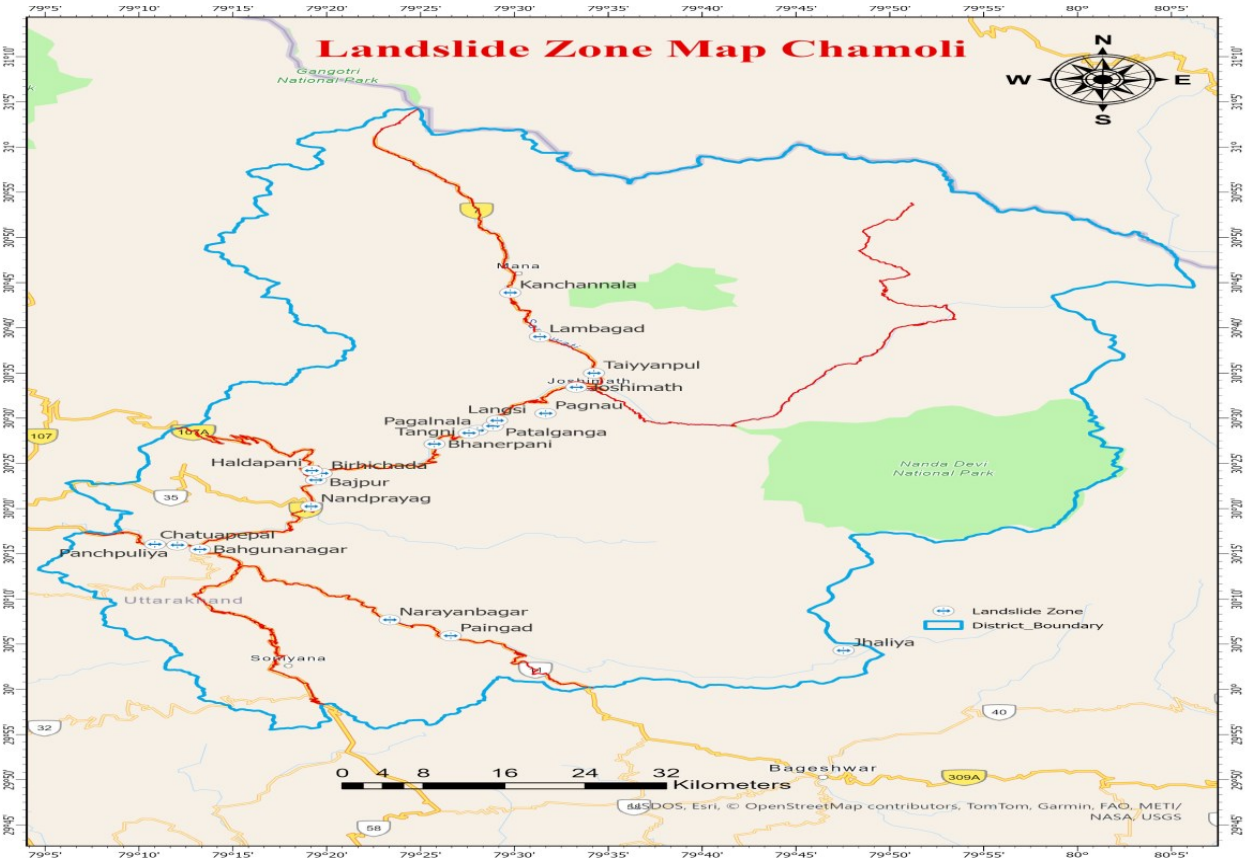


**हिमस्खलन प्रभावित क्षेत्रः–** जनपद अन्तर्गत हिमस्खलन प्रभावित क्षेत्रो को निम्नलिखित मानचित्र में दर्शाया गया है जिसमे बारम्बार हिमस्खलन की घटनाए होती रहती है।

| क0स0 | तहसील का नाम | हिमस्खन प्रभावित क्षेत्र |
|---|---|---|
| 1 | ज्योतिर्मठ | नीति, मलारी, माणा, घस्तोली |

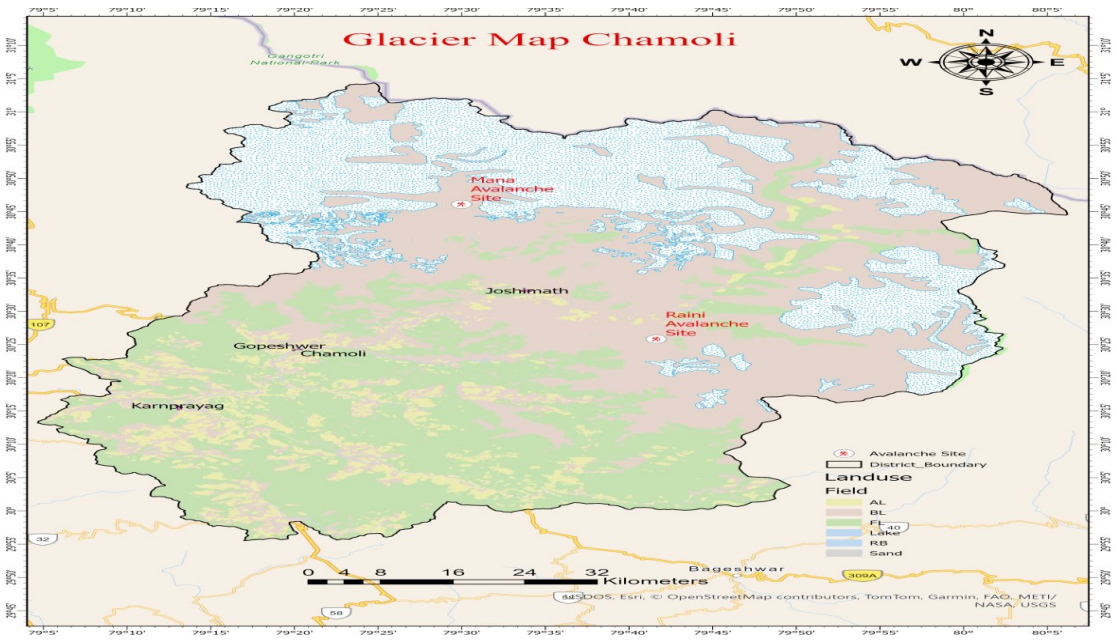


**त्वरित बाढ प्रभावित क्षेत्रः–** जनपद अन्तर्गत त्वरित बाढ प्रभावित क्षेत्रो को निम्नलिखित मानचित्र में दर्शाया गया है जिसमे बारम्बार हिमस्खलन की घटनाए होती रहती है।

| क्र.स. | तहसील | नदी का नाम | भूस्खलन/भूधसाव प्रभावित क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| 1 | ज्योतिर्मठ | अलकनन्दा | पाण्डुकेश्वर, लामबगड, गोविन्दघाट, विष्णुप्रयाग। |
| | | धोलीगगां | तपोवन, रैणी |
| 2 | थराली | पिण्डर | बोरागाड, देवाल, थराली, बूडांग, नारायणबगड। |
| 3 | कर्णप्रयाग | पिण्डर–अलकनन्दा का संगम | कर्णप्रयाग। |
| | | अलकनन्दा | कालेश्वर। |
| 4 | चमोली | अलकनन्दा | चमोली, छिनका, बाजपुर, कोठियालसेंण/ अल्कापुरी। |

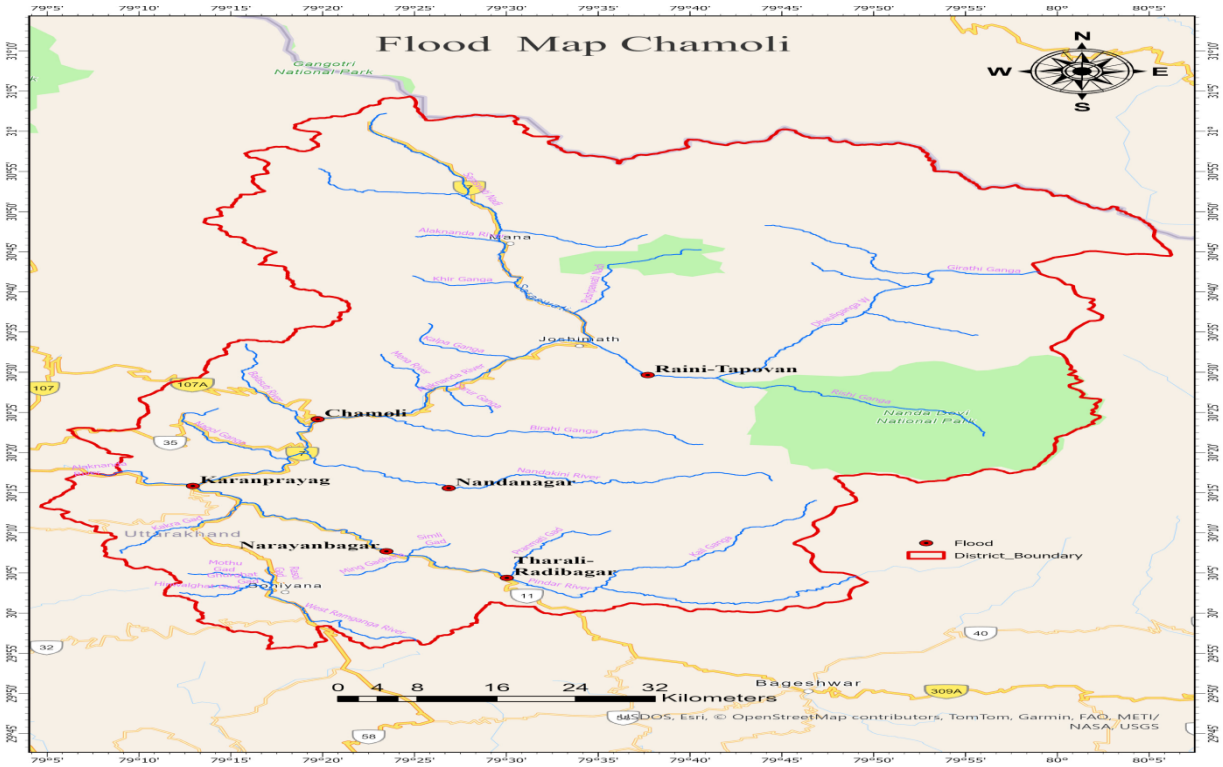

**भूकम्प प्रभावित क्षेत्रः–** जनपद चमोली का सम्पूर्ण क्षेत्र भूकम्प की दृष्टि से जोन–V मे अवस्थित है।

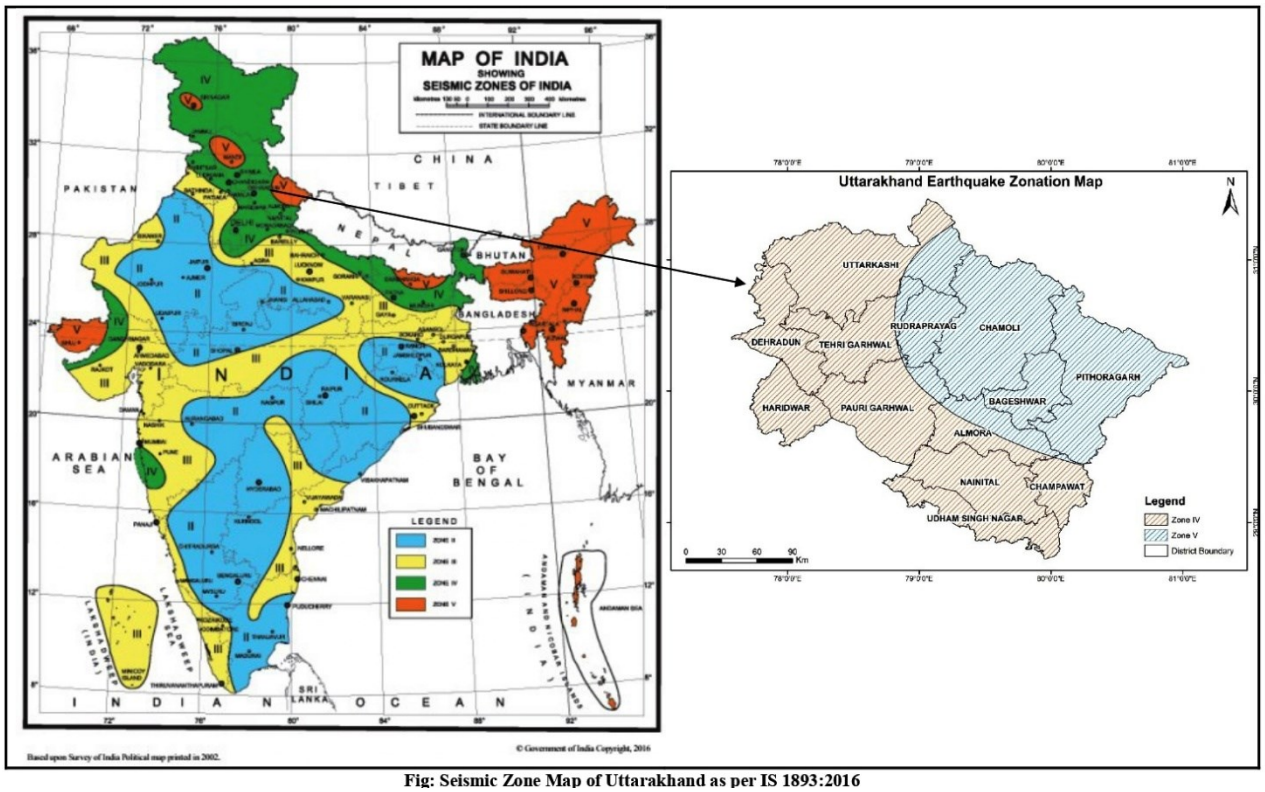


**Fig: Seismic Zone Map of Uttarakhand as per IS 1893:2016**

## वर्ष 2015 से वर्तमान तक जनपद में महसूस किये गये भूकम्पों का विवरण–

| Date | Time | Intensity | Magnitude | Depth (Km) | Lat. | Long. | Epicenter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2008 | 12:53 | Slight | 5.1 | 10 | 30.1$^0$N | 80.4$^0$E | Tibal Border |
| 18/03/2009 | 11:22 | Slight | 3.3 | 10 | 30.9$^0$N | 78.2$^0$E | Uttarakhand |
| 15/05/2009 | 18:39 | Slight | 4.1 | 15 | 30.5$^0$N | 79.3$^0$E | Chamoli |
| 15/05/2009 | 18:42 | Slight | 4.5 | 10 | 30.6$^0$N | 79.3$^0$E | Chamoli |
| 14/03/2011 | 09:01 | Slight | 3.3 | 08 | 30.5$^0$N | 79.1$^0$E | Chamoli |
| 04/05/2011 | 08:57 | Slight | 5.0 | 10 | 30.2$^0$N | 80.4$^0$E | India- Nepal Border |
| 20/06/2011 | 11:57 | Slight | 4.6 | 12 | 30.5$^0$N | 79.4$^0$E | Chamoli |
| 04/07/2011 | 15:14 | Slight | 3.4 | 14 | 29.9$^0$N | 79.3$^0$E | Chamoli, Almora Distt, Border UK |
| 15/12/2011 | 5:25 | Slight | 3.2 | 06 | 30.5$^0$N | 79.3$^0$E | Chamoli |
| 11/05/2012 | 3:31 | Slight | 3.9 | 05 | 30.2$^0$N | 79.4$^0$E | Karnprayag |
| 11/04/2013 | 5:04 | Slight | 3.3 | 05 | 30.0$^0$N | 79.2$^0$E | Chamoli |
| 14/11/2013 | 5:04 | Slight | 3.3 | 05 | 30.0$^0$N | 79.2$^0$E | Chamoli, Pauri Border |
| 17/02/2014 | 6:00 | Slight | 3.2 | 05 | 30.3$^0$N | 79.9$^0$E | Rudraprayag-Chamoli border |
| 02/04/2015 | 2:54 | Moderate | 5.1 | 10 | 30.2$^0$N | 79.4$^0$E | Chamoli, Tharali |
| 23/05/2015 | 5:24 | Slight | 3.2 | 10 | 30.4$^0$N | 79.2$^0$E | Chamoli |
| 03/06/2015 | 16:58 | Slight | 4.0 | 10 | 30.5$^0$N | 79.3$^0$E | Chamoli |
| 19/07/2015 | 5:18 | Slight | 4.0 | 26 | 30.1$^0$N | 78.8$^0$E | Chamoli |
| 07/08/2015 | 3:13 | Slight | 2.9 | 10 | 30.3$^0$N | 79.5$^0$E | Chamoli |
| 29/11/2015 | 8:17 | Slight | 4.0 | 10 | 30.6$^0$N | 79.6$^0$E | Chamoli |
| 29/12/2015 | 21:20 | Slight | 2.9 | 10 | 30.2$^0$N | 79.3$^0$E | Chamoli |
| 15/02/2016 | 16:35 | Slight | 3.5 | 10 | 30.2$^0$N | 79.6$^0$E | Chamoli |
| 10/07/2016 | 2:12 | Slight | 3.9 | 10 | 30.5$^0$N | 79.3$^0$E | Chamoli |

| Date | Time | Intensity | Magnitude | Depth (Km) | Lat. | Long. | Epicenter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2017 | 20:57 | Slight | 3.2 | 05 | 30.3$^0$N | 79.4$^0$E | Chamoli |
| 03/02/2017 | 19:05 | Slight | 3.6 | 10 | 30.5$^0$N | 79.2$^0$E | Chamoli |
| 11/07/2017 | 3:09 | Slight | 3.8 | 70 | 30.4$^0$N | 79.2$^0$E | Chamoli |
| 22/08/2017 | 20:52 | Slight | 4.2 | 10 | 30.5$^0$N | 79.9$^0$E | Chamoli |
| 28/12/2017 | 4:47 | Slight | 4.7 | 33 | 30.4$^0$N | 79.2$^0$E | pokhari Chamoli |
| 18/05/2019 | 1:08 | Slight | 3.8 | 10 | 30.5°N | 79.3°E | Chamoli |
| 14/06/2019 | 7:52 | Slight | 3.4 | 10 | 30.4°N | 79.8°E | Chamoli |
| 12/09/2019 | 2:22 | Slight | 3.6 | 14 | 30.4°N | 79.7°E | Chamoli |
| 01/10/2019 | 18:52 | Slight | 3.3 | 10 | 30.4°N | 79.3°E | Chamoli |
| 24/11/2019 | 13:20 | Slight | 3.4 | 10 | 30.4°N | 79.3°E | Chamoli |
| 08/12/2019 | 04:26 | Slight | 3.2 | 05 | 30.5°N | 79.3°E | Chamoli |
| 13/12/2019 | 14:56 | Slight | 4.4 | 14 | 30.5°N | 79.6°E | Chamoli |
| 11/09/2021 | 05:56 | Slight | 4.6 | 05 | 30.4°N | 79.3°E | Chamoli |
| 07.07.2024 | 21:09 | Slight | 3.5 | 05 | 30.6°N | 79.9°E | Chamoli |
| 28.07.2024 | 00:32:12 | Slight | 2.3 | 05 | 30.4°N | 79.2°E | Chamoli |
| 28.12.2024 | 9:36 | Slight | 2.4 | 05 | 30.5°N | 79.3°E | Chamoli |
| 19.07.2025 | 2:44 | Slight | 3.3 | 10 | 30.5°N | 79.3°E | Chamoli |
| 27.10.2025 | 18:47 | Slight | 3.4 | 05 | 30.5°N | 79.3°E | Chamoli |

## जनपद चमोली अन्तर्गत वर्ष 1970 से 2025–26 तक प्राकृतिक आपदा से सम्बन्धित विवरण

| क्र. सं. | आपदाग्रस्त क्षेत्र का नाम | आपदा दिनांक / वर्ष | आपदा मृतकों की संख्या | आपदा में घायलों की संख्या | आपदा में हुई हानि का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बैलाकुचल, झडकुला, सलूड डुंग्रा, बरोसी, मोल्टा ग्रामों में व्यापक भू–स्खलन | 1970 | 29 | – | कृषि भूमि व संसाधनों की व्यापक क्षति |
| 2 | विकासखण्ड दशोली के ग्राम सैकोट में बादल फटने की घटना | 1973 | – | – | कृषि भूमि व घरों को नुकसान |
| 3 | विकासखण्ड दशोली के ग्राम सैकोट में अतिवृष्टि की घटना | 1981 | – | – | भू–स्खलन व संसाधनों का व्यापक नुकसान |
| 4 | भूकम्प 6.8 रिएक्टर स्केल | 1999 | 63 | 262 | 239 पशुओं की मृत्यु 6000 से अधिक घरों को नुकसान हुआ। |
| 5 | तहसील जोशीमठ के लामबगड में बादल फटने की घटना | 2004 | – | – | व्यापक भू–स्खलन 400 मीटर सडक पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त |
| 6 | तहसील जोशीमठ के मारवाडी में व्यापक भू–स्खलन | 2004 | 17 | – | – |
| 7 | गोविन्दघाट जोशीमठ में बादल फटने की घटना | 2005 | 11 | – | 13 दुकानें पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त |
| 8 | विकासखण्ड दशोली में बादल फटना तथा अतिवृष्टि की घटना | 2006 | 03 | – | 07 पशुओं की मृत्यु 253 घर आंशिक व 48 पूर्ण क्षतिग्रस्त |
| 9 | देवपुरी गैरसैंण में बादल फटने की घटना | 2007 | 08 | – | – |
| 10 | घांघरिया और हेमकुण्ड साहिब के बीच में ग्लेशियर टूटने की घटना | 2008 | 15 | – | – |
| 11 | 16 / 17 जून, 2013 जनपद चमोली अन्तर्गत बादल फटने तथा भूस्खलन की घटना | 2013 | 35 | 63 लापता एंव 15 घायल | – |
| 12 | 6 / 07.08.2014 तहसील थराली के अन्तर्गत ग्राम मैन एंव सगवाडा अन्तर्गत भू–स्खलन / बज्रपात के कारण | 2014 | 02 | – | भू–स्खलन / बज्रपात के कारण ग्राम मैन में बज्रपात तथा ग्राम सगवाडा में भू–स्खलन से 01–01 |

| क्र. सं. | आपदाग्रस्त क्षेत्र का नाम | आपदा दिनांक /वर्ष | आपदा मृतकों की संख्या | आपदा में घायलों की संख्या | आपदा में हुई हानि का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | व्यक्ति की मृत्यु हुई |
| 13 | — | 2015 | — | — | — |
| 14 | दिनांक 08.05.2016 को कर्णप्रयाग, थराली, एंव तहसील गैरसैंण में तथा दिनांक 30/01.07.2016 को तहसील चमोली एंव घाट में बादल फटने तथा दिनांक 11.09.2016 को जोशीमठ में अतिवृष्टि की घटना | 2016 | 13 | 04 | 01 अग्निकाण्ड तथा 12 अतिवृष्टि भू–स्खलन से मृत्यु एंव 04 घायल हुये। |
| 15 | वर्ष 2017–18 में तहसील चमोली, कर्णप्रयाग एंव नन्दानगर में अतिवृष्टि की घटना | 2017–18 | 02 | 08 | अतिवृष्टि के कारण 02 भवन पूर्ण, 02 तीक्ष्ण एंव 24 आंशिक क्षतिग्रस्त हुए तथा 49 बडे एंव 56 छोटे पशुओं की मृत्यु हुई |
| 16 | वर्ष 2018–19 में तहसील चमोली, थराली एंव नन्दानगर में अतिवृष्टि की घटना | 2018–19 | 05 | 05 | अतिवृष्टि के कारण 31 भवन पूर्ण, 25 तीक्ष्ण एंव 247 आंशिक क्षतिग्रस्त हुए तथा 76 बडे एंव 22 छोटे पशुओं की मृत्यु हुई |
| 17 | वर्ष 2019–20 में तहसील चमोली, गैरसैंण, थराली, ज्योतिर्मठ एंव नन्दानगर में अतिवृष्टि की घटना | 2019–20 | 19 | 06 घायल एंव 01 लापता | अतिवृष्टि के कारण 30 भवन पूर्ण, 22 तीक्ष्ण एंव 118 आंशिक क्षतिग्रस्त हुए तथा 83 बडे एंव 01 छोटे पशु की मृत्यु हुई |
| 18 | वर्ष 2020–21 में तहसील चमोली, पोखरी, ज्योतिर्मठ एंव नन्दानगर में अतिवृष्टि की घटना | 2020–21 | 208 | 18 | रैणी एंव तपोवन में त्वरित बाढ से 204 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। |
| 19 | वर्ष 2021–22 में तहसील चमोली, पोखरी, ज्योतिर्मठ एंव नारायणबगड में अतिवृष्टि की घटना | 2021–22 | 24 | 14 | सुमना के निकट 18 व्यक्तियों के हिमस्खलन में दबने से मृत्यु हुई थी। |
| 20 | वर्ष 2022–23 में तहसील चमोली, कर्णप्रयाग, थराली में अतिवृष्टि की घटना | 2022–23 | 9 | 2 | — |
| 21 | वर्ष 2023–24 में तहसील चमोली, जोशीमठ एंव नन्दानगर में अतिवृष्टि की घटना | 2023–24 | 11 | 01 घायल | — |
| 22 | वर्ष 2024–25 में तहसील चमोली, जोशीमठ, कर्णप्रयाग एंव नन्दानगर में अतिवृष्टि की घटना | 2024–25 | 09 | 05 | — |
| 23 | वर्ष 2025–26 में तहसील ज्योतिर्मठ, थराली (ग्राम चेपडों, सगवाडा एंव मोपाटा) एंव घाट (ग्राम कुन्तरी लगा फाली, कुन्तरी लगा सरपाणी, धुर्मा एंव सेरा) में अतिवृष्टि की घटना | 2025–26 | 24 | 01 लापता एंव 26 घायल | तहसील चमोली में 01, ज्योतिर्मठ में 09, नन्दानगर में 10 एंव थराली में 04 व्यक्तियों की मृत्यु एंव 01 व्यक्ति लापता हुआ। |

**त्वरित बाढ़/जलभराव**– अधिकाश आबादी पहाडी क्षेत्र में होने के कारण त्वरित बाढ की स्थिति में जनधन की हानि की सम्भावन न्यून रहती है लेकिन जनपद के कतिपय स्थान जहां पर आबादी नदी किनारे अविस्थत है वहां पर खतरे की सम्भावन रहती है उक्त के अतिरिक्त जलभराव की सम्भावना भी न्यून रहती है।

| क्र. स. | संभावित खतरे | संवेदनशील क्षेत्र | जोखिम |
|---|---|---|---|
| 1 | त्वरित बाढ़/ जलभराव | जनपद की तहसील थराली, तहसील कर्णप्रयाग, तहसील नन्दानगर, तहसील चमोली एंव तहसील जोशीमठ | नदियों के किनारे बसे गांवों/क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति होने पर निम्नलिखित जोखिम संभावित है।<br>फसल क्षति<br>पेयजल कि कठिनाई<br>पशु–चारे की समस्या<br>जल जनित बीमारियों का प्रसार<br>यातायात में रूकावट एवं कठिनाई<br>शिक्षण एंव अन्य संस्थाओं पर प्रभाव |

**वर्षा/भूस्खलन–** जनपद की भौगोलिक स्थिति अत्यन्त जटिल है जिस कारण मानसून अवधि में जनपद की सम्बदेनशीलता बढ जाता है। भू–गर्भीय हलचल एवं उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित होने के कारण जनपद के समस्त क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता है।

| क्र. स. | संभावित खतरे | संवेदनशील क्षेत्र | जोखिम |
|---|---|---|---|
| | कर्णप्रयाग–थराली–ग्वालदम (NH 109K) | नारायणबगड, हरमनी, कुलसारी, मलियापोड, सोनला | मानचित्र 2.3 में जनपद में वर्षा/भूस्खलन के दृष्टिगत संवेदनषीलता स्थिति दर्शायी गयी है। वर्षा/भूस्खलन से इन क्षेत्रों में निम्नलिखित जोखिम संभावित है।<br>➢ संभावित जन हानि<br>➢ सड़क मार्गो की क्षति<br>➢ संचार व्यवस्थाओं की क्षति<br>➢ पेयजल लाईनों की क्षति<br>➢ विधुत परियोजनाओं की क्षति |
| 2 | कर्णप्रयाग–गैरसैंण (NH 109) | दिवालीखाल | तदैव |
| 3 | कर्णप्रयाग–चमोली–जोशीमठ–बद्रीनाथ (NH 07) | कमेडा, चटवापीपल, नन्दप्रयाग, छिनका, बिरही, पीपलकोटी, भनेरपानी, पागलनाला, पातालगंगा, लामबडग, कचंननाला | तदैव |
| 4 | चमोली–गोपेश्वर–मण्डल– चौपता (NH 107A) | मण्डल चाडा | तदैव |
| 5 | जोशीमठ–मलारी–नीति (NH 107B) | – | तदैव |
| 6 | राष्ट्रीय राजमार्ग के अतिरिक्त अन्य मोटर मार्ग, ग्रामीण मार्गों पर भी भू–स्खलन प्रभावित क्षेत्र चिन्हित हैं। | | ग्रामीण मार्ग क्षतिग्रस्त होने से उपरोक्त सम्भावित जोखिमों के अतिरिक्त निम्नलिखित जोखिम सम्भावित है।<br>➢ फसल नुकसान<br>➢ पेयजल की कठिनाई<br>➢ पशु–चारे की समस्या<br>➢ राशन सप्लाई का बाधित होना<br>➢ स्वास्थ्य सुविधाओं में प्रभाव पड़ना<br>➢ शिक्षण एंव अन्य संस्थाओं पर प्रभाव |

## 2.6– जनपद में भूस्खलन प्रभावित संवेदनशील ग्रामों का विवरण–

| क्र. सं. | ग्राम का नाम | तहसील का नाम | कुल अनुमानित परिवारों की संख्या | कुल अनुमानित जनसंख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | छिनका | चमोली | 78 | 310 |
| 2 | मठ | चमोली | 5 | 18 |
| 3 | गणाई | जोशीमठ | 166 | 706 |
| 4 | दाड़मी | जोशीमठ | 44 | 129 |
| 5 | उर्गम तल्ला बड़गिन्डा तोक | जोशीमठ | 34 | 198 |
| 6 | छेवग्राम | जोशीमठ | 90 | 460 |
| 7 | पानो | जोशीमठ | 90 | 312 |
| 8 | रैणी | जोशीमठ | 55 | 180 |
| 9 | थराली (राड़ीबगड़ तोक) | थराली | 6 | 38 |
| 10 | झलिया | थराली | 36 | 140 |

## 2.7– पुर्नवासित एंव पुनर्वास हेतु प्रस्वावित ग्रामों का विवरण–

| क्र. सं. | वर्ष | प्रभावित ग्रामों की संख्या एंव नाम | विस्थापित होने वाले परिवारों की संख्या | विस्थापित किये गये परिवारों की संख्या | अवशेष परिवारों की संख्या | कुल स्वीकृत धनराशि | वितरित की गयी धनराशि | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | 2014–15 | फरखण्डे | 07 | 07 | 0 | 24.50 | 24.50 | - |
| 2 | 2017–18 | कनोल | 60 | 60 | 0 | 195.00 | 195.00 | - |
| 3 | 2017–18 | छपाली | 07 | 07 | 0 | 29.75 | 29.75 | - |
| 4 | 2018–19 | त्यूला | 21 | 21 | 0 | 89.25 | 89.25 | - |
| 5 | 2018–19 | भ्याडी | 48 | 48 | 0 | 204.00 | 204.00 | - |
| 6 | 2018–19 | बौंला | 06 | 06 | 0 | 26.75 | 26.75 | - |
| 7 | 2018–19 | सरपाणी | 38 | 38 | 0 | 165.75 | 165.75 | - |
| 8 | 2019–20 | गोदिगिवाला | 04 | 04 | 0 | 18.00 | 18.00 | - |
| 9 | 2019–20 | कुलिंग | 65 | 65 | 0 | 276.25 | 276.25 | - |
| 10 | 2020–21 | जाखणी के डांग तोक | 02 | 02 | 0 | 8.50 | 8.50 | - |
| 11 | 2020–21 | रोपा | 03 | 03 | 0 | 12.30 | 12.30 | - |
| 12 | 2020–21 | फल्दिया गॉव | 12 | 12 | 0 | 51.00 | 51.00 | - |
| 13 | 2020–21 | सनेड लग्गा जिनगोड | 01 | 01 | 0 | 4.50 | 4.50 | - |
| 14 | 2021–22 | धरगॉव लग्गा उस्तोली | 02 | 02 | 0 | 8.50 | 8.50 | - |
| 15 | 2021–22 | स्यारी बंगाली | 03 | 03 | 0 | 12.75 | 12.75 | - |
| 16 | 2021–22 | सरपाणी | 25 | 25 | 0 | 106.25 | 106.25 | - |

| क्र. सं. | वर्ष | प्रभावित ग्रामों की संख्या एंव नाम | विस्थापित होने वाले परिवारों की संख्या | विस्थापित किये गये परिवारों की संख्या | अवशेष परिवारों की संख्या | कुल स्वीकृत धनराशि | वितरित की गयी धनराशि | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2022–23 | झलिया | 02 | 02 | 0 | 8.50 | 8.50 | - |
| 18 | 2022–23 | उर्गम बडगिण्डा | 41 | 41 | 0 | 184.00 | 184.00 | - |
| 19 | 2022–23 | धुर्मा | 05 | 05 | 0 | 21.25 | 21.25 | - |
| 20 | 2022–23 | मोखतल्ला | 02 | 02 | 0 | 9.00 | 9.00 | - |
| 21 | 2022–23 | भेंटी | 01 | 01 | 0 | 4.25 | 4.25 | - |
| 22 | 2023–24 | भदाकोटी बैरांगना | 03 | 03 | 0 | 12.75 | 12.75 | - |
| 23 | 2023–24 | सरपाणी | 15 | 01 | 14 | 4.25 | 4.25 | - |
| 24 | 2023–24 | कनोल | 31 | 31 | 0 | 131.75 | 131.75 | - |
| 25 | 2023–24 | ग्वाड | 03 | 03 | 0 | 12.75 | 12.75 | - |
| 26 | 2023–24 | बेडगॉव | 05 | 05 | 0 | 21.25 | 21.25 | - |
| 27 | 2023–24 | सूना | 03 | 03 | 0 | 12.75 | 12.75 | - |
| 28 | 2023–24 | बैनोली | 06 | 06 | 0 | 25.50 | 25.50 | - |
| 29 | 2023–24 | पैनगढ | 64 | 54 | 10 | 229.50 | 229.50 | - |
| 30 | 2024–25 | भेंटी | 01 | 01 | 0 | 4.25 | 4.25 | - |
| 31 | 2024–25 | ओडर | 10 | 10 | 0 | 42.50 | 42.50 | - |
| 32 | 2024–25 | पालछूनी | 03 | 03 | 0 | 12.75 | 12.75 | - |
| 33 | 2024–25 | बेडगॉव | 01 | 01 | 0 | 4.25 | 4.25 | - |
| 34 | 2024–25 | उर्गम का बडगिण्डा तोक | 03 | 03 | 0 | 13.50 | 13.50 | - |
| 35 | 2024–25 | पगनों | 76 | 40 | 36 | 179.00 | 179.00 | - |
| 36 | 2024–25 | लिंगडी | 02 | 0 | 02 | 0.00 | 0.00 | - |
| 37 | 2024–25 | नगर पंचायत थराली | 01 | 0 | 01 | 0.00 | 0.00 | - |
| कुल योग– | | | **582** | **519** | **63** | 2166.80 | 2166.80 | |

**तूफान/ओलावृष्टि/वज्रपात–** तूफान/ओलावृष्टि/वज्रपात प्राकृतिक आपदा है। जनपद चमोली कि भौगोलिक स्थिति उक्त हेतु अनुकूल है। तूफान/ओलावृष्टि/वज्रपात की घटनायें वातावरणीय परिस्थितियों से जनित हैं, जिससे फसलों, पेड़–पौधों, पशु एंव जन हानि और संपत्ति के नुकसान कि संभावना बनी रहती है। तूफान/ओलावृष्टि/वज्रपात प्रायः उन क्षेत्रों में घटित होता है जहां उच्च उष्णता, उच्च आबादी क्षेत्र और विशेष आबादी संरचनाएं होती हैं।

| क्र. स. | संभावित खतरे | संवेदनशील क्षेत्र | जोखिम |
|---|---|---|---|
| 1 | ओलावृष्टि से फसलों को व्यापक क्षति पहुंचती है। वज्रपात (आकाशीय बिजली) के कारण जन व पशु हानि तथा बिजली से चलने वाले उपकरणों को भी क्षति होती है। | जनपद के उच्च पर्वतीय क्षेत्र। | जनपद में तूफान/ओलावृष्टि/वज्रपात के कारण निम्नलिखित जोखिम संभावित हैं।<br>➢ संभावित जन एवं पशु हानि<br>➢ भवनों का क्षतिग्रस्त होना<br>➢ वन्यजीवों की हानि<br>➢ बिजली से संचालित उपकरणों की क्षति |

## वर्ष 2015 से 2024 तक घटित तूफान/ओलावृष्टि/वज्रपात दुर्घटनाओं का विवरण–

| क्र0सं | वर्ष | स्थान | कुल मृतक | कुल घायल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | - | 0 | 0 |
| 2 | 2016 | - | 0 | 0 |
| 3 | 2017 | - | 0 | 0 |
| 4 | 2018 | - | 0 | 0 |
| 5 | 2019 | - | 0 | 0 |
| 6 | 2020 | - | 0 | 0 |
| 7 | 2021 | - | 0 | 0 |
| 8 | 2022 | - | 0 | 0 |
| 9 | 2023 | - | 0 | 0 |
| 10 | 2024 | नन्दानगर | 02 | 0 |
| **कुल योग** | | **0** | **02** | **0** |

**2.8– सड़क दुर्घटना**– पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण जनपद की सभी सड़कें अत्यधिक ढाल पर निर्मित तथा अत्यंन्त संकरे व घुमावदार/तीव्र मोड युक्त हैं। वर्षा व भूस्खलन से सड़क मार्ग समय–समय क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। सड़कों की खराब स्थिति, अप्राप्त प्रशिक्षण, यातायात संकेतों का ज्ञान न होना, लापरवाही व नशे में वाहन चलाने के कारण सड़क दुर्घटनाओं की संख्या अधिक होती है।

| क्र0 स0 | संभावित खतरे | संवेदनशील क्षेत्र | जोखिम |
|---|---|---|---|
| 1 | सड़क दुर्घटना एक मानव जनित आपदा है। अत्यन्त संकरे व घुमावदार/तीव्र मोड युक्त सड़के तथा लापरवाही इसके मुख्य कारण होते है। जिस कारण दुर्घटना की सम्भावना रहती है। | सम्पूर्ण जनपद के अधिकांश शहरी/ग्रामीण मोटर मार्ग | वाहन दुर्घटना के कारण निम्नलिखित जोखिम संभावित है।<br>➢ संभावित जन हानि<br>➢ परिवार की आर्थिक हानि<br>➢ परिसम्पत्ति का नुकसान<br>➢ सामाजिक दुष्प्रभाव |

**2.9–वनाग्नि/अग्निकांड**–जनपद में स्थित वन भूमि एवं मौसमी स्थितियां वनाग्नि के लिए परिस्थिति बनाती हैं। वनाग्नि के सबसे प्रमुख कारणों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं–

1. मानवीय गतिविधियां– पशु चारे के लिए जंगल में आग लगाया जाना है। इसके अतिरिक्त उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित गांव के घरों में आग लगने की घटनाएं भी मानवीय कारण से समय–समय पर होती रहती है।

2. मौसमीय स्थिति– माह फरवरी से मई तक जनपद में शुष्क मौसम बना रहता है, जिसमें सबसे अधिक वनाग्नि की घटनाएं सामने आती हैं।
3. प्राकृतिक स्थिति– जनपद चमोली की वन सम्पदा में कई वनस्पतियां जैसे कि चीड़, बांज, बुरांस तथा झाडियां आदि सम्मिलित हैं जोकि सूखे मौसम में आसानी से जलती हैं।

## 2.10–मानव–वन्यजीव संघर्ष (Man & Animal Conflict Short Note)–

मानव एवं वन्यजीव दोनों ही जंगल पर निर्भर हैं। पहडी क्षेत्रो में वर्तमान समय में मानव–वन्यजीव संघर्ष बढ़ता जा रहा है। पशुओं के निवास क्षेत्रों की कमी, वनाग्नि तथा अन्य छोटे जंगली जानवरों की संख्या में कमी व परिस्थितिकीय असन्तुलन के कारण वन्य जीवों और मानव के बीच संघर्ष हो रहा है। जंगली पशुओं के लिए खाने की कमी हो जाने से उन्हें अन्य स्थानों की तलाश करनी पड़ती है, जिससे उनका प्राकृतिक आवास खतरे में पड़ जाता है। खेती, उद्यान, और अन्य विकास कार्यों के लिए जंगल कटते जा रहे हैं। पशुओं के हमले से लोग घायल हो सकते हैं, साथ ही मृत्यु होने की संभावना बनी रहती है। अन्य मामलों में पशुओं के साथ सघर्ष के कारण मानव जीवन पर बड़े हानिकारक प्रभाव पड रहे है, जो किसानों की आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित कर रहे है तथा पारिस्थतिकी पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है।

| क्र0 स0 | संभावित खतरे | संवेदनशील क्षेत्र | जोखिम |
|---|---|---|---|
| 1 | मानव–वन्यजीव संघर्ष एक मानव जनित आपदा है, जिससे दोनों ही पक्षों यथा मानव एंव वन्य जीवों को काफी नुकसान होने की सम्भावना बनी रहती है। | जनपद के समस्त तहसीलो के वन क्षेत्रान्तर्गत पडने वाले समस्त ग्राम सम्बदेनशील है। | मानव–पशु संघर्ष के कारण निम्नलिखित जोखिम संभावित है।<br>➢ संभावित मानव/पशुहानि<br>➢ फसलों का नुकसान<br>➢ वन्यजीवों की हानि<br>➢ पर्यावरणीय क्षति<br>➢ आर्थिक जोखिम<br>➢ आजीविका प्रभावित |

## 2.11– तहसील ज्योतिर्मठ के नगर पालिका क्षेत्र ज्योतिर्मठ में विगत वर्ष हुए भूस्खलन के दृष्टिगत सम्बेदनशीलता विश्लेषण–

### वार्ड का नाम एंव भवनो की संख्या

| वार्ड नम्बर | वार्ड का नाम | भवनों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | गांधीनगर | 279 |
| 2 | मारवाडी | 112 |
| 3 | लोवर बाजार | 123 |
| 4 | सिंहधार | 364 |
| 5 | मनोहरबाग | 232 |
| 6 | अपर बाजार | 231 |
| 7 | सुनील | 372 |
| 8 | परसाडी | 284 |
| 9 | रविग्राम | 370 |
| **कुल योग–** | | **2367** |

**उच्च जोखिम जोन –** उच्च जोखिम क्षेत्र 14 जोन में विभाजित किया गया है

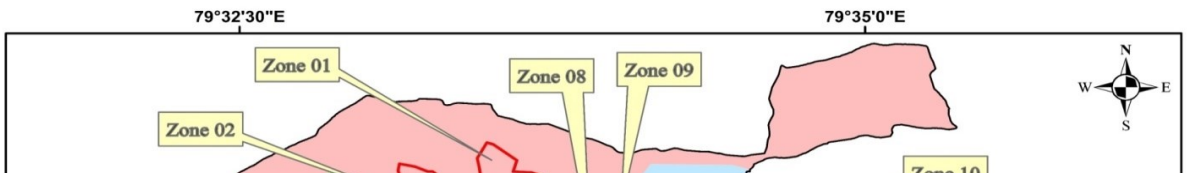

## वार्डवार जनसंख्या एवं प्रस्तावित जनसंख्या

| वार्ड संख्या | वार्ड का नाम | वर्ष 2011 | वर्ष 2026 | वर्ष 2041 | वर्ष 2056 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गांधीनगर | 3,763 | 4,645 | 5,527 | 6,409 |
| 2 | मारवाडी | 1,984 | 1,817 | 2,162 | 2,507 |
| 3 | लोअर बाजार | 1,472 | 1,703 | 2,027 | 2,350 |
| 4 | सिंहधार | 2,432 | 2,449 | 2,914 | 3,379 |
| 5 | मनोहरबाग | 1,380 | 1,179 | 1,403 | 1,626 |
| 6 | अपर बाजार | 1,699 | 2,180 | 2,594 | 3,008 |
| 7 | सुनील | 1,258 | 3,002 | 3,572 | 4,142 |
| 8 | परसारी | 955 | 1,553 | 1,848 | 2,142 |
| 9 | रविग्राम | 1,766 | 2,097 | 2,495 | 2,893 |
| | **कुल योग–** | 16,709 | 20,625 | 24,541 | 28,456 |

## विभिन्न श्रेणीयो में विभाजन

| विवरण | संख्या |
|---|---|
| काली श्रेणी | 34 |
| लाल श्रेणी | 482 |
| पीली श्रेणी | 442 |
| हरी श्रेणी | 280 |
| लाल श्रेणी के वे घर जिनका भुगतान किया जा चुका है (222 Families) | 206 |
| अब तक ध्वस्तीकरण गए घरों की संख्या | 07 |
| लाल श्रेणी में चिह्नित घरों की संख्या जिनका ध्वस्तीकरण प्रथम चरण में होना है | 55 |
| भविष्य में ध्वस्तीकरण के लिए लाल श्रेणी में पहचाने गए घरों की संख्या | 16 |
| कुल घरों की संख्या जिन्हें पीडब्ल्यूडी द्वारा ध्वस्तीकरण के लिए मूल्यांकन किया गया | 23 |

## ज्योतिर्मठ नगर क्षेत्र में अवस्थित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान एंव उनकी जनसंख्या

| क्र.सं. | कम्पनी का नाम | कुल जनसंख्या | कुल वाहन |
|---|---|---|---|
| 1 | जे0पी0 ग्रुप | 1000 | 30 |
| 2 | एन0टी0पी0सी0 | 150 | 79 |
| 3 | बी0आर0ओ0 | 274 | 127 |
| 4 | आई0टी0बी0पी0 | 800 | 45 |
| 5 | एम0 एण्ड एसआई औली | 250 | 15 |
| 6 | भारतीय सेना | 5000 | 650 |

- **श्री बद्रीनाथ एवं श्री हेमकुण्ड साहिब मे आने वाले यात्रियो एवं वाहनो की संख्या वर्ष 2024 व 2025 का विवरण–** Annexure-1
- **जनपद अन्तर्गत संचार विहीन क्षेत्रों का विवरण–** Annexure-2

## 2.12– परिणाम (Outcome) और सुझाव (Recommendations)

**परिणाम (Outcome)-** जनपद चमोली की भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के विश्लेषण से यह विदित होता है कि यह जिला विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यन्त संवेदनशील है। जिले की पर्वतीय भौगोलिक संरचना, तीव्र वर्षा, संवेदनशील ढाल एवं नदी तंत्र के कारण यहाँ विशेष रूप से भूस्खलन, बादल फटना, अतिवृष्टि, बाढ़, जलभराव, भूकम्प तथा वनाग्नि जैसी आपदाओं की संभावना बनी रहती है।

जिले के कई ग्रामीण क्षेत्र दूरस्थ एवं दुर्गम हैं, जिसके कारण आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्यों में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त सड़क नेटवर्क, संचार व्यवस्था तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की सीमित उपलब्धता भी आपदा प्रबंधन को प्रभावित कर सकती है। इस विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि जिले में आपदा पूर्व तैयारी, जोखिम न्यूनीकरण, त्वरित प्रतिक्रिया तथा प्रभावी समन्वय को मजबूत बनाना अत्यंत आवश्यक है।

**सुझाव (Recommendations)-** जनपद चमोली में आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं–

- जिले में आपदा जोखिम वाले क्षेत्रों की नियमित पहचान एवं निगरानी की जाए।
- भूस्खलन एवं बाढ़/जलभराव प्रभावित क्षेत्रों में संरचनात्मक एवं गैर–संरचनात्मक उपायों को बढ़ावा दिया जाए।
- आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों को समुदाय स्तर तक विस्तारित किया जाए।
- आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया के लिए संसाधनों एवं उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- संचार व्यवस्था, सड़क संपर्क एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जाए।
- विभिन्न विभागों, स्थानीय निकायों एवं स्वयंसेवी संगठनों के बीच समन्वय को मजबूत किया जाए।
- स्कूलों, संस्थानों एवं समुदायों में आपदा प्रबंधन सम्बन्धी जन जागरूकता/प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं मॉक अभ्यास नियमित रूप से आयोजित किए जाएँ।

# अध्याय 3 – आपदा प्रबन्धन हेतु संस्थागत व्यवस्था

## (Institutional Arrangements For Disater Management)

### 3.1 राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन संगठनात्मक संरचना (At the National Level)

भारत में आपदा प्रबंधन का संचालन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर निम्न संस्थागत व्यवस्थाएं कार्यरत हैं–

1.राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)

- अध्यक्ष: मा0 प्रधानमंत्री, भारत सरकार
- NDMA नीतियों, दिशा–निर्देशों एवं योजनाओं के निर्माण हेतु सर्वोच्च निकाय है।
- यह राज्य एवं जिला स्तर की योजनाओं को अनुमोदित करता है तथा तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

2.राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC)

- अध्यक्ष: केंद्रीय गृह सचिव
- NEC NDMA की नीतियों को लागू करने और आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने हेतु जिम्मेदार है।
- यह राष्ट्रीय आपात संचालन केंद्र (NEOC) का संचालन करता है।

3.राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF)

- गठन: वर्ष 2006
- उद्देश्य: आपदाओं के दौरान त्वरित बचाव एवं राहत कार्य करना।
- नियंत्रण: NDMA / गृह मंत्रालय
- उत्तराखंड के लिए NDRF की यूनिट आमतौर पर गाजियाबाद / वाराणसी / लखनऊ से सहायता प्रदान करती है।

4.राष्ट्रीय आपात संचालन केंद्र (NEOC)

- स्थान: नई दिल्ली
- यह देश के सभी राज्य म्ब से जुड़ा हुआ है और राष्ट्रीय स्तर पर मॉनिटरिंग, अलर्ट जारी करने एवं समन्वय का कार्य करता है।

### 3.2 राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन (At the State Level – Uttarakhand)

राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन की संस्थागत व्यवस्था उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) के अधीन संचालित होती है।

➢ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA / USDMA)

- अध्यक्ष: माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखंड
- उपाध्यक्ष: मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन
- सदस्य: प्रमुख सचिव (वित्त, गृह, स्वास्थ्य, राजस्व, लोक निर्माण, वन आदि विभागों के)।
- मुख्यालय: देहरादून
- कार्य:
  –राज्य की आपदा प्रबंधन नीति बनाना।
  –जिला योजनाओं को अनुमोदन एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना।
  –राज्य स्तरीय राहत, पुनर्वास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन।

➢ राज्य कार्यकारी समिति (SEC)

- अध्यक्ष: मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन
- सदस्य सचिव: अपर मुख्य सचिव / सचिव (आपदा प्रबंधन)
- कार्य:

–SDMA की नीतियों को लागू करना।
–सभी विभागों के नोडल अधिकारियों के माध्यम से राहत एवं बचाव कार्यों की मॉनिटरिंग।
–राज्य आपात संचालन केंद्र (SEOC) का संचालन।

- राज्य आपात संचालन केंद्र (SEOC)
- स्थानरू आपदा प्रबंधन विभाग, सचिवालय, देहरादून
- यह 24×7 संचालित रहता है।
- राज्य स्तर पर अलर्ट, चेतावनी, राहत और संसाधन समन्वय का कार्य करता है।
- SEOC जिला स्तर के सभी EOC से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है।
- राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF)
- मुख्यालय जॉलीग्रांट, देहरादून
- कार्य:
  –आपदा प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित बचाव कार्य करना।
  –मलबा हटाना, फंसे लोगों को निकालना, शव पुनः प्राप्ति एवं राहत सामग्री वितरण में सहायता।
  –जनपद चमोली में भी SDRF की 02 फील्ड यूनिट तैनात रहती है जो अल्प सूचना पर कार्यरत होती है।

**राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय/विभाग**

| क्र.सं. | आपदा | नोडल मंत्रालय/विभाग |
|---|---|---|
| 1 | जैविक | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) |
| 2 | रासायनिक और औद्योगिक | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) |
| 3 | नागरिक विमानन दुर्घटनाएँ | नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) |
| 4 | सूखा/ओलावृष्टि/शीत लहर और पाला/कीट आक्रमण | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (MoAF) |
| 5 | भूकंप | पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) |
| 6 | बाढ़ | जल संसाधन (एमओडब्ल्यूआर) |
| 7 | जंगल की आग | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) |
| 8 | भूस्खलन | गृह मन्त्रालय |
| 9 | हिमस्खलन | रक्षा मंत्रालय (रक्षा मंत्रालय) |
| 10 | रेल दुर्घटनाएँ | रेल दुर्घटनाएं रेलवे मंत्रालय (एमओआर) |
| 11 | सड़क दुर्घटनाएं | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) |

### 3.3 जिला एंव तहसील स्तर पर आपदा प्रबंधन संगठनात्मक संरचना

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण चमोली की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 30 में विस्तार उल्लेखित की गयी हैं–

- डीडीएमए जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए योजना, समन्वय और कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करेगा और एनडीएमए और एसडीएमए द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार डीएम के प्रयोजनों के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा।
- यह अन्य बातों के साथ–साथ जिले के लिए जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगा और राष्ट्रीय नीति, राज्य नीति, राष्ट्रीय योजना, राज्य योजना और जिला योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।
- डीडीएमए यह सुनिश्चित करेगा कि जिले के सभी लाइन विभागों और स्थानीय निकायों के पास एक सक्रिय आपदा प्रबंधन योजना हो।

- डीडीएमए यह भी सुनिश्चित करेगा कि एनडीएमए और एसडीएमए द्वारा निर्धारित रोकथाम, शमन, तैयारी और प्रतिक्रिया उपायों के दिशानिर्देशों का जिला स्तर पर सभी विभागों और जिले में स्थानीय अधिकारियों द्वारा पालन किया जाए।
- डीडीएमए यह भी सुनिश्चित करेगा कि जिले में आपदाओं के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की जाए और आपदाओं की रोकथाम तथा इसके प्रभावों को कम करने के उपाय किए जाएं।
- डीडीएमए किसी भी आपदा से निपटने के लिए क्षमताओं और तैयारियों के स्तर की समीक्षा करने में भूमिका निभाएगा।
- डीडीएमए आपदा प्रबंधन के लिए जिले में जमीनी स्तर पर काम करने वाले गैर–सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक सामाजिक–कल्याण संस्थानों की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा।
- डीडीएमए यह सुनिश्चित करेगा कि संचार प्रणालियाँ दुरुस्त हों और समय–समय पर आपदा प्रबंधन अभ्यास किए जाएँ।

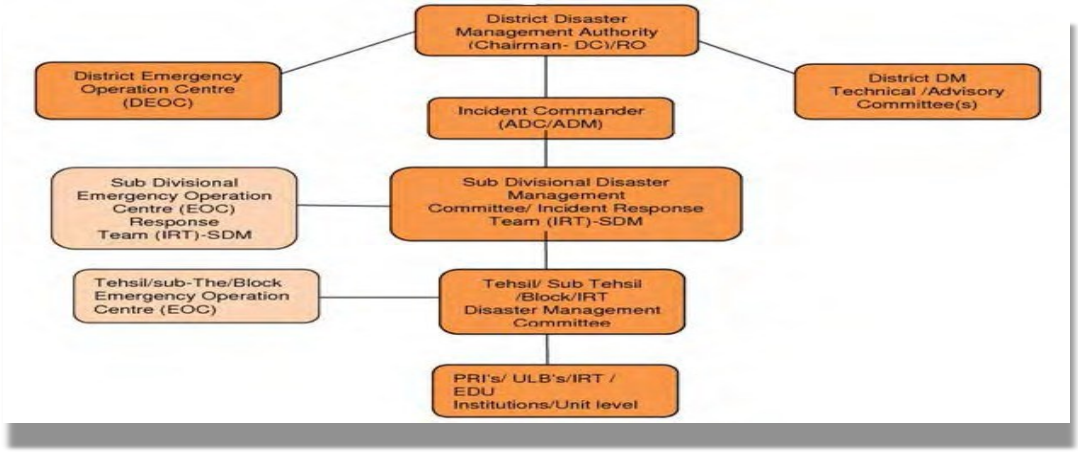


## 3.4 जनपद में घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस)

**जिले में घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस)**

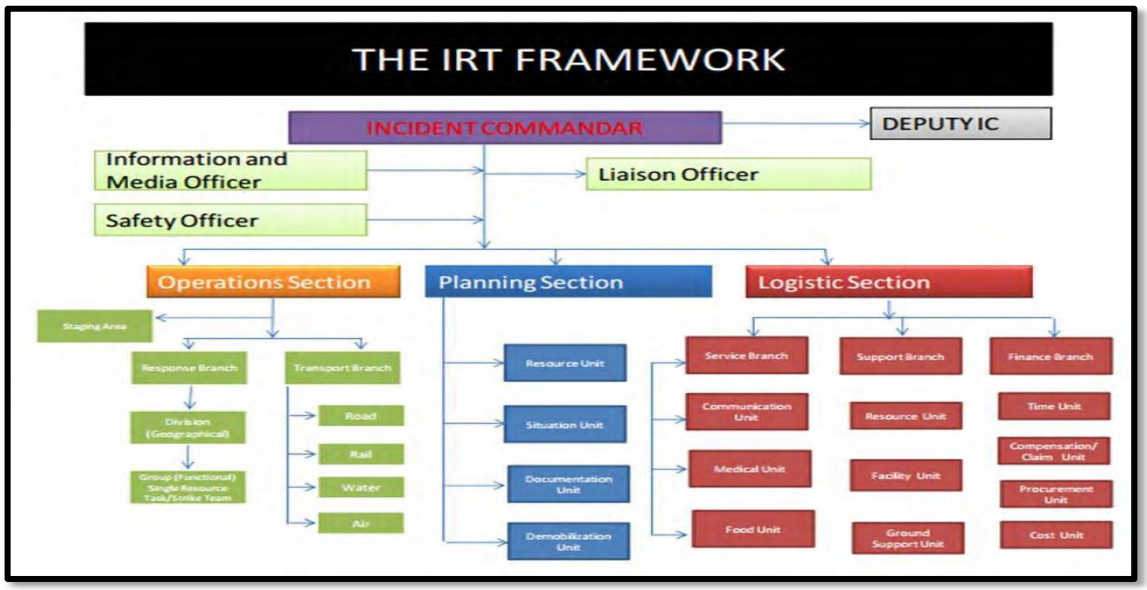

# आईआरटी फ्रेमवर्क

## जनपद स्तरीय (INCIDENT RESPONSE SYSTEM)

| क्र.सं. | आई0आर0एस0 प्रास्थिति | नामित अधिकारी | भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां |
|---|---|---|---|
| 1. | जिम्मेदार/उत्तरदायी अधिकारी (Responsible Officer, (RO) | जिलाधिकारी। | **1.** समग्र प्रभारी।<br>**2.** आपातकालीन स्थिति में समयबद्ध रूप से संसाधनों को जुटाने के लिए विभिन्न विभागों व एजेंसियों को ससमय स्थायी आदेश जारी करना।<br>**3.** आवश्यकतानुसार मुख्यालय स्तर पर Incident Response System (IRS) को सक्रिय करना।<br>**4.** आवश्यकतानुसार सशस्त्र बलों, वायु सेना आदि से सहायता तथा अन्य संसाधन जुटाये जाने हेतु केन्द्र सरकार से समन्वय स्थापित करना। |
| 2. | घटना प्रभारी {Incident Commander (IC)} | मुख्य विकास अधिकारी। | **1.** खोज एवं बचाव तथा राहत वितरण की रणनीतियों सहित तात्कालिक प्राथमिकताएं तय करना।<br>**2.** उच्चाधिकारियों के साथ जानकारी साझा करते हुए यथावश्यक अतिरिक्त संसाधनों की मांग करना।<br>**3.** घटना की नियंत्रण अवधि तथा व्यापकता को दृष्टिगत् रखते हुये समुचित Incident Response System (IRS) प्रणाली/ संगठन स्थापित करना।<br>**4.** उपयुक्त स्थान पर Incident Commander (IC) को स्थापित करना और सम्बन्धित अधिकारियों को नामित करना।<br>**5.** यह सुनिश्चित करना कि Incident Action Plan (IAP) तैयार हो गया है।<br>**6.** Incident Action Plan (IAP) को अनुमोदित करना तथा कार्यान्वयन हेतु अधिकृत करना।<br>**7.** सभी अनुभाग प्रमुखों के साथ नियमित अंतराल में योजना बनाने हेतु बैठक का आयोजन सुनिश्चित करना।<br>**8.** मीडिया को सूचना निर्गत करने हेतु अधिकृत करना।<br>**9.** यथोचित समय पर Incident Response Team (IRT) को विघटित करने की संस्तुति करना।<br>**10.** Responsible Officer के मार्गदर्शन में घटना से सम्बन्धित सभी कार्यों को सुचारु रूप से क्रियान्वित करना। |
| 3. | उप घटना प्रभारी {Deputy Incident Commander (DIC)} | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक। | **1.** घटना प्रभारी Incident Commander (IC) द्वारा सौंपे गए किसी भी प्रकार के कार्य/दायित्वों का संपादन।<br>**2.** स्थायी पदग्राही की अनुपस्थिति में घटना प्रभारी Incident Commander(IC) के रूप में कार्य करेंगे। |
| 4. | सूचना एवं मीडिया अधिकारी {Information & Media officer(IMO)} | जिला सूचना अधिकारी। | **1.** घटना प्रभारी के अनुमोदन से घटना के संबंध मे सूचनाओं को तैयार करना एवं मीडिया एवं अन्य एजंसियों को सूचना उपलब्ध करवाना।<br>**2.** आकस्मिक आपदा की स्थिति में जब Incident Response Team (IRT) पूर्ण रूप से सक्रिय न हो, लिए गए निर्णयों एवं निर्गत दिशा–निर्देश को लिपिबद्ध करना एवं Incident Response Team (IRT) के सक्रिय होने पर Incident Action Plan (IAP) में सम्मिलित किए जाने हेतु प्लानिंग सेक्शन को उपलब्ध कराना।<br>**3.** घटना के सम्बन्ध में विभिन्न मीडिया रिपोर्टों का अनुश्रवण और समीक्षा करना जो घटना के संबंध में योजना बनाने में लाभकारी हों।<br>**4.** सभी सम्बन्धित पक्षों को आवश्यक जानकारी प्रसारित करना। |
| 5. | समन्वय अधिकारी {(Liaison Officer (LO)} | जिला विकास अधिकारी एवं जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी। | **1.** विभिन्न स्थानों पर सम्बन्धित रेखीय विभागों, एजेंसियों (गैर सरकारी संगठन) आदि के प्रतिनिधियों की सूची तैयार करना।<br>**2.** राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, सशस्त्र बल और राज्य सरकार |

| क्र.सं. | आई0आर0एस0 प्रास्थिति | नामित अधिकारी | भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां |
|---|---|---|---|
| | | | के रेखीय विभाग सहित सभी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।<br>**3.** सभी सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियों एवं उनके संसाधनो के पहुँचने की सूचना घटना प्रभारी Incident Commander (IC) के साथ साझा करना।<br>**4.** घटना प्रभारी के साथ सभी सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों के ब्रीफिंग सत्र आयोजित करने में सहायता करना।<br>**5.** प्रत्येक प्राधिकरण/एजेंसी द्वारा की गई विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का रिकार्ड बनाये रखना। |
| **6.** | सुरक्षा अधिकारी {(Safety Officer (SO)} | उप जिला अधिकारी और मुख्य अग्निशमन अधिकारी<br>**सहयोग–** मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका और स्वास्थ्य विभाग। | **1.** प्रतिक्रिया कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित् करने और खतरनाक असुरक्षित स्थितियों से निपटने के लिए उपायों की सिफारिश करना तथा नियमित रूप से इसकी समीक्षा करना।<br>**2.** सुरक्षा पहलुओं के दृष्टिकोण से Incident Action Plan (IAP) की समीक्षा करना।<br>**3.** यथा आवश्यकता साइट सुरक्षा योजना की समीक्षा और स्वीकृति देना।<br>**4.** क्षमता विकास के लिए नियमित रूप से आपदा विशिष्ट मॉक ड्रिल आयोजित करना। |
| **7.** | नोडल अधिकारी, हेली सेवा {(Nodal Officer ;N.O. (Air Operation)} | अपर जिलाधिकारी,<br>**सहयोग–** अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी | **1.** एयर ऑपरेशन के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकरण से समन्वय करना।<br>**2.** Incident Action Plan (IAP) के आधार पर आवश्यक एयर ऑपरेशन के प्रकार का अनुमान लगाना और कम से कम 24 घंटे पहले या यथाशीघ्र मांग प्रस्तुत करना।<br>**3.** Incident Commander (IC) और Operation Section Chief (OSC) को अपने–अपने क्षेत्रों में हवाई संचालन और लैंडिंग कार्यक्रमों के बारे में सूचित करना।<br>**4.** एयर ऑपरेशन में शामिल सभी एजेंसियों के पास घटना स्थलों से सम्बन्धित मानचित्रों की उपलब्धता सुनिश्चित् करना, ताकि एयर ऑपरेशन के लिए आवश्यक स्थानों के सटीक निर्देशांक (अक्षाशं/देशान्तर) आदि दिए जा सकें।<br>**5.** वायु सेना और राज्य प्राधिकारियों से समन्वय स्थापित कर हैलिपैड्स या हैलीबेस की उपयुक्ता का निर्धारण करना।<br>**6.** हवाई यातायात नियंत्रण और ग्राउंड सपोर्ट स्टॉफ के साथ हवाई संचालन और अन्य सम्बन्धित कार्यों के बारे में संवाद बनाए रखना।<br>**7.** आवश्यक ATF (Aviation Turbine Fuel) आदि की प्राप्ति में Incident Commander (IC) और लॉजिस्टिक्स अनुभाग प्रमुख Logistic Section Chief (LSC) की सहायता करना।<br>**8.** हवाई संचालन गतिविधियों पर Responsible Officer (RO) को रिपोर्ट करना।<br>**9.** Responsible Officer (RO) और Incident Commander (IC) द्वारा सौंपे गए अन्य किसी भी प्रकार के कार्य को पूरा करना |
| **8.** | **परिचालन अनुभाग प्रमुख** {Operation Section Chief (OSC)} | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक। | **1.** घटना के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समस्त फील्ड ऑपरेशन का प्रबन्धन करना।<br>**2.** संगठनात्मक अवययों की तैनाती करना, सक्रिय करना, विस्तार व पर्यवेक्षण करना।<br>**3.** ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों की सूची का रख–रखाव करना।<br>**4.** प्रत्येक संचालन अवधि के प्रारम्भ में Operation Section (OS) के कार्मिकों को जानकारी देना।<br>**5.** यथावश्कता Incident Action Plan (IAP) के अनुसार |

| क्र.सं. | आई0आर0एस0 प्रास्थिति | नामित अधिकारी | भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां |
|---|---|---|---|
| | | | अनुभाग परिचालन योजना तैयार करना।<br>**6.** समय–समय पर Incident Commander (IC) से परामर्श करना तथा उन्हें सम्पूर्ण जानकारी से अवगत कराना।<br>**7.** Operation Section Chief (OSC) की सहमति से अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता का निर्धारण करना, तद्नुसार मांग प्रस्तुत करना एवं उनकी आपूर्ति सुनिश्चित् करना।<br>**8.** सम्बन्धित प्राधिकारियों, इकाइयों और समूहों द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों का रिकार्ड सुनिश्चित् करना तथा उसे बनाए रखना। |
| | **क.** स्टेजिंग क्षेत्र प्रबन्धक {Staging Area Manager (SAM)} | उप जिलाधिकारी मुख्यालय,<br>**सहयोग–**उप–पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी। | **1.** यथोचित खाके के साथ Staging Area (SA) स्थापित करना।<br>**2.** प्राप्त संसाधनों के भण्डारण एवं प्रेषण को व्यवस्थित करना तथा Incident Action Plan (IAP) के अनुसार उनका प्रेषण करना।<br>**3.** सभी प्राप्तियों और प्रेषण की रिपोर्ट संचालन अनुभाग प्रमुख को देना व उनके रिकार्ड को बनाए रखना।<br>**4.** यथोचित (चेक–इन फंक्शन) स्थापित करना।<br>**5.** सुनिश्चित करना कि Incident Command Post (ICP) और अन्य आवश्यक स्थानों जैसे– विभिन्न स्टेजिंग एरिया, घटना बेस, कैम्प, राहत शिविर आदि के साथ संचार स्थापित हो गया है।<br>**6.** संसाधनों के उपलब्धता बनाये रखना तथा Planning Section (PS) और Logistic Section (LS) को संसाधनों की स्थिति प्रदान करना।<br>**7.** Incident Commander (IC) के साथ परामर्शानुसार स्टेजिंग (डिमोबिलाइज) क्षेत्र को निष्क्रिय करना । |
| | **ख.** बचाव एवं प्रतिक्रिया शाखा निदेशक {Rescue & Response Branch Director (RRBD)} | उप जिलाधिकारी (मुख्यालय)<br>**सहयोग–**वायरलैस अधिकारी/अग्निशमन और आपातकालीन सेवायें/वन/स्वास्थ्य और परिवार कल्याण/एस0डी0आर0एफ0/रेडक्रांस/भारत स्काउट गाइड/आपदा मित्र/एनसी0सी0/एन0एस0एस0। | **1.** Operation Section Chief (OSC) की पर्यवेक्षण में कार्य करना व सौंपी गई भूमिका के अनुसार Incident Action Plan (IAP) के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी रहेंगे।<br>**2.** Operation Section Chief (OSC) द्वारा अपेक्षित योजना बैठकों में प्रतिभाग करना।<br>**3.** अपनी शाखा के अन्तर्गत प्रभागों या समूहों के लिए निर्धारित कार्य सूचियों की समीक्षा करना।<br>**4.** प्रभाग और समूह प्रभारियों को विशिष्ट कार्य सौंपना।<br>**5.** शाखा कार्यों का पर्यवेक्षण करना।<br>**6.** अधीनस्थों द्वारा प्रस्तुत विवादों का समाधान करना।<br>**7.** Incident Action Plan (IAP) में यदि कोई संशोधन आवश्यक हो, अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता हो, अतिरिक्त संसाधनों की उपलब्धता और खतरनाक स्थितियों या महत्वपूर्ण घटनाओं के घटित होने आदि के सम्बन्ध में Operation Section Chief (OSC) को रिपोर्ट करना।<br>**8.** विभिन्न परिचालन क्षेत्रों में एकल संसाधन स्ट्राइक टीम और टॉस्क फोर्स सहायता उपलब्ध करना।<br>**9.** सुनिश्चित् करना की सभी टीम लीडर अपने क्षेत्र संचालन से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों का रिकार्ड रखें और Operation Section Chief (OSC) को प्रेषित करें।<br>**10.** Operation Section Chief (OSC) द्वारा सौंपे गए अन्य कर्तव्यों का पालन करना। |
| | **ग.** परिवहन शाखा (सड़क, रेल, जल एवं वायु इकाई) निदेशक {Transport Branch (Road, Rail. Water & Air Unit) Director (TBD)} | क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी<br>**सहयोग–**उप परिवहन अधिकारी (प्रशासन) | **1.** सड़क, रेल, जल और हवाई जैसे विभिन्न परिचालन समूहों को सक्रिय व प्रबन्धित करना।<br>**2.** आवश्यक संसाधनों के लिए Logistics Section (LS) के साथ समन्वय करना व अपनी शाखा के समूहों को सक्रिय करना।<br>**3.** संसाधनों/आवश्यकताओं की तैनाती/मांग के समय, |

| क्र.सं. | आई0आर0एस0 प्रास्थिति | नामित अधिकारी | भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां |
|---|---|---|---|
| | | | आवश्यकतानुसार सहायता के लिए रेलवे, सड़क परिवहन, जलमार्ग और हवाई अड्डा प्राधिकारियों के साथ समन्वय करना।<br>**4.** सुनिश्चित् करना कि संगठनात्मक कार्य की सूची समूह–प्रभारियों और उनकी शाखा के अन्य उत्तरदाताओं के बीच परिचालित कर दी गई है।<br>**5.** हवाई संचालन के लिए जमीनी सहायता व उचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित् करना।<br>**6.** परिवहन शाखा की प्रगति के बारे में संचालन अनुभाग प्रमुख और घटना कमाण्डर को अवगत कराना।<br>**7.** यथावश्यकता Incident Action Plan (IAP) के अनुसार परिवहन योजना तैयार करना।<br>**8.** किराए में लिए गये संसाधनों के रख–रखाव की अद्यतन स्थिति सुनिश्चित करना एवं उनका पूर्ण उपयोग व यथासमय उनको अवमुक्त करना।<br>**9.** सुनिश्चित् करना कि विभिन्न परिचालन समूहों (सड़क, रेल, जल और वायु) द्वारा सम्पादित विभिन्न गतिविधियों के रिकार्ड को संकलित कर लिया गया है तथा सम्बन्धित अनुभाग को प्रेषित करना। |
| **9.** | **योजना अनुभाग प्रमुख** {Planning Section Chief (PSC)} | मुख्य विकास अधिकारी, **सहयोग–**जिला विकास अधिकारी। | **1.** घटना प्रभारी के परामर्श से Incident Action plan (IAP) की योजना बनाने व उसको तैयार करने के लिये सक्रिय अनुभाग प्रमुखों के साथ समन्वय करना।<br>**2.** यह सुनिश्चित करना कि जब Planning Section (PS) सक्रिय नहीं हुआ हो, तो अचानक आपदाओं के दौरान लिए गए निर्णय और जारी किए गए निर्देश सूचना और मीडिया अधिकारी (कमांड स्टाफ) से प्राप्त किए जाएं और आईएपी में शामिल किए जाएं।<br>**3.** मौसम, पर्यावरणीय विषाक्तता, संसाधनों की उपलब्धता आदि के संबंध में सम्बन्धित विभागों व अन्य स्रोतों से सूचनाओं का संकलन, मूल्यांकन और सम्प्रेषण। संयुक्त सचिव (गृह) के पास उपलब्ध संसाधनों का उनके लोकेशन के साथ एक डाटा बैंक होना चाहिए, जहां से उन्हें गतिमान किया जा सके।<br>**4.** सुनिश्चित करना कि घटना स्थिति सारांश भरा गया है और Incident Action plan (IAP) में सम्मिलित कर लिया गया है।<br>**5.** सुनिश्चित करना कि संगठनात्मक असाइनमेंट सूची (प्रभागीय/समूह) को इकाई के लीडर और उसके अनुभाग के अन्य उत्तरदाताओं के बीच प्रसारित की गयी है।<br>**6.** घटना प्रभारी और संचालन अनुभाग प्रमुख के परामर्श से Incident Response System (IRS) संगठनात्मक पदों को उचित रूप से सक्रिय और निष्क्रिय करने की योजना बनाना।<br>**7.** घटना प्रबन्धन के लिए किसी भी विशेष संसाधनों की आवश्यकता का निर्धारण करना।<br>**8.** घटना की सम्भावना पर आवधिक पूर्वानुमान प्रदान करना।<br>**9.** घटना की अवस्था में होने वाले किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में घटना कमाण्डर को सूचना देना।<br>**10.** घटना प्रभारी पोस्ट पर घटना स्थिति सारांश संकलित और प्रदर्शित करना।<br>**11.** घटना मोबिलाइजेशन योजना की तैयारी और कार्यान्वयन की देखरेख करना।<br>**12.** दिवस डयूटी अधिकारियों की सूची तैयार करना।<br>**13.** सुनिश्चित करना कि इकाइयों के सदस्यों द्वारा सम्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकार्ड एकत्रित व यूनिट लॉग में अनुरक्षित कर लिया गया है। |

| क्र.सं. | आई0आर0एस0 प्रास्थिति | नामित अधिकारी | भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां |
|---|---|---|---|
| | **क.** परिस्थिति इकाई प्रमुख {Situation Unit Leader (SUL)} | जिला विकास अधिकारी और विकासखण्ड अधिकारी **सहयोग–**जिला पंचायत राज अधिकारी और स्थानीय निकाय प्रभारी। | **1.** घटना से संबंधित समस्त जानकारियों को एकत्रित, संसाधित व व्यवस्थित करना।<br>**2.** घटना के विकास के आवधिक भविष्य के अनुमान तैयार करना (यदि आवश्यक हो तो मानचित्रों के साथ) तथा Planning Section Chief (PSC) और घटना कमांडर को सूचित करना।<br>**3.** स्थिति और संसाधन स्टेटस रिपोर्ट तैयार करना और आवश्यकतानुसार प्रसारित करना।<br>**4.** यथावश्यकता प्रतिक्रियादाताओं को अधिकृत मानचित्र, फोटोग्राफिक सेवाएं प्रदान करना।<br>**5.** अपेक्षित जानकारी, डेटा, अभिलेख और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र आदि के साथ Incident Action Plan (IAP) की बैठक में प्रतिभाग करना।<br>**6.** निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकार्ड बनाना और सम्बन्धित अनुभाग को भेजना। |
| | **ख.** संसाधन इकाई प्रमुख {Resource Unit Leader (RUL)} | जिला प्रान्तीय रक्षक दल और जिला कमांडेंट होमगार्ड, **सहयोग–** जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी। | **1.** घटना के समय सभी निर्दिष्ट संसाधनों (प्राथमिक और सहायक) को बनाए रखना व प्रदर्शित करना।<br>**2.** उपलब्ध सभी संसाधनों की एक पूर्ण सूची संकलित करना।<br>**3.** विभिन्न घटना स्थलों पर चेक–इन फंक्शन सुनिश्चित् और स्थापित करना।<br>**4.** योजना अनुभाग प्रमुख (पीएससी) और घटना कमांडर को समय–समय पर प्राप्त और प्रेषित संसाधनों की स्थिति के बारे में अद्यतन जानकारी देना।<br>**5.** आवंटित संसाधनों की स्थिति और उपयोग की जांच के लिए Operation Section (OS) की विभिन्न सक्रिय शाखाओं, प्रभागों और समूहों के साथ समन्वय करना।<br>**6.** निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाए रखना और संबन्धित अनुभाग को भेजना। |
| | **ग.** प्रलेखन इकाई प्रमुख {Documentation Unit Leader (DUL)} | जिला सांख्यिकी अधिकारी, **सहयोग–**जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी/जिला जी0आई0एस0 विश्लेषक | **1.** सुनिश्चित करना कि सभी आवश्यक प्रपत्र और स्टेशनरी की खरीद कर ली गई है तथा सभी सक्रिय अनुभागों, शाखाओं, प्रभागों, समूहों और इकाइयों को प्रेषित कर दी गयी है।<br>**2.** घटना से संबंधित समस्त जानकारियों व रिपोर्टो को संकलित करना।<br>**3.** सटीकता और पूर्णता के लिए रिकॉर्ड और विभिन्न Incident Response System (IRS) फर्मों की समीक्षा एवं सन्निरीक्षा (Scrutinise) करना।<br>**4.** उचित इकाइयों को उनके दस्तावेजीकरण में त्रुटियों या चूक यदि कोई हो, के बारे में सूचित करना और सुनिष्चित करना कि त्रुटियों और चूक को संशोधित कर लिया गया है।<br>**5.** घटना उपरांत विष्लेशण के लिए पत्रावलियों को सही ढंग से संग्रहित करना।<br>**6.** सम्पादित की गयी विभिन्न गतिविधियों का रिकर्ष्ड बनाये रखना और संबंधित अनुभागों को भेजना।। |
| | **घ.** वियोजन इकाई प्रमुख {Demobilization Unit Leader(DeUL)} | जिला पंचायत राज अधिकारी | **1.** घटना वियोजन (निष्क्रिय) योजना (Incident Demobilisation Plan) तैयार करना।<br>**2.** अधिशेष (Surplus) संसाधनों की पहचान करना और Planning Section Chief (PSC) के परामर्ष से एक अस्थाई Incident Demobilization Plan (IDP) तैयार करना और अधिशेष संसाधनों को वियोजित (निष्क्रिय) करने को प्राथमिकता देना।<br>**3.** सभी अनुभागों के परामर्ष से अनुभागों, शाखाओं, प्रभागों और इकाइयों के लिए घटना जांच कार्य विकसित करना और इसे Planning Section (PS) को भेजना। |

| क्र.सं. | आई0आर0एस0 प्रास्थिति | नामित अधिकारी | भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां |
|---|---|---|---|
| | | | **4.** Logistic Section (LS) के परामर्श से Incident Demobilization (ID) के लिए लॉजिस्टिक्स और परिवहन सहायता की योजना बनाना।<br>**5.** Incident Demobilization Plan (IDP) को उचित समय पर शामिल विभिन्न हितधारकों तक प्रसारित करना।<br>**6.** Incident Demobilization (ID) की प्रगति के संबंध में Planning Section Chief (PSC) को अवगत कराना।<br>**7.** निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाना व संबंधित अनुभागों को प्रेषित करना। |
| 10. | **लॉजिस्टिक इकाई प्रमुख** {Logistic Section Chief (LSC)} | अपर जिला अधिकारी, **सहयोग–**अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, जनपद प्रशासन। | **1.** स्टेजिंग एरिया, घटना बेस, शिविर, राहत शिविर, हेलीपैड आदि की स्थापना सहित सभी घटना प्रतिक्रिया प्रयासों के लिए लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करना।<br>**2.** Incident Action Plan (IAP) के विकास और क्रियान्वयन में प्रतिभाग करना।<br>**3.** संबंधित वित्तीय मामलों के संबंध में Responsible Officer (RO) और Incident Commander (IC) को सूचित करना।<br>**4.** यह सुनिश्चित् करना कि संगठनात्मक कार्यभार सूची (प्रभागीय/समूह) शाखा निदेशकों और उनके अनुभाग के अन्य उत्तरदाताओं के मध्य प्रसारित कर दी गई है।<br>**5.** यथावश्यकता अग्रिम फण्ड के लिए अनुरोध किया जाना।<br>**6.** शाखा निदेशक और यूनिट लीडर को ब्रीफ करना।<br>**7.** स्थिति की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संचार योजना, चिकित्सा योजना और यातायात योजना की निरंतर समीक्षा करना।<br>**8.** अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता का आकलन करना और Responsible Officer (RO) तथा Incident Commander (IC) के परामर्श से उनकी अधिप्राप्ति के लिए आवश्यक कदम उठाना।<br>**9.** दिवस के लिए ऑन ड्यूटी अधिकारियों की सूची तैयार करना।<br>**10.** शाखाओं और इकाइयों के सदस्यों द्वारा संपादित की गई विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड एकत्र करना और इकाई लॉग में रखा जाना सुनिश्चित करना। |
| | **क सेवा शाखा निदेशक** {Service Branch Director (SBD)} | जिला आपूर्ति अधिकारी, **सहयोग–**लोक निर्माण विभाग। | **1.** Logistic Section Chief (LSC) की देखरेख में कार्य करना और घटना प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक सेवा सहयोग का प्रबंध करना।<br>**2.** शाखा की विभिन्न इकाइयों यथा–संचार, चिकित्सा, खाद्य और किसी अन्य सक्रिय इकाइयों का प्रबन्ध व पर्यवेक्षण करना।<br>**3.** आवश्यक सामग्री और संसाधनों के लिए सक्रिय इकाई लीडर के साथ चर्चा करना व Logistic Section (LS) के माध्यम से इन्हें प्राप्त किया जाना।<br>**4.** Incident Action Plan (IAP) के अनुसार कार्मिकों, टीमों, संसाधनों आदि का उचित प्रेषण (डिस्पैच) किया जाना।<br>**5.** Logistic Section Chief (LSC) को समय–समय पर सेवा शाखा की प्रगति के बारे में सूचित करना।<br>**6.** निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाए रखना व संबंधित अनुभागों को प्रेषित करना। |
| | **i.** संचार इकाई प्रमुख {Communication Unit Leader(CUL)} | जिला सूचना अधिकारी (एनआईसी) **सहयोग–** डीजीएम/ बीएसएनएल रेडियो अधिकारी, पुलिस, अग्निशमन | **1.** Service Branch Director (SBD) के निर्देशन में कार्य करना।<br>**2.** यथावश्यकता संचार सुविधा प्रदान कराना।<br>**3.** सुनिश्चित करना कि उपलब्ध सभी संचार उपकरण व नेटवर्क क्रियाशील हैं।<br>**4.** क्षेत्र में तैनात सभी संचार उपकरणों का रिकॉर्ड रखना।<br>**5.** विभिन्न सक्रिय अनुभागों, शाखाओं, इकाइयों और उच्च |

| क्र.सं. | आई0आर0एस0 प्रास्थिति | नामित अधिकारी | भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां |
|---|---|---|---|
| | | अधिकारी। | अधिकारियों से रेडियो, टेलीफोन और अन्य संदेश प्राप्त करने और भेजने के लिए एक संदेश केंद्र की स्थापना सुनिश्चित करना तथा उनका रिकार्ड बनाए रखना।<br>**6.** सामान्य संचार नेटवर्क की संभावित विफलता की स्थिति में निष्पादन के लिए एक वैकल्पिक संचार योजना तैयार करना।<br>**7.** केंद्रीय टीमों के संचार ढांचे के एकीकरण के लिए एक योजना तैयार करना।<br>**8.** निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाए रखना। |
| | **ii.** चिकित्सा इकाई प्रमुख {Medical Unit Leader (MUL)} | मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी। | **1.** Service Branch Director (SBD) के निदेशन में कार्य करना तथा Incident Action Plan (IAP) के अनुसार चिकित्सा योजना बनाना और आवश्यक संसाधनों की अधिप्राप्ति करना।<br>**2.** Service Branch Director (SBD) और Logistic Section Chief (LSC) को सूचित करते हुए चिकित्सा सहायता, परिवहन और चिकित्सा आपूर्ति आदि को लेकर Operation Section के अनुरोधों का प्रतिउत्तर देना।<br>**3.** चिकित्सा कर्मियों की सूची बनाए रखना, जिन्हें जरूरत के समय Mobilize किया जा सके।<br>**4.** सभी चिकित्सा टीम लीडर्स को रेफरल सेवा केंद्रों की सूची तैयार कर वितरित करना।<br>**5.** निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाए रखना और Service Branch Director (SBD) को भेजना। |
| | **iii.** खाद्य इकाई प्रमुख {Food Unit Leader(FUL)} | जिला आपूर्ति अधिकारी। | **1.** Service Branch Director (SBD) के निर्देशन में कार्य करना।<br>**2.** भोजन की आपूर्ति करना: :–<br>**(क)** Incident Command Post (ICP), शिविरों, घटना बेस, Stanging Area (SA) आदि में Incident Response Team (IRT) के कार्मिक और<br>**(ख)** अस्थायी आश्रयों, राहत शिविरों आदि में पीड़ितों को।<br>**3.** भोजन और पेयजल की आवश्यकताओं और उनके परिवहन का निर्धारण करना, तथा Service Branch Director (SBD) एवं LSC को सूचित करना।<br>**4.** संसाधनों की प्राप्ति और प्रेषण की एक सूची बनाना।<br>**5.** निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाना तथा Service Branch Director (SBD) को भेजना। |
| | **ख. सहयोग शाखा निदेशक** {Support Branch Director(SuBD)} | मुख्य शिक्षा अधिकारी (सीईओ), **सहयोग–**जिला कार्यक्रम अधिकारी (आईसीडीएस)। | **1.** Logistic Section Chief (LSC) के पर्यवेक्षण में कार्य करना, और संसाधन प्रावधान इकाई, सुविधा इकाई और ग्राउंड सपोर्ट इकाई के कार्यों का पर्यवेक्षण करना।<br>**2.** अनुभाग प्रमुख की सहमति से परिचालन के लिए रणनीतिक उपकरणों व संसाधनों की अधिप्राप्ति (Procurement) व प्रेषण करना।<br>**3.** Logistic Section (LS) की योजना बैठक में प्रतिभाग करना।<br>**4.** सुनिश्चित् करना कि शाखा से संबंधित संगठनात्मक कार्यभार सूची उसके अधीन समस्त इकाइयों में प्रसारित कर दी गयी है।<br>**5.** कार्य की प्रगति के संबंध में Logistic Section Chief (LSC) को सूचित करना।<br>**6.** संपादित किए गए विभिन्न कार्यों का रिकॉर्ड बनाए रखना और संबन्धित अनुभाग को प्रेषित करना। |
| | **i.** संसाधन प्रावधानीकरण इकाई प्रमुख {Resource Provisioning Unit | अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग मुख्यालय, **सहयोग–**जिला | **1.** सपोर्ट ब्रांच निदेशक के पर्यवेक्षण में कार्य करना।<br>**2.** कर्मचारियों, उपकरणों और आपूर्ति की आवाजाही को व्यवस्थित रखना।<br>**3.** घटना की प्रतिक्रिया के लिए अपेक्षित सभी आपूर्तियों को |

| क्र.सं. | आई0आर0एस0 प्रास्थिति | नामित अधिकारी | भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां |
|---|---|---|---|
| | Leader (RPUL)} | जी0आई0एस0 विश्लेषक। | प्राप्त करना व सुरक्षित रखना।<br>**4.** आपूर्ति और उपकरणों की सूची बनाए रखना।<br>**5.** उपकरण और कार्मिकों सहित आपूर्ति, की प्राप्ति और प्रेषण का रिकॉर्ड बनाना।<br>**6.** गैर–विस्तारीय आपूर्ति और उपकरणों की मरम्मत और सर्विसिंग की व्यवस्था करना।<br>**7.** Logistic Section (LS) की योजना बैठक में भाग लेना।<br>**8.** उपलब्ध और प्रेषित गई आपूर्ति के 'प्रकार', और 'मात्रा' की निगरानी करना।<br>**9.** यथावश्यकता अतिरिक्त मानव संसाधन सहायता की मांग करना।<br>**10.** निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकार्ड रखना तथा सर्विस ब्रांच निदेशक को भेजना। |
| | **ii.** सुविधा इकाई प्रमुख {Facilities Unit Leader (FaUL)} | अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग मुख्यालय, **सहयोग–**जिला जी0आई0एस0 विश्लेषक। | **1.** घटना सुविधाओं जैसे, घटना शिविर, राहत शिविर, आईसीपी, आदि, का लेआउट और सक्रियण (Activation) तैयार करना और प्रतिक्रियादाताओं को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना।<br>**2.** सहयोग शाखा निदेशक को रिपोर्ट करना।<br>**3.** Incident Action Plan (IAP) के अनुसार विभिन्न सुविधाओं को चिन्हित करना।<br>**4.** अनुभाग की योजना बैठक में प्रतिभाग करना, Logistic Section Chief (LSC) के समन्वय से प्रत्येक सुविधा और उसकी आवश्यकताओं की सूची तैयार करना।<br>**5.** Incident Response System (IRS) के अनुसार निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाए रखना व Service Branch Director (SBD) को भेजना। |
| | **iii.** ग्राउंड सपोर्ट इकाई प्रमुख {Ground Support Unit Leader (GSUL)} | अपर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और जिला आपूर्ति अधिकारी। | **1.** Support Branch Director (SuBD) के पर्यवेक्षण में कार्य करना।<br>**2.** Transport Branch (Road, Rail. Water & Air Unit) Director (TBD) को फील्ड संचालन के लिए परिवहन सेवाएं प्रदान करना।<br>**3.** यदि हवाई परिचालन सक्रिय है, तो Transport Branch (Road, Rail. Water & Air Unit) Director (TBD) के माध्यम से आवश्यक जमीनी समर्थन (ग्राउंड सपोर्ट) की व्यवस्था करना और मुहैया कराना।<br>**4.** घटना प्रबंधन के लिए उपयोग किए गए सभी वाहनों और संबन्धित उपकरणों के लिए रख–रखाव और मरम्मत सेवाएं प्रदान करना।<br>**5.** घटना यातायात योजना का विकास और कार्यान्वयन करना।<br>**6.** सभी वाहनों और उपकरणों की उपलब्धता और सेवाक्षमता (Service Ability) के बारे में संसाधन इकाई को सूचित करना।<br>**7.** Support Branch Director (SuBD) के परामर्श से विमान सहित सभी अन्य परिवहन के लिए ईंधन आवश्यकताओं की व्यवस्था करना तथा उनको सक्रिय करना।<br>**8.** आवंटित, उपलब्ध, ऑफ रोड या सेवा से बाहर संसाधनों की सूची बनाना।<br>**9.** अपने अधिकार क्षेत्र में सुरक्षा उपाय सुनिश्चित् करना।<br>**10.** Incident Response System (IRS) के अनुसार निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाए रखना और Support Branch Director (SuBD) को प्रेषित करना। |
| | **ग. वित्त शाखा निदेशक** {Finance Branch Director (FBD)} | मुख्य कोषाधिकारी (सीटीओ) / वरिष्ठ कोषाधिकारी। | **1.** Logistic Section Chief (LSC) के अधीन कार्य करना।<br>**2.** योजना बैठकों में भाग लेना।<br>**3.** Incident Action Plan (IAP) के अनुसार Mobilize किये जाने, खरीदे जाने या किराये पर लिए जाने वाले संसाधनों |

| क्र.सं. | आई0आर0एस0 प्रास्थिति | नामित अधिकारी | भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां |
|---|---|---|---|
| | | | की सूची तैयार करना।<br>**4.** वित्तीय नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के आदेश प्राप्त करना और बिना देरी किए उनकी अधिप्राप्ति (Procurement) के लिए आवश्यक कदम उठाना।<br>**5.** किराये पर लिए गये उपकरणों, कर्मियों और उनकी सेवाओं का समयावधि के साथ सरकारी मानदण्ड के अनुसार भुगतान हेतु रिकार्ड रखना।<br>**6.** Demobilization सहित सम्पूर्ण प्रतिक्रिया गतिविधियों की लागत की जांच एवं संवीक्षण करना, लागत प्रभावशीलता का विश्लेषण करना तथा Logistic Section Chief (LSC) को सूचित करना।<br>**7.** सुनिश्चित करना कि घटना के समय शुरू किए गए सभी दायित्व दस्तावेज उचित रूप से तैयार, पूर्ण हैं तथा उपयुक्त Section Chief (SC) और Branch Director (BD) द्वारा सत्यापित और हस्ताक्षरित हैं।<br>**8.** घटना से संबंधित सभी वित्तीय मुद्दों पर Logistic Section Chief (LSC) या Incident Commander (IC) को ब्रीफ करना जिन पर ध्यान देने या अनुवर्ती कार्यवाही की आवश्यकता हो।<br>**9.** Incident Response System (IRS) के अनुसार निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाना और संम्बन्धित अनुभागों को भेजना। |
| | **i.** समय, अधिप्राप्ति, लागत इकाई प्रमुख {Time, Procurement & Cost Unit Leader (TPCUL)} | कोषाधिकारी / सहायक कोषाधिकारी, मुख्यालय, **सहयोग–** बीजक प्रभारी, कोष एवं लेखा स्टाफ। | **1.** किराये पर लिए गए उपकरणों और कर्मियों की समय अवधि के साथ रिकॉर्ड रखना और सुनिश्चित् करना कि इसे दैनिक आधार पर सरकारी मानदंडों के अनुसार बनाया गया है।<br>**2.** सभी किराये के उपकरणों और कर्मियों के सर्वोत्तम उपयोग के सम्बन्ध में उनके लॉग की जांच करना।<br>**3.** विक्रेताओं और अनुबंधों से सम्बन्धित सभी वित्तीय मामलों पर ध्यान देना।<br>**4.** Finance Branch Director (FBD) के परामर्श से अधिप्राप्ति आवश्यकताओं की समीक्षा करना।<br>**5.** उचित प्रक्रियाओं के पालन के साथ उन विक्रेताओं की सूची तैयार करना जिनसे खरीद की जा सकती है।<br>**6.** प्रतिक्रिया प्रबंधन से संबंधित सभी बिलों का अंतिम प्रसंस्करण करना और Finance Branch Director (FBD), Logistics Section Chief (LSC), Incident Commander (IC) के अनुमोदन से भुगतान के लिए दस्तावेज भेजना।<br>**7.** बकाया मुद्दों और अनुवर्ती आवश्यताओं पर सिफारिशों के साथ वर्तमान समस्याओं पर Finance Branch Director (FBD) को ब्रीफ करना।<br>**8.** लागत विश्लेषण रिपोर्ट (Cost Analysis Report) के आधार पर Finance Branch Director (FBD) के परामर्श से घटना लागत सारांश विकसित करना।<br>**9.** Finance Branch Director (FBD) को लागत बचत की सिफारिशें करना। |
| | **ii.** मुआवजा / दावा इकाई प्रमुख {Compensation/Claim Unit Leader(CCUL)} | अपर जिलाधिकारी **सहयोग–**आपदा प्रबन्धन प्रभारी, उप जिलाधिकारी सदर। | **1.** सभी लागत डेटा एकत्र करना और लागत अनुमान प्रदान करना।<br>**2.** मांग की सही तिथि और समय के साथ अपेक्षित परिसर, सेवाओं, संसाधनों और वाहनों आदि की एक सूची तैयार करना और बनाए रखना।<br>**3.** दावों और मुआवजे के भुगतान के लिए उचित प्रक्रियाओं का पालन करना।<br>**4.** Incident Response System (IRS) के अनुसार निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाना तथा उसे Finance Branch Director (FBD) को भेजना। |

## 3.5 जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र चमोली की स्थापना और जिले में उपलब्ध सुविधाएं

- जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र (कन्ट्रोल रूम) कलक्ट्रेट परिसर में स्थापित है जिसमें प्राकृतिक आपदा की स्थिति में नियंत्रण कक्ष के रूप में समस्त सम्बन्धित विभागों से समन्वय कर कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त वनाग्नि नियंत्रण, चारधाम यात्रा प्रबन्धन/नियंत्रण तथा अन्य प्रकार की दुर्घटनाओं की सूचनाओं का आदान–प्रदान, कन्ट्रोल रूम पंजी में सूचना दर्ज की जाती है। कन्ट्रोल रूम को 7X24 की तर्ज पर कार्यशील रखते हुये कार्मिकों (ड्यूटी प्रभारी/कम्प्यूटर ऑपरेटर/अनुसेवकों) की शिफ्टवार तैनाती की गयी है।
- जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में 01 सेटेलाइट फोन, 01–पुलिस वायरलैस सेट, तथा अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं। आपातकालीन परिचालन केन्द्र के दूरभाष नम्बर निम्नवत हैं–

| | |
|---|---|
| Phone: | 01372-251437, 1077 (Toll free), |
| Mobile.: | + 919068187120, 7055753124 |

A. जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा भारतीय मौसम विभाग की वैबसाईड से मौसम सम्बन्धी जानकारी प्राप्त कर सभी सम्बन्धितों/मीडिया तथा जनसामान्य हेतु प्रचारित किया जाता है।

B. परिचालन केन्द्र में जनपद के अधिकारियों, कर्मचारियों, आंगनबाडी, आशा, ग्राम प्रधान, जन प्रतिनिधियों, अध्यापकों एवं भूतपूर्व सैनिकों की सूची संकलित की गयी हैं, जिससे आपदा की स्थिति में क्षेत्रीय स्तर से सूचनायें एकत्रित कर आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

C. विभिन्न मार्गों के संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया है। मानसून अवधि में अवरूद्ध सड़क मार्गों को खोलने के लिये लो.नि.वि., सीमा सड़क संगठन, पी.एम.जी.एस.वाई. तथा राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो.नि.वि., एन.पी.सी.सी. ब्रिडकुल, एन.एच.आई.डी.सी.एल के पास विभागीय जे.सी.बी., डोजर तथा संसाधनों की सूची उपलब्ध है। मार्ग बाधित होने पर कन्ट्रोल रूम द्वारा तत्काल सम्बन्धितों को सूचित किया जाता है तथा नियमित निगरानी की जाती है।

D. जनपद में एस.डी.आर.एफ., आई.टी.बी.पी., सेना, पुलिस, डी.डी.आर.एफ. तथा स्वयंसेवी संस्थाओं से समन्वय कर प्रशिक्षित टीमें एवं जनपदीय अधिकारियों, एन.सी.सी., एन.एस.एस., स्काउट गाईड तथा पी.आर.आई तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के स्वयंसेवकों की दूरभाष नंबर सहित सूची कन्ट्रोल रूम में उपलब्ध है।

E. आपात स्थिति में प्रयोग में आने वाले अस्थायी हैलीपैड चिन्हित किये गये है। उनके कॉर्डीनेटस् कन्ट्रोल रूम में उपलब्ध है।

F. आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा दैनिक रूप से वर्षा, नदियों का डिस्चार्ज, मौसम की स्थिति, जनपद के समस्त मार्गो की स्थिति, विद्युत, पेयजल व्यवस्था व प्राकृतिक आपदा से हुयी क्षति की सूचना संकलित कर दैनिक रूप से आख्या राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र तथा उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जाती है। इसके साथ ही सम्बन्धित विभागों को यथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अवगत कराते हुये नियमित मॉनिटरिंग की जाती है।

**जनपद आपातकालीन परिचालन केंद्र की स्थापना–** जनपद आपातकालीन परिचालन केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है–

- आपदा की स्थिति में सूचना प्राप्त करना, उसका विश्लेषण करना तथा त्वरित निर्णय लेकर राहत एवं बचाव कार्यों का समन्वय करना।
- यह केंद्र जनपद स्तर पर आपदा प्रबंधन की कमान और नियंत्रण इकाई (Command & Control Centre) के रूप में कार्य करता है।

## केंद्र की संरचना एवं नियंत्रण व्यवस्था

| पदनाम | भूमिका / जिम्मेदारी |
|---|---|
| जिलाधिकारी, चमोली | आपातकालीन परिचालन केंद्र के कुल प्रभारी एवं नियंत्रक अधिकारी। |
| अपर जिलाधिकारी | केंद्र के संचालन की प्रत्यक्ष निगरानी, संसाधन प्रबंधन एवं निर्णय कार्यान्वयन। |
| जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी (DDMO) | EOC के दैनिक संचालन, रिपोर्टिंग और सूचनाओं के संकलन के लिए उत्तरदायी। |
| EOC ऑपरेटर / कंप्यूटर ऑपरेटर | डेटा एंट्री, संचार एवं संदेश प्रसारण कार्य। |
| नोडल अधिकारी (विभिन्न विभागों से) | अपने विभाग से संबंधित सूचना और संसाधन उपलब्ध कराना। |

## मुख्य सुविधाएं (Facilities Available at EOC, Champawat)

1. संचार सुविधाएं (Communication Facilities):
   - वायरलेस सेट, सैटेलाइट फोन (SAT Phone)
   - लैंडलाइन टेलीफोन, मोबाइल कनेक्शन (BSNL, Jio, Airtel, Idea)।
   - इंटरनेट और ईमेल सुविधा।
   - व्हाट्सएप ग्रुप।
   - राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) और आपातकालीन नंबर 1077 / 1070 से सीधा संपर्क।
2. भौतिक अवसंरचना (Infrastructure)
   - कंट्रोल रूम हॉल।
   - फाइलिंग, रिकॉर्ड रूम।
   - बैकअप बिजली आपूर्ति हेतु जनरेटर एवं इन्वर्टर।
3. सूचना एवं मॉनिटरिंग प्रणाली (Information & Monitoring System)
   - आपदा की सूचना प्राप्त करने, रिकॉर्ड करने एवं फील्ड स्तर पर भेजने हेतु रियल–टाइम डेटा सिस्टम।
   - मौसम पूर्वानुमान एवं अलर्ट सिस्टम (IMD/SDMA से लिंक)।
   - रेस्क्यू संसाधनों की उपलब्धता सूची (Manpower, JCB, Vehicle, Medical Unit आदि)।
   - प्रभावित क्षेत्रों का GPS आधारित मैपिंग सिस्टम।
4. तकनीकी संसाधन (Technical Resources)
   - कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, फोटोकॉपी मशीन।
   - सॉफ्टवेयर आधारित आपदा रिपोर्टिंग प्रणाली (IDRN & IRS)।
   - वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा।
5. मानव संसाधन (Human Resources)
   - DDMO, ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, राजस्व उपनिरीक्षक, होमगार्ड प्रतिनिधि, और तकनीकी सहायक।

## कार्यप्रणाली (Functions of EOC)

| चरण | कार्य विवरण |
|---|---|
| पूर्व–आपदा अवस्था (Before Disaster) | संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी – संसाधन व संपर्क सूची का अद्यतन– चेतावनी संदेशों का प्रसारण। |
| आपदा के दौरान (During Disaster) | त्वरित सूचना प्राप्त करना और विश्लेषण– राहत एवं बचाव टीमों को निर्देश देना– संचार नेटवर्क के माध्यम से सूचनाओं का आदान–प्रदान। |
| आपदा के बाद (Post | क्षति का मूल्यांकन और रिपोर्ट तैयार करना– राहत वितरण की मॉनिटरिंग– राज्य |

| | |
|---|---|
| Disaster) | आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को रिपोर्ट भेजना। |

**समन्वय और संपर्क**

- केंद्र का समन्वय राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (SEOC), देहरादून से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है।
- EOC के सभी अधिकारी व विभागीय नोडल अधिकारी 24×7 on-call duty पर रहते हैं।
- केंद्र से तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर आपात संचालन कक्षों (TEOC/BEOC) को आदेश एवं निर्देश भेजे जाते हैं।

**3.6 जनपद में विभिन्न आपदाओं की रोकथाम हेतु समितियो का गठन–**

**वनाग्नि घटनाओं के निदान जिला तथा ब्लाक स्तरीय समितियां–** प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्रामीण विकास के शासनादेश सं0–1766/एफ0आर0डी0सी0/2002 दिनांक, 11.1.2002 में निर्गत निर्देशो के अनुसार वनाग्नि घटनाओं के निदान के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति व ब्लाक प्रमुख की अध्यक्षता में ब्लाक स्तरीय समिति का गठन का प्राविधान है। इन समितियों के संयोजक सदस्य क्रमशः प्रभागीय वनाधिकारी तथा सहायक वन संरक्षक होंगे।

| | | |
|---|---|---|
| 1 | जिले के अन्य प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 2 | पुलिस अधीक्षक | सदस्य |
| 3 | मुख्य विकास अधिकारी | सदस्य |
| 4 | लोक निर्माण विभाग के नोडल अधिकारी | सदस्य |
| 5 | समस्त परगनाधिकारी | सदस्य |
| 6 | जिलाधिकारी द्वारा नामित दो सामाजिक कार्यकर्ता जो पर्यावरण संरक्षण में रूचि रखते हो | सदस्य |

**इसी प्रकार ब्लाक स्तरीय समितियों के अध्यक्ष व संयोजक के अलावा निम्न सदस्य हैं–**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ब्लाक प्रमुख | अध्यक्ष |
| 2 | उप प्रभागीय वनाधिकारी | संयोजक |
| 3 | खण्ड विकास अधिकारी | सदस्य |
| 4 | मुख्यालय के सम्बन्धित थानों के थानाध्यक्ष | सदस्य |
| 5 | परगनाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी जो नायब तहसीलदार से कम न हो | सदस्य |
| 6 | ब्लाक प्रमुख द्वारा नामित दो ग्राम प्रधान | सदस्य |
| 7 | ब्लाक प्रमुख द्वारा नामित दो सामाजिक कार्यकर्ता जो पर्यावरण मे रूचि रखते हो | सदस्य |

जिला स्तरीय बैठकों में सभी सम्बन्धित विभागों के जिला/ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के दायित्व निश्चित किये गये हैं। विभाग के अन्तर्गत आने वाले कार्यक्षेत्र/भौगोलिक क्षेत्र में अग्निशमन का दायित्व सम्बन्धित विभाग का होगा। पुलिस विभाग/अग्निशमन की सहायता समय–समय पर आवश्कतानुसार वनाग्निशमन हेतु ली जायेगी।

**वन पंचायत/ग्राम पंचायत स्तर पर समिति का गठन–** वन पचांयत के स्तर पर प्रत्येक गांव में वनाग्नि अवरोधक समितियों के गठन का निर्णय लिया गया है। जिसका स्वरूप निम्नवत् होगा–

| | | |
|---|---|---|
| 1 | वन सरपंच/ग्राम प्रधान | अध्यक्ष |
| 2 | राजस्व उपनिरीक्षक | सदस्य |
| 3 | संबंधित क्षेत्र का वन दरोगा | संयोजक |
| 4 | संबंधित क्षेत्र का वन रक्षक | सदस्य |
| 5 | ग्राम विकास अधिकारी | सदस्य |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | उप प्रधान | सदस्य |
| 7 | महिला/युवक मंगल दल | सदस्य |

**उक्त समितियों के कार्य एवं दायित्व निम्नवत् हैं–**

1. जनपद में उपलब्ध संचार, यातायात प्रचार सामग्री व अन्य उपकरणों को चिन्हित करके आवश्यकतानुसार उपयोग किया जाना।
2. सिविल वनों में सुरक्षा हेतु वन विभाग के अतिरिक्त राजस्व विभाग एवं ग्राम प्रधानों की भूमिका तय करके उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करना।
3. लोक निर्माण विभाग की सड़कों को पक्का करते समय श्रमिकों को सर्तकता बरतने हेतु संबंधित विभाग के कर्मचारियों व श्रमिकों को प्रशिक्षित कर उनका सहयोग प्राप्त करना।
4. वनों में अग्नि दुर्घटना का अनुश्रवण किया जाना– वनों की अग्नि दुर्घटना से सुरक्षा के लिए अन्य ऐसी समस्त कार्यवाही करना जिसे समिति आवश्यक समझे।
5. अग्निशमन हेतु विशेष संसाधन उपलब्ध कराने के संबंध में शासन को रिपोर्ट प्रेषित करना–समिति द्वारा सामान्यतया माह अप्रैल से जून तक की अवधि में प्रत्येक माह कम से कम एक बैठक अवश्य की जायेगी विशेष परिस्थितियों में आपातकालीन बैठक का आयोजन भी किया जायेगा।

**आपदा की स्थिति में त्वरित कार्यवाही एंव प्रतिवादन हेतु विभागीय नोडल अधिकारियों का विवरण–**ापदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के तहत निम्न अधिकारियों को जनपद स्तर पर विभागीय नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जो भविष्य में आपदा प्रबन्धन हेतु विभागीय दायित्वों के प्रति उत्तरदायी व विभागीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना का निर्माण/पुर्ननिर्माण करेंगे–

| क्र.सं. | विभाग | नामित विभागीय नोडल अधिकारी |
|---|---|---|
| 2 | वन | प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग |
| 3 | विकास | मुख्य विकास अधिकारी |
| 4 | राजस्व | प्रभारी अधिकारी/सहायक राजस्व लेखाकार |
| 5 | स्वास्थ्य | मुख्य चिकित्साधिकारी |
| 6 | शिक्षा | मुख्य शिक्षा अधिकारी |
| 7 | परिवहन | सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी |
| 8 | पशुपालन | मुख्य पशु चिकित्साधिकारी |
| 9 | पूर्ति | जिला पूर्ति अधिकारी |
| 10 | विद्युत | अधिशासी अभियंता, पावर कॉरपोरेशन गोपेश्वर |
| 11 | लो0नि0वि0 | अधिशासी अभियन्ता,प्रा.ख.,लो0नि0वि0, गोपेश्वर |
| 12 | पी.एम.जी.एस.वाई | अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई, कर्णप्रयाग। |
| 13 | सिंचाई | अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, चमोली। |
| 14 | जल निगम | अधिशासी अभियंता, जल निगम गोपेश्वर। |
| 15 | जल संस्थान | अधिशासी अभियंता, जल संस्थान गोपेश्वर। |
| 16 | वैकल्पिक ऊर्जा | परियोजना अधिकारी, (उरेडा) |
| 17 | बैंकिग | लीड बैंक प्रबन्धक |
| 18 | दूरसंचार | एस.डी.ओ., बी0एस0एन0एल0 गोपेश्वर। |
| 19 | कृषि | मुख्य कृषि अधिकारी |
| 20 | सूचना | जिला सूचना अधिकारी |
| 21 | ग्राम पंचायत | जिला विकास अधिकारी/जिला पंचायतराज अधिकारी |
| 22 | समाज कल्याण | जिला समाज कल्याण अधिकारी |
| 23 | उद्यान | जिला उद्यान अधिकारी |
| 24 | पर्यटन | जिला पर्यटक विकास अधिकारी |
| 25 | नगर पालिका | अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गोपेश्वर। |
| 26 | ग्रामीण निर्माण | अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग |
| 27 | युवा कल्याण | युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी |

| | | |
|---|---|---|
| 28 | होमगार्ड | जिला कमाडेण्ट, होमगार्डस् |
| 29 | अग्निशमन | मुख्य अग्निशमन अधिकारी, गोपेश्वर |
| 30 | जिला पंचायत | अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत चमोली। |
| 31 | महिला शक्तिकरण एवं बाल विकास | जिला कार्यक्रम अधिकारी |

### 3.7 संकट प्रबन्धन समूह–

**(अ) उद्देश्य**–संकट प्रबंधन समूह का उद्देश्य है–

- आपदा की स्थिति में समन्वित एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना।
- राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों की निगरानी करना।
- विभिन्न विभागों, एजेंसियों एवं स्वयंसेवी संगठनों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना।
- निर्णय लेने, संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं सूचना के आदान–प्रदान के लिए एक केंद्रीय तंत्र उपलब्ध कराना।

**(ब) संकट प्रबंधन समूह की संरचना–**

| पदनाम | विभाग / संस्था | दायित्व |
|---|---|---|
| जिलाधिकारी, | जिला प्रशासन | समूह के अध्यक्ष, समस्त आपदा प्रबंधन गतिविधियों की निगरानी एवं दिशा–निर्देशन। |
| मुख्य विकास अधिकारी, | विकास विभाग | समन्वयक अधिकारी, राहत व पुनर्वास कार्यों का प्रबंधन। |
| अपर जिलाधिकारी | जिला प्रशासन | राहत वितरण एवं वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी। |
| मुख्य चिकित्सा अधिकारी | स्वास्थ्य विभाग | आपदा के दौरान चिकित्सा एवं एम्बुलेंस व्यवस्था, प्राथमिक उपचार दलों की तैनाती। |
| अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग | निर्माण एवं सड़क विभाग | क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों व भवनों की मरम्मत एवं यातायात बहाली। |
| अधिशासी अभियंता, जल संस्थान / जल निगम | पेयजल विभाग | स्वच्छ पेयजल आपूर्ति एवं टैंकर व्यवस्था। |
| जिला पूर्ति अधिकारी | खाद्य एवं आपूर्ति विभाग | राहत सामग्री, राशन एवं स्च्ळ की आपूर्ति सुनिश्चित करना। |
| जिला पंचायत राज अधिकारी | पंचायती राज विभाग | ग्राम स्तर पर राहत कार्यों में सहयोग। |
| जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा./माध्यमिक) | शिक्षा विभाग | विद्यालय भवनों को अस्थायी आश्रय स्थल के रूप में तैयार रखना। |
| अधिशासी अभियंता, विद्युत विभाग | विद्युत विभाग | बिजली आपूर्ति बहाल करना और सुरक्षित लाइन व्यवस्था। |
| जिला पुलिस अधीक्षक | पुलिस विभाग | सुरक्षा, यातायात नियंत्रण और भीड़ प्रबंधन। |
| अग्निशमन अधिकारी | अग्निशमन विभाग | आग लगने की घटनाओं में त्वरित प्रतिक्रिया। |
| जिला सूचना अधिकारी | सूचना विभाग | मीडिया समन्वय, प्रेस विज्ञप्ति और चेतावनी प्रसारण। |
| जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी (DDMO) | जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण | संचालन केंद्र का संचालन एवं रिपोर्टिंग। |
| मुख्य कृषि अधिकारी | कृषि विभाग | कृषि हानि का आकलन और मुआवजा प्रक्रिया। |
| मुख्य पशु चिकित्साधिकारी | पशुपालन विभाग | पशुधन हानि का मूल्यांकन व टीकाकरण। |
| प्रभागीय वनाधिकारी (DFO) | वन विभाग | पहाड़ी ढलानों, वृक्ष गिरने, वनों में आग आदि से संबंधित कार्रवाई। |
| एस.डी.आर.एफ. / एन.डी.आर.एफ. / डी.डी.आर.एफ प्रतिनिधि | राहत दल | बचाव एवं खोज कार्यों में प्रत्यक्ष सहायता। |
| एन.जी.ओ./रेडक्रॉस/सिविल डिफेंस प्रतिनिधि | सामाजिक संगठन | राहत वितरण, सामुदायिक सहायता। |

## (स) समूह की कार्यप्रणाली

1. पूर्व आपदा स्थिति में:
   - संवेदनशील स्थानों की पहचान, संसाधन सूची अद्यतन करना।
   - आपदा नियंत्रण कक्ष की कार्यशीलता की समीक्षा।
   - प्रशिक्षण एवं मॉक ड्रिल का आयोजन।
2. आपदा के दौरान:
   - चेतावनी प्राप्त होते ही त्वरित बैठक एवं कार्य आवंटन।
   - राहत एवं बचाव दलों की तैनाती।
   - संसाधनों का आवंटन और आवश्यक निर्णय लेना।
3. आपदा के बाद:
   - क्षति का त्वरित आकलन।
   - राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी।
   - रिपोर्ट तैयार कर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजना।

**3.8 आपदा त्वरित कार्यवाही दल (क्यू0आर0टी0)–** जनपद में आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में तत्काल खोज एवं बचाव हेतु तहसील स्तर पर त्वारित कार्यवाही दल (क्यू.आर.टी.) का गठन किया गया है जिसका मुख्य उदेश्य किसी घटना के घटित होने पर ससमय मौके पर मय उपकरणों एवं वाहन के साथ पहुॅच कर राहत एवं खोज बचाव कार्य हेतु समन्वय तथा वस्तुस्थिति से जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराना।

**3.9 तहसील स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति–**

जनपद की आपदाओं की प्रति संवेदनशीलता तथा विभीषिका के दृष्टिगत् विभिन्न आपदाओं से पूर्व किये जाने वाले न्यूनीकरण उपायों, रोकथाम, पूर्व तैयारी, आपदा के समय खोज व बचाव कार्यो, सूचना हस्तान्तरण व विभागीय समन्वयन किये जाने तथा आपदा के पश्चात तात्कालिक व दीर्घकालिक राहत कार्यो हेतु आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की सुंसगत प्राविधानों के अन्तर्गत सम्बन्धित उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद चमोली की समस्त तहसीलों में तहसील आपदा प्रबन्धन समिति का निम्नवत् गठन किया जाता हैः–

सचिव, आपदा प्रबन्धन एंव पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या–745/XVIII-B-1/2025- 13(5)/2007 दिनांक 18 जुलाई, 2025 के क्रम में तहसील स्तर पर Quick Responsc

Team (QRT) का गठन निम्नवत् किया गया है–

| | |
|---|---|
| 1 | उप जिलाधिकारी – अध्यक्ष। |
| 2 | खण्ड विकास अधिकारी – सदस्य। |
| 3 | प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – सदस्य। |
| 4 | पशु चिकित्साधिकारी, – सदस्य। |
| 5 | खण्ड शिक्षा अधिकारी – सदस्य। |
| 6 | उप कोषाधिकारी, कोषागार – सदस्य। |
| 7 | थानाध्यक्ष – सदस्य। |
| 8 | कनिष्ठ अभियन्ता, लो0नि0वि0 – सदस्य। |
| 9 | कनिष्ठ अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 – सदस्य। |
| 10 | कनिष्ठ अभियन्ता, सिचाई खण्ड – सदस्य। |
| 11 | कनिष्ठ अभियन्ता, जल सस्थान – सदस्य। |
| 12 | कनिष्ठ अभियन्ता, जल निगम – सदस्य। |
| 13 | कनिष्ठ अभियन्ता, यू0पी0सी0एल0 – सदस्य। |
| 14 | कनिष्ठ अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग – सदस्य। |
| 15 | वन क्षेत्राधिकारी – सदस्य। |
| 16 | ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक – सदस्य। |
| 17 | सहायक कृर्षि अधिकारी वर्ग–1 – सदस्य। |
| 18 | बाल विकास परियोजना अधिकारी – सदस्य। |
| 19 | पूर्ति निरीक्षक, – सदस्य। |

**उपरोक्त तहसील स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति, संबन्धित तहसीलों में निम्नांकित दायित्वों का निर्वहन करेंगी–**

1. तहसील स्तर पर आपदाओं के जोखिम एवं संवेदनशीलता का निर्धारण कर ब्लॉक स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना।
2. आपदा संभावित ग्राम में स्थानीय आपदा प्रबंधन समिति का गठन सुनिश्चित करना।
3. आपदा संभावित ग्राम में आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु मार्गदर्शन एवं समन्वयन प्रदान करना।
4. आपदा संभावित ग्राम में मॉक–ड्रिल का आयोजन करना।
5. आपदा के दौरान जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के मार्गदर्शन एवं स्थानीय आपदा प्रबंधन समितियों के समन्वयन में राहत एवं बचाव कार्यों का प्रबंधन करना।
6. यह सुनिश्चित करना कि रोकथाम, न्यूनीकरण और तैयारी की गतिविधियां जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुरूप हों।
7. ब्लॉक स्तर पर स्थानीय प्रशासन, स्वंयसेवी संस्थाओं, निजी संस्थाओं व स्वंयसेवकों के सहयोग से सामुदायिक प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम और आपातकालीन व्यवस्थाओं को स्थापित करना।
8. आपदा प्रबंधन संबंधी मुद्दों पर जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से समन्वय स्थापित करना।
9. आपातकालीन स्थितियों से जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराना।
10. नियोजन व विकास प्रक्रिया में समुदाय को संलग्न करना।
11. यह सुनिश्चित करना कि ब्लॉक स्तर पर नगरपालिका, नगर पंचायत एवं अन्य स्थानीय निकाय अपनी स्वंय की न्यूनीकरण रणनीतियां विकसित करें ।

## 3.10 तहसील में घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आई0आर0एस0)–

## तहसील स्तरीय INCIDENT RESPONSE SYSTEM

| क्र. सं. | आई0आर0एस0 प्रास्थिति | नामित अधिकारी | भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां |
|---|---|---|---|
| 1. | जिम्मेदार/उत्तरदायी अधिकारी (Responsible Officer, (RO) | जिलाधिकारी। | 1. समग्र प्रभारी।<br>2. आपातकालीन स्थिति में समयबद्ध रूप से संसाधनों को जुटाने के लिए विभिन्न विभागों व एजेंसियों को ससमय स्थायी आदेश जारी करना।<br>3. आवश्यकतानुसार मुख्यालय स्तर पर Incident Response System (IRS) को सक्रिय करना।<br>4. आवश्यकतानुसार सशस्त्र बलों, वायु सेना आदि से सहायता तथा अन्य संसाधन जुटाये जाने हेतु केन्द्र सरकार से समन्वय स्थापित करना। |
| 2. | घटना प्रभारी {Incident Commander(IC)} | अपर जिलाधिकारी। | 1. खोज एवं बचाव तथा राहत वितरण की रणनीतियों सहित तात्कालिक प्राथमिकताएं तय करना।<br>2. उच्चाधिकारियों के साथ जानकारी साझा करते हुए यथावश्यक अतिरिक्त संसाधनों की मांग करना।<br>3. घटना की नियंत्रण अवधि तथा व्यापकता को दृष्टिगत् रखते हुये समुचित Incident Response System (IRS) प्रणाली/संगठन स्थापित करना।<br>4. उपयुक्त स्थान पर Incident Command Post (ICP) को स्थापित करना और सम्बन्धित अधिकारियों को नामित करना।<br>5. यह सुनिश्चित करना कि Incident Action Plan (IAP) तैयार हो गया है।<br>6. Incident Action Plan (IAP) को अनुमोदित करना तथा कार्यान्वयन हेतु अधिकृत करना।<br>7. सभी अनुभाग प्रमुखों के साथ नियमित अंतराल में योजना बनाने हेतु बैठक का आयोजन सुनिश्चित करना।<br>8. मीडिया को सूचना निर्गत करने हेतु अधिकृत करना।<br>9. यथोचित समय पर Incident Response Team (IRT) को विघटित करने की संस्तुति करना।<br>10. Responsible Officer (RO) के मार्गदर्शन में घटना से सम्बन्धित सभी कार्यों को सुचारु रूप से क्रियान्वित करना। |
| 3. | उप घटना प्रभारी {Deputy Incident Commander(DIC)} | उप जिलाधिकारी,<br>**सहयोग–** विकासखण्ड अधिकारी। | 1. घटना कमाण्डर द्वारा सौंपे गए किसी भी प्रकार के कार्य/दायित्वों का संपादन।<br>2. स्थायी पदग्राही की अनुपस्थिति में घटना कमाण्डर के रूप में कार्य करेंगे। |
| 4. | सूचना एवं मीडिया अधिकारी {Information & Media officer(IMO)} | सहायक सूचना अधिकारी। | 1. घटना प्रभारी के अनुमोदन से घटना के संबंध मे सूचनाओं को तैयार करना एवं मीडिया एवं अन्य एजंसियों को सूचना उपलब्ध करवाना।<br>2. आकस्मिक आपदा की स्थिति में जब Incident Response Team (IRT) पूर्ण रूप से सक्रिय न हो, लिए गए निर्णयों एवं निर्गत दिशा–निर्देश को लिपिबद्ध करना एवं Incident Response Team (IRT) के सक्रिय होने पर Incident Action Plan (IAP) में सम्मिलित किए जाने हेतु प्लानिंग सेक्शन को उपलब्ध कराना।<br>3. घटना के सम्बन्ध में विभिन्न मीडिया रिपोर्टों का अनुश्रवण और समीक्षा करना जो घटना के संबंध में योजना बनाने में लाभकारी हों।<br>4. सभी सम्बन्धित पक्षों को आवश्यक जानकारी प्रसारित करना। |
| 5. | समन्वय अधिकारी | जिला विकास अधिकारी | 1. विभिन्न स्थानों पर सम्बन्धित रेखीय विभागों, |

| क्र. सं. | आई0आर0एस0 प्रास्थिति | नामित अधिकारी | भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां |
|---|---|---|---|
| | {(Liaison Officer(LO)} | **सहयोग–**, सहायक अभियन्ता और जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी। | एजेंसियों (गैर सरकारी संगठन) आदि के प्रतिनिधियों की सूची तैयार करना।<br>**2.** एन0डी0आर0एफ0, सशस्त्र बल और राज्य सरकार के रेखीय विभाग सहित सभी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।<br>**3.** सभी सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियों एवं उनके संसाधनो के पहुँचने की सूचना घटना प्रभारी Incident Commander (IC) के साथ साझा करना।<br>**4.** घटना प्रभारी Incident Commander (IC) के साथ सभी सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों के ब्रीफिंग सत्र आयोजित करने में सहायता करना।<br>**5.** प्रत्येक प्राधिकरण/एजेंसी द्वारा की गई विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का रिकार्ड बनाये रखना। |
| **6.** | सुरक्षा अधिकारी {(Safety Officer (SO)} | सम्बन्धित एसएचओ/एसओ (स्टेशन अधिकारी, पुलिस) **सहयोग–**अग्निशमन अधिकारी, वन और स्वास्थ्य विभाग। | **1.** प्रतिक्रिया कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित् करने और खतरनाक असुरक्षित स्थितियों से निपटने के लिए उपायों की सिफारिश करना तथा नियमित रूप से इसकी समीक्षा करना।<br>**2.** सुरक्षा पहलुओं के दृष्टिकोण से घटना कार्य योजना Incident Action Plan (IAP) की समीक्षा करना।<br>**3.** यथा आवश्यकता साइट सुरक्षा योजना की समीक्षा और स्वीकृति देना।<br>**4.** क्षमता विकास के लिए नियमित रूप से आपदा विशिष्ट मॉक ड्रिल आयोजित करना। |
| **7.** | नोडल अधिकारी, हेली सेवा {(Nodal Officer : N.O.(Air Operation)} | अपर जिलाधिकारी, **सहयोग–**तहसीलदार और जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी। | **1.** एयर ऑपरेशन के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकरण से समन्वय करना।<br>**2.** घटना कार्य योजना Incident Action Plan (IAP) के आधार पर आवश्यक एयर ऑपरेशन के प्रकार का अनुमान लगाना और कम से कम 24 घंटे पहले या यथाशीघ्र मांग प्रस्तुत करना।<br>**3.** घटना कमाण्डर Incident Commander (IC) और Operation Section Chief (OSC) को अपने–अपने क्षेत्रों में हवाई संचालन और लैंडिंग कार्यक्रमों के बारे में सूचित करना।<br>**4.** एयर ऑपरेशन में शामिल सभी एजेंसियों के पास घटना स्थलों से सम्बन्धित मानचित्रों की उपलब्धता सुनिश्चित् करना, ताकि एयर ऑपरेशन के लिए आवश्यक स्थानों के सटीक निर्देशांक (अक्षाशं/देशान्तर) आदि दिए जा सकें।<br>**5.** वायु सेना और राज्य प्राधिकारियों से समन्वय स्थापित कर हैलिपैड्स या हैलीबेस की उपयुक्ता का निर्धारण करना।<br>**6.** हवाई यातायात नियंत्रण और ग्राउंड सपोर्ट स्टॉफ के साथ हवाई संचालन और अन्य सम्बन्धित कार्यों के बारे में संवाद बनाए रखना।<br>**7.** आवश्यक ATF (Aviation Turbine Fuel) आदि की प्राप्ति में Incident Commander (IC) vkSj Logistics Section Chief (LSC) की सहायता करना।<br>**8.** हवाई संचालन गतिविधियों पर Responsible Officer (RO) को रिपोर्ट करना।<br>**9.** Responsible Officer (RO) और घटना प्रभारी Incident Officer (IC) द्वारा सौंपे गए अन्य किसी भी प्रकार के कार्य को पूरा करना। |
| **8.** | **परिचालन अनुभाग प्रमुख** {Operation Section | सम्बन्धित सी0ओ0 पुलिस। | **1.** घटना के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समस्त फील्ड ऑपरेशन का प्रबन्धन करना। |

| क्र. सं. | आई0आर0एस0 प्रास्थिति | नामित अधिकारी | भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां |
|---|---|---|---|
| | Chief (OSC)} | | **2.** संगठनात्मक अवयवों की तैनाती करना, सक्रिय करना, विस्तार व पर्यवेक्षण करना।<br>**3.** ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों की सूची का रख–रखाव करना।<br>**4.** प्रत्येक संचालन अवधि के प्रारम्भ में Operation Section (OS) के कार्मिकों को जानकारी देना।<br>**5.** यथावश्कता Incident Action Plan (IAP) के अनुसार अनुभाग परिचालन योजना तैयार करना।<br>**6.** समय–समय पर Incident Officer (IC) से परामर्श करना तथा उन्हें सम्पूर्ण जानकारी से अवगत कराना।<br>**7.** योजना अनुभाग प्रमुख की सहमति से अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता का निर्धारण करना, तद्नुसार मांग प्रस्तुत करना एवं उनकी आपूर्ति सुनिश्चित् करना।<br>**8.** सम्बन्धित प्राधिकारियों, इकाइयों और समूहों द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों का रिकार्ड सुनिश्चित् करना तथा उसे बनाए रखना। |
| | **क.** स्टेजिंग क्षेत्र प्रबन्धक {Staging Area Manager (SAM)} | सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग,<br>**सहयोग–** विकासखण्ड अधिकारी, जिला नोडल अधिकारी विद्युत विभाग, पशुचिकित्सक/विकासखण्ड अधिकारी। | **1.** यथोचित खाके के साथ स्टेजिंग एरिया Staging Area (SA) स्थापित करना।<br>**2.** प्राप्त संसाधनों के भण्डारण एवं प्रेषण को व्यवस्थित करना तथा Incident Action Plan (IAP) के अनुसार उनका प्रेषण करना।<br>**3.** सभी प्राप्तियों और प्रेषण की रिपोर्ट संचालन अनुभाग प्रमुख को देना व उनके रिकार्ड को बनाए रखना।<br>**4.** यथोचित (चेक–इन फंक्शन) स्थापित करना।<br>**5.** सुनिश्चित करना कि Incident Cammand Post (ICP) और अन्य आवश्यक स्थानों जैसे– विभिन्न स्टेजिंग एरियाए घटना बेस, कैम्प, राहत शिविर आदि के साथ संचार स्थापित हो गया है।<br>**6.** संसाधनों के उपलब्धता बनाये रखना तथा च्संददपदह ैमबजपवद ;च्द्ध और स्वहपेजपबे ैमबजपवद ;च्द्ध को संसाधनों की स्थिति प्रदान करना।<br>**7.** प्दबपकमदज ब्वउउंदकमत ;प्ब्द्ध के साथ परामर्शानुसार स्टेजिंग क्षेत्र को निष्क्रिय;डिमोबिलाइजद्ध करना । |
| | **ख.** बचाव एवं प्रतिक्रिया शाखा निदेशक {Rescue & Response Branch Director (RRBD)} | सम्बन्धित तहसीलदार,<br>**सहयोग–** एसडीआरएफ/अग्निशमन अधिकारी और वन एंव आपातकालीन विभाग। | **1.** Operation Section Chief (OSC) की पर्यवेक्षण में कार्य करना व सौंपी गई भूमिका के अनुसार Incident Action Plan (IAP) के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी रहेंगे।<br>**2.** Operation Section Chief (OSC) द्वारा अपेक्षित योजना बैठकों में प्रतिभाग करना।<br>**3.** अपनी शाखा के अन्तर्गत प्रभागों या समूहों के लिए निर्धारित कार्य सूचियों की समीक्षा करना।<br>**4.** प्रभाग और समूह प्रभारियों को विशिष्ट कार्य सौंपना।<br>**5.** शाखा कार्यों का पर्यवेक्षण करना।<br>**6.** अधीनस्थों द्वारा प्रस्तुत विवादों का समाधान करना।<br>**7.** Incident Action Plan (IAP) में यदि कोई संशोधन आवश्यक हो, अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता हो, अतिरिक्त संसाधनों की उपलब्धता और खतरनाक स्थितियों या महत्वपूर्ण घटनाओं के घटित होने आदि के सम्बन्ध में Operation Section Chief (OSC) को रिपोर्ट करना।<br>**8.** विभिन्न परिचालन क्षेत्रों में एकल संसाधन स्ट्राइक |

| क्र. सं. | आई0आर0एस0 प्रास्थिति | नामित अधिकारी | भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां |
|---|---|---|---|
| | | | टीम और टॉस्क फोर्स सहायता उपलब्ध करना।<br>**9.** सुनिश्चित् करना की सभी टीम लीडर अपने क्षेत्र संचालन से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों का रिकार्ड रखें और Operation Section Chief (OSC) को प्रेषित करें।<br>**10.** Operation Section Chief (OSC) द्वारा सौंपे गए अन्य कर्तव्यों का पालन करना। |
| | **ग.** परिवहन शाखा (सड़क, रेल, जल एवं वायु इकाई) निदेशक {Transport Branch (Road, Rail. Water & Air Unit) Director (TBD)} | निदेशक/अपर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन। | **1.** सड़क, रेल, जल और हवाई जैसे विभिन्न परिचालन समूहों को सक्रिय व प्रबन्धित करना।<br>**2.** आवश्यक संसाधनों के लिए Logistic Section (LS) के साथ समन्वय करना व अपनी शाखा के समूहों को सक्रिय करना।<br>**3.** संसाधनों/आवश्यकताओं की की तैनाती/ मांग के समय, आवश्यकतानुसार सहायता के लिए रेलवे, सड़क परिवहन, जलमार्ग और हवाई अड्डा प्राधिकारियों के साथ समन्वय करना।<br>**4.** सुनिश्चित् करना कि संगठनात्मक कार्य की सूची समूह–प्रभारियों और उनकी शाखा के अन्य उत्तरदाताओं के बीच परिचालित कर दी गई है।<br>**5.** हवाई संचालन के लिए जमीनी सहायता व उचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित् करना।<br>**6.** परिवहन शाखा की प्रगति के बारे में संचालन अनुभाग प्रमुख और घटना कमाण्डर को अवगत कराना।<br>**7.** यथावश्यकता Incident Action Plan (IAP) के अनुसार परिवहन योजना तैयार करना।<br>**8.** किराए में लिए गये संसाधनों के रख–रखाव की अद्यतन स्थिति सुनिश्चित करना एवं उनका पूर्ण उपयोग व यथासमय उनको अवमुक्त करना।<br>**9.** सुनिश्चित् करना कि विभिन्न परिचालन समूहों (सड़क, रेल, जल और वायु) द्वारा सम्पादित विभिन्न गतिविधियों के रिकार्ड को संकलित कर लिया गया है तथा सम्बन्धित अनुभाग को प्रेषित करना। |
| **9.** | **योजना अनुभाग प्रमुख** {Planning Section Chief (PSC)} | खण्ड विकास अधिकारी। | **1.** घटना कमाण्डर के परामर्श से Incident Action Plan (IAP) की योजना बनाने व उसको तैयार करने के लिये सक्रिय अनुभाग प्रमुखों के साथ समन्वय करना।<br>**2.** यह सुनिश्चित करना कि जब Planning Section (PS) सक्रिय नहीं हुआ हो, तो अचानक आपदाओं के दौरान लिए गए निर्णय और जारी किए गए निर्देश सूचना और मीडिया अधिकारी (कमांड स्टाफ) से प्राप्त किए जाएं और आईएपी में शामिल किए जाएं।<br>**3.** मौसम, पर्यावरणीय विषाक्तता, संसाधनों की उपलब्धता आदि के संबंध में सम्बन्धित विभागों व अन्य स्रोतों से सूचनाओं का संकलन, मूल्यांकन और सम्प्रेषण। संयुक्त सचिव (गृह) के पास उपलब्ध संसाधनों का उनके लोकेशन के साथ एक डाटा बैंक होना चाहिए, जहां से उन्हें गतिमान किया जा सके।<br>**4.** सुनिश्चित करना कि घटना स्थिति सारांश भरा गया है और Incident Action Plan (IAP) में सम्मिलित कर लिया गया है।<br>**5.** सुनिश्चित करना कि संगठनात्मक असाइनमेंट सूची (प्रभागीय/समूह) को इकाई के लीडर और उसके अनुभाग के अन्य उत्तरदाताओं के बीच प्रसारित की गयी है।<br>**6.** घटना कमाण्डर और संचालन अनुभाग प्रमुख के |

| क्र. सं. | आई0आर0एस0 प्रास्थिति | नामित अधिकारी | भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां |
|---|---|---|---|
| | | | परामर्श से Incident Response System (IRS) संगठनात्मक पदों को उचित रूप से सक्रिय और निष्क्रिय करने की योजना बनाना।<br>**7.** घटना प्रबन्धन के लिए किसी भी विशेष संसाधनों की आवश्यकता का निर्धारण करना।<br>**8.** घटना की सम्भावना पर आवधिक (Periodic) पूर्वानुमान प्रदान करना।<br>**9.** घटना की अवस्था में होने वाले किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में घटना कमाण्डर को सूचना देना।<br>**10.** घटना कमांड पोस्ट पर घटना स्थिति सारांश संकलित और प्रदर्शित करना।<br>**11.** घटना मोबिलाइजेशन योजना की तैयारी और कार्यान्वयन की देखरेख करना।<br>**12.** दिवस डयूटी अधिकारियों की सूची तैयार करना।<br>**13.** सुनिश्चित करना कि इकाइयों के सदस्यों द्वारा सम्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकार्ड एकत्रित व यूनिट लॉग में अनुरक्षित कर लिया गया है। |
| | **क.** परिस्थिति इकाई प्रमुख {Situation Unit Leader (SUL)} | खण्ड विकास अधिकारी,<br>**सहयोग–** जिला पंचायत राज अधिकारी और सम्बन्धित स्थानीय निकाय। | **1.** घटना से संबंधित समस्त जानकारियों को एकत्रित, संसाधित व व्यवस्थित करना।<br>**2.** घटना के विकास के आवधिक भविष्य के अनुमान तैयार करना (यदि आवश्यक हो तो मानचित्रों के साथ) तथा Planning Section Chief (PSC) और घटना प्रभारी Incident Commander (IC) को सूचित करना।<br>**3.** स्थिति और संसाधन स्टेटस रिपोर्ट तैयार करना और आवश्यकतानुसार प्रसारित करना।<br>**4.** यथावश्यकता प्रतिक्रियादाताओं को अधिकृत मानचित्र, फोटोग्राफिक सेवाएं प्रदान करना।<br>**5.** अपेक्षित जानकारी, डेटा, अभिलेख और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र आदि के साथ Incident Action Plan (IAP) की बैठक में प्रतिभाग करना।<br>**6.** निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकार्ड बनाना और सम्बन्धित अनुभाग को भेजना। |
| | **ख.** संसाधन इकाई प्रमुख {Resource Unit Leader (RUL)} | तहसीलदार। | **1.** घटना के समय सभी निर्दिष्ट संसाधनों (प्राथमिक और सहायक) को बनाए रखना व प्रदर्शित करना।<br>**2.** उपलब्ध सभी संसाधनों की एक पूर्ण सूची संकलित करना।<br>**3.** विभिन्न घटना स्थलों पर चेक–इन फंक्शन सुनिश्चित् और स्थापित करना।<br>**4.** योजना अनुभाग प्रमुख (पीएससी) और घटना कमांडर को समय–समय पर प्राप्त और प्रेषित संसाधनों की स्थिति के बारे में अद्यतन जानकारी देना।<br>**5.** आवंटित संसाधनों की स्थिति और उपयोग की जांच के लिए Operation Section (OS) की विभिन्न सक्रिय शाखाओं, प्रभागों और समूहों के साथ समन्वय करना।<br>**6.** निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाए रखना और संबन्धित अनुभाग को भेजना। |
| | **ग.** प्रलेखन इकाई प्रमुख {Documentation Unit Leader (DUL)} | खण्ड शिक्षा अधिकारी<br>**सहयोग–**तहसीलदार द्वारा नामित राजस्व अधिकारी। | **1.** सुनिश्चित करना कि सभी आवश्यक प्रपत्र और स्टेशनरी की खरीद कर ली गई है तथा सभी सक्रिय अनुभागों, शाखाओं, प्रभागों, समूहों और इकाइयों को प्रेषित कर दी गयी है।<br>**2.** घटना से संबंधित समस्त जानकारियों व रिपोर्टो को संकलित करना।<br>**3.** सटीकता और पूर्णता के लिए रिकॉर्ड और विभिन्न |

| क्र. सं. | आई0आर0एस0 प्रास्थिति | नामित अधिकारी | भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां |
|---|---|---|---|
| | | | Incident Response System (IRS) फर्मों की समीक्षा एवं सन्निरीक्षा ¼Scrutinise½ करना।<br>**4.** उचित इकाइयों को उनके दस्तावेजीकरण में त्रुटियों या चूक यदि कोई हो, के बारे में सूचित करना और सुनिश्चित करना कि त्रुटियों और चूक को संशोधित कर लिया गया है।<br>**5.** घटना उपरांत विश्लेषण के लिए पत्रावलियों को सही ढंग से संग्रहित करना।<br>**6.** सम्पादित की गयी विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाये रखना और संबंधित अनुभागों को भेजना। |
| | **घ.** वियोजन इकाई प्रमुख {Demobilization Unit Leader (DeUL)} | सीडीपीओ। | 1. घटना वियोजन (निष्क्रिय) योजना तैयार करना।<br>2. अधिशेष संसाधनों की पहचान करना और Planning Section Chief (PSC) के परामर्श से एक अस्थाई Incident Demobilization Plan (IDP) तैयार करना और अधिशेष संसाधनों को वियोजित (निष्क्रिय) करने को प्राथमिकता देना।<br>3. सभी अनुभागों के परामर्श से अनुभागों, शाखाओं, प्रभागों और इकाइयों के लिए घटना जांच कार्य विकसित करना और इसे Planning Section (PS) को भेजना।<br>4. Logistics Section (LS) के परामर्श से घटना वियोजन (निष्क्रिय) के लिए लॉजिस्टिक्स और परिवहन सहायता की योजना बनाना।<br>5. Incident Demobilization Plan (IDP) को उचित समय पर शामिल विभिन्न हितधारकों तक प्रसारित करना।<br>6. Demobilization की प्रगति के संबंध में Planning Section Chief (PSC) को अवगत कराना।<br>7. निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाना व संबंधित अनुभागों को प्रेषित करना। |
| **10.** | **लॉजिस्टिक इकाई प्रमुख** {Logistic Section Chief (LSC)} | सम्बन्धित एक्सईएन, लोक निर्माण, यूपीसीएल द्वारा नामित इक्सईएन विद्युत आपूर्ति अधिकारी, सहायक अभियंता जलसंस्थान, सहायक अभियता पेयजल निगम। | **1.** स्टेजिंग एरिया, घटना बेस, शिविर, राहत शिविर, हेलीपैड आदि की स्थापना सहित सभी घटना प्रतिक्रिया प्रयासों के लिए लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करना।<br>**2.** Incident Action Plan (IAP) के विकास और क्रियान्वयन में प्रतिभाग करना।<br>**3.** संबंधित वित्तीय मामलों के संबंध में Responsible Officer (RO) और Incident Commander (IC) को सूचित करना।<br>**4.** यह सुनिश्चित् करना कि संगठनात्मक कार्यभार सूची (प्रभागीय/समूह) शाखा निदेशकों और उनके अनुभाग के अन्य उत्तरदाताओं के मध्य प्रसारित कर दी गई है।<br>**5.** यथावश्यकता अग्रिम फण्ड के लिए अनुरोध किया जाना।<br>**6.** शाखा निदेशक और यूनिट लीडर को ब्रीफ करना।<br>**7.** स्थिति की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संचार योजना, चिकित्सा योजना और यातायात योजना की निरंतर समीक्षा करना।<br>**8.** अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता का आकलन करना और Responsible Officer (RO) तथा Incident Commander (IC) के परामर्श से उनकी अधिप्राप्ति के लिए आवश्यक कदम उठाना।<br>**9.** दिवस के लिए ऑन ड्यूटी अधिकारियों की सूची तैयार करना। |

| क्र. सं. | आई0आर0एस0 प्रास्थिति | नामित अधिकारी | भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां |
|---|---|---|---|
| | | | **10.** शाखाओं और इकाइयों के सदस्यों द्वारा संपादित की गई विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड एकत्र करना और इकाई लॉग में रखा जाना सुनिश्चित करना। |
| | **क सेवा शाखा निदेशक** {Service Branch Director (SBD)} | विकासखण्ड अधिकारी **सहयोग–** आपूर्ति निदेशक । | **1.** Logistic Section Chief (LSC) की देखरेख में कार्य करना और घटना प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक सेवा सहयोग का प्रबंध करना।<br>**2.** शाखा की विभिन्न इकाइयों यथा–संचार, चिकित्सा, खाद्य और किसी अन्य सक्रिय इकाइयों का प्रबन्ध व पर्यवेक्षण करना।<br>**3.** आवश्यक सामग्री और संसाधनों के लिए सक्रिय इकाई लीडर के साथ चर्चा करना व Logistic Section के माध्यम से इन्हें प्राप्त किया जाना।<br>**4.** Incident Action Plan (IAP) के अनुसार कार्मिकों, टीमों, संसाधनों आदि का उचित प्रेषण (डिस्पैच) किया जाना।<br>**5.** Logistic Section Chief (LSC) को समय–समय पर सेवा शाखा की प्रगति के बारे में सूचित करना।<br>**6.** निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाए रखना व संबंधित अनुभागों को प्रेषित करना। |
| | **i.** संचार इकाई प्रमुख {Communication Unit Leader(CUL)} | सम्बन्धित एस0टी0ओ0 या बीएसएनएल के वरिष्ठ अधिकारी। | **1.** Service Branch Director (SBD) के निर्देशन में कार्य करना।<br>**2.** यथावश्यकता संचार सुविधा प्रदान कराना।<br>**3.** सुनिश्चित करना कि उपलब्ध सभी संचार उपकरण व नेटवर्क क्रियाशील हैं।<br>**4.** क्षेत्र में तैनात सभी संचार उपकरणों का रिकॉर्ड रखना।<br>**5.** विभिन्न सक्रिय अनुभागों, शाखाओं, इकाइयों और उच्च अधिकारियों से रेडियो, टेलीफोन और अन्य संदेश प्राप्त करने और भेजने के लिए एक संदेश केंद्र की स्थापना सुनिश्चित करना तथा उनका रिकार्ड बनाए रखना।<br>**6.** सामान्य संचार नेटवर्क की संभावित विफलता की स्थिति में निष्पादन के लिए एक वैकल्पिक संचार योजना तैयार करना।<br>**7.** केंद्रीय टीमों के संचार ढांचे के एकीकरण के लिए एक योजना तैयार करना।<br>**8.** निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाए रखना। |
| | **ii.** चिकित्सा इकाई प्रमुख {Medical Unit Leader (MUL)} | चिकित्सा अधिकारी एंचार्ज / बीवीओ / पीएचसी / पशु चिकित्सालय । | **1.** Service Branch Director (SBD) के निदेशन में कार्य करना तथा Incident Action Plan (IAP) के अनुसार चिकित्सा योजना बनाना और आवश्यक संसाधनों की अधिप्राप्ति करना।<br>**2.** Service Branch Director (SBD) और Logistic Section Chief (LSC) को सूचित करते हुए चिकित्सा सहायता, परिवहन और चिकित्सा आपूर्ति आदि को लेकर Operation Section (OS) के अनुरोधों का प्रतिउत्तर (Respond) देना।<br>**3.** चिकित्सा कर्मियों की सूची बनाए रखना, जिन्हें जरूरत के समय Mobilize किया जा सके।<br>**4.** सभी चिकित्सा टीम लीडर्स को रेफरल सेवा केंद्रों की सूची तैयार कर वितरित करना।<br>**5.** निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाए |

| क्र. सं. | आई0आर0एस0 प्रास्थिति | नामित अधिकारी | भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां |
|---|---|---|---|
| | | | रखना और Service Branch Director (SBD) को भेजना। |
| | **iii.** खाद्य इकाई प्रमुख {Food Unit Leader(FUL)} | विकास खण्ड अधिकारी / आपूर्ति निरीक्षक। | **1.** Service Branch Director (SBD) के निर्देशन में कार्य करना।<br>**2.** भोजन की आपूर्ति करनाः :–<br>**(क)** Incident Cammand Post (ICP), शिविरों, घटना बेस, Stanging Area(SA) आदि में Incident Response Team (IRT) के कार्मिक और<br>**(ख)** अस्थायी आश्रयों, राहत शिविरों आदि में पीड़ितों को।<br>**3.** भोजन और पेयजल की आवश्यकताओं और उनके परिवहन का निर्धारण करना, तथा Service Branch Director (SBD) एवं Logistic Section Chief (LSC) को सूचित करना।<br>**4.** संसाधनों की प्राप्ति और प्रेषण की एक सूची बनाना।<br>**5.** निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाना तथा Service Branch Director (SBD) को भेजना। |
| | **ख. सहयोग शाखा निदेशक** {Support Branch Director(SuBD)} | खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं सहायक अभियंता सिंचाई । | **1.** Logistic Section Chief (LSC) के पर्यवेक्षण में कार्य करना, और संसाधन प्रावधान इकाई, सुविधा इकाई और ग्राउंड सपोर्ट इकाई के कार्यों का पर्यवेक्षण करना।<br>**2.** अनुभाग प्रमुख की सहमति से परिचालन के लिए रणनीतिक उपकरणों व संसाधनों की अधिप्राप्ति व प्रेषण करना।<br>**3.** Logistics Section(LS) की योजना बैठक में प्रतिभाग करना।<br>**4.** सुनिश्चित् करना कि शाखा से संबंधित संगठनात्मक कार्यभार सूची उसके अधीन समस्त इकाइयों में प्रसारित कर दी गयी है।<br>**5.** कार्य की प्रगति के संबंध में Logistics Section Chief (LSC) को सूचित करना।<br>**6.** संपादित किए गए विभिन्न कार्यों का रिकॉर्ड बनाए रखना और संबन्धित अनुभाग को प्रेषित करना। |
| | **i.** संसाधन प्रावधानीकरण इकाई प्रमुख {Resource Provisioning Unit Leader (RPUL)} | कनिष्ठ अभियंता, लोक निर्माण विभाग / सीडीपीओ। | **1.** Support Branch Director (SuBD) के पर्यवेक्षण में कार्य करना।<br>**2.** कर्मचारियों, उपकरणों और आपूर्ति की आवाजाही को व्यवस्थित रखना।<br>**3.** घटना की प्रतिक्रिया के लिए अपेक्षित सभी आपूर्तियों को प्राप्त करना व सुरक्षित रखना।<br>**4.** आपूर्ति और उपकरणों की सूची बनाए रखना।<br>**5.** उपकरण और कार्मिकों सहित आपूर्ति, की प्राप्ति और प्रेषण का रिकॉर्ड बनाना।<br>**6.** गैर–विस्तारीय आपूर्ति और उपकरणों की मरम्मत और सर्विसिंग की व्यवस्था करना।<br>**7.** Logistics Section की योजना बैठक में भाग लेना।<br>**8.** उपलब्ध और प्रेषित गई आपूर्ति के 'प्रकार', और 'मात्रा' की निगरानी करना।<br>**9.** यथावश्यकता अतिरिक्त मानव संसाधन सहायता की मांग करना।<br>**10.** निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकार्ड रखना तथा सर्विस ब्रांच निदेशक को भेजना। |
| | **ii.** सुविधा इकाई प्रमुख {Facilities Unit Leader (FaUL)} | सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग / सम्बन्धित बीईओ। | **1.** घटना सुविधाओं जैसे, घटना शिविर, राहत शिविर, आईसीपी, आदि, का लेआउट और सक्रियण तैयार करना और प्रतिक्रियादाताओं को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना। |

| क्र. सं. | आई0आर0एस0 प्रास्थिति | नामित अधिकारी | भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां |
|---|---|---|---|
| | | | **2.** सहयोग शाखा निदेशक को रिपोर्ट करना।<br>**3.** Incident Action Plan (IAP) के अनुसार विभिन्न सुविधाओं को चिन्हित करना।<br>**4.** अनुभाग की योजना बैठक में प्रतिभाग करना, Logistics Section Chief (LSC) के समन्वय से प्रत्येक सुविधा और उसकी आवश्यकताओं की सूची तैयार करना।<br>**5.** Incident Response System (IRS) के अनुसार निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाए रखना व सहयोग BD को भेजना। |
| | **iii.** ग्राउंड सपोर्ट इकाई प्रमुख {Ground Support Unit Leader (GSUL)} | सम्बन्धित एसडीओ वन/ एडीओ पंचायत । | **1.** Support Branch Director (SuBD) के पर्यवेक्षण में कार्य करना।<br>**2.** Transport Branch (Road, Rail. Water & Air Unit) Director (TBD) को फील्ड संचालन के लिए परिवहन सेवाएं प्रदान करना।<br>**3.** यदि हवाई परिचालन सक्रिय है, तो Transport Branch (Road, Rail. Water & Air Unit) Director (TBD) के माध्यम से आवश्यक जमीनी समर्थन (ग्राउंड सपोर्ट) की व्यवस्था करना और मुहैया कराना।<br>**4.** घटना प्रबंधन के लिए उपयोग किए गए सभी वाहनों और संबन्धित उपकरणों के लिए रख–रखाव और मरम्मत सेवाएं प्रदान करना।<br>**5.** घटना यातायात योजना का विकास और कार्यान्वयन करना।<br>**6.** सभी वाहनों और उपकरणों की उपलब्धता और सेवाक्षमता (Service Ability) के बारे में संसाधन इकाई को सूचित करना।<br>**7.** Service Branch Director (SBD) के परामर्श से विमान सहित सभी अन्य परिवहन के लिए ईंधन आवश्यकताओं की व्यवस्था करना तथा उनको सक्रिय करना।<br>**8.** आवंटित, उपलब्ध, ऑफ रोड या सेवा से बाहर संसाधनों की सूची बनाना।<br>**9.** अपने अधिकार क्षेत्र में सुरक्षा उपाय सुनिश्चित् करना।<br>**10.** Incident Response System के अनुसार निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाए रखना और Service Branch Director (SBD) को प्रेषित करना। |
| | **ग. वित्त शाखा निदेशक** {Finance Branch Director (FBD)} | सम्बन्धित कोषाधिकारी/ उप–कोषाधिकारी। | **1.** Logistics Section Chief (LSC) के अधीन कार्य करना।<br>**2.** योजना बैठकों में भाग लेना।<br>**3.** Incident Action Plan (IAP) के अनुसार Mobilize किये जाने, खरीदे जाने या किराये पर लिए जाने वाले संसाधनों की सूची तैयार करना।<br>**4.** वित्तीय नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के आदेश प्राप्त करना और बिना देरी किए उनकी अधिप्राप्ति (Procurement) के लिए आवश्यक कदम उठाना।<br>**5.** किराये पर लिए गये उपकरणों, कर्मियों और उनकी सेवाओं का समयावधि के साथ सरकारी मानदण्ड के अनुसार भुगतान हेतु रिकार्ड रखना।<br>**6.** डेमोबिलाइजेशन सहित सम्पूर्ण प्रतिक्रिया गतिविधियों की लागत की जांच एवं संवीक्षण करना, लागत प्रभावशीलता का विश्लेषण करना तथा Logistics Section Chief (LSC) को सूचित करना। |

| क्र. सं. | आई0आर0एस0 प्रास्थिति | नामित अधिकारी | भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां |
|---|---|---|---|
| | | | **7.** सुनिश्चित करना कि घटना के समय शुरू किए गए सभी दायित्व दस्तावेज उचित रूप से तैयार, पूर्ण हैं तथा उपयुक्त Section Chief (SC) और Branch Director (BD) द्वारा सत्यापित और हस्ताक्षरित हैं।<br>**8.** घटना से संबंधित सभी वित्तीय मुद्दों पर Logistics Section Chief (LSC) या Incident Commander (IC) को ब्रीफ करना जिन पर ध्यान देने या अनुवर्ती कार्यवाही की आवश्यकता हो।<br>**9.** Incident Response System (IRS) के अनुसार निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाना और संम्बन्धित अनुभागों को भेजना। |
| | **i.** समय, अधिप्राप्ति, लागत इकाई प्रमुख {Time, Procurement & Cost Unit Leader(TPCUL)} | संबंधित आरके (रजिस्ट्रार कानूनगो) | **1.** किराये पर लिए गए उपकरणों और कर्मियों की समय अवधि के साथ रिकॉर्ड रखना और सुनिश्चित् करना कि इसे दैनिक आधार पर सरकारी मानदंडों के अनुसार बनाया गया है।<br>**2.** सभी किराये के उपकरणों और कर्मियों के सर्वोत्तम उपयोग के सम्बन्ध में उनके लॉग की जांच करना।<br>**3.** विक्रेताओं और अनुबंधों से सम्बन्धित सभी वित्तीय मामलों पर ध्यान देना।<br>**4.** Finance Branch Director (FBD) के परामर्श से अधिप्राप्ति आवश्यकताओं की समीक्षा करना।<br>**5.** उचित प्रक्रियाओं के पालन के साथ उन विक्रेताओं की सूची तैयार करना जिनसे खरीद की जा सकती है।<br>**6.** प्रतिक्रिया प्रबंधन से संबंधित सभी बिलों का अंतिम प्रसंस्करण करना और Finance Branch Director (FBD), Logistics Section Chief (LSC), Incident Commander (IC) के अनुमोदन से भुगतान के लिए दस्तावेज भेजना।<br>**7.** बकाया मुद्दों और अनुवर्ती आवश्यताओं पर सिफारिशों के साथ वर्तमान समस्याओं पर Finance Branch Director (FBD) को ब्रीफ करना।<br>**8.** लागत विश्लेषण रिपोर्ट (Cost Analysis Report) के आधार पर Finance Branch Director (FBD) के परामर्श से घटना लागत सारांश विकसित करना।<br>**9.** Finance Branch Director (FBD) को लागत बचत की सिफारिशें करना। |
| | **ii.** मुआवजा/दावा इकाई प्रमुख {Compensation/Claim Unit Leader(CCUL)} | सम्बन्धित तहसीलदार। | **1.** सभी लागत डेटा एकत्र करना और लागत अनुमान प्रदान करना।<br>**2.** मांग की सही तिथि और समय के साथ अपेक्षित परिसर, सेवाओं, संसाधनों और वाहनों आदि की एक सूची तैयार करना और बनाए रखना।<br>**3.** दावों और मुआवजे के भुगतान के लिए उचित प्रक्रियाओं का पालन करना।<br>**4.** Incident Response System (IRS) के अनुसार निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाना तथा उसे Finance Branch Director (FBD) को भेजना। |

**3.11 तहसील स्तरीय त्वरित कार्यवाही दल–** जनपद की आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता तथा विभीषिका के दृष्टिगत् विभिन्न आपदाओं के दौरान खोज व बचाव कार्यो, सूचना हस्तान्तरण व विभागीय समन्वयन किये जाने तथा आपदा के पश्चात तात्कालिक व दीर्घकालिक राहत कार्यो हेतु आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की सुंसगत प्राविधानों के अन्तर्गत तहसील स्तर पर त्वरित कार्यवाही दल (Quick Response

Team (QRT) का निम्न प्रकार से गठन किया जाता हैः–

| | |
|---|---|
| नोडल अधिकारी | सम्बन्धित उप जिलाधिकारी |
| सहायक नोडल अधिकारी | सम्बन्धित तहसीलदार |
| सदस्य | सम्बन्धित थानाध्यक्ष |
| सदस्य | सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी |
| सदस्य | सम्बन्धित प्रभारी चिकित्साधिकारी |
| सदस्य | सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक |

## 3.12 ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति–

जनपद की आपदाओं की प्रति संवेदनशीलता तथा विभीषिका के दृष्टिगत् आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की सुंसगत प्राविधानों के अन्तर्गत विभिन्न आपदाओं से पूर्व किये गये जाने वाले न्यूनीकरण उपायों, रोकथाम, पूर्व तैयारी, आपदा के समय खोज व बचाव कार्यो, सूचना हस्तान्तरण, ग्राम स्तर पर आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनाओं का निर्माण किये जाने, ग्राम स्तर पर खोज व बचाव दलों को गठित किये जाने हेतु प्रत्येक ग्राम स्तर पर ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है–

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत | अध्यक्ष |
| 2 | राजस्व उपनिरीक्षक | सह–अध्यक्ष |
| 3 | ग्राम विकास अधिकारी | सदस्य |
| 4 | प्रधानाचार्य, प्रा.वि./उ.प्रा.वि./जू.हा./इण्टर कालेज | सदस्य |
| 5 | अध्यक्ष, महिला स्वंय सहायता समूह/महिला मं. दल/यु.मं. दल | सदस्य |
| 6 | सरपंच वन पंचायत | सदस्य |
| 7 | आंगनबाड़ी कार्यकर्ती | सदस्य |
| 8 | ए.एन.एम./आशा कार्यकर्ती | सदस्य |
| 9 | ग्राम प्रहरी | सदस्य |
| 10 | ग्राम स्तरीय स्वंय सेवी संगठनों के प्रतिनिधि/भूतपूर्व सैनिक | सदस्य |

ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन समितियॉ आवश्यकतानुसार बैठक करेंगी तथा गांव की आपदाओं के प्रति खतरों को चिन्हित कर, खतरों से निपटने हेतु ग्राम स्तर पर उपलब्ध संसाधनों को चिन्हित करेगी। यह समिति गांव की आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनायें तैयार कर तहसील कार्यालय में उपलब्ध करायेंगी। ग्राम स्तर पर युवाओं को शामिल करते हुये खोज व बचाव दलों का गठन करेगी। किसी भी आपदा से पूर्व आपदा पूर्व तैयारी के अर्न्तगत गांव को आपदाओं से बचाने हेतु आवश्यक उपाय करेगी तथा आपदा के समय खोज व बचाव तथा आपदा पश्चात राहत व पुर्नवास कार्यो में प्रशासन को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। यह समिति आपदा के पश्चात ग्राम स्तर पर हुयी क्षति का आंकलन करेगी तथा राजस्व उपनिरीक्षक के माध्यम से क्षति की सूचना तहसील स्तर पर उपलब्ध करायेगी। यह समिति किसी भी आपदा की सूचना सम्बन्धित तहसील अथवा जिला आपातकालीन परिचलान केन्द्र को देगी तथा राहत व बचाव दलों को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। उक्त दल के साथ संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भी आपदा के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से निम्न कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित करेंगे :–

- ग्राम स्तरीय क्षति आंकलन।
- तहसील मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय को सूचनाओं का प्रेषण।
- अवस्थापना संबंधी यथा–बिजली, पानी, सड़क, पुल, राजकीय सम्पत्ति की क्षति की प्राथमिक सूचना।

# अध्याय – 4 रोकथाम और शमन उपाय/आपदा जोखिम न्यूनीकरण
## (Prevention and Mitigation Measures)

**4.1– आपदा जोखिम न्यूनीकरण का तात्पर्य–** आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 (2) (V) तथा धारा 32 (क) (I) में अधिकथित प्रावधानों अनुसार, जनपद में विद्यमान खतरों तथा संभावित आपदाओं के जोखिम न्यूनीकरण हेतु योजनाबद्ध तरीके से आपदा प्रबंधन के प्रत्येक हितग्राहियों द्वारा कार्य किया जाएगा। योजना मे आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा शमन कार्यो का तात्पर्य, अध्याय 2 में चिन्हित खतरों को गैर संरचनात्मक तथा संरचनात्मक उपायों द्वारा समाप्त करना अथवा उनके प्रभाव को न्यून करना है।

सैन्डाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत वैश्विक स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु वर्ष 2030 तक प्राप्त करने हेतु 04 विशिष्ट प्राथमिकताऐं तय की गई हैं:–

- आपदा जोखिम के बारे में समझदारी विकसित करना।
- आपदा जोखिम प्रबधन हेतु प्रशासकीय तंत्र का क्षमता वृद्धि।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में निवेश।
- प्रभावी आपदा प्रतिक्रिया, पुनःस्थापन, पुनर्निर्माण हेतु पूर्व तैयारी कार्यों को बढावा देना ।

**4.1.2– आपदा जोखिम को न्यूनीकरण उपाय–**

- राष्ट्रीय/राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी सुझाव/निर्देश/गाइड लाइन का जनपद में प्रभावी अनुपालन एवं अनुश्रवण हेतु स्थायी कार्यालीन व्यवस्था–आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु राष्ट्रीय/राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा केंद्र एवं राज्य द्वारा समय समय पर जारी किए गए सुझावों तथा गाइड लाइन पर कार्यवाही एवं अनुश्रवण सुनिश्चित कराने हेतु जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विकसित जनपद आपदा प्रबंधन कार्ययोजना का विकास एंव अद्यतन करना।
- विभागों द्वारा संचालित योजनाओं को जनपद के आपदा जोखिम मानकों के अनुरूप विकसित करना।
- जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा विभागीय योजनाओं का खतरों के परिप्रेक्ष्य मे जिले के संभावित आपदाओं के जोखिम न्यूनीकरण में भूमिका को चिन्हित करते हुए महत्वपूर्ण कार्यों की प्राथमिकता तथा समय सीमा तय करना।
- विभागीय योजनाओं के आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु एकीकरण के लिए लगातार मॉनिट्रिंग एवं विशेषज्ञ सुझाव प्रदान करने हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 के प्रावधानों के अंतर्गत जिला प्राधिकरण द्वारा अनुपालन सुंनिष्चित करवाना।

**4.2– खतरे के लिये विशिष्ट रोकथाम और न्यूनीकरण शमन उपाय–**

**4.2.1– संरचनात्मक उपायों–** जनपद के संभावित आपदाओं को न्यून अथवा समाप्त करने हेतु लघु तथा दीर्घ अवधि की संरचना निर्माण से संबन्धित विकास परियोजनाओं को संचालित कर संभावित आपदा से होने वाले आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय क्षति को कम करने की योजना तथा

वर्तमान में संचालित परियोजनाओं को जनपद में संभावित आपदाओं के जोखिम न्यूनीकरण तथा शमन की दृष्टि से अनुकूल बनाया जाना शामिल है।

**4.2.2– गैर संरचनात्मक उपायों–** के अंतर्गत आपदाओं के जोखिम न्यूनीकरण हेतु राष्ट्रीय/राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अधिकथित नीतिगत निर्णयों को समुदाय स्तर पर लागू करने हेतु आवश्यक कदम उठाना, आपदा प्रबंधन से संबन्धित समस्त नियमों/सुरक्षा कोड का कड़ाई से पालन करने हेतु आवश्यक अनुश्रवण विधि स्थापित करना, विभाग स्तरीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना, आपदा प्रबंधन कार्यों में संलग्न शासकीय एवं गैर शासकीय अमले एवं संस्थाओं का प्रशिक्षण एवं शिक्षा के माध्यम से क्षमता वृद्धि एवं प्रचार–प्रसार एवं अन्य साधनों से जन जागरूकता शामिल है।

### 4.3– राज्य व केंद्र सरकार के विभाग तथा स्थानीय निकायों का विभागीय आपदा प्रबंधन योजना (Departmental Disaster Management Plan)

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 (XVII) तथा धारा 32 के अंतर्गत जनपद के सभी शासकीय विभाग, जनपद स्थित केंद्र शासन के विभाग तथा स्थानीय निकायों द्वारा प्रतिक्रिया योजना सहित विभागीय व जनपद स्तरीय आपदा प्रबंधन कार्ययोजना तैयार करना। अधिनियम अनुसार इस योजना के अंतर्गत निम्नांकित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी :–

- जनपद आपदा प्रबंधन योजना में प्रस्तावित आपदा निरोधी एवं शमन उपायों, क्षमतावृद्धि एवं पूर्व तैयारी कार्यों को विभागीय स्तर पर पूर्ण करने हेतु विभागीय बजट में प्राविधान तथा कार्ययोजना।
- विभाग के कार्यक्षेत्र से संबन्धित जिले में आकस्मिक स्थितियों का विवरण।
- आकस्मिक स्थिति प्रतिक्रिया योजना।
- आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु विभाग के पास उपलब्ध मानव संसाधन, उपकरण एवं अधोसंरचना का विवरण।
- आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु विभाग द्वारा गठित टीमों का विवरण एवं संपर्क नम्बर।
- आकस्मिक कार्यों को सम्पन्न करने हेतु विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- विभाग के नियंत्रण की जानकारी रखना।
- अन्य विभागों/संस्थाओं आदि से आपदा प्रबंधन कार्यों हेतु समन्वय कर योजना विकसित करना।

**4.4 राज्य के नियंत्रणाधीन समस्त अस्पतालों की आपदा प्रबंधन योजना–** NDMA द्वारा जारी Guidelines on Management of Hospital Safety 2016 में सुझावित प्रारूप अनुसार जनपद प्रशासन के नियंत्रण मे कार्यरत समस्त चिकित्सालयों द्वारा अस्पताल आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना तथा निर्धारित सुरक्षा उपायों को जनपद के समस्त अस्पतालों में लागू करने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करना।

मुख्य चिकित्साधिकारी एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा अपने नियंत्रण मे कार्यरत समस्त चिकित्सायों के आपदा प्रबंधन योजना को अद्यतन रखने तथा योजना अनुसार पूर्व तैयारी, शमन एवं राहत बचाव से संबन्धित कार्यवाहियॉ सुनिश्चित करने हेतु अवगत कराना।

## 4.5 सामुदायिक भागीदारी और क्षमता निर्माण–

**भूमिका–** आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी आपदा की स्थिति में प्रथम प्रत्युत्तर (First Responder) के रूप में स्थानीय नागरिक ही सबसे पहले सक्रिय होते हैं। जनपद चमोली का भौगोलिक स्वरूप– पर्वतीय, सीमांत एवं दुर्गम होने के कारण – यहाँ समुदाय की सहभागिता और क्षमता विकास आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अत्यावश्यक है।

**सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता**– चमोली के कई गाँव दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हैं, जहाँ आपदा के समय त्वरित बाहरी सहायता पहुँचना कठिन होता है। स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित नागरिक, स्वयंसेवी संगठन, महिला समूह और युवक मंगल दल आपदा के दौरान राहत एवं बचाव में अहम भूमिका निभाते हैं। सामुदायिक भागीदारी से स्थानीय स्तर पर जोखिम की पहचान, चेतावनी प्रसारण, निकासी योजना तथा सुरक्षित आश्रय प्रबंधन प्रभावी रूप से संचालित किया जा सकता है।

**क्षमता निर्माण की रणनीति–** जनपद चमोली में विभिन्न स्तरों पर समुदाय की क्षमता बढ़ाने हेतु निम्न रणनीतियाँ अपनाई जा रही हैं–

- **प्रशिक्षण एवं अभ्यास**– प्रत्येक ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
- राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, वन, लोक निर्माण, बिजली विभाग, एवं स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से मॉक ड्रिल (Mock Drills) का आयोजन किया जाता है।
- विद्यालयों में स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम (School Safety Programme) के अंतर्गत विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को भूकंप, अग्निकांड, एवं भूस्खलन से सुरक्षा के उपाय सिखाए जाते हैं।
- सामुदायिक आपदा प्रबंधन समितियाँ (Community Disaster Management Committees)
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम आपदा प्रबंधन समिति (VDMC) गठित की गई है।
- इन समितियों में प्रधान, आंगनवाड़ी कार्यकत्री, आशा, युवक मंगल दल/महिला मंगल दल एवं स्थानीय शिक्षक शामिल हैं।
- समिति का कार्य है कृ स्थानीय जोखिम का आकलन, संसाधनों की सूची बनाना, प्राथमिक चेतावनी प्रसार एवं राहत समन्वय।

**स्वयंसेवी संगठन एवं एनजीओ की भूमिका (Role of NGOs and Volunteers)–**जनपद में सक्रिय स्वयंसेवी संगठन जैसे रेडक्रॉस सोसायटी, एन.एस.एस., एन.सी.सी., युवक मंगल दल, महिला समूह आदि को आपदा पूर्व तैयारी में जोड़ा जा रहा है। ये संगठन जागरूकता रैली, प्रशिक्षण कार्यक्रम, रक्तदान शिविर, एवं राहत वितरण कार्यों में सहयोग करते हैं।

**महिला एवं युवाओं की भागीदारी (Women and Youth Participation)–** महिलाओं को आपदा से पूर्व तैयारी, प्राथमिक उपचार, परिवार की सुरक्षा एवं संसाधन प्रबंधन में प्रशिक्षित किया जा रहा है। युवाओं को आपदा स्वयंसेवक (Community Volunteers) के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वे आपदा के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया दे सकें।

सूचना, शिक्षा एवं संचार (**Information, Education and Communication–IEC**)**–** आपदा जागरूकता हेतु पोस्टर, पम्पलेट, दीवार लेखन, रेडियो कार्यक्रम, ग्राम सभाओं के माध्यम से प्म्ब

अभियान चलाए जा रहे हैं। "आपदा सुरक्षा सप्ताह" एवं "मॉक ड्रिल दिवस" के आयोजन से जनता में चेतना एवं आत्मविश्वास बढ़ाया जा रहा है।

**भविष्य की कार्ययोजना (Future Action Plan)**

- प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन कोष (Local Disaster Fund) स्थापित किया जाएगा।
- स्कूल, अस्पताल, बाजार एवं धार्मिक स्थलों को सामुदायिक आश्रय स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।
- सामुदायिक रेडियो एवं मोबाइल चेतावनी प्रणाली को सशक्त किया जाएगा।
- सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्रों **(Community Training Centres)** की स्थापना हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।
- महिला मंगल दलों एवं युवक दलों को आपदा प्रबंधन उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा।

**निष्कर्ष (Conclusion)**– सामुदायिक भागीदारी और क्षमता निर्माण जनपद चमोली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण की रीढ़ (backbone) है। यदि समुदाय सशक्त, प्रशिक्षित और सजग होगा, तो किसी भी आपदा के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सकता है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि प्रत्येक नागरिक "आपदा जागरूक, सक्षम और उत्तरदायी" बने।

**4.6 समस्त विद्यालयों का विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना एवं विद्यालय सुरक्षा से संबन्धित कार्य–** NDMA द्वारा जारी School Safety Policy 2016 में सुझावित प्रारूप अनुसार समस्त विद्यालयों द्वारा विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना तथा पॉलिसी के अंतर्गत निर्धारित सुरक्षा उपायों को जनपद के समस्त विद्यालयों में लागू करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त कर जन जागरूकता, प्रशिक्षण तथा मॉक ड्रिल का आयोजन एवं अन्य संरचनात्मक तथा गैर संरचनात्मक कार्य सुनिश्चित करना।

**4.7 समस्त व्यवसायी भवनों, मॉल, सिनेमा हाल, थियेटर, स्टेडियम आदि का अग्निशमन एवं निकासी योजना (**Fire Exit and Evacuation Plan**)–** जिला विकास प्राधिकरण में दिये गए प्रावधानों के अंतर्गत जिले के समस्त व्यवसायिक भवनों, मॉल, सिनेमा हाल, थियेटर, स्टेडियम आदि का फायर निकासी योजना बनाया जाना तथा इस योजना अनुसार निश्चित समयावधि मे पूर्व तैयारी एवं समय–समय पर माक ड्रिल का कराया जाना सुनिश्चित किया जाना।

**4.8 नीति और शासन (**Policy and Governance – Chamoli)

**भूमिका–** आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में नीति एवं शासन तंत्र (Policy and Governance Framework) का उद्देश्य है– जनपद स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction–DRR), तैयारी (Preparedness), प्रतिक्रिया (Response) तथा पुनर्वास (Recovery) से संबंधित सभी गतिविधियों को संगठित, समन्वित एवं संस्थागत रूप देना। जनपद चमोली में यह प्रणाली राज्य व केंद्र सरकार की नीतियों के अनुरूप संचालित की जाती है।

**विधिक एवं नीतिगत ढाँचा (Legal and Policy Framework)–** जनपद चमोली में आपदा प्रबंधन संबंधी गतिविधियाँ निम्न प्रमुख नीतिगत एवं विधिक प्रावधानों के अंतर्गत संचालित की जाती हैं –

1. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (Disaster Management Act, 2005)
2. उत्तरांचल आपदा न्यूनीकरण, प्रबन्धन तथा निवारण अधिनियम, 2005
3. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति, 2009

4. सेंडाई फ्रेमवर्क (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, 2015–2030)
5. भारत सरकार की आपदा प्रबंधन दिशा–निर्देश (NDMA Guidelines)
6. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) के दिशा–निर्देश
7. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत स्थानीय नीति व कार्ययोजनाएँ।

**जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (District Disaster Management Authority–DDMA)**– जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) गठित है, जो आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी कार्यों का संचालन एवं पर्यवेक्षण करता है।

| पदनाम | भूमिका / उत्तरदायित्व |
|---|---|
| जिलाधिकारी, | DDMA के अध्यक्षय नीति निर्माण, दिशा–निर्देशन एवं समन्वय। |
| मुख्य विकास अधिकारी | विकास योजनाओं में आपदा न्यूनीकरण का एकीकरण। |
| मुख्य चिकित्साधिकारी, अधिशासी अभियंता, पुलिस अधीक्षक, DFO, CEO आदि | सदस्यय क्षेत्रीय विभागों के समन्वय व कार्यान्वयन। |
| जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी (DDMO) | नोडल अधिकारीय DDMA की योजनाओं का क्रियान्वयन। |

**शासन व्यवस्था एवं विभागीय समन्वय (Governance and Inter&Departmental Coordination)–**

- प्रत्येक विभाग में एक नोडल अधिकारी (Departmental Nodal Officer) नामित किया गया है जो आपदा से पूर्व तैयारी एवं प्रतिक्रिया योजनाओं का अनुपालन सुनिश्चित करता है। जिला आपदा प्रबंधन समिति (District Disaster Management Committee) में सभी विभागों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
- तहसील, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समितियाँ गठित की गई हैं, जो निचले स्तर पर शासन की भूमिका को सुदृढ़ बनाती हैं।
- EOC (Emergency Operation Centre), Chamoli 24×7 संचालित रहता है और सूचना संकलन, चेतावनी प्रसारण एवं समन्वय का केंद्र बिंदु है।

**नीति का उद्देश्य (Policy Objectives)–** जनपद चमोली की आपदा प्रबंधन नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

- जोखिम न्यूनीकरण (Risk Reduction)– विकास योजनाओं में DRR सिद्धांतों का समावेश।
- सुरक्षित अवसंरचना (Safe Infrastructure)– भवन निर्माण, सड़क, जल निकासी, और पहाड़ी स्थिरता के मानक लागू करना।
- सामुदायिक सशक्तिकरण (Community Empowerment)–प्रशिक्षण, जागरूकता और स्थानीय सहभागिता को बढ़ावा देना।
- सूचना व तकनीकी प्रबंधन (Information and Technology) & GIS आधारित डेटा, चेतावनी प्रणाली एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग।
- संवेदनशील क्षेत्रों का संरक्षण (Environmental Protection)–भूस्खलन–प्रवण, बाढ़–प्रभावित और वन क्षेत्रों में नियंत्रित विकास।

**सुशासन और पारदर्शिता (Good Governance and Transparency)**

- आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी योजनाओं, राहत वितरण एवं पुनर्वास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही (Accountability) सुनिश्चित की जाती है।
- ई–गवर्नेंस प्रणाली के अंतर्गत सूचनाएँ DDMA पोर्टल एवं जिला वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाती हैं।
- समुदाय आधारित निगरानी तंत्र (Community Monitoring Mechanism) को प्रोत्साहन दिया गया है ताकि नीति का प्रभाव जमीनी स्तर पर सुनिश्चित हो।

**भावी रणनीति (Future Strategy)**

- जिला आपदा नीति दस्तावेज (District Disaster Policy Document) का अद्यतन।
- विकास योजनाओं की आपदा संवेदनशीलता जाँच (Disaster Sensitivity Audit)।
- ग्राम एवं वार्ड स्तर पर आपदा नीति के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देशों का प्रसार।
- राज्य व केंद्र योजनाओं (NDMA, USDMA, SDRF) के साथ एकीकृत वित्तीय एवं प्रशासनिक ढाँचा विकसित करना।
- नीति–निर्माण में स्थानीय अनुभवों (Local Knowledge & Practices) को शामिल करना।

**निष्कर्ष (Conclusion)–**जनपद चमोली में नीति एवं शासन तंत्र का उद्देश्य केवल आपदा के बाद राहत देना नहीं, बल्कि आपदा से पहले जोखिम घटाना और समाज को सशक्त बनाना है। जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि हर विभाग, हर पंचायत और हर नागरिक "आपदा सुरक्षित विकास" (Disaster Safe Development) की दिशा में योगदान दे।

**आपदा प्रभावित गांवों एवं शहरी वार्डों का आपदा प्रबंधन योजना–** नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत एवं विकास विभाग क्रमशः समस्त आपदा प्रभावित गांवों तथा शहरी वार्डों का आपदा प्रबंधन योजना प्रारूप अनुसार तैयार करना।

- **समस्त विद्यालयों का विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना एवं विद्यालय सुरक्षा से संबन्धित कार्य–** Annexure-3
- **ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना –** Annexure-4

# अध्याय – 5 तैयारी के उपाय

**( Preparedness Measures)**

**5.1 तैयारी उपाय का उद्देश्य–** जनपद चमोली में आपदा के समय जनहानि और संपत्ति की हानि को न्यूनतम करना, समय पर राहत एवं बचाव कार्यों को क्रियान्वित करना तथा त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना। इसके अंतर्गत सभी विभागों, एजेंसियों एवं समुदायों को आपदा से पूर्व तैयार रहने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश प्रदान करना।

**पूर्व तैयारियॉ चेतावनी, एवं कार्यवाही (Early warning-Response & Preparedness)**

सक्षम प्रशासनिक तंत्र द्वारा पूर्व चेतावनी जारी कर आपदा से होने वाले सम्भावित जन–धन की हानि को कम किये जाने में सहायक है। पूर्व चेतावनी का मुख्य उद्देश्य जन–जीवन, सम्पत्तियों एवं पर्यावरण की रक्षा करना तथा आपदा के पश्चात् सामुदाय के बुनियादी जरूरतों को सामान्य करना है। पूर्व चेतावनी की तैयारी का उद्देश्य उन प्रभावित लोगों के बचाव का है जिन्हें आपदा से प्रभावित होने की सम्भावना है।

**पूर्व– तैयारी के महत्वपूर्ण तत्व**

आपदा की स्थिति में राहत, बचाव एवं अन्य सम्बन्धित कार्य की प्रभावशीलता पूर्व में की गई समुचित तैयारी पर निर्भर करता है। इन तैयारियों में निम्नलिखित तत्व महत्वपूर्ण हैः–

- स्थानीय दलों का गठन एवं उनकी क्षमतावृद्धि ।
- जनपद के समस्त संबन्धित विभागों की विभागीय आपदा प्रबंधन कार्ययोजना।
- अनुभाग एवं जिला स्तर पर इंसिडेंट रिस्पॉस टीमों का गठन एवं उनका प्रशिक्षण ।
- जनपद एवं तहसील स्तर पर आपातकालीन परिचालन केन्द्रों की स्थापना व संचालन।
- आपदा की स्थिति में अबाधित संचार व्यवस्था की पूर्व तैयारी ।
- आपदा प्रबंधन हेतु आवश्यक संसाधनों का चिंहांकन एवं उनकी तैयारी ।
- राहत स्थलों का चिंहांकन तथा उनकी तैयारी ।
- आपदा हेतु संवेदनशील वर्गों की पहचान एवं उनके संरक्षण की विशेष योजना।
- जनपद में संभावित खतरों के प्रतिक्रिया हेतु अवास्तविक अभ्यासों का आयोजन।

**पूर्व तैयारी की सुनिश्चितता के मुख्य तत्व–** जनपद में संभावित आपदाओं के तत्पर प्रतिक्रिया तथा राहत एवं बचाव कार्यों को योजना अनुसार सुनिश्चित करने हेतु जिला प्राधिकरण द्वारा ढॉचागत व्यवस्था सुदृढ किया जाएगा। जिसके तहत आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 37 (A) में दिये गये प्राविधान के अनुसार आपदा न्यूनीकरण, तैयारी एवं प्रतिक्रिया के दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन की योजना बनायी गयी है। आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 22(2), 30 एवं 34 में आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित विभिन्न कर्तव्यों को विभागों/संस्थाओं द्वारा निष्पादित करने के प्रविधान है। संस्थागत व्यवस्था की रूपरेखा के अनुसार जनपद में आपताकालीन परिचालन केन्द्र भारतीय मौसम विभाग एवं सी0डब्लू0सी0 से जानकारी प्राप्त कर चेतावनी प्रसार करेगा। मौसम विभाग द्वारा मौसम सम्बन्धी पूर्वानुमान प्रातः 10:00 बजे दिन में 1:00 बजे सांय 5:00 बजे ईमेल के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। जिसे जिला स्तर पर बल्क एस0एम0एस0, पुलिस वायरलेस सेट, फोन, ई–मेल, तथा अधिकारियों एवं मीडिया के वट्सएप के द्वारा प्रचारित किया जाता है।

**5.2 जनपद सामान्य तैयारी जांच सूची**

- सभी विभागों के कंटिजेंसी प्लान का अद्यतन।
- आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष की 24X7 कार्यशीलता सुनिश्चित करना।
- प्राथमिक चिकित्सा, राहत सामग्री एवं आपात उपकरणों की उपलब्धता जांच।
- विद्यालयों, अस्पतालों, पुलिस, अग्निशमन और राजस्व विभाग द्वारा मॉक ड्रिल आयोजन।
- संचार माध्यमों की कार्यशीलता की जांच (वायरलेस, सैटेलाइट फोन आदि)।

आपदा से पूर्व सभी विभागों, संस्थाओं एवं समुदायों की तैयारी का मूल्यांकन करने हेतु यह जांच सूची बनाई गई है।

**इसका उद्देश्य है–**

- संसाधनों की तत्परता सुनिश्चित करना
- संचार और समन्वय प्रणाली को सक्रिय रखना
- राहत एवं बचाव दलों को पूर्व–सज्जित रखना

(A) प्रशासनिक तैयारी

- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की वार्षिक बैठक आयोजित की गई है या नहीं।
- सभी विभागों के आपदा प्रबंधन प्लान (DMP) का अद्यतन किया गया है या नहीं।
- जिला, तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर आपदा नियंत्रण कक्ष (Control Room) 24x7 कार्यशील हैं या नहीं।
- Incident Response System (IRS) के प्रमुख अधिकारियों की सूची अद्यतन एवं DEOC में प्रदर्शित है।
- जिला आपदा कोष (District Disaster Response Fund) में पर्याप्त राशि उपलब्ध है या नहीं।

(B) संचार एवं सूचना व्यवस्था

- DEOC, SEOC, तहसील, पुलिस और SDRF के बीच संचार नेटवर्क कार्यशील है या नहीं।
- सैटेलाइट फोन, वायरलेस सेट, वॉकी–टॉकी की कार्यशीलता की जांच की गई है। BSNL, NIC और रेडियो संचार प्रणाली का परीक्षण पूरा किया गया है।
- सोशल मीडिया, स्थानीय चैनलों के माध्यम से चेतावनी संदेश प्रसारित करने की तैयारी है।
- आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर (1077, 100, 101, 102) जनसाधारण को ज्ञात हैं या नहीं।

(C) राहत एवं बचाव तैयारी

- SDRF, पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य विभाग एवं PWD की Quick Response Teams (QRT) गठित हैं।
- राहत शिविरों का चयन, मानचित्रण एवं निरीक्षण किया गया है।
- राहत शिविरों में टेंट, पानी, प्रकाश व्यवस्था और शौचालय की उपलब्धता है।
- जनरेटर, मोटर बोट, ट्रैक्टर, JCB, क्रेन आदि उपकरण तैयार हैं।
- प्राथमिक चिकित्सा किट, स्ट्रेचर और एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित है।

(D) लॉजिस्टिक और आपूर्ति व्यवस्था

- खाद्यान्न, पानी, दवाइयाँ, कंबल, तिरपाल आदि राहत सामग्री का पर्याप्त भंडारण है।
- खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों के लिए वितरण बिंदु निर्धारित किए गए हैं।
- परिवहन विभाग द्वारा राहत वाहनों की सूची तैयार की गई है।
- भी गोदामों की स्थिति व सामग्री का सत्यापन किया गया है।

(E) स्वास्थ्य एवं चिकित्सा तैयारी

- सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC/CHC) में आपातकालीन दवाइयाँ उपलब्ध हैं।
- मेडिकल टीमें और एम्बुलेंस चालकों की ड्यूटी लिस्ट तैयार की गई है।
- जिला चिकित्सालय में आपदा हेतु विशेष वार्ड चिह्नित है।
- ब्लड बैंक में रक्त की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है।
- पशुपालन विभाग द्वारा पशु चिकित्सा टीम तैयार की गई है।

(F) शिक्षा एवं प्रशिक्षण तैयारी

- सभी विद्यालयों में स्कूल सुरक्षा योजना अद्यतन है।
- छात्रों एवं शिक्षकों के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की गई है।
- आपदा मित्र, रेडक्रॉस, NSS, NYK आदि संस्थाओं का प्रशिक्षण पूरा हुआ है।
- स्वयंसेवकों की संपर्क सूची DEOC में प्रदर्शित है।

(G) अवसंरचना और निरीक्षण कार्य

- पुल, सड़कें, भवन, विद्युत लाइन, जल स्रोतों का निरीक्षण कार्य समय पर हुआ है।
- संवेदनशील क्षेत्रों (भूस्खलन, जलभराव, नदी किनारा) की पहचान और निगरानी की जा रही है।
- बिजली और पेयजल विभाग ने आपात मरम्मत दल गठित किए हैं।
- मौसम विभाग और जल संस्थान द्वारा चेतावनी प्रणाली सक्रिय है।

(H) समन्वय एवं रिपोर्टिंग व्यवस्था

- सभी विभागों के नोडल अधिकारी और वैकल्पिक अधिकारी नामित किए गए हैं।
- DEOC में सभी विभागों के संपर्क नंबर और ईमेल अद्यतन हैं।
- SEOC, SDRF, पुलिस, स्वास्थ्य, PWD के साथ आपसी समन्वय योजना तैयार है।
- प्रत्येक माह विभागीय स्थिति रिपोर्ट (SITREP) प्रस्तुत की जा रही है।

(I) विशेष संवेदनशील समूहों हेतु तैयारी

- विकलांग, वृद्ध, गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों की सूची ग्राम स्तर पर तैयार है।
- राहत केंद्रों में विशेष सहायता (व्हीलचेयर, रैंप, स्वच्छता सामग्री) की व्यवस्था है।

(J) मॉक ड्रिल एवं समीक्षा

- जनपद, ब्लॉक एवं संस्थागत स्तर पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई है।
- ड्रिल के परिणामों की समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई है।
- कमियों के सुधार हेतु कार्ययोजना बनाई गई है।

### 5.3 राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC)

देहरादून स्थित SEOC के साथ जिला DEOC का सीधा समन्वय स्थापित रहेगा। किसी भी आपात स्थिति में SEOC को तत्काल सूचना एवं रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाएगी।

### 5.4 जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र (DEOC)

जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र (कन्ट्रोल रूम) प्राकृतिक आपदा की स्थिति में नियंत्रण कक्ष के रूप में समस्त सम्बन्धित विभागों से समन्वय कर कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त वनाग्नि नियंत्रण, यात्रा प्रबन्धन/नियंत्रण तथा अन्य प्रकार की दुर्घटनाओं की सूचनाओं का

आदान–प्रदान, कन्ट्रोल रूम पंजी में सूचना दर्ज किया जाता है। कन्ट्रोल रूम को 24X7 घंटे कार्यशील रखते हुये कार्मिकों की शिफ्टवार तैनाती की गयी है।

**तहसील स्तरीय आपातकालीन परिचालन केन्द्र–** मानसून पूर्व सभी तहसीलों में कंट्रोल रूम की स्थापना कर ली गयी है एवं चेतावनी मिलने के उपरांत संबन्धित तहसील में आपातकालीन संचालन केन्द्रों से आवश्यक समन्वय कर राहत एवं बचाव कार्य संचालित किया जाएगा। जनपद में आपदा के दृष्टिगत प्रत्येक तहसील में एक सेन्ट्रल कन्ट्रोल रूम स्थापित है। सभी तहसीलदार/उपजिलाधिकारी कन्ट्रोल रूम के लिए जिम्मेदार रहेंगे। तहसीलदार समस्त तहसील स्तरीय विभागों के अधिकारी/कर्मचारियों की शिफ्टवार तैनाती सुनिश्चित करते हुये इसकी सूचना जनपद आपताकालीन परिचालन केन्द्र को उपलब्ध करायेंगे।

**5.5 स्थानीय प्रशासन, SDRF और NDRF–** आपदा के दौरान राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों को प्रभावी बनाने हेतु स्थानीय प्रशासन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) के बीच समन्वित व्यवस्था स्थापित करना।

2. स्थानीय प्रशासन की भूमिका (Role of Local Administration)– जनपद चमोली में आपदा प्रबंधन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व स्थानीय प्रशासन का है।
यह प्रशासनिक ढाँचा ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर तक फैला है।

**मुख्य जिम्मेदारियाँ:**

1. आपदा पूर्व तैयारी (Preparedness):
   - ग्राम, ब्लॉक और तहसील स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करना।
   - आपदा जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान एवं मानचित्रण करना।
   - आपदा से पूर्व जनजागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण एवं मॉक ड्रिल आयोजित करना।
2. आपदा के समय (During Disaster)
   - राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी और समन्वय करना।
   - आपदा स्थल पर त्वरित निर्णय लेकर संसाधनों की तैनाती करना।
   - प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर, भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना।
3. आपदा के बाद (Post Disaster)
   - क्षति मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजना।
   - पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण कार्यों का समन्वय करना।
   - सरकारी एवं गैर सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना।

**स्थानीय स्तर की संरचना–**

| स्तर | अधिकारी / संस्था | प्रमुख जिम्मेदारी |
|---|---|---|
| ग्राम स्तर | ग्राम प्रधान / ग्राम आपदा प्रबंधन समिति | प्रारंभिक सूचना, निकासी, राहत शिविर व्यवस्था |
| ब्लॉक स्तर | खंड विकास अधिकारी | राहत सामग्री वितरण, संचार और समन्वय |
| तहसील स्तर | उप जिलाधिकारी | राहत एवं बचाव कार्यों का नेतृत्व |
| जिला स्तर | जिलाधिकारी (Responsible Officer) | समग्र दिशा, नियंत्रण एवं नीति निर्धारण |

3. राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की भूमिका– SDRF (State Disaster Response Force) उत्तराखंड सरकार के पुलिस विभाग के अधीन कार्यरत एक विशेष बल है।

**मुख्य कार्य**

- आपदा स्थल पर राहत एवं बचाव कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाना।
- भूकंप, भूस्खलन, जलप्रलय, सड़क दुर्घटना और आग लगने जैसी घटनाओं में त्वरित प्रतिक्रिया देना।

- खोज एवं निकासी (Search and Rescue) कार्यों के लिए उपकरणों का प्रयोग करना।
- विद्यालयों, सार्वजनिक स्थानों एवं संस्थाओं में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण आयोजित करना।
- जिला प्रशासन एवं DEOC के साथ सतत समन्वय बनाकर कार्य करना।

**SDRF तैनाती चमोली में–**

- SDRF की एक यूनिट चमोली जनपद में पूर्व से अलर्ट मोड पर रखी जाती है।
- SDRF नियंत्रण कक्ष, DEOC चमोली के साथ सीधे संपर्क में रहता है।

4. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की भूमिका–NDRF (National Disaster Response Force) भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। यह राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने की आपदाओं में राज्य सरकार को तकनीकी और मानव संसाधन सहायता प्रदान करती है।

**मुख्य कार्य –**

1. विशेषज्ञ खोज एवं बचाव कार्य (Specialized Search & Rescue)
   - भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, रासायनिक, जैविक और औद्योगिक दुर्घटनाओं में तैनाती।
2. राज्य एवं जिला प्रशासन को तकनीकी सहयोग
   - SDRF व स्थानीय टीमों को तकनीकी दिशा–निर्देश देना।
   - आपदा प्रतिक्रिया में विशेष उपकरण और संचार सहायता प्रदान करना।
3. सामुदायिक प्रशिक्षण
   - ग्राम, विद्यालय और संस्थागत स्तर पर आपदा प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम चलाना।

**NDRF तैनाती प्रक्रिया**

- जब जनपद स्तर पर आपदा नियंत्रण से बाहर हो जाए तो जिलाधिकारी द्वारा SEOC को रिपोर्ट भेजी जाती है।
- राज्य स्तर से NDRF सहायता हेतु अनुरोध भारत सरकार को भेजा जाता है।
- आवश्यकता पड़ने पर गाजियाबाद या लखनऊ स्थित NDRF बटालियन को तैनात किया जाता है।
- NDRF टीम स्थानीय प्रशासन और SDRF के साथ संयुक्त अभियान चलाती है।

**5. समन्वय एवं संचार प्रणाली (Coordination Mechanism)**

- DEOC चमोली मुख्य नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता है, जहाँ SDRF और NDRF दोनों की सूचना प्रणाली जुड़ी रहती है।
- प्रत्येक अभियान के लिए Responsible Officer (DM) द्वारा आदेश जारी किया जाता है।
- SDRF और छक्त्थ की टीमें स्थानीय प्रशासन की अनुमति एवं नियंत्रण में कार्य करती हैं।
- सभी रिपोर्ट, वीडियो और ड्रोन सर्वे DEOC के माध्यम से SEOC को भेजे जाते हैं।

6. संयुक्त प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल (Joint Training & Mock Drill)

- SDRF, पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य एवं प्रशासन की संयुक्त मॉक ड्रिल प्रत्येक छह माह में आयोजित की जाएगी।
- NDRF की सहायता से जनपद स्तर पर Search and Rescue प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।

- ग्राम पंचायतों एवं विद्यालयों में आपदा सुरक्षा अभ्यास (Drop-Cover-Hold) कराया जाएगा।
- स्थानीय पुलिस, राजस्व उपनिरीक्षक, अग्निशमन एवं SDRF की टीमों को तहसील स्तर पर तैनात किया जाएगा।
- आवश्यकता पड़ने पर NDRF को मंगवाने हेतु राज्य स्तर पर अनुरोध भेजा जाएगा।

**5.6 आपदा प्रतिक्रिया में शामिल हितधारकों की पहचान**– जनपद चमोली में आपदा के समय राहत, बचाव, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण कार्यों में भाग लेने वाले सभी सरकारी, अर्ध–सरकारी, निजी और सामुदायिक हितधारकों की पहचान एवं उनकी भूमिकाओं को स्पष्ट करना ताकि समन्वित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके।

2. हितधारकों की श्रेणियाँ (Categories of Stakeholders)– जनपद चमोली में आपदा प्रबंधन में शामिल हितधारकों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

- प्रशासनिक हितधारक (Administrative Stakeholders)
- तकनीकी एवं आपदा प्रतिक्रिया एजेंसियाँ (Technical / Response Agencies)
- सेवा प्रदाता विभाग (Service Provider Departments)
- सामुदायिक एवं स्वयंसेवी संगठन (Community & Voluntary Organizations)
- निजी क्षेत्र / कॉर्पोरेट इकाइयाँ (Private Sector & CSR Partners)
- मीडिया एवं सूचना साझेदार (Media & Communication Partners)

3. हितधारकों की सूची एवं जिम्मेदारियाँ (Stakeholder List & Responsibilities)

| क्र.सं. | हितधारक | भूमिका / जिम्मेदारी | प्रमुख अधिकारी / संस्था |
|---|---|---|---|
| 1. | जिला प्रशासन | समन्वय, आदेश निर्गमन, नीति निर्माण, DEOC संचालन | जिलाधिकारी, ADM |
| 2. | राजस्व विभाग | राहत वितरण, क्षति मूल्यांकन, प्रभावित परिवारों की सूची | SDM, तहसीलदार, राजस्व उपनिरीक्षक |
| 3. | पुलिस विभाग | कानून व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा | पुलिस अधीक्षक, थानाध्यक्ष |
| 4. | SDRF / NDRF | खोज एवं बचाव (Search & Rescue), निकासी, तकनीकी सहायता | SDRF टीम कमांडर |
| 5. | अग्निशमन विभाग | आग, विस्फोट, रासायनिक दुर्घटनाओं में प्रतिक्रिया | मुख्य अग्निशमन अधिकारी, चमोली |
| 6. | स्वास्थ्य विभाग | प्राथमिक चिकित्सा, एम्बुलेंस सेवा, राहत शिविरों में स्वास्थ्य सुविधा | मुख्य चिकित्साधिकारी, PHC/CHC प्रभारी |
| 7. | लोक निर्माण विभाग(PWD) | सड़कों, पुलों, भवनों की मरम्मत, वैकल्पिक मार्ग खोलना | EE PWD |
| 8. | जल संस्थान / जल निगम | पेयजल आपूर्ति, पाइपलाइन मरम्मत, जल परीक्षण | EE, Jal Sansthan |
| 9. | विद्युत विभाग (UPCL) | बिजली आपूर्ति बहाल करना, खतरनाक तारों को सुरक्षित करना | EE] UPCL |
| 10. | नगर निकाय / ग्राम पंचायतें | सफाई, अपशिष्ट निपटान, राहत शिविरों की व्यवस्था | EO नगर पालिका, ग्राम प्रधान |
| 11. | शिक्षा विभाग | स्कूलों को राहत शिविर के रूप में उपयोग, छात्रों का प्रशिक्षण | मुख्य शिक्षा अधिकारी |
| 12. | परिवहन विभाग | राहत सामग्री और टीमों का आवागमन | ARTO चमोली |

| क्र.सं. | हितधारक | भूमिका / जिम्मेदारी | प्रमुख अधिकारी / संस्था |
|---|---|---|---|
| 13. | खाद्य एवं आपूर्ति विभाग | खाद्यान्न, राशन और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति | जिला आपूर्ति अधिकारी |
| 14. | पशुपालन विभाग | पशुओं के लिए चिकित्सा सहायता, चारा आपूर्ति | जिला पशुपालन अधिकारी |
| 15. | कृषि विभाग | फसल हानि मूल्यांकन, कृषि पुनर्वास योजना | जिला कृषि अधिकारी |
| 16. | सूचना विभाग / NIC | सूचना प्रसारण, मीडिया समन्वय, रिपोर्टिंगजिला | सूचना अधिकारी, DIO NIC |
| 17. | रेडक्रॉस सोसाइटी / एनजीओ | राहत सामग्री वितरण, रक्तदान, चिकित्सा सहयोग | जिला रेडक्रॉस शाखा |
| 18. | नेहरू युवा केंद्र / NSS / NCC / आपदा मित्र | स्वयंसेवक सहायता, निकासी, राहत शिविर सहयोग | NYK समन्वयक |
| 19. | स्वयंसेवी संगठन / स्थानीय NGO | जनजागरूकता, राहत वितरण, पुनर्वास सहयोग | चमोली स्थित NGOs |
| 20. | सेना / ITBP / BRO (यदि तैनात) | दुर्गम क्षेत्रों में खोज एवं राहत, सड़क पुनर्निर्माण | स्थानीय सैन्य इकाई |
| 21. | मीडिया (प्रिंट / इलेक्ट्रॉनिक / सोशल) | सूचना प्रसार, चेतावनी संदेश, जनसंपर्क | स्थानीय मीडिया प्रतिनिधि |
| 22. | निजी कंपनियाँ / CSR इकाइयाँ | राहत सामग्री, जल, चिकित्सा या उपकरणों की CSR सहायता | स्थानीय उद्योग या बैंक शाखाएँ |
| 23. | राजस्व एवं ग्राम स्तर की समितियाँ | प्रारंभिक प्रतिक्रिया, सूचना संप्रेषण, स्थानीय सहायता | ग्राम आपदा प्रबंधन समिति (VDMC) |

4. हितधारक समन्वय व्यवस्था (Coordination Mechanism)

- जिलाधिकारी (Incident Commander) सभी हितधारकों के बीच समन्वय का केंद्र बिंदु होंगे।
- DEOC चमोली से सभी विभागों के नोडल अधिकारियों के बीच सूचना साझा की जाएगी।
- प्रत्येक विभाग अपने नोडल अधिकारी और वैकल्पिक अधिकारी की संपर्क सूची DEOC को देगा।
- आपदा की स्थिति में सभी हितधारक Incident Response System (IRS) संरचना के तहत कार्य करेंगे।
- नियमित समीक्षा बैठकें एवं संयुक्त मॉक ड्रिल आयोजित की जाएंगी ताकि सभी एजेंसियों के बीच तालमेल सुनिश्चित हो।

5. सामुदायिक भागीदारी (Community Participation)

- ग्राम प्रधान, स्वयंसेवक, शिक्षक, महिला समूह (SHG), और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्थानीय स्तर पर "पहली प्रतिक्रिया टीम (First Responders)" के रूप में कार्य करेंगे।
- "आपदा मित्र" कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं को राहत व निकासी कार्यों में सक्रिय किया जाएगा।
  होंगे।

**5.7 विकलांग व्यक्तियों की निकासी और प्रतिक्रिया–** जनपद चमोली पर्वतीय एवं सीमांत क्षेत्र होने के कारण भूकंप, भूस्खलन, अतिवृष्टि, सड़क दुर्घटनाओं और आगजनी जैसी आपदाओं की संभावना अधिक रहती है। ऐसे में विकलांग, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, मानसिक रूप से अस्वस्थ और चलने–फिरने में असमर्थ व्यक्तियों की सुरक्षा विशेष प्राथमिकता का विषय है। जिला प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपदा की स्थिति में ऐसे सभी व्यक्तियों की सुरक्षित निकासी, प्राथमिक चिकित्सा, और पुनर्वास के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाए।

1. उद्देश्य (Objective)

- आपदा के दौरान विकलांग व्यक्तियों की पहचान एवं प्राथमिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- राहत, निकासी और आश्रय स्थलों में विशेष आवश्यकताधारी लोगों की सुविधा हेतु तैयारी करना।
- समुदाय और स्वयंसेवकों को ऐसे व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रशिक्षित करना।
- प्रत्येक ग्राम व वार्ड में विकलांग व्यक्तियों का अद्यतन डाटा बनाए रखना।

2. पूर्व तैयारी (Pre&Disaster Preparedness)

| क्र.सं. | कार्य / गतिविधि | जिम्मेदार एजेंसी / अधिकारी | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रत्येक ग्राम पंचायत/ वार्ड में विकलांग व्यक्तियों की सूची तैयार कर अद्यतन रखना | समाज कल्याण विभाग, ग्राम प्रधान | सूची DEOC में भी रखी जाए |
| 2 | राहत शिविरों में रैंप, रेलिंग और विशेष शौचालय की व्यवस्था | जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), PWD, नगर निकाय | निर्माण मानकों के अनुसार |
| 3 | प्रशिक्षित स्वयंसेवक (आपदा मित्र / NYK / NSS) को विकलांग व्यक्तियों की सहायता हेतु नामित करना | NYK / DDMA | सूची DEOC में उपलब्ध रहे |
| 4 | विद्यालयों, कार्यालयों और अस्पतालों में रैंप व व्हीलचेयर की उपलब्धता सुनिश्चित करना | शिक्षा विभाग, CMO, PWD | भवनों का निरीक्षण समय–समय पर |
| 5 | विकलांग व्यक्तियों को आपदा चेतावनी प्रणाली से जोड़ना (SMS, घोषणाएँ, रेडियो, ग्राम वार्ता) | सूचना विभाग, राजस्व विभाग | दृष्टिबाधित / श्रवणबाधित हेतु वैकल्पिक संचार |

4. निकासी प्रक्रिया (Evacuation Procedure)

**प्राथमिक पहचान**

- ग्राम आपदा प्रबंधन समिति (VDMC) द्वारा पहले से तैयार सूची के अनुसार विकलांग व्यक्तियों की पहचान की जाएगी।
- निकासी टीम को इन स्थानों की जानकारी पहले से होगी।

**सहायक टीम की नियुक्ति**

- प्रत्येक ग्राम में 2–3 स्वयंसेवक विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों की सहायता हेतु नामित किए जाएंगे।
- SDRF / पुलिस / स्थानीय युवा मिलकर सहायता करेंगे।

**सुरक्षित मार्ग और वाहन**

- व्हीलचेयर–अनुकूल वाहन, स्ट्रेचर और अस्थायी रैंप की व्यवस्था की जाएगी।
- पहाड़ी क्षेत्रों में पालकी, रस्सी सहायता या अस्थायी स्ट्रेचर का उपयोग किया जाएगा।

**राहत शिविरों में विशेष व्यवस्था**

- प्रवेश द्वार पर रैंप, फर्श पर नॉन–स्लिप मैट, प्रकाश व्यवस्था, और अलग शौचालय सुविधा।
- दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए श्रव्य संकेतक (Audio Alert)।
- श्रवणबाधित व्यक्तियों हेतु दृश्य चेतावनी संकेत (Flash Signal)।

**राहत और चिकित्सा सहायता (Relief and Medical Assistance)**

- स्वास्थ्य विभाग द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष चिकित्सा सहायता टीम तैनात की जाएगी।
- यदि किसी को चलने या सुनने में कठिनाई है, तो उसकी मदद के लिए सहायक उपकरण (crutches, hearing aid, wheelchair) मुहैया कराई जाएगी।
- राहत शिविरों में बैठने और सोने की व्यवस्था अलग और सुरक्षित स्थान पर की जाएगी।
- मनोवैज्ञानिक सहायता (Counselling) की व्यवस्था भी की जाएगी।

**प्रशिक्षण और जनजागरूकता (Training – Awareness)**

- आपदा मित्र, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम प्रधान, शिक्षक, और पंचायत सचिव को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा कि विकलांग व्यक्तियों को कैसे निकाला और संभाला जाए।
- स्कूलों और समुदायों में मॉक ड्रिल के दौरान ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा ताकि वास्तविक स्थिति में कोई भ्रम न हो।
- Inclusive Disaster Management की भावना को ग्राम स्तर तक पहुंचाया जाएगा।

**5.8 विभिन्न कार्यों के लिए टीमों का गठन–** आपदा के समय त्वरित, समन्वित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों और एजेंसियों को मिलाकर विभिन्न कार्यों हेतु टीमों का गठन किया जाता है। इन टीमों का उद्देश्य राहत, बचाव, पुनर्वास, चिकित्सा, संचार, परिवहन, और लॉजिस्टिक कार्यों में तत्परता सुनिश्चित करना है।

**उद्देश्य (Objectivè)**

- आपदा प्रतिक्रिया के दौरान कार्यों का स्पष्ट विभाजन करना।
- प्रत्येक टीम की जिम्मेदारी और नोडल अधिकारी निर्धारित करना।
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), SDRF, NDRF और स्थानीय प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित करना।
- त्वरित निर्णय और स्थल पर क्रियान्वयन की सुविधा देना।

**टीम गठन की प्रक्रिया (Team Formation Process)**

- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा प्रतिवर्ष सभी टीमों की सूची का अद्यतन किया जाएगा।
- प्रत्येक टीम के प्रमुख अधिकारी और वैकल्पिक अधिकारी नामित किए जाएंगे।
- टीमों के संपर्क विवरण (Mobile, WhatsApp, Email) जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र (DEOC) में प्रदर्शित रहेंगे।
- सभी टीमों को वर्ष में कम से कम एक बार प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल में शामिल किया जाएगा।

**विभिन्न कार्यों हेतु गठित टीमें (Teams for Specific Functions)**

| क्र. सं | टीम का नाम | मुख्य कार्य/जिम्मेदारी | नोडल विभाग / अधिकारी | सहायक विभाग |
|---|---|---|---|---|
| 1. | चेतावनी एवं सूचना प्रसारण टीम(Warning-Communication Team) | मौसम पूर्व चेतावनी, जनता को अलर्ट संदेश, मीडिया समन्वय | जिला सूचना अधिकारी (DIO) | पुलिस, NIC, राजस्व विभाग |
| 2. | राहत एवं बचाव टीम (Relief and Rescue Team) | प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, घायल व्यक्तियों की सहायता | पुलिस अधीक्षक (SP)/ SDRF प्रभारी | अग्निशमन, स्वास्थ्य, सेना, एनडीआरएफ |
| 3. | चिकित्सा एवं स्वास्थ्य टीम (Medical-Health Team) | घायलों का उपचार, प्राथमिक चिकित्सा, एम्बुलेंस प्रबंधन | मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO) | स्वास्थ्य, रेडक्रॉस, पशु चिकित्सा विभाग |
| 4. | लॉजिस्टिक एवं परिवहन टीम (Logistics and Transport Team) | राहत सामग्री, वाहन, ईंधन एवं परिवहन व्यवस्था | ARTO / परिवहन अधिकारी | खाद्य एवं आपूर्ति, PWD |
| 5. | भोजन एवं पेयजल आपूर्ति टीम (Food-Water Supply Team) | राहत शिविरों में भोजन व जल आपूर्ति | जिला पूर्ति अधिकारी | जल संस्थान, नगर निकाय, शिक्षा विभाग |
| 6. | संचार एवं समन्वय टीम (Coordination-Communication Team) | विभागों के बीच सूचना प्रवाह और समन्वय | ADM (वित्त एवं राजस्व) | DEOC सभी नोडल अधिकारी |

| क्र. सं | टीम का नाम | मुख्य कार्य/जिम्मेदारी | नोडल विभाग / अधिकारी | सहायक विभाग |
|---|---|---|---|---|
| 7. | सुरक्षा एवं भीड़ नियंत्रण टीम (Security-Law-Order Team) | सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण | पुलिस विभाग | होमगार्ड, PRD, SDRF |
| 8. | निर्माण एवं मरम्मत टीम (Infrastructure-Engineering Team) | सड़क, पुल, विद्युत, जलापूर्ति की मरम्मत | PWD, UJVNL | जल संस्थान, ऊर्जा विभाग |
| 9. | आश्रय एवं राहत शिविर प्रबंधन टीम (Shelter-Camp Management Team) | शिविर की व्यवस्था, शौचालय, प्रकाश, आवास प्रबंधन | नगर पालिका / पंचायत विभाग | शिक्षा, स्वास्थ्य, PRD |
| 10. | सामग्री मूल्यांकन एवं क्षति आकलन टीम (Damage Assessment Team) | संपत्ति, भवन, सड़क, फसल आदि की क्षति का मूल्यांकन | राजस्व विभाग | कृषि, PWD, उद्यान विभाग |
| 11. | विकलांग व विशेष समूह सहायता टीम (Disability -Special Group Support Team) | विकलांग, वृद्ध, गर्भवती महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा | समाज कल्याण अधिकारी | ICDS, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य विभाग |
| 12. | पशुधन सहायता टीम (Animal Care Team) | पशुओं का उपचार, चारा वितरण, पशु शिविर प्रबंधन | पशुपालन विभाग | कृषि, वन विभाग |
| 13. | स्वयंसेवक एवं छळ८ समन्वय टीम (Volunteer -NGO Coordination Team) | स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण, NGO के साथ समन्वय | DDMA / NYK | रेडक्रॉस, NSS, NCC |
| 14. | प्रेस एवं जनसंपर्क टीम (Public Information-Media Team) | मीडिया ब्रीफिंग, जन–जागरूकता | सूचना वितरण जिला सूचना कार्यालय | सभी विभाग |
| 15. | वित्तीय प्रबंधन टीम (Financial Management Team) | राहत कोष का वितरण, लेखा परीक्षण, व्यय नियंत्रण | मुख्य कोषाधिकारी / वित्त अधिकारी | लेखा एवं वित्त विभाग |

**टीमों का प्रशिक्षण एवं मॉक ड्रिल (Training and Mock Drill)**

- प्रत्येक टीम के सदस्य को आपदा प्रतिक्रिया, प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड, संचार और उपकरण उपयोग पर वार्षिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- SDRF और NDRF द्वारा संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा।
- ग्राम और ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में टीमों की भागीदारी अनिवार्य होगी।

**5.9 जनपद में IRS (Incident Response System) को सक्रिय करना–**आपदा की स्थिति में समन्वित, त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए Incident Response System (IRS) को सक्रिय किया जाता है। यह प्रणाली आपदा प्रतिक्रिया के दौरान विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियों, आदेश श्रृंखला (chain of command), और संचार व्यवस्था को स्पष्ट करती है।

**IRS सक्रिय करने की स्थिति–** जनपद चमोली में निम्न परिस्थितियों में IRS को तत्काल सक्रिय किया जाएगा–

- किसी भी प्राकृतिक या मानवजनित आपदा जैसे भूकंप, भूस्खलन, बादल फटना, आग, सड़क दुर्घटना, जलभराव या महामारी की स्थिति में।
- जब स्थानीय प्रशासन की क्षमता से अधिक संसाधनों की आवश्यकता हो।
- जब राज्य या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्देश प्राप्त हो।

## IRS के प्रमुख घटक (मुख्य अधिकारी)

| पदनाम | जिम्मेदारी / भूमिका | अधिकारी / विभाग |
|---|---|---|
| Responsible Officer (IC) | समग्र नेतृत्व एवं नियंत्रण | जिलाधिकारी, चमोली |
| Operations Section Chief (OSC) | राहत, बचाव, निकासी कार्यों का संचालन | पुलिस अधीक्षक |
| Planning Section Chief (PSC) | डाटा एकत्रीकरण, सूचना विश्लेषण, संसाधन योजना | मुख्य विकास अधिकारी |
| Logistics Section Chief (LSC) | राहत सामग्री, उपकरण, परिवहन एवं मानव संसाधन व्यवस्था | अपर जिलाधिकारी |
| Finance & Administration Section Chief (FSC) | व्यय, भुगतान, लेखा एवं संसाधनों का रिकॉर्ड | मुख्य कोषाधिकारी |

**5.10 अन्य एजेंसी से सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया**–राज्य, सेना, NDRF, BRO एवं अन्य एजेंसियों से सहायता हेतु औपचारिक अनुरोध DEOC के माध्यम से SEOC को भेजा जाएगा।
जनपद चमोली की भौगोलिक स्थिति पर्वतीय एवं सीमावर्ती होने के कारण यहां बाहरी एजेंसियों की सहायता समय पर प्राप्त करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

### सहायता प्राप्त करने की आवश्यकता

- जब स्थानीय प्रशासन, पुलिस, चिकित्सा, अग्निशमन, या एसडीआरएफ की उपलब्ध क्षमता अपर्याप्त हो।
- जब एक से अधिक तहसीलों/ब्लॉकों में एक साथ आपदा प्रभावित क्षेत्र हों।
- जब आपदा की तीव्रता "स्तर–2" या "स्तर–3" (राज्य या राष्ट्रीय स्तर) घोषित हो।
- जब राहत शिविरों, परिवहन, चिकित्सा या संचार में बाहरी सहायता की आवश्यकता हो।

### सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया (Process Flow)

### प्रारंभिक सूचना एवं अनुरोध

- तहसील स्तर पर तहसीलदार द्वारा स्थिति की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की जाती है।
- जिला आपदा नियंत्रण कक्ष को तत्काल सूचित किया जाता है।
- जलाधिकारी चमोली द्वारा स्थिति का मूल्यांकन कर आवश्यकता अनुसार सहायता के प्रकार की पहचान की जाती है (जैसे – राहत सामग्री, मानव संसाधन, मशीनरी, हेलीकॉप्टर, चिकित्सक दल आदि)।

### राज्य स्तर पर अनुरोध

- यदि स्थिति जिला स्तर की क्षमता से बाहर हो, तो जिलाधिकारी द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) देहरादून एवं राजस्व सचिव/आपदा सचिव उत्तराखंड शासन को अनुरोध भेजा जाता है।
- अनुरोध लिखित, टेलीफोनिक या ई–मेल माध्यम से "Form–IRR (Immediate Resource Request)" के अनुसार भेजा जा सकता है।

### विशेष बलों की सहायता प्राप्ति

- एसडीआरएफ उत्तराखंड – देहरादून से अनुरोध पर टीम चमोली भेजी जाती है।
- एनडीआरएफ / सशस्त्र बल – यदि आवश्यकता हो, तो राज्य के माध्यम से गृह मंत्रालय, भारत सरकार को अनुरोध प्रेषित किया जाता है।
- आईटीबीपीध्सेना इकाई – जनपद में स्थित इकाइयों से तत्काल समन्वय किया जा सकता है।

### एनजीओ / निजी एजेंसी सहयोग

- आपदा के दौरान चमोली में सक्रिय एनजीओ जैसे रेडक्रॉस सोसाइटी, नेहरू युवा केन्द्र, एनएसएस, स्काउट–गाइड, तथा स्थानीय सामाजिक संस्थाओं को जिला प्रशासन द्वारा राहत कार्य में शामिल किया जाता है।
- इन एजेंसियों को कार्य क्षेत्र (जैसे खाद्य वितरण, स्वास्थ्य सेवा, पशु चिकित्सा सहायता, संचार आदि) के अनुसार दायित्व सौंपे जाते हैं।

**5.11 लॉजिस्टिक उपकरणों और भंडारण की जांच एवं प्रमाणन–**भंडारण स्थलों पर राहत सामग्री, JCB, डोजर, टेंट, जनरेटर, बोट आदि का समय–समय पर परीक्षण एवं प्रमाणन किया जाएगा।

**5.12 चेतावनी प्रणाली का प्रशिक्षण–**आपदा की स्थिति में जिला प्रशासन के पास उपलब्ध संसाधन सीमित हो सकते हैं। ऐसे में राहत, बचाव, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने हेतु अन्य विभागों, राज्य, केंद्र सरकार, निजी संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों (NGO), स्वयंसेवी संस्थाओं (VOs), तथा सशस्त्र बलों (Army, ITBP, NDRF, SDRF आदि) से सहायता प्राप्त की जाती है।

आपदा की स्थिति में समय पर चेतावनी (Early Warning) जारी करना जनहानि एवं संपत्ति के नुकसान को कम करने का सबसे प्रभावी उपाय है। इसके लिए जिला स्तर पर स्थापित चेतावनी प्रणाली का सही संचालन एवं प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है।

जनपद चमोली की भौगोलिक परिस्थितियाँ कृ पर्वतीय क्षेत्र, नदी घाटियाँ, भूस्खलन प्रवण क्षेत्र एवं नेपाल सीमा की निकटता — इसे आपदाओं के प्रति संवेदनशील बनाती हैं। इसलिए चेतावनी प्रणाली का नियमित प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है।

### उद्देश्य

- जिला, तहसील एवं ग्राम स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चेतावनी प्रणाली के संचालन का प्रशिक्षण देना।
- संचार चौनलों (Wireless, VHF, Mobile, WhatsApp, Control Room) की कार्यप्रणाली को समझाना।
- सूचना के प्रवाह (Warning Flow) की समयबद्धता और सटीकता सुनिश्चित करना।
- समुदायों को चेतावनी मिलने पर उचित प्रतिक्रिया हेतु तैयार करना।

### प्रशिक्षण की आवश्यकता

- पर्वतीय क्षेत्रों में संचार बाधित होने की संभावना रहती है।
- कुछ क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क कमजोर है, अतः वैकल्पिक संचार (VHF HAM Radio) का प्रयोग आवश्यक है।
- चेतावनी मिलने पर अधिकारियों, पुलिस, SDRF, स्वास्थ्य एवं ग्राम स्तर पर त्वरित प्रतिक्रिया देने हेतु समन्वित अभ्यास आवश्यक है।

### 3. चेतावनी प्रणाली की संरचना (Chamoli Early Warning System)

| स्तर | नियंत्रण केंद्र | उपकरण / माध्यम | मुख्य जिम्मेदारी |
|---|---|---|---|
| जिला स्तर | जिला आपदा नियंत्रण कक्ष (EOC) – चमोली | Wireless,VHF, Mobile, Satellite Phone | चेतावनी प्राप्त करना एवं प्रसारित करना |
| तहसील स्तर | तहसील आपदा नियंत्रण कक्ष | VHF सेट, मोबाइल नेटवर्क | जिला EOC से सूचना लेकर ग्रामों तक पहुँचाना |
| ग्राम स्तर | ग्राम आपदा प्रबंधन समिति (VDMC) | मोबाइल, मेघ सायरन, माइक / ढोल / ग्राम सूचना तंत्र | समुदाय को सतर्क करना एवं निकासी शुरू करना |

### 4. प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रक्रिया

(क) प्रशिक्षण आयोजन की रूपरेखा

- प्रशिक्षण नोडल एजेंसी: जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) चमोली
- समन्वयक विभाग: राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, PWD, SDRF
- सहयोगी संस्थान: NDRF, रेडक्रॉस, नेहरू युवा केन्द्र, एनएसएस, स्काउट–गाइड, वन विभाग
- स्थान– जिला प्रशिक्षण केंद्र / तहसील मुख्यालय / विद्यालय / ग्राम पंचायत भवन

**(ख) प्रशिक्षण के प्रमुख चरण**

| चरण | विवरण | उत्तरदायी अधिकारी |
|---|---|---|
| चरण–1 | अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सैद्धांतिक प्रशिक्षण – चेतावनी प्रणाली की समझ | ADM / DDMO |
| चरण–2 | उपकरण आधारित प्रशिक्षण – VHF, Wireless, Satellite Phone का उपयोग | SDRF / Police Radio Officer |
| चरण–3 | संचार अभ्यास – सूचना प्राप्ति से प्रसारण तक मॉक ड्रिल | SDM Concerned |
| चरण–4 | समुदाय स्तर पर चेतावनी सन्देश की पहचान एवं निकासी अभ्यास | ग्राम प्रधान / VDMC |
| चरण–5 | प्रशिक्षण के बाद मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करना | DDMO / CDO |

### 5. प्रशिक्षण की आवृत्ति (Frequency)

| स्तर | प्रशिक्षण आवृत्ति | टिप्पणी |
|---|---|---|
| जिला स्तरीय अधिकारी | वर्ष में 2 बार (पूर्व मानसून और शीतकाल से पूर्व) | मुख्यालय में आयोजित |
| तहसील स्तरीय कर्मचारी | वर्ष में 2 बार | SDM कार्यालय द्वारा |
| ग्राम स्तर / VDMC | वर्ष में 1 बार | ग्राम पंचायत में मॉक ड्रिल सहित |
| विद्यालय / समुदाय | वर्ष में 1 बार | स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत |

### 6. प्रशिक्षण विषयवस्तु (Training Modules)

- आपदा चेतावनी प्रणाली का परिचय
- राज्य / जिला आपदा नियंत्रण कक्ष की भूमिका
- चेतावनी प्राप्त करने एवं प्रसारित करने की विधि
- प्राकृतिक संकेतों की पहचान (जैसे बारिश, भूस्खलन, नदी जलस्तर)

- तकनीकी उपकरणों (VHF, Satellite Phone, SIREN System) का उपयोग
- संचार श्रृंखला में देरी न होने के उपाय
- चेतावनी के बाद जनसमुदाय को प्रतिक्रिया हेतु प्रशिक्षित करना
- मॉक ड्रिल एवं समीक्षा प्रक्रिया

**आपदा एवं त्वरित बाढ़ की स्थिति में सायरन की व्यवस्था का विवरण–**

- जनपद की अलकनन्दा नदी, धौली गगां एवं ऋषिगगां मे निम्नवत् साईरन स्थापित किये गये है।

| क्र.सं. | सायरन स्थल | संख्या | कार्यवाही |
|---|---|---|---|
| 1 | तपोवन, ज्योतिर्मठ एंव रैणी | 06 | उक्त का संचालन एनटीपीसी द्वारा आवश्यकतानुसार समय–समय पर किया जाता है। |
| 2 | गोविन्दघाट, मारवाडी | 03 | उक्त का संचालन जेपी कम्पनी द्वारा आवश्यकतानुसार समय–समय पर किया जाता है। |
| 3 | पीपलकोटी, हेंलग एंव बिरही | 04 | उक्त का संचालन टीएचडीसी द्वारा आवश्यकतानुसार समय–समय पर किया जाता है। |
| **योग** | | **13** | |

**जनपद में अन्य आपदा की स्थिति में त्वरित कार्यवाही हेतु स्थापित सायरन का विवरण–**

| क्र. सं. | सायरन स्थल | संख्या | कार्यवाही |
|---|---|---|---|
| 1 | पुलिस लाईन गोपेश्वर | 01 | उक्त सायरन जनपद आपदा प्रबन्धन द्वारा स्थापित किया गया है। जिनका संचालन सम्बन्धित विभागों द्वारा आवश्यकतानुसार समय–समय पर किया जाता है। |
| 2 | पुलिस थाना बद्रीनाथ | 01 | |
| 3 | पुलिस थाना ज्योतिर्मठ | 01 | |
| 4 | पुलिस थाना चमोली। | 01 | |
| 5 | पुलिस थाना कर्णप्रयाग। | 01 | |
| 6 | पुलिस थाना घाट | 01 | |
| 7 | पुलिस थाना थराली | 01 | |
| **योग** | | **07** | |

**स्वचलित मौसम केन्द्र तथा वर्षामापी यंत्रों का विवरण–**

| क्र.सं. | तहसील का नाम | उपकरण | स्थान का नाम जहां उपकरण स्थापित है | अधिकारी का नाम जिनके द्वारा उक्त उपकरणो का निरीक्षण किया जायेगा। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जोशीमठ | AWS+ASG | जी0एम0वी0एन0 औली के निकट। | तहसीलदार जोशीमठ। |
| 2 | | AWS+ASG | राजस्व उप निरीक्षक चौकी बद्रीनाथ। | तहसीलदार जोशीमठ। |
| 3 | | AWS | राजस्व उप निरीक्षक चौकी पाण्डुकेश्वर। | तहसीलदार जोशीमठ। |
| 4 | | AWS+SAT | रा0इ0का0 तपोवन। | तहसीलदार जोशीमठ। |
| 5 | | ARG | रा0प्रा0वि0 माणा। | तहसीलदार जोशीमठ। |
| 6 | | AWS+ASG | वन विश्राम गृह घाघरियां। | उप प्रभागीय वनाधिकारी नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क जोशीमठ |

| क्र.सं. | तहसील का नाम | उपकरण | स्थान का नाम जहां उपकरण स्थापित है | अधिकारी का नाम जिनके द्वारा उक्त उपकरणो का निरीक्षण किया जायेगा। |
|---|---|---|---|---|
| 7 | चमोली | SFO (SSS+ORG) | तहसील कार्यालय चमोली। | तहसीलदार चमोली। |
| 8 | नन्दानगर | AWS | तहसील कार्यालय नन्दानगर। | तहसीलदार नन्दानगर। |
| 9 | कर्णप्रयाग | AWS | राजस्व उप निरीक्षक चौकी कर्णप्रयाग। | तहसीलदार कर्णप्रयाग। |
| 10 | | AWS | राजस्व उप निरीक्षक चौकी गौचर। | तहसीलदार कर्णप्रयाग। |
| 11 | थराली | AWS | तहसील कार्यालय थराली। | तहसीलदार थराली। |
| 12 | | AWS | राजस्व उप निरीक्षक चौकी देवाल। | तहसीलदार थराली। |
| 13 | पोखरी | AWS | तहसील कार्यालय पोखरी। | तहसीलदार पोखरी। |
| 14 | गैरसेंण | SFO (SSS+ORG) | तहसील कार्यालय गैरसेंण। | तहसीलदार गैरसेंण। |
| **परम्परागत वर्षामापी** | | | | |
| **परम्परागत वर्षामापी यंत्र तहसील थराली, गैरसेंण, घाट, ज्योतिर्मठ, कर्णप्रयाग, पोखरी एंव चमोली में स्थापित किये गये है।** | | | | |

**5.13 जनपद आपातकालीन संचालन केंद्र का परीक्षण–**प्रत्येक तीन माह में DEOC का मॉक टेस्ट एवं सैटेलाइट संचार प्रणाली की जांच की जाएगी। आपातकालीन संचालन केंद्र (Emergency Operation Centre – EOC) किसी भी आपदा की स्थिति में कमांड, कंट्रोल और कम्युनिकेशन का मुख्य केंद्र होता है। जनपद चमोली में स्थापित EOC का मुख्य उद्देश्य आपदा के समय सूचना संग्रह, विश्लेषण, राहत–संसाधन प्रबंधन, एवं त्वरित निर्णय सुनिश्चित करना है। इसकी कार्यक्षमता बनाए रखने हेतु इसका नियमित परीक्षण (Testing) एवं मूल्यांकन (Evaluation) किया जाना आवश्यक है।

**उद्देश्य**

- यह सुनिश्चित करना कि आपात स्थिति में EOC की सभी संचार प्रणालियाँ सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं।
- उपकरणों (Wireless, VHF, Computer, Generator, CCTV, Satellite Phone आदि) की कार्यप्रणाली की जांच करना।
- प्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती और तत्परता का मूल्यांकन।
- डेटा बैकअप, संपर्क सूची (Directory), और संसाधन विवरण का अद्यतन सत्यापन करना।
- आपदा की स्थिति में Incident Command System (ICS) के अंतर्गत त्वरित समन्वय सुनिश्चित करना।

**जनपद चमोली में EOC की स्थिति**

- स्थान: जिला आपदा नियंत्रण कक्ष, कलेक्ट्रेट भवन, चमोली
- प्रमुख अधिकारी: जिलाधिकारी (Incident Commander)
- संचालन अधिकारी: जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी (DDMO), चमोली
- संपर्क माध्यम: लैंडलाइन, ईमेल, मोबाइल, वायरलेस, व्हाट्सएप ग्रुप
- कर्मचारी: Control Room Operator, Data Entry Operator, सहायक कर्मचारी
- कार्य समय: सामान्य स्थिति में 24×7 मॉनिटरिंग / आपदा के समय निरंतर संचालन

**परीक्षण की आवश्यकता**

- पर्वतीय भूगोल के कारण बिजली, नेटवर्क या सड़क मार्ग बाधित हो सकता है।
- तकनीकी उपकरणों की निरंतर कार्यप्रणाली सुनिश्चित करनी होती है।
- EOC में कार्यरत कर्मियों को हर परिस्थिति में कार्य करने की क्षमता विकसित करनी होती है।
- समय–समय पर अभ्यास (Mock Drill) के माध्यम से कमजोरियों की पहचान की जा सके।
- EOC परीक्षण की प्रक्रिया (Testing Procedure)

**तैयारी चरण (Pre&Test Stage)**

- DDMO चमोली द्वारा परीक्षण की तिथि निर्धारित की जाती है।
- सभी संबंधित विभागों (पुलिस, SDRF, स्वास्थ्य, PWD, जल संस्थान, ऊर्जा, संचार, परिवहन आदि) को सूचित किया जाता है।
- Control Room कर्मियों को उपकरण जांच की सूची (Checklist) दी जाती है।

**परीक्षण चरण (Testing Stage)**

**संचार परीक्षण:**

- VHF एवं वायरलेस नेटवर्क की जाँच (SDM कार्यालयों से संपर्क परीक्षण)।
- मोबाइल एवं लैंडलाइन के माध्यम से सूचना प्रसारण परीक्षण।
- इंटरनेट और ईमेल संचार की कार्यशीलता की पुष्टि।

**विद्युत एवं बैकअप परीक्षण:**

- DG Set (Generator) का संचालन परीक्षण।
- UPS / Solar Backup की क्षमता जांच।

**डेटा एवं सॉफ्टवेयर परीक्षण:**

- आपदा प्रबंधन सॉफ्टवेयर, Google Sheet/Portal अपडेट चेक।
- संपर्क सूची, राहत सामग्री सूची और वाहन सूची का सत्यापन।

**समन्वय परीक्षण:**

- EOC से तहसील, ब्लॉक और पुलिस नियंत्रण कक्ष तक सूचना प्रवाह का मॉक ड्रिल।
- Incident Commander तक सूचना पहुँचने में समय का आकलन।
- (ग) परीक्षण उपरांत मूल्यांकन (Post&Test Evaluation)
- प्रत्येक विभाग से फीडबैक रिपोर्ट प्राप्त की जाती है।
- कमियों एवं सुधार के सुझावों को संकलित कर EOC Performance Report तैयार की जाती है।
- रिपोर्ट जिलाधिकारी को अनुमोदन हेतु भेजी जाती है।
- सुधार कार्यों की समयबद्ध अनुपालन रिपोर्ट तैयार की जाती है।

**5.14 मौसमी आपदाओं से बचाव हेतु सुरक्षा ढांचे का निरीक्षण–**बरसात पूर्व भूस्खलन संभावित स्थलों, पुलों, सड़कों एवं नालों का निरीक्षण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। जनपद चमोली भौगोलिक रूप से पर्वतीय, भूस्खलन–प्रवण एवं वर्षा आधारित नदियों से प्रभावित क्षेत्र है। हर वर्ष मानसून, शीतकालीन वर्षा, तेज हवाओं और ओलावृष्टि के कारण जन–धन की हानि की संभावनाएँ बनी रहती हैं। ऐसी मौसमी आपदाओं से बचाव हेतु बनाए गए सुरक्षा ढांचे (Protective Infrastructure) — जैसे तटबंध, नालियाँ, पुल, ड्रेनेज, रिटेनिंग वाल, भूस्खलन सुरक्षा दीवारें, जल निकासी तंत्र, राहत शिविर, और चेतावनी उपकरण कृ की नियमित जांच एवं निरीक्षण आवश्यक है।

**उद्देश्य**

- मौसमी आपदाओं के दौरान जनहानि एवं संपत्ति हानि को न्यूनतम करना।
- सुरक्षा ढांचे की स्थिति की समय–समय पर जांच करना।
- दोषपूर्ण या कमजोर संरचनाओं की मरम्मत हेतु पूर्व–योजना बनाना।
- संवेदनशील स्थानों (भूस्खलन, बाढ़, कटाव, हिमपात क्षेत्र) की सूची तैयार करना।
- सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर सतत निगरानी सुनिश्चित करना।

**2. जनपद चमोली में प्रमुख मौसमी आपदाएँ**

| क्र.सं. | आपदा का प्रकार | प्रभावित क्षेत्र / तहसील | संभावित प्रभाव |
|---|---|---|---|
| 1 | अतिवृष्टि / बादल | घाट, थराली एंव ज्योतिर्मठ। | भूस्खलन, सड़क क्षति |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | फटना | | |
| 2 | नदी तट कटाव / बाढ़ | थराली, कर्णप्रयाग एंव चमोली। | कृषि भूमि व आवासीय क्षति |
| 3 | हिमपात | उच्च हिमालयी क्षेत्र (ज्योतिर्मठ, थराली, चमोली, गैरसेण) | सड़क अवरोध व संचार बाधा |
| 4 | ओलावृष्टि / तेज हवाएँ | संपूर्ण जनपद | फसल क्षति, बिजली बाधित |
| 5 | भूकंप जनित द्वितीयक आपदा | संपूर्ण जनपद | भवन संरचना प्रभावित |

### 3. सुरक्षा ढांचे का प्रकार और जिम्मेदार विभाग

| क्र0सं0 | सुरक्षा ढांचा / संरचना | उत्तरदायी विभाग | निरीक्षण आवृत्ति |
|---|---|---|---|
| 1 | तटबंध, नदी सुरक्षा कार्य | सिंचाई विभाग | वर्ष में 2 बार (पूर्व मानसून व पश्चात) |
| 2 | भूस्खलन निरोधक दीवारें / क्रेट वॉल | लोक निर्माण विभाग | वर्ष में 2 बार |
| 3 | ड्रेनेज एवं जल निकासी प्रणाली | नगर पालिका / ग्राम पंचायत | प्रत्येक 3 माह |
| 4 | राहत शिविर भवन / स्कूल भवन | शिक्षा विभाग / राजस्व विभाग | वर्ष में 1 बार |
| 5 | विद्युत पोल, ट्रांसफार्मर | विद्युत विभाग | वर्ष में 2 बार |
| 6 | जलापूर्ति एवं पाइपलाइन | जल संस्थान / पेयजल निगम | वर्ष में 2 बार |
| 7 | चेतावनी सायरन / संचार उपकरण | DDMO / SDRF | प्रत्येक 6 माह |

### 4. निरीक्षण प्रक्रिया (Inspection Process)

(क) पूर्व निरीक्षण योजना

- DDMO चमोली द्वारा प्रत्येक वर्ष अप्रैल व अक्टूबर माह में निरीक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाता है।
- संबंधित विभागों से संवेदनशील स्थलों की सूची प्राप्त की जाती है।
- निरीक्षण दल गठित किए जाते हैं जिनमें संबंधित विभागों के अभियंता, राजस्व अधिकारी, और पुलिस प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

(ख) स्थल निरीक्षण

- प्रत्येक ढांचे की भौतिक स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है।
- फोटो, वीडियो एवं GPS समन्वय के साथ Inspection Report तैयार की जाती है।
- यदि कोई ढांचा क्षतिग्रस्त या कमजोर पाया जाता है तो तत्काल मरम्मत की संस्तुति की जाती है।

(ग) रिपोर्ट एवं अनुवर्ती कार्रवाई

- सभी निरीक्षण रिपोर्ट जिला आपदा नियंत्रण कक्ष (EOC) में संकलित की जाती हैं।
- DM/CDO के माध्यम से संबंधित विभाग को आवश्यक सुधार कार्य हेतु आदेश दिए जाते हैं।
- कार्य पूर्ण होने पर Compliance Report तैयार कर क्ड चमोली को भेजी जाती है।

### 5. निरीक्षण टीमों का गठन (जनपद चमोली)

| क्रम | टीम का नाम | प्रमुख अधिकारी | सदस्य विभाग |
|---|---|---|---|
| 1 | तटबंध निरीक्षण टीम | EE, सिंचाई विभाग | राजस्व, SDRF, PWD |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | भूस्खलन निरीक्षण टीम | EE, PWD | वन विभाग, DDMO |
| 3 | शहरी सुरक्षा टीम | EO, नगर पालिका | विद्युत, स्वास्थ्य, जल संस्थान |
| 4 | ग्राम स्तरीय निरीक्षण टीम | संबंधित SDM / तहसीलदार | ग्राम प्रधान, सचिव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता |
| 5 | शिक्षा भवन निरीक्षण टीम | BEO / खंड शिक्षा अधिकारी | राजस्व, PWD |

**5.15 त्वरित प्रतिक्रिया दलों की पहचान**–प्रत्येक ब्लॉक एवं तहसील स्तर पर राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य, SDRF, और अग्निशमन विभाग से "Quick Response Team (QRT)" गठित की जाएगी। आपदा की स्थिति में त्वरित राहत, बचाव एवं पुनर्वास कार्यों के संचालन हेतु जनपद चमोली में त्वरित प्रतिक्रिया दल (Quick Response Teams – QRTs) गठित किए गए हैं। इन दलों का उद्देश्य आपदा की सूचना प्राप्त होते ही स्थल पर तुरंत पहुँचकर राहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ करना है।

(1) त्वरित प्रतिक्रिया दलों के गठन का उद्देश्य:

- आपदा की स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ करना।
- प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक संसाधन एवं सेवाएँ शीघ्र पहुँचाना।
- सूचना, समन्वय एवं नियंत्रण तंत्र को प्रभावी बनाना।
- जनहानि एवं संपत्ति हानि को न्यूनतम करना।

(2) दलों की संरचना (जनपद स्तर पर)–

- जिलाधिकारी चमोली की अध्यक्षता में निम्नलिखित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी त्वरित प्रतिक्रिया दलों में सम्मिलित हैं—

| क्र.सं | दल का नाम | नोडल विभाग / अधिकारी | प्रमुख उत्तरदायित्व |
|---|---|---|---|
| 1. | खोज एवं बचाव दल | SDRF / पुलिस / फायर सेवा | फँसे हुए लोगों का रेस्क्यू, घायल व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना |
| 2. | चिकित्सा एवं प्राथमिक उपचार दल | मुख्य चिकित्सा अधिकारी | घायलों को प्राथमिक उपचार एवं अस्पताल तक परिवहन |
| 3. | संचार एवं सूचना दल | सूचना विभाग / BSNL | संचार माध्यमों को सक्रिय रखना, सूचना का प्रसार |
| 4. | पुलिस सुरक्षा दल | पुलिस विभाग | सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी |
| 5. | पेयजल एवं स्वच्छता दल | जल संस्थान / जल निगम | स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, अस्थायी जलापूर्ति |
| 6. | बिजली पुनर्स्थापना दल | विद्युत विभाग | बिजली आपूर्ति बहाल करना, क्षतिग्रस्त लाइनों की मरम्मत |
| 7. | सड़क एवं परिवहन दल | लोक निर्माण विभाग | सड़कों से मलबा हटाना, आपात परिवहन की व्यवस्था |
| 8. | खाद्य एवं रसद दल | खाद्य एवं आपूर्ति विभाग | आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एवं राहत सामग्री वितरण |
| 9. | पशुपालन सहायता दल | पशुपालन विभाग पशुओं की देखभाल, | चारे एवं दवा की उपलब्धता |
| 10. | स्वयंसेवी दल / एनजीओ सहायता दल | आपदा प्रबंधन प्राधिकरण / एनजीओ | राहत शिविरों में सहयोग, जागरूकता एवं जनसंपर्क कार्य |
| 11. | नगर निकाय दल | नगरपालिका / ग्राम पंचायतें | मलबा हटाना, सफाई एवं कचरा निस्तारण |
| 12. | महिला एवं बाल कल्याण दल | महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग | राहत शिविरों में महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष सहायता |

**(3) त्वरित प्रतिक्रिया दलों का संचालन तंत्र**

- सभी दलों का समन्वय जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC), चमोली द्वारा किया जाता है।
- प्रत्येक दल का नोडल अधिकारी नामित है, जो आपदा की सूचना प्राप्त होते ही अपनी टीम को सक्रिय करेगा।
- दलों की संपर्क सूची, दायित्व और संसाधनों की जानकारी क्म्ब्ब में संधारित की जाती है।
- सभी दलों को समय–समय पर मॉक ड्रिल एवं प्रशिक्षण द्वारा तैयार रखा जाता है।

(4) ब्लॉक एवं तहसील स्तर पर दलों की व्यवस्था:

- समस्त तहसीलों में स्थानीय स्तर पर QRTs गठित हैं।
- प्रत्येक तहसील में राजस्व निरीक्षक, ग्राम पंचायत अधिकारी, फॉरेस्ट गार्ड, आशा कार्यकर्ता एवं स्वयंसेवी संस्थाएँ सहयोग करती हैं।
- ब्लॉक विकास अधिकारी द्वारा दलों की गतिविधियों की समीक्षा की जाती है।

(5) संसाधन एवं प्रशिक्षण:

- सभी त्वरित प्रतिक्रिया दलों को आवश्यक उपकरण जैसे — फर्स्ट एड किट, टॉर्च, रस्सियाँ, ट्रॉली, सायरन, संचार सेट आदि प्रदान किए गए हैं।
- प्रशिक्षण SDRF, NDRF एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नियमित रूप से आयोजित किया जाता है।
- प्रशिक्षण में प्राथमिक उपचार, सर्च एंड रेस्क्यू, फायर सेफ्टी, संचार प्रबंधन एवं लॉजिस्टिक समन्वय शामिल हैं।

**5.16 गैर सरकारी संगठनों और हितधारकों का समन्वय–**रेडक्रॉस, नेहरू युवा केंद्र, आपदा मित्र, स्वयंसेवी संस्थाओं और NSS के साथ पूर्व से समन्वय बैठकें आयोजित की जाएँगी।

आपदा प्रबंधन एक बहुआयामी कार्य है, जिसमें सरकारी तंत्र के साथ–साथ गैर सरकारी संगठन (NGOs), स्वयंसेवी संस्थाएँ, सामुदायिक समूह, निजी क्षेत्र, मीडिया और आम नागरिकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।

जनपद चमोली में आपदा के समय इन सभी हितधारकों का समन्वय जिला प्रशासन द्वारा स्थापित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) तथा जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC) के माध्यम से किया जाता है।

**उद्देश्य**

- गैर सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी समूहों एवं निजी संस्थानों को आपदा प्रबंधन प्रणाली से जोड़ना।
- राहत, बचाव एवं पुनर्वास कार्यों में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना।
- समुदाय स्तर पर जागरूकता और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।
- आपदा के बाद पुनर्निर्माण और मनोवैज्ञानिक सहयोग उपलब्ध कराना।

**प्रमुख हितधारक (जनपद चमोली में): गैर सरकारी संगठन (NGOs):**

- रेड क्रॉस सोसाइटी, हेल्प इन हैंड्स, मानव सेवा समिति, सेवा भारती, और अन्य स्थानीय संस्थाएँ।
- इन संगठनों द्वारा राहत सामग्री वितरण, अस्थायी शिविर स्थापना, खाद्य सामग्री, वस्त्र और प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया जाता है।

**स्वयंसेवी संस्थाएँ एवं सामाजिक समूह:**

- स्काउट गाइड, NSS, नेहरू युवा केंद्र, और कॉलेज/विद्यालय स्तर के युवा समूह।
- आपदा के समय स्वैच्छिक श्रमदान, पीड़ितों की सहायता, और जागरूकता गतिविधियों में भागीदारी।

**धार्मिक एवं सामुदायिक संस्थाएँ:**

- मंदिर समितियाँ, गुरुद्वारा प्रबंधन समिति, महाविद्यालय समितियाँ आदि, राहत शिविरों में भोजन, आश्रय और सेवा उपलब्ध कराती हैं।

**निजी क्षेत्र और व्यापारी संघ:**

- स्थानीय व्यापारी संगठन, होटल एसोसिएशन और ट्रांसपोर्ट यूनियन आपदा के समय आवश्यक संसाधन एवं वाहनों की व्यवस्था में सहयोग करते हैं।

**मीडिया एवं संचार हितधारक:**

- स्थानीय समाचार पत्र, रेडियो स्टेशन, सोशल मीडिया समूह — चेतावनी, अलर्ट और जनसंपर्क में सक्रिय सहयोग देते हैं।

**शैक्षणिक संस्थान:**

- विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर आपदा प्रबंधन क्लब बनाए गए हैं जो छात्र–छात्राओं को आपदा जागरूकता में प्रशिक्षित करते हैं।

**समन्वय की व्यवस्था:**

- जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC) सभी हितधारकों से नियमित संपर्क रखता है।
- आपदा की स्थिति में DEOC द्वारा एनजीओ और स्वयंसेवी संस्थाओं को कार्यक्षेत्र (sector) आवंटित किए जाते हैं।
- प्रत्येक तहसील में राजस्व उपनिरीक्षक और तहसीलदार के माध्यम से स्थानीय स्तर पर समन्वय समितियाँ गठित हैं।
- जिला स्तर पर नोडल अधिकारी (आपदा प्रबंधन अधिकारी, चमोली) को एनजीओ समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है।

**नियमित बैठकें एवं प्रशिक्षण:**

- प्रत्येक छह माह में एनजीओ समन्वय बैठक आयोजित की जाती है जिसमें सभी संगठनों को बुलाया जाता है।
- SDRF, स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से संयुक्त प्रशिक्षण एवं मॉक ड्रिल कराई जाती हैं।
- ग्राम स्तर पर स्वयंसेवकों को चेतावनी प्रसारण, प्राथमिक चिकित्सा, और राहत सामग्री वितरण में प्रशिक्षित किया जाता है।

**आपदा के समय समन्वय कार्यप्रणाली:**

- घटना की सूचना मिलने पर DEOC द्वारा संबंधित एनजीओ को तुरंत सक्रिय किया जाता है।
- प्रभावित क्षेत्र में राहत शिविर, चिकित्सा शिविर, एवं भोजन वितरण का दायित्व बांटा जाता है।
- प्रशासनिक नियंत्रण जिलाधिकारी के अधीन रहता है और सभी एनजीओ उसी के निर्देशन में कार्य करते हैं।
- प्रत्येक संगठन अपनी दैनिक रिपोर्ट DEOC को प्रस्तुत करता है।
- राहत कार्यों की पारदर्शिता के लिए रजिस्टर एवं डिजिटल रिपोर्टिंग की व्यवस्था की जाती है।

**आपदा के बाद पुनर्वास में भूमिका:**

- पुनर्निर्माण कार्यों में एनजीओ समुदाय को तकनीकी व आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं।
- मनोवैज्ञानिक सहायता (Counselling) और सामाजिक पुनर्वास में भी इनकी भागीदारी रहती है।
- विकलांग, वृद्ध, महिला एवं बाल हितधारकों के लिए विशेष कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

**5.17 जन हानि प्रबंधन**–मृत एवं घायल व्यक्तियों की सूची संधारण, पहचान और परिजनों को सूचना देने हेतु तहसील स्तर पर नोडल अधिकारी नामित रहेंगे।

आपदा की स्थिति में जनहानि (मानव जीवन की हानि) सबसे गंभीर प्रभावों में से एक होती है।

जनपद चमोली में आपदा के दौरान जनहानि को न्यूनतम करने, मृतकों की पहचान, उनके परिजनों को सहायता प्रदान करने तथा मृतक शरीरों के सम्मानजनक निस्तारण हेतु एक व्यवस्थित जन हानि प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है।

**उद्देश्य**

- आपदा में मृत व्यक्तियों की शीघ्र पहचान एवं पंजीकरण।
- शवों का सम्मानपूर्वक निस्तारण।

- लापता व्यक्तियों की खोज एवं परिजनों को सूचना प्रदान करना।
- पीड़ित परिवारों को वित्तीय सहायता एवं मनोवैज्ञानिक सहयोग उपलब्ध कराना।
- संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए स्वच्छता और स्वास्थ्य प्रबंधन।

**जन हानि प्रबंधन के लिए दायित्व निर्धारण (जनपद चमोली):**

| क्र.सं. | विभाग / अधिकारी | प्रमुख उत्तरदायित्व |
|---|---|---|
| 1. | जिलाधिकारी, चमोली | संपूर्ण जन हानि प्रबंधन प्रक्रिया का पर्यवेक्षण एवं आदेश जारी करना। |
| 2. | मुख्य चिकित्सा अधिकारी | शवों की पहचान, पोस्टमार्टम, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना। |
| 3. | पुलिस विभाग | मृत व्यक्तियों की फोटोग्राफी, पहचान, शवों की सुरक्षा और कानूनी औपचारिकताएँ पूरी करना। |
| 4. | राजस्व विभाग | मृतकों के परिवारों को मुआवजा वितरण, रिपोर्ट तैयार करना और सूची संधारित करना। |
| 5. | नगर पालिका/ग्राम पंचायतें | शव निस्तारण हेतु आवश्यक स्थान, स्वच्छता और अन्य व्यवस्थाएँ करना। |
| 6. | स्वास्थ्य विभाग | संक्रमण नियंत्रण, शवों के लिए सैनिटाइजेशन और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। |
| 7. | स्वयंसेवी संगठन/रेड क्रॉस सोसाइटी | सहायता कार्य, शव पहचान में सहयोग और परिजनों को मनोवैज्ञानिक समर्थन प्रदान करना। |

**जनहानि की स्थिति में कार्यवाही की प्रक्रिया**

**सूचना प्राप्ति–**

- आपदा के बाद मृत या लापता व्यक्तियों की सूचना DEOC चमोली को प्राप्त होती है।
- संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं पुलिस अधिकारी मौके पर पहुँचकर स्थिति का आकलन करते हैं।

**शवों की पहचान एवं रिकॉर्डिंग–**

- प्रत्येक शव का फोटोग्राफ लिया जाता है, अस्थायी टैग लगाया जाता है।
- शवों की पहचान परिवारजन, स्थानीय नागरिक या पंचायत प्रतिनिधि द्वारा कराई जाती है।
- अज्ञात शवों का DNA सैंपल सुरक्षित किया जाता है।

**पोस्टमार्टम एवं प्रमाण पत्र–**

- चिकित्सा अधिकारी द्वारा पोस्टमार्टम किया जाता है।
- मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर संबंधित परिजनों को प्रदान किया जाता है।

**निस्तारण–**

- यदि शव की पहचान हो चुकी है, तो परिजनों को सुपुर्द किया जाता है।
- अज्ञात शवों का दाह संस्कार या दफन स्थानीय प्रशासन की देखरेख में किया जाता है।
- धार्मिक रीति–रिवाजों का सम्मान सुनिश्चित किया जाता है।

**मुआवजा एवं सहायता:**

- जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित राहत मानकों के अनुसार मृतक परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- मुआवजा वितरण की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जाती है।

**संक्रमण रोकथाम उपाय:**

- शव निस्तारण के बाद क्षेत्र का सैनिटाइजेशन किया जाता है।
- स्वास्थ्य दल द्वारा दवाइयों का छिड़काव एवं जल स्रोतों की जांच की जाती है

**5.18 राहत भोजन और पानी की व्यवस्था**–खाद्य एवं आपूर्ति विभाग तथा जल संस्थान द्वारा राहत शिविरों में भोजन एवं पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। आपदा की स्थिति में प्रभावित जनसंख्या के लिए तत्काल राहत, भोजन एवं पेयजल की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक होती है।

जनपद चमोली में इस उद्देश्य हेतु एक सुव्यवस्थित राहत आपूर्ति एवं वितरण प्रणाली विकसित की गई है, जिससे आपदा के समय प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति तक शीघ्र सहायता पहुँच सके।

**उद्देश्य–**

- आपदा प्रभावित व्यक्तियों को समय पर भोजन, स्वच्छ पेयजल और आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराना।
- राहत शिविरों में रहने वाले लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
- राहत वितरण की पारदर्शिता और समन्वय सुनिश्चित करना।
- बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए विशेष प्रावधान करना।

**दायित्व निर्धारण (जनपद चमोली):**

| क्र.सं. | विभाग/संस्था | प्रमुख उत्तरदायित्व |
|---|---|---|
| 1. | जिलाधिकारी, चमोली | राहत वितरण कार्यों की संपूर्ण निगरानी एवं समन्वय। |
| 2. | खाद्य एवं आपूर्ति विभाग | राशन सामग्री (चावल, आटा, दाल, नमक, तेल आदि) की उपलब्धता और वितरण। |
| 3. | नगर पालिका/ग्राम पंचायतें | राहत शिविरों में भोजन पकाने व वितरण की व्यवस्था। |
| 4. | जल संस्थान /जल निगम | स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति, टैंकर प्रबंधन और जल गुणवत्ता की जांच। |
| 5. | स्वास्थ्य विभाग | भोजन और पानी की गुणवत्ता की जांच एवं संक्रामक रोग नियंत्रण। |
| 6. | पुलिस/ SDRF | राहत सामग्री की सुरक्षा और वितरण में सहयोग। |
| 7. | एनजीओ/स्वयंसेवी संगठन | भोजन वितरण, राहत सामग्री पैकिंग और वितरण शिविरों में सहायता। |

**राहत भोजन की व्यवस्था–**

**पूर्व तैयारी–**

- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा समस्त तहसील स्तर पर राहत खाद्य भंडार स्थापित किए गए हैं।
- प्रत्येक भंडार में सूखा राशन, पैक्ड फूड, बिस्किट, रेडी–टू–ईट भोजन आदि का भंडारण किया जाता है।

**आपदा के समय क्रियान्वयन:**

- प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी "राहत रसोई (Relief Kitchen)" चलाई जाती हैं।
- स्कूल भवन, पंचायत घर या धर्मशालाएँ राहत भोजन केंद्र के रूप में उपयोग की जाती हैं।
- महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भोजन तैयार करने में सहयोग करती हैं।

**विशेष प्रावधान:**

- बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं बुजुर्गों के लिए पौष्टिक भोजन जैसे दूध, दलिया, बिस्किट, फल आदि की विशेष व्यवस्था की जाती है।
- भोजन वितरण की सूची DEOC में दर्ज की जाती है ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

**पेयजल की व्यवस्था:**

- जल संस्थान / जल निगम द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से स्वच्छ जल आपूर्ति की जाती है।

- राहत शिविरों में अस्थायी पानी के टैंक (Syntax Tank) लगाए जाते हैं।
- हैंडपंप, ट्यूबवेल और जलस्रोतों की गुणवत्ता की जांच स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाती है।
- क्लोरीन टैबलेट एवं फिल्टर यूनिट राहत टीमों के पास उपलब्ध रखी जाती हैं।
- दुर्गम क्षेत्रों में जल बोतलों का पैकेट वितरण किया जाता है।

**राहत सामग्री का भंडारण और परिवहन:**

- जनपद स्तर पर राहत सामग्री का मुख्य भंडारण स्थल जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC), चमोली में स्थित है।
- अतिरिक्त भंडार तहसील कर्णप्रयाग, चमोली में बनाए गए हैं।
- आवश्यकतानुसार निजी ट्रांसपोर्ट यूनियन एवं राज्य परिवहन निगम के वाहनों का उपयोग किया जाता है।
- राहत सामग्री की नियमित जांच और अद्यतन सूची तैयार रखी जाती है।

**राहत वितरण की प्रक्रिया:**

- सर्वेक्षण: राजस्व विभाग एवं ग्राम स्तर की टीमें प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण करती हैं।
- वितरण सूची तैयार करना: सत्यापन के उपरांत राहत सूची तैयार की जाती है।
- वितरण: शिविरों या पंचायत स्तर पर प्रशासन की उपस्थिति में राहत सामग्री वितरित की जाती है।
- रिपोर्टिंग: राहत वितरण की दैनिक रिपोर्ट DEOC को भेजी जाती है।

**5.19 आश्रय, सार्वजनिक चिकित्सा एवं स्वच्छता प्रबंधन**—अस्थायी राहत शिविरों में शौचालय, पीने का पानी, चिकित्सीय सुविधा और बच्चों व महिलाओं के लिए पृथक व्यवस्था की जाएगी। आपदा की स्थिति में प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय, चिकित्सकीय सहायता एवं स्वच्छता सुविधाओं की तत्काल व्यवस्था अत्यंत आवश्यक होती है। जनपद चमोली की भौगोलिक स्थिति पर्वतीय होने के कारण भूस्खलन, अतिवृष्टि, भूकंप एवं सड़क दुर्घटनाओं जैसी आपदाएँ सामान्य हैं। अतः आपदा के समय राहत शिविर, अस्थायी आश्रय, स्वच्छ पेयजल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की सुव्यवस्थित व्यवस्था आवश्यक है।

**आश्रय प्रबंधन (Shelter Management)**

**उद्देश्य**

- प्रभावित परिवारों को तात्कालिक रूप से सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराना।
- राहत शिविरों में भोजन, पानी, शौचालय, दवा एवं आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों एवं दिव्यांगों के लिए विशेष प्रावधान रखना।

**संभावित आश्रय स्थल**

जनपद चमोली में निम्न स्थानों को अस्थायी राहत शिविर हेतु चिह्नित किया गया है:

| क्र.सं. | स्थान का नाम | क्षेत्र | सुविधा उपलब्धता |
|---|---|---|---|
| 1. | रैन बसेरा चमोली | चमोली | बिजली, पानी, शौचालय |
| 2. | रैन बसेरा पोखरी | पोखरी | बिजली, पानी, शौचालय |
| 3. | रैन बसेरा कर्णप्रयाग | कर्णप्रयाग | बिजली, पानी, शौचालय |
| 4. | रैन बसेरा ज्योतिर्मठ | ज्योतिर्मठ | बिजली, पानी, शौचालय |

**जिम्मेदार विभाग**

- नोडल विभागरू राजस्व विभाग / जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)
- सहायक विभागरू लोक निर्माण विभाग (PWD), पंचायत राज, नगर निकाय, शिक्षा विभाग, विद्युत एवं जल संस्थान।

**प्रमुख कार्य**

- राहत शिविरों का त्वरित संचालन एवं रख–रखाव।
- आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति (टेंट, चादर, दरी, बिस्तर)।
- अस्थायी आवास के लिए सुरक्षित स्थानों का चयन।
- भीड़ नियंत्रण एवं सुरक्षा प्रबंधन (पुलिस विभाग)।

## सार्वजनिक चिकित्सा प्रबंधन (Public Health Management)

**उद्देश्य**

- आपदा के दौरान घायल एवं बीमार व्यक्तियों को शीघ्र उपचार।
- प्राथमिक चिकित्सा शिविर एवं मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना।?
- जलजनित एवं संक्रामक रोगों की रोकथाम।

**प्रमुख एजेंसियाँ**

- नोडल विभागरू मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO), चमोली
- सहायक एजेंसियाँरू 108 आपात सेवा, रेड क्रॉस सोसायटी, एनसीसी, एनएसएस, तथा स्थानीय स्वास्थ्य उपकेंद्र।

**क्रियान्वयन योजना**

- प्रत्येक राहत शिविर में मेडिकल टीम की तैनाती।
- आवश्यक दवाइयों का पूर्व भंडारण जिला अस्पताल व CHC/PHC स्तर पर।
- चिकित्साकर्मियों की त्वरित मोबिलाइजेशन योजना।
- बीमारियों की निगरानी हेतु Disease Surveillance Team" का गठन।
- मृत व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य मानकों के अनुसार निस्तारण की व्यवस्था।

**उपलब्ध संसाधन (जनपद स्तर पर)**

| संसाधन | संख्या | स्थान |
|---|---|---|
| जिला चिकित्सालय | 1 | गोपेश्वर |
| जिला चिकित्सालय | 1 | कर्णप्रयाग |
| सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) | 5 | थराली, घाट, ज्योतिर्मठ, गैरसेण, पोखरी |

## स्वच्छता प्रबंधन (Sanitation Management)

**उद्देश्य**

- राहत शिविरों में साफ–सफाई, कचरा निस्तारण एवं शौचालय सुविधा सुनिश्चित करना।
- संक्रमण एवं जलजनित रोगों से बचाव।
- जल स्रोतों की स्वच्छता बनाए रखना।

**जिम्मेदार विभाग**

- नोडल विभागरू जल संस्थान / नगर निकाय / स्वच्छ भारत मिशन इकाई
- सहायक विभागरू स्वास्थ्य विभाग, पंचायत राज, शिक्षा विभाग।

**क्रियान्वयन प्रक्रिया**

- अस्थायी शौचालयों की स्थापना (टेंट आधारित)।
- स्वच्छ पेयजल हेतु क्लोरीनेशन / ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग।
- राहत शिविरों में दैनिक सफाई कर्मियों की ड्यूटी तय करना।
- ठोस एवं तरल अपशिष्ट के पृथक्करण और निस्तारण की व्यवस्था।
- सार्वजनिक जागरूकता अभियान (हैंडवाश, स्वच्छता नियम)।

**विशेष प्रावधान**

- महिलाओं एवं बच्चों हेतु पृथक आश्रय कक्ष।
- दिव्यांगों के लिए रैंप सुविधा एवं सहायता कर्मी।
- प्रत्येक शिविर में शिकायत / सुझाव पंजी।
- मानसून पूर्व "स्वच्छता निरीक्षण अभियान" चलाया जाएगा।

**5.20 प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (Emergency Alert System)**–सायरन, सैटेलाइट फोन, हेल्पलाइन नंबर (1077), पुलिस वायरलेस और सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से सूचना प्रसारित की जाएगी। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (Early Warning System - EWS) आपदा प्रबंधन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। इसका उद्देश्य है — आसन्न आपदा की स्थिति में समय रहते सूचना देकर जनहानि, पशुधन हानि तथा संपत्ति की क्षति को न्यूनतम करना।

जनपद चमोली की भौगोलिक स्थिति पर्वतीय एवं संवेदनशील है, जहाँ भूस्खलन, अतिवृष्टि, भूकंप, सड़क दुर्घटनाएँ, बादल फटना, जंगल की आग और नदी का जलस्तर बढ़ना जैसी घटनाएँ संभावित रहती हैं। अतः एक सुदृढ़ चेतावनी तंत्र का होना अत्यावश्यक है।

**उद्देश्य**

- समय रहते खतरे की सूचना जनसामान्य तक पहुँचाना।
- चेतावनी संदेशों की सटीकता और शीघ्रता सुनिश्चित करना।
- विभागीय समन्वय एवं सूचना प्रवाह को सुचारू बनाना।
- चेतावनी मिलने पर त्वरित प्रतिक्रिया दलों की सक्रियता सुनिश्चित करना।

**चेतावनी प्रणाली की संरचना (Warning System Structure)**
**सूचना प्राप्ति एवं प्रसारण श्रृंखला – राष्ट्रीय/राज्य स्तर से सूचना प्राप्ति**

भारतीय मौसम विभाग (IMD), केंद्रीय जल आयोग (CWC), राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA), आपदा संचालन केंद्र, देहरादून।

**जनपद स्तर पर सूचना प्रसारण:**

- जिला आपदा नियंत्रण कक्ष (DEOC), चमोली द्वारा प्राप्त चेतावनी को संबंधित विभागों, तहसीलों, ग्राम पंचायतों एवं जनता तक प्रसारित किया जाता है।
- सूचना माध्यम: व्हाट्सएप ग्रुप, SMS अलर्ट, वायरलेस, VHF, ईमेल, माइकिंग, और स्थानीय रेडियो प्रसारण।

**स्थानीय स्तर पर प्रसार:**

- राजस्व उपनिरीक्षक, ग्राम प्रधान, ग्राम प्रहरी (चौकीदार) और स्वयंसेवी संगठन (NGOs) द्वारा जनता को चेतावनी की सूचना पहुँचाई जाती है।

**चेतावनी के प्रमुख प्रकार (Types of Early Warning Alerts)**

| क्र.सं. | आपदा का प्रकार | चेतावनी जारी करने वाली एजेंसी | सूचना का माध्यम |
|---|---|---|---|
| 1. | अतिवृष्टि / भारी वर्षा | भारतीय मौसम विभाग (IMD) | SMS, मोबाइल ऐप, DEOC |
| 2. | भूकंप | IMD / NDMA | सायरन, मीडिया, वायरलेस |
| 3. | भूस्खलन | भूगर्भ सर्वे विभाग / PWD | स्थानीय निरीक्षण रिपोर्ट |
| 4. | बाढ़ / नदी जलस्तर | केंद्रीय जल आयोग / Irrigation Dept | जलस्तर मीटर, माइकिंग |
| 5. | जंगल की आग | वन विभाग / FSI अलर्ट | मोबाइल ऐप, वायरलेस |
| 6. | सड़क दुर्घटना / लैंड स्लाइड | पुलिस / PWD | कंट्रोल रूम सूचना |
| 7. | स्वास्थ्य आपदा (महामारी) | स्वास्थ्य विभाग | मीडिया, जागरूकता संदेश |

**प्रमुख संस्थागत जिम्मेदारियाँ**

| विभाग | मुख्य कार्य |
|---|---|
| जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) | समस्त चेतावनी सूचना का संकलन, सत्यापन एवं प्रसारण। |
| राजस्व विभाग / SDM कार्यालय | स्थानीय स्तर पर सूचना का प्रसार व त्वरित कार्रवाई। |
| पुलिस एवं अग्निशमन विभाग | सायरन प्रणाली व जन–सूचना का माइकिंग। |
| जल संस्थान एवं सिंचाई विभाग | नदी जलस्तर की निरंतर मॉनिटरिंग। |
| स्वास्थ्य विभाग | महामारी एवं संक्रामक रोग संबंधी चेतावनी। |
| वन विभाग | जंगल की आग की निगरानी व सूचना प्रसार। |
| सूचना एवं जनसंपर्क विभाग | मीडिया व सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना प्रसारण। |

**जनसामान्य को चेतावनी देने के माध्यम**

- मोबाइल आधारित सूचना प्रणाली– DEOC द्वारा SMS एवं WhatsApp ग्रुप्स (DDMA Officials, Revenue Staff, Police, Media) के माध्यम से अलर्ट प्रसारित किए जाते हैं।
- सायरन प्रणाली: चयनित स्थानो पर सायरन अलर्ट प्रणाली लागू की जाती है।
- माइकिंग एवं लोक उद्घोषणा: ग्राम पंचायत स्तर पर आपदा के दौरान लाउडस्पीकर द्वारा सूचना प्रसारित।
- मीडिया एवं रेडियो: AIR अल्मोड़ा, FM चौनल्स, केबल टीवी के माध्यम से चेतावनी सूचना।
- स्थानीय सूचना केंद्ररू स्कूल, ग्राम सभा भवन, पंचायत घर में सूचना बोर्ड लगाए जाते हैं।

**चेतावनी के बाद की कार्रवाई**

- संबंधित विभागों द्वारा अपने Standard Operating Procedure (SOP) के अनुसार तत्काल तैयारी।
- त्वरित प्रतिक्रिया दल (QRTs) की सक्रियता।
- राहत शिविरों की तैयारी और संभावित प्रभावित क्षेत्रों में निकासी कार्य।
- स्वास्थ्य एवं पुलिस विभाग द्वारा नियंत्रण और सहायता कार्य प्रारंभ करना।

**प्रणाली का परीक्षण एवं प्रशिक्षण**

- DEOC चमोली द्वारा प्रत्येक तीन माह में एक बार "चेतावनी प्रणाली परीक्षण (Mock Test)" किया जाएगा।
- सभी विभागों को चेतावनी सूचना के अभ्यास हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा।
- ग्राम स्तर पर "आपदा जागरूकता शिविर" आयोजित कर जनता को चेतावनी संकेतों का अर्थ समझाया जाएगा।

**5.21 विकलांग व्यक्तियों के लिए तैयारी और निकासी**–प्रत्येक राहत केंद्र में व्हीलचेयर, रैंप, और सहायता कर्मियों की व्यवस्था रखी जाएगी।

**पूर्व तैयारी (Pre&Disaster Preparedness)**

| क्र.सं. | कार्य / गतिविधि | जिम्मेदार एजेंसी / अधिकारी | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रत्येक ग्राम पंचायत/वार्ड में विकलांग व्यक्तियों की सूची तैयार कर अद्यतन रखना | समाज कल्याण विभाग, ग्राम प्रधान | सूची DEOC में भी रखी जाए |
| 2 | राहत शिविरों में रैंप, रेलिंग और विशेष शौचालय की व्यवस्था | जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), PWD, नगर निकाय | निर्माण मानकों के अनुसार |
| 3 | प्रशिक्षित स्वयंसेवक (आपदा मित्र / NYK / NSS) को विकलांग व्यक्तियों की सहायता हेतु नामित करना | NYK / DDMA | सूची DEOC में उपलब्ध रहे |
| 4 | विद्यालयों, कार्यालयों और अस्पतालों में रैंप व व्हीलचेयर की उपलब्धता सुनिश्चित करना | शिक्षा विभाग, CMO, PWD | भवनों का निरीक्षण समय–समय पर |
| 5 | विकलांग व्यक्तियों को आपदा चेतावनी प्रणाली से जोड़ना (SMS, घोषणाएँ, रेडियो, ग्राम वार्ता) | सूचना विभाग, राजस्व विभाग | दृष्टिबाधित / श्रवणबाधित हेतु वैकल्पिक संचार |

**निकासी प्रक्रिया (Evacuation Procedure)**

**प्राथमिक पहचान**

- ग्राम आपदा प्रबंधन समिति (VDMC) द्वारा पहले से तैयार सूची के अनुसार विकलांग व्यक्तियों की पहचान की जाएगी।
- निकासी टीम को इन स्थानों की जानकारी पहले से होगी।

**सहायक टीम की नियुक्ति**

- प्रत्येक ग्राम में 2–3 स्वयंसेवक विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों की सहायता हेतु नामित किए जाएंगे।
- SDRF / पुलिस / स्थानीय युवा मिलकर सहायता करेंगे।

**सुरक्षित मार्ग और वाहन**

- व्हीलचेयर–अनुकूल वाहन, स्ट्रेचर और अस्थायी रैंप की व्यवस्था की जाएगी।
- पहाड़ी क्षेत्रों में पालकी, रस्सी सहायता या अस्थायी स्ट्रेचर का उपयोग किया जाएगा।

**राहत शिविरों में विशेष व्यवस्था**

- प्रवेश द्वार पर रैंप, फर्श पर नॉन–स्लिप मैट, प्रकाश व्यवस्था, और अलग शौचालय सुविधा।
- दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए श्रव्य संकेतक (Audio Alert)।
- श्रवणबाधित व्यक्तियों हेतु दृश्य चेतावनी संकेत (Flash Signal)।

**5.22 अन्य एजेंसी से सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया**–बिन्दु संख्या–5.10

**5.23 संचार तंत्र** (दूरसंचार सेवाएं, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और सोशल मीडिया)

- BSNL नेटवर्क, VHF वायरलेस और NIC ईमेल नेटवर्क का प्रयोग।
- "चमोली जिला प्रशासन" का आधिकारिक X (Twitter) और WhatsApp समूह द्वारा त्वरित सूचना प्रसारण।
- AIR और स्थानीय रेडियो के माध्यम से जनता को सतर्क किया जाएगा।

**संसाधनो का विवरण** –Annexure-05

# अध्याय – 06 क्षमता विकास एंव प्रशिक्षण
## ( Capacity Builing and training Measures)

क्षमता विकास में आपदा प्रबन्धन के सभी विषयों को शामिल किया गया है। जिसमे मुख्यतः सभी स्तरों पर जन–जागरूकता, प्रशिक्षण कार्यकमों का आयोजन, मॉक अभ्यास एंव विभिन्न विभागों के बीच समन्वय अधिकारियों/कर्मचारियों का क्षमता विकास एवं जनपद स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का संकलन किया गया है।

## 6.1 प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण दृष्टिकोण

जनपद चमोली उत्तराखंड राज्य का एक पर्वतीय जनपद है, जो भौगोलिक एवं जलवायु परिस्थितियों के कारण भूस्खलन, अतिवृष्टि, सड़क अवरोध, भूकम्प तथा वनाग्नि जैसी आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। ऐसे में आपदा प्रबंधन योजना की प्रभावशीलता एवं त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए समय–समय पर परीक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन अत्यंत आवश्यक है।

जनपद में आपदा प्रबंधन प्रणाली को व्यवहारिक एवं सक्रिय बनाए रखने हेतु नियमित परीक्षण एवं अभ्यासों का आयोजन किया जाता है। इसके तहत–

- जिला, तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर मॉक ड्रिल कराई जाती हैं।
- आपातकालीन परिचालन केन्द्र की कार्यप्रणाली का परीक्षण किया जाता है।
- विभागों के बीच संचार, संसाधन आवंटन और समन्वय की क्षमता का आकलन किया जाता है।
- विभिन्न प्रकार की आपदाओं–भूकम्प, भूस्खलन, वनाग्नि, सडक दुर्घटना आदि के लिए अलग–अलग परिदृश्यों का अभ्यास किया जाता है।
- परीक्षण के परिणामों के आधार पर सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं ताकि भविष्य में प्रतिक्रिया और बेहतर हो सके।

**प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य –जनपद चमोली में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं–**

## 6.2 सरकारी अधिकारियों का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण–

- आपदा की स्थिति में विभागीय समन्वय एवं नेतृत्व क्षमता का मूल्यांकन करना।
- जिला आपदा प्रबंधन योजना के अनुसार प्रत्येक विभाग की भूमिका और जिम्मेदारी का अभ्यास कराना।
- प्रमुख अधिकारियों, पुलिस, स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, जल संस्थान, विद्युत, राजस्व और शिक्षा विभागों की तैयारी का परीक्षण करना।
- आपदा नियंत्रण कक्ष की कार्यप्रणाली और संचार प्रणाली का मूल्यांकन करना।

## 6.3 सामुदायिक स्तर पर परीक्षण और जन जागरूकता गतिविधियाँ–

- ग्राम पंचायत स्तर पर मॉक ड्रिल, प्राथमिक उपचार, एवं सुरक्षित निकासी अभ्यास आयोजित करना।
- स्थानीय युवाओं, महिला समूहों, स्वयंसेवकों और एनएसएस/एनसीसी इकाइयों को शामिल करना।
- आपदा के प्रति जन–जागरूकता अभियान, पोस्टर, नाटक, वीडियो, स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम एवं सामाजिक मीडिया माध्यमों से समुदाय को प्रशिक्षित करना।
- समुदायों को "पहला प्रत्युत्तरदाता (First Responder)" के रूप में सक्षम बनाना।

**परिणाम एवं प्रभाव– इन परीक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से चमोली जनपद में–**

- प्रशासनिक स्तर पर त्वरित निर्णय लेने की क्षमता विकसित हुई है,
- विभागों के बीच समन्वय मजबूत हुआ है,
- और समुदायों में आपदा के प्रति सजगता व आत्मनिर्भरता बढ़ी है।

## 6.4– प्रस्तावित क्षमता विकास एवं जन–जागरूकता हेतु वार्षिक कैलेंडर–

| क्र. सं. | विषय | विवरण | प्रस्तावित समय | विभाग |
|---|---|---|---|---|
| **भूकंप जन–जागरूकता कार्यक्रम** | | | | |
| 1 | भूकंप पूर्व तैयारी हेतु जनजागरूकता कार्यक्रम | राजकीय/निजी उच्तर विद्यालयों, राजकीय कार्यालयों, पंचायत भवन | फरवरी से अप्रैल माह के मध्य | जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण |
| 2 | भूकंप से बचाव विषय पर नुक्कड़ नाटकों का आयोजन | समस्त तहसीलों में | नवम्बर से अप्रैल माह के मध्य | जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से स्थानीय एनजीओ |
| 3 | भूकंप से बचाव विषय पर रैली | जनपद एंव तहसील मुख्यालय | सितंबर से दिसंबर माह के मध्य | शिक्षा/पर्यटन विभाग |
| 4 | अभ्यास एवं बचाव प्रदर्शन | विद्यालय, सरकारी भवन आदि | सितंबर माह | एस0डी0आर0एफ0/ जनपद आप्रदा प्रबन्धन प्राधिकरण |
| 5 | दीवार लेखन/बैनर के माध्यम से सुरक्षा निर्देश | जिले में स्थित प्राथमिक विद्यालय, पंचायत भवन, धार्मिक स्थल, तथा अन्य महत्वपूर्ण भवनों के दीवारों पर | फरवरी से अप्रैल माह के मध्य | जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण |
| **अग्नि आपदा संभावित समुदाय के जन–जागरूकता कार्यक्रम** | | | | |
| 1 | वनाग्नि सम्बन्धी जन जागरूकता कार्यक्रम | जिले में स्थित प्राथमिक विद्यालय, पंचायत भवन | फरवरी माह से अप्रैल माह के बीच | शिक्षा, पंचायतराज, अग्निशमन तथा आपदा प्रबन्धन विभाग |
| 2 | चौपाल/विचार विमर्श | जनपद एवं तहसील मुख्यालय | | |
| 3 | बचाव संबंधी जानकारी | जनपद मुख्यालय स्थित सभागार एंव तहसील स्थित पंचायत भवन | | जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एंव खण्ड विकास कार्यालय |
| 4 | अभ्यास एवं बचाव प्रदर्शन | जनपद एवं तहसील मुख्यालय | | जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एंव खण्ड विकास कार्यालय |
| **प्राथमिक उपचार हेतु समुदाय के लिए जन–जागरूकता कार्यक्रम** | | | | |
| 5 | अभ्यास एवं बचाव प्रदर्शन | जनपद एवं तहसील मुख्यालय | फरवरी माह से अप्रैल माह के बीच | स्वस्थ विभाग/ SDRF/NDRF/ जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण। |

## 6.5 संस्थागत क्षमता निर्माण

संस्थागत क्षमता निर्माण का उद्देश्य जिला प्रशासन, विभिन्न विभागों और आपदा प्रबंधन संस्थाओं की क्षमता को सुदृढ़ करना है ताकि वे आपदा की स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई कर सकें।

## 6.6 अधिकारियों/नीति निर्माताओं का प्रशिक्षण

- जिला स्तरीय अधिकारी, विभागीय प्रमुख और नीति निर्माता नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
- प्रशिक्षण का फोकस आपदा प्रबंधन नीतियों, आपदा प्रतिक्रिया योजनाओं और समन्वय प्रक्रिया पर होगा।
- कार्यशालाओं और सेमिनारों के माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण की रणनीतियों को अपनाने का प्रशिक्षण।

## 6.7 इंजीनियर, आर्किटेक्ट, मिस्त्री, डॉक्टर, नर्स, शिक्षक और अन्य पेशेवर

- भवन और अवसंरचना परियोजनाओं में भूकम्परोधी और सुरक्षित निर्माण तकनीकें लागू करने का प्रशिक्षण।

- स्वास्थ्य पेशेवरों को आपदा के दौरान आपातकालीन चिकित्सा और प्राथमिक उपचार में विशेषज्ञता।
- शिक्षकों को स्कूलों में आपदा जागरूकता और मॉक ड्रिल आयोजित करने के लिए प्रशिक्षित करना।

## 6.8 पुलिस, अग्निशमन सेवा और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल

- खोज एवं बचाव (Search and Rescue) तकनीक, आपदा प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल, प्राथमिक चिकित्सा और जनसंपर्क प्रशिक्षण।
- नियमित मॉक ड्रिल और सामुदायिक आपदा प्रबंधन अभ्यास।
- उपकरण और तकनीकी संसाधनों के प्रभावी उपयोग का प्रशिक्षण।

## 6.9 सामुदायिक क्षमता निर्माण एवं समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन

सामुदायिक क्षमता निर्माण और समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन का उद्देश्य स्थानीय समुदायों की आपदा निवारण, तैयारी और प्रतिक्रिया की क्षमता को सुदृढ़ करना है। जिला चमोली की भौगोलिक स्थिति और संवेदनशीलता को देखते हुए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में आपदा की स्थिति में जिला प्रशासन तक पहुँचने में समय लग सकता है। ऐसे में समुदाय की स्व–प्रबंधन और प्रारंभिक प्रतिक्रिया क्षमता प्रभावित क्षेत्रों में जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए निर्णायक होती है।

**सामुदायिक क्षमता निर्माण के उद्देश्य–** सामुदायिक क्षमता निर्माण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्थानीय लोग आपदा की चेतावनी, प्राथमिक बचाव और राहत प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लें। इसके अंतर्गत शामिल हैं–

- **आपदा जोखिम की पहचान और स्थानीय निगरानी**– स्थानीय लोगों को उनके क्षेत्र में संभावित प्राकृतिक और मानवजनित आपदाओं की पहचान करना सिखाना। भूस्खलन वनाग्नि जैसी घटनाओं के लिए समुदाय स्तर पर निगरानी तंत्र स्थापित करना।
- **प्राथमिक बचाव और राहत प्रशिक्षण**– आपदा के समय प्राथमिक बचाव खोज एवं बचाव और सुरक्षित निकासी के लिए प्रशिक्षण। विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजन को सुरक्षित निकासी मार्ग और प्राथमिक बचाव तकनीक सिखाना।
- **स्थानीय आपदा प्रबंधन समितियों का गठन–** हर गांव या मोहल्ले में ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजन का गठन। समिति के सदस्यों को आपदा जोखिम मूल्यांकन, योजना तैयार करने और प्राथमिक प्रतिक्रिया कार्यों में प्रशिक्षित करना।
- **सामुदायिक जागरूकता अभियान** - पोस्टर, पम्पलेट, सामुदायिक बैठकें और रेडियो/लोकल मीडिया के माध्यम से आपदा जागरूकता। मानसूनी मौसम, सर्दियों और जंगल आग के मौसम से पहले विशेष जागरूकता अभियान।
- **संकट सूचना नेटवर्क**– ग्रामीण स्तर पर आपदा चेतावनी के लिए संचार माध्यम, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप, मोबाइल अलर्ट, होम पेज/पब्लिक नोटिस। आपदा के समय तत्काल सूचना साझा करना और स्थानीय बचाव कार्यों का समन्वय।

**समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन (CBDM) के घटक–** CBDM का उद्देश्य समुदाय को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वे आपदा की स्थिति में प्रभावी निर्णय ले सकें। इसके प्रमुख घटक हैं–

- सामुदायिक आपदा योजना (Community Disaster Plan)– प्रत्येक गांव या मोहल्ले में आपदा प्रतिक्रिया योजना। प्राथमिक बचाव, सुरक्षित स्थान और राहत केंद्रों की पहचान।
- सामुदायिक स्वयंसेवी नेटवर्क (Volunteer Network)– आपदा के समय खोज एवं बचाव, प्राथमिक चिकित्सा, और राहत वितरण में स्थानीय स्वयंसेवकों की भागीदारी। Civil Defence / Volunteers का प्रशिक्षण।
- संसाधन और उपकरण उपलब्धता– सामुदायिक स्तर पर आवश्यक बचाव उपकरण, दवा, रिलीफ किट और प्राथमिक चिकित्सा सामग्री का संग्रह। ग्रामीण स्कूलों, पंचायत भवनों या सामुदायिक केंद्रों में सुरक्षित भंडारण।
- प्रशिक्षण और अभ्यास (Mock Drills)– नियमित मॉक ड्रिल और अभ्यास, ताकि समुदाय आपदा के समय अपने रोल को समझे और सही तरीके से कार्य कर सके।

- महिला और संवेदनशील समूहों का सशक्तिकरण– महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजन को आपदा तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रशिक्षित करना। इन समूहों के लिए सुरक्षित निकासी मार्ग, शरण स्थल और प्राथमिक सहायता केंद्र सुनिश्चित करना।

1. **जिला चमोली में CBDM का महत्व–**
    - जिले की पर्वतीय भूगोल और कठिन सड़कों के कारण सरकारी टीमों का तुरंत पहुँच पाना मुश्किल हो सकता है।
    - समुदाय की सक्रिय भागीदारी से प्राथमिक प्रतिक्रिया और बचाव समय में तेजी आती है।
    - सामुदायिक क्षमता निर्माण से स्थानीय लोगों में जागरूकता, आत्म–निर्भरता और जोखिम कम करने की संस्कृति विकसित होती है।
2. **मुख्य रणनीतियाँ–**
    - सामुदायिक प्रशिक्षण कार्यशालाएँ और मॉक ड्रिल्स।
    - ग्रामीण पंचायत और विद्यालय स्तर पर आपदा जागरूकता अभियान।
    - संवेदनशील समूहों के लिए विशेष प्रशिक्षण और सुरक्षा उपाय।
    - स्थानीय स्वयंसेवकों के लिए Disaster Volunteer Network।
    - समुदाय आधारित आपदा योजना (Village Disaster Plan) का निरंतर अपडेट और अभ्यास।

## 6.10 प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (Training of Trainers – ToT)

Training of Trainers (ToT) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिले के सभी संबंधित सेवा कर्मियों और अधिकारियों को आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित करने के लिए सक्षम प्रशिक्षक उपलब्ध हों। यह कार्यक्रम विकलांग–अनुकूल प्रशिक्षण (Disability-Inclusive Training) पर केंद्रित है, ताकि सभी नागरिक, विशेष रूप से दिव्यांगजन, आपदा की तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्वास में शामिल हो सकें। जिला चमोली में यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्वतीय और दूरदराज क्षेत्रों में आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता होती है।

**उद्देश्य (Objectives)–**

- जिले के प्रशिक्षकों को Disaster Risk Reduction और Community Based Disaster Management प्रशिक्षण देने के लिए सक्षम बनाना।
- प्रशिक्षण मॉड्यूल को विकलांग–अनुकूल (Disability-Inclusive) बनाना ताकि विशेष जरूरत वाले समूह भी लाभान्वित हो सकें।
- प्रशिक्षकों के माध्यम से विभिन्न विभागों, समुदायों और स्वयंसेवी समूहों में सतत प्रशिक्षण और जागरूकता सुनिश्चित करना।

**लक्षित प्रतिभागी (Target Participants)**

- जिला प्रशासन और विभागीय अधिकारी
- स्वास्थ्य पेशेवर (डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ)
- इंजीनियर, आर्किटेक्ट, मिस्त्री
- पुलिस, अग्निशमन और SDRF/State Disaster Response Team
- शिक्षक और सामुदायिक स्वयंसेवक

**प्रशिक्षण की विशेषताएँ (Key Features of ToT)**

- **विकलांग–अनुकूल प्रशिक्षण (Disability-Inclusive Training)–** दृश्य, श्रवण और शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सामग्री और अभ्यास। प्रशिक्षण सत्रों में सहायक तकनीकें, संकेत भाषा और विशेष उपकरण शामिल।
- **सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण (Theory and Practical)–** आपदा प्रबंधन की मूल अवधारणाएँ, आपदा चक्र, तैयारी और प्रतिक्रिया। खोज–बचाव (Search & Rescue), प्राथमिक चिकित्सा (First Aid), आपातकालीन निकासी (Evacuation) अभ्यास।
- **सामुदायिक और स्कूल आधारित अभ्यास–**प्रशिक्षकों को Community Drill और School Safety Programme आयोजित करने का प्रशिक्षण। मॉक ड्रिल, चेतावनी प्रणाली उपयोग और संवेदनशील समूहों के लिए

रणनीतियाँ।

- **संसाधनों और उपकरणों का प्रशिक्षण–**आपदा प्रतिक्रिया उपकरण, बचाव किट, जल और खाद्य प्रबंधन साधन। IEC (Information, Education –Communication) और लोक जागरूकता उपकरण।

**लाभ (Benefit)**

- प्रशिक्षित प्रशिक्षक जिले के विभिन्न विभागों और समुदायों में निरंतर प्रशिक्षण देने में सक्षम होंगे।
- विशेष जरूरत वाले व्यक्तियों के लिए समावेशी आपदा प्रतिक्रिया सुनिश्चित होगी।
- समुदाय की स्वयं–प्रबंधन क्षमता और प्राथमिक प्रतिक्रिया समय में सुधार होगा।
- जिले में सतत क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास सुनिश्चित होगा।

## 6.11 नागरिक सुरक्षा /स्वयंसेवक (Civil Defence / Volunteers)

नागरिक सुरक्षा और स्वयंसेवक नेटवर्क जिला चमोली में आपदा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। यह पहल स्थानीय समुदाय को आपदा के समय सक्रिय भूमिका निभाने और आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत करने के लिए सक्षम बनाती है। स्वयंसेवक और Civil Defence personnel का उद्देश्य केवल आपदा के समय सहायता प्रदान करना नहीं है, बल्कि पूर्व तैयारी, जागरूकता और समुदाय की सशक्तिकरण प्रक्रिया में भी योगदान देना है।

**उद्देश्य –**

- समुदाय में सतत जागरूकता और आपदा तैयारी को बढ़ावा देना।
- आपदा के समय प्राथमिक बचाव, खोज–बचाव और राहत वितरण में सक्रिय भूमिका निभाना।
- जिला प्रशासन और क्क्ड। के साथ मिलकर आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करना।
- संवेदनशील और विशेष जरूरत वाले समूहों (महिला, बुजुर्ग, दिव्यांग) के लिए सहायता सुनिश्चित करना।

**लक्षित स्वयंसेवक**

- ग्राम स्तर के स्थानीय स्वयंसेवक और नागरिक।
- स्कूल और कॉलेज छात्रों के स्वयंसेवक।
- महिलाएँ और युवाओं के समूह।
- सामाजिक संगठन और NGO से जुड़े सदस्य।

**प्रशिक्षण कार्यक्रम–** स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे आपदा के समय त्वरित और प्रभावी सहायता प्रदान कर सकें। प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित घटकों पर केंद्रित होते हैंरू

- **प्राथमिक बचाव और चिकित्सा** (**First Aid & Basic Rescue**)–चोटिलों की प्राथमिक चिकित्सा। आपातकालीन निकासी और सुरक्षित शरण स्थल तक पहुंच।
- **आपदा जागरूकता** (**Disaster Awareness**)-विभिन्न आपदाओं जैसे भूस्खलन, बाढ़, जंगल आग, सड़क दुर्घटनाओं और भूकम्प के खतरे। चेतावनी प्रणाली और Early Warning Systems का उपयोग।
- **सामुदायिक प्रतिक्रिया और राहत वितरण** (**Community Response & Relief Distribution**)–राहत सामग्री का वितरण। सुरक्षित स्थान पर शरणार्थियों का मार्गदर्शन। भोजन, जल और प्राथमिक चिकित्सा किट का प्रबंधन।
- **संचार और समन्वय** (**Communication & Coordination**)–ग्राम स्तर पर आपदा सूचना का साझा करना। DDMA और जिला प्रशासन के साथ तालमेल बनाए रखना।
- **विशेष समूहों के लिए प्रशिक्षण** (**Special Needs Training**)–दिव्यांगजन, बुजुर्ग और बच्चों के लिए सुरक्षित निकासी। महिलाएं और संवेदनशील समूह के लिए प्राथमिक सहायता।

**संगठनात्मक ढांचा (Organizational Structure)**

- जिला स्तर: DDMA के अंतर्गत ब्पअपस क्ममिदबम ब्ववतकपदंजवत।
- ब्लॉक एवं ग्राम स्तर: Block/ Village Volunteer Teams।
- विशेष जिम्मेदारी: प्रत्येक टीम में Team Leader और विशेष भूमिका वाले सदस्य।
- संपर्क प्रणाली: मोबाइल, रेडियो और अलर्ट सिस्टम के माध्यम से तुरंत सूचना।

**गतिविधियाँ और जिम्मेदारियाँ (Activities and Responsibilities)**

| गतिविधि | जिम्मेदारी | समय / परिस्थिति |
|---|---|---|
| प्रारंभिक चेतावनी साझा करना | स्वयंसेवक | आपदा के समय |
| खोज–बचाव और प्राथमिक चिकित्सा | प्रशिक्षित स्वयंसेवक | आपदा के दौरान |
| राहत सामग्री वितरण | स्वयंसेवक और ब्लॉक अधिकारी | आपदा के बाद |
| मॉक ड्रिल और प्रशिक्षण | स्वयंसेवक / DDMA | नियमित / त्रैमासिक |
| आपदा जागरूकता अभियान | स्वयंसेवक | वर्षभर / विशेष मौसम के अनुसार |

## 6.12 आपदा प्रबंधन शिक्षा (Disaster Management Education)

आपदा प्रबंधन शिक्षा का उद्देश्य बच्चों, युवाओं और पेशेवरों को आपदा की तैयारी, प्रतिक्रिया और जोखिम न्यूनीकरण के लिए सक्षम बनाना है। जिला चमोली में इसे दो मुख्य स्तरों पर लागू किया जाता है – स्कूल और कॉलेज।

### (अ) स्कूल (Schools)–

- **सामुदायिक जागरूकता–** बच्चों को आपदा के प्रकार, चेतावनी संकेत और सुरक्षा उपायों के बारे में शिक्षित करना।
- **मॉक ड्रिल–** प्रत्येक स्कूल में नियमित मॉक ड्रिल आयोजित करना ताकि बच्चे आपदा के समय सुरक्षित तरीके से प्रतिक्रिया कर सकें।
- **सुरक्षित निकासी मार्ग और शरण स्थल–** बच्चों को सुरक्षित निकासी मार्ग और नजदीकी शरण स्थलों की जानकारी देना।
- **आपदा जागरूकता कार्यक्रम–** खेल, पोस्टर, नाटक और पम्पलेट के माध्यम से बच्चों में आपदा जागरूकता बढ़ाना।

### (ब) कॉलेज (Colleges – Medical] Engineering)

- **पेशेवर प्रशिक्षण–** मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रों को आपदा प्रबंधन के सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण देना।
- **प्रोजेक्ट और फील्ड वर्क**– छात्र वास्तविक आपदा परिदृश्यों में अभ्यास और परियोजना कार्य करें।
- **विशेषीकृत कौशल**–
  - ✓ मेडिकल कॉलेज– आपातकालीन चिकित्सा, प्राथमिक उपचार, रोग नियंत्रण।
  - ✓ इंजीनियरिंग कॉलेज– संरचनात्मक सुरक्षा, भूस्खलन और बाढ़ रोकथाम तकनीकें।
- **आपदा जागरूकता अभियान में भागीदारी**– स्थानीय समुदाय में Awareness Campaign और Training Programs में सहयोग।

## 6.13 कौशल उन्नयन और फॉलो–अप प्रशिक्षण कार्यक्रम

- पहले से प्रशिक्षित अधिकारियों, पेशेवरों और स्वयंसेवकों के लिए नियमित फॉलो–अप प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन कार्यक्रम।
- नवीनतम उपकरणों और तकनीकों के उपयोग पर प्रशिक्षण।
- प्रशिक्षण के प्रभाव और दक्षता का मूल्यांकन।
- समुदाय और संस्थागत स्तर पर सतत क्षमता निर्माण सुनिश्चित करना।

### लक्षित समूह (ज्ंतहमज ळतवनचे)

- जिला प्रशासन और विभागीय अधिकारी
- इंजीनियर, आर्किटेक्ट और तकनीकी पेशेवर
- डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्य पेशेवर
- पुलिस, अग्निशमन, SDRF और अन्य आपदा प्रतिक्रिया टीम
- सामुदायिक स्वयंसेवक और नागरिक सुरक्षा दल

### प्रशिक्षण संरचना (Training Structure)

- सैद्धांतिक अद्यतन (Theory Upgradation)–
  - ✓ आपदा प्रबंधन के नवीनतम नियम, नीतियाँ और प्रोटोकॉल।
  - ✓ जोखिम न्यूनीकरण (DRR) और सामुदायिक आपदा प्रबंधन (CBDM) की आधुनिक रणनीतियाँ।
- व्यावहारिक कौशल (Practical Skills)–
  - ✓ खोज–बचाव (Search & Rescue), प्राथमिक चिकित्सा (First Aid) और सुरक्षित निकासी (Evacuation) का अभ्यास।
  - ✓ उपकरण और तकनीकी साधनों का प्रशिक्षण, जैसे – GPS, GIS, Early Warning Systems।
- फॉलो–अप अभ्यास (Follow–up Drills)–
  - ✓ पूर्व प्रशिक्षण में सीखे गए उपायों का नियमित अभ्यास।
  - ✓ मॉक ड्रिल और आपदा सिमुलेशन।
  - ✓ प्रशिक्षण के प्रभाव और सुधार क्षेत्रों का मूल्यांकन।
- सामुदायिक और संवेदनशील समूहों के लिए प्रशिक्षण–
  - ✓ महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांग लोगों के लिए विशेष प्रशिक्षण।
  - ✓ स्थानीय स्वयंसेवकों और ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण और जागरूकता सत्र।

## 6.14 प्रशिक्षित पेशेवरों का सूचीकरण

- जिले में प्रशिक्षित सभी पेशेवरों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा–
- इंजीनियर, आर्किटेक्ट, मिस्त्री, मेडिकल पेशेवर, खोज–बचाव विशेषज्ञ।
- विवरणों में नाम, विभाग, प्रशिक्षण की अवधि, विशेषज्ञता और उपलब्धता शामिल होगी।

## 6.15 विभिन्न संवेदनशील समूहों के लिए क्षेत्रीय डेटा दस्तावेजीकरण

- बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांग और अन्य संवेदनशील समूहों का समग्र डेटा संग्रह।
- डेटा का उपयोग आपदा योजना, प्रशिक्षण कार्यक्रम और राहत कार्यों में किया जाएगा।
- यह सुनिश्चित करता है कि सभी विशेष जरूरत वाले समूहों को आपदा के समय उचित सहायता मिले।
- डेटा दस्तावेजीकरण में जोखिम मूल्यांकन, आपदा प्रतिक्रिया क्षमता, निकासी मार्ग और सहायता आवश्यकताओं को शामिल किया जाएगा।

# अध्याय – 07 प्रतिक्रिया एवं राहत उपाय
# (Response and Relief Measures)

**7.1– राहत, बचाव एवं प्रतिक्रिया कार्यों के मुख्य उद्देश्य–** राहत, बचाव एवं प्रतिक्रिया कार्यों का उद्देश्य आपदा प्रभावित जन समुदायकों योजनबद्ध कार्यवाही द्वारा तत्काल एवं तत्पर राहत पहुंचाने एवं समय सीमा में बचाव कार्य कर जानमाल की क्षति को कम करना है ।

- आपदा की स्थिति में प्रभावित लोगों के जीवन, संपत्ति और आजीविका की सुरक्षा करना।
- राहत एवं बचाव कार्यों के लिए त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना।
- सभी विभागों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित कर कार्यों में विलंब न होने देना।
- प्राथमिक चिकित्सा, सुरक्षित आश्रय, भोजन, पानी और संचार व्यवस्था शीघ्र उपलब्ध कराना।
- जनपद स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए राज्य एवं राष्ट्रीय एजेंसियों से सहायता प्राप्त करना।
- आपदा के बाद शीघ्र पुनर्वास एवं सामान्य स्थिति की बहाली करना।

**7.2 प्रतिक्रिया योजना, बहु–आपदा प्रबंधन तैयारी और त्वरित मूल्यांकन–** जनपद चमोली के लिए बहु–आपदा प्रबंधन प्रणाली को सक्रिय करते हुए सभी विभागों द्वारा समन्वित कार्यवाही की जाएगी।

### 7.2.1 क्षति और आवश्यकताओं का त्वरित मूल्यांकन–

- तहसील और ब्लॉक स्तर पर तैनात राजस्व दल प्रारंभिक क्षति का आकलन करेंगे।
- स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, विद्युत, पेयजल, शिक्षा आदि विभाग अपने–अपने क्षेत्र की क्षति रिपोर्ट देंगे।
- प्रारंभिक रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर जिला आपात संचालन केंद्र (DEOC) को प्रेषित की जाएगी।

### 7.2.2 प्रतिक्रिया प्रवाह चार्ट–

घटना की सूचना → तहसील स्तर → जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र → जिलाधिकारी → राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र। इसके अनुसार सभी विभागों की तैनाती एवं कार्ययोजना सक्रिय की जाएगी।

### 7.2.3 चेतावनी और सतर्कता–

- मौसम विभाग, CWC, IMD, SDRF व पुलिस कंट्रोल रूम से प्राप्त पूर्व चेतावनी को तत्काल संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा।
- ग्राम स्तर तक सूचना प्रसारण हेतु पंचायत सचिव, आशा, आंगनवाड़ी व स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा।

### 7.2.4 जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक–

- जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संकट प्रबंधन समूह तत्काल बैठक कर आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करेगा।
- सभी विभाग अपने संसाधन और दल तैयार रखेंगे।

### 7.2.5 आपातकालीन संचालन केंद्र का सक्रियकरण–

- आपदा की स्थिति में DEOC 24×7 सक्रिय रहेगा।
- सूचना संग्रह, विश्लेषण, राहत सामग्री वितरण एवं समन्वय यहीं से किया जाएगा।

### 7.2.6 संसाधनों का संचालन–

- JCB, ट्रैक्टर, एंबुलेंस, फायर टेंडर, क्रेन, बोट आदि संसाधनों को संबंधित विभागों से संचालित किया जाएगा।
- चमोली, कर्णप्रयाग, थराली, ज्योतिर्मठ, घाट, गैरसेण, पोखरी रोड पर तैनात उपकरण त्वरित प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहेंगे।

### 7.2.7 बाहरी सहायता प्राप्त करना–

- SDRF, NDRF, सेना, ITBP, SSB एवं रेडक्रॉस जैसी संस्थाओं से आवश्यकता पड़ने पर सहायता ली जाएगी।

**7.2.8 प्रभावित जनसंख्या की मानसिक और सामाजिक देखभाल–**

- स्वास्थ्य विभाग और सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा परामर्श शिविर लगाए जाएंगे।
- मनोवैज्ञानिक सहायता एवं सामुदायिक समर्थन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

**7.2.9 प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट–**

- प्रत्येक प्रभावित क्षेत्र से 48 घंटे के भीतर प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट DEOC में प्राप्त होगी।
- इसके आधार पर राहत कार्यों की प्राथमिकता तय की जाएगी।

**7.2.10 मीडिया प्रबंधन एवं सूचना प्रसार–**

- जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रवक्ता ही आधिकारिक सूचना जारी करेगा।
- सोशल मीडिया व प्रेस के माध्यम से सही सूचना प्रसारित की जाएगी ताकि अफवाहें न फैलें।

**7.2.11 SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) का विकास–**

- प्रत्येक विभाग को आपदा प्रबंधन हेतु अपनी SOP तैयार रखनी होगी।
- SOP के अनुसार समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

**7.2.12 रिपोर्टिंग–**

- सभी विभाग प्रतिदिन अपने कार्यों की स्थिति रिपोर्ट जिला आपात संचालन केंद्र को देंगे।
- संकलित रिपोर्ट राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी जाएगी।

## 7.3 आपदाओं के स्तर (Levels of Disasters) – जनपद चमोली के अनुसार

जनपद की भौगोलिक स्थिति एवं पूर्व के घटित आपदाओं के दृष्टिगत भूस्खलन, बादल फटना, भूकम्प, हिमस्खलन, शीतलहरी, त्वरित बाढ़, सूखा, ऑधी, तूफान एवं वनाग्नि आपदाओं की सम्भावना बनी रहती है। आपदा प्रबन्धन के विभिन्न्न स्तर पर इसकी योजना के मध्येनजर आपदाग्रस्त क्षेत्र एवं स्थिति से निपटने के लिये उच्च स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति की आख्या 2001 के अनुसार आपदाओं को तीन भागों क्रमशः $L_1$, $L_2$ एवं $L_3$ में वर्गीकृत किया गया है। सामान्य अवधि में $L_0$ का उपयोग किया जाना चाहिये।

**विभिन्न स्तरों के आपदाओं का स्तर एंव उत्तरदायी टीम–**

| क्र. स. | आपदा की स्थिति (स्तर) | जिम्मेदार टीम |
|---|---|---|
| 1 | **स्तर L1 आपदा स्थिति**<br>घटित आपदा का वह स्तर जिसमें जनपद में उपलब्ध संसाधनों/क्षमता से आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन किया जाना सम्भव हो। राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण आवश्यकता पड़ने पर सहायता हेतु तैयार रहेगा। | **घटना प्रबंधन से संबन्धित विभाग तथा स्थानीय दल** |
| 2 | **स्तर L2 आपदा स्थिति**<br>यह आपदा की स्थिति का प्रतीक है जिसमें जनपद में अन्य जनपदों एवं राज्य स्तर से सहायता की आवश्यकता होती है। जिसमें राज्य स्तर अतिरिक्त संसाधनों एवं राज्य स्तरीय ऐजेन्सियों की तैनाती की जाती है एवं राज्य सरकार केन्द्रीय संसाधनों एवं ऐजेन्सियों को आवश्यक पड़ने हेतु सतर्क किया जाता है। | **तहसील स्तरीय इंसिडेंट रिस्पॉस टीम** |
| 3 | **स्तर L3 आपदा स्थिति**<br>यह बहुत बड़े स्तर की आपदा की स्थिति है, जिसका प्रभावों को जनपद एवं राज्य स्तर के संसाधनों से प्रबन्धन किया जाना सम्भव नहीं होता है। | **जिला स्तरीय इंसिडेंट रिस्पॉस टीम** |

**स्तर–1 स्थानीय स्तर की आपदा (Local Level Disaster)**

ऐसी आपदा जो सीमित क्षेत्र (ग्राम या वार्ड स्तर) तक ही सीमित रहती है और जिसका निवारण स्थानीय प्रशासन एवं विभागीय संसाधनों से किया जा सकता है।उदाहरण–

- किसी गाँव में मकान का ध्वस्त होना

- छोटे स्तर का भूस्खलन
- सीमित दायरे में आग लगना
- बिजली या पानी की अस्थायी बाधा

जिम्मेदारी–

- ग्राम प्रधान / ग्राम आपदा प्रबंधन समिति (VDMC)
- तहसील प्रशासन / नायब तहसीलदार
- स्थानीय पुलिस व स्वास्थ्य उपकेंद्र

कार्यवाही–

- त्वरित राहत सामग्री वितरण
- प्राथमिक उपचार
- सूचना DEOC (जिला आपात संचालन केंद्र) को भेजना

**स्तर–2 उप–जिला/तहसील स्तर की आपदा (Sub-Divisional Level Disaster)** ऐसी आपदा जो तहसील या ब्लॉक स्तर तक प्रभाव डालती है और स्थानीय संसाधनों से निपटना कठिन हो जाता है।
उदाहरण–

- भारी भूस्खलन से सड़क अवरुद्ध होना (जैसे थराली/चमोली /कर्णप्रयाग/घाट/ज्योतिर्मठ मार्ग)
- बादल फटना या अतिवृष्टि से जनहानि
- स्थानीय नदी (जैसे पिण्डर, नन्दाकिनी एवं अलकनन्दा) में बाढ़ की स्थिति

जिम्मेदारी–

- उपजिलाधिकारी (SDM) की निगरानी में राहत एवं बचाव कार्य
- तहसील आपदा प्रबंधन टीम, पुलिस, SDRF की सहायता

कार्यवाही–

- प्रभावित लोगों को अस्थायी शिविरों में स्थानांतरित करना
- सड़क एवं संचार व्यवस्था बहाल करना
- क्षति आकलन रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजना

**स्तर–3 जिला स्तर की आपदा (District Level Disaster)** ऐसी आपदा जो जनपद के एक से अधिक विकासखण्डों को प्रभावित करती है और जिसके लिए समग्र जिला प्रशासन की सक्रियता आवश्यक होती है।
उदाहरण–

- पूरे चमोली जिले में मूसलाधार वर्षा से सड़क व बिजली बाधित होना
- बड़ी जनहानि या संपत्ति हानि वाली घटना
- प्रमुख बाजार या नगर (कर्णप्रयाग, थराली, घाट, चमोली) में बाढ़ या आग की स्थिति

जिम्मेदारी–

- जिलाधिकारी (Incident Commander), जिला आपदा प्रबंधन समिति (DDMC)
- सभी विभागीय नोडल अधिकारी

कार्यवाही–

- DEOC को पूर्णतः सक्रिय करना
- SDRF / NDRF से सहायता प्राप्त करना
- राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) को सूचना देना
- राहत शिविर एवं वितरण केंद्र स्थापित करना

**स्तर–4 : राज्य / राष्ट्रीय स्तर की आपदा (State / National Level Disaster)**

जब आपदा इतनी व्यापक हो कि जनपद के सभी संसाधन अपर्याप्त हो जाएं और राज्य या केंद्र सरकार की सहायता आवश्यक हो।

उदाहरण–

- भीषण भूकंप या बड़े पैमाने पर भूस्खलन
- विनाशकारी बाढ़, महामारी, या बादल फटने की व्यापक घटनाएं
- बड़ी जनहानि एवं विस्थापन

जिम्मेदारी–

- राज्य सरकार, SDRF, NDRF, सेना, ITBP, SSB आदि का सहयोग
- जिलाधिकारी एवं राज्य आपदा प्रबंधन सचिव के संयुक्त निर्देशन में कार्यवाही

कार्यवाही–

- उच्च स्तरीय राहत एवं बचाव अभियान
- हवाई सहायता एवं राज्य आपात केंद्र की सक्रियता
- पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण की दीर्घकालिक योजना

**जनपद चमोली के सन्दर्भ में विशेष टिप्पणी–**

- पर्वतीय भू–भाग के कारण यहाँ भूस्खलन और सड़क अवरोध सबसे सामान्य आपदाएँ हैं।
- ज्योतिर्मठ, थराली, कर्णप्रयाग एंव घाट क्षेत्र भूस्खलन संभावित क्षेत्र हैं।
- जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक वर्ष मॉनसून सीजन से पूर्व "High-Risk Zone Mapping" कर ली जाती है।
- प्रत्येक स्तर पर स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं, NCC, NYK, रेडक्रॉस एवं SDRF की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।
- तहसील, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर स्थानीय प्रशासन द्वारा त्वरित राहत कार्य शुरू किए जाएंगे।
- ग्राम आपदा प्रबंधन समिति (VDMC) और स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद ली जाएगी।
- मौके पर ही प्राथमिक सहायता, बचाव कार्य एवं राहत वितरण किया जाएगा।

## 7.4 जिम्मेदारी मैट्रिक्स का विकास (Responsibility Matrix Development)

### 7.4.1 खतरों (Hazards) के अनुसार आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यों के लिए जिम्मेदारी मैट्रिक्स

| क्र.सं. | विभाग | जिम्मेदारी |
|---|---|---|
| 1 | राजस्व विभाग | राहत समन्वय एवं क्षति आकलन |
| 2 | पुलिस विभाग | सुरक्षा, ट्रैफिक नियंत्रण, बचाव सहायता |
| 3 | स्वास्थ्य विभाग | प्राथमिक उपचार, टीकाकरण एवं दवा आपूर्ति |
| 4 | विद्युत विभाग | विद्युत आपूर्ति बहाली |
| 5 | जल संस्थान/जल निगम | पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता व्यवस्था |
| 6 | आपूर्ति विभाग | आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता |
| 7 | कृषि विभाग | फसल क्षति का मूल्यांकन |
| 8 | सिंचाई विभाग | बांध व जलाशयों की निगरानी |

### 7.4.2 त्वरित आने वाली आपदाओं के लिए जिम्मेदारी मैट्रिक्स (Responsibility Matrix) जहां पूर्व चेतावनी उपलब्ध नहीं होती

- भूकंप, भूस्खलन, भवन ढहना, सड़क दुर्घटना आदि की स्थिति में QRT तत्काल सक्रिय होगा।
- स्थानीय पुलिस और SDRF प्राथमिक बचाव करेंगे।
- स्वास्थ्य विभाग और फायर सेवा मौके पर पहुंचकर राहत प्रदान करेंगे।

## 7.5 आपदा के विभिन्न स्तरों में राहत एवं बचाव तथा प्रतिक्रिया कार्यों के दायित्व

### 7.5.1 पूर्व चेतावनी मिलने पर किए जाने वाले कार्य

- उच्च जोखिम क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करना।

- स्कूल, सामुदायिक भवन एवं पंचायत घरों को अस्थायी राहत शिविर बनाना।
- आवश्यक सामग्री का भंडारण एवं वाहन तैयार रखना।

**7.5.2 आपदा प्रतिवेदन कार्य का सक्रियकरण–**

- सूचना प्राप्त होते ही DEOC सक्रिय किया जाएगा।
- विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचेंगे और रिपोर्ट तैयार करेंगे।

**7.5.3 राहत एवं प्रतिवेदन के कार्य**

- घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेजना, मृतकों के परिजनों को सहायता देना।
- राहत सामग्री वितरण और जनसंख्या पुनर्वास।

**7.5.4 मानव बचाव कार्य**

- SDRF, पुलिस, फायर सर्विस एवं स्थानीय स्वयंसेवक संयुक्त रूप से बचाव कार्य करेंगे।
- महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

**7.5.5 प्रारंभिक आकलन**

- क्षति, जनहानि और संपत्ति हानि का प्रारंभिक सर्वेक्षण किया जाएगा।

**7.5.6 राहत वितरण**

- पीड़ितों को भोजन, वस्त्र, दवाइयां, तंबू और स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जाएगी।

**7.5.7 अनुश्रवण (Monitoring)**

- राहत कार्यों की नियमित समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा की जाएगी।
- नियंत्रण कक्ष से सभी टीमों की रिपोर्ट ली जाएगी।

**7.5.8 प्रतिवेदन निष्क्रियकरण (Deactivation)**

- स्थिति सामान्य होने पर राहत दलों को चरणबद्ध तरीके से वापस बुलाया जाएगा।
- EOC की गतिविधियां धीरे–धीरे सामान्य कार्यप्रणाली में लौटेंगी।

**7.5.9 पुनर्निर्माण कार्य**

- क्षतिग्रस्त भवन, सड़क, जलापूर्ति और अन्य ढांचे का पुनर्निर्माण किया जाएगा।
- आजीविका पुनर्स्थापन हेतु विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी।

**महत्वपूर्ण आपातकालीन कार्यों हेतु विभागीय उत्तरदायित्व–**महत्वपूर्ण आपातकालीन कार्यों को सम्पन्न करने हेतु निम्नांकित विभाग जिम्मेदार होंगे–

| क्र. स. | प्रमुख विभाग | मुख्य भूमिका | सहयोगी भूमिका |
|---|---|---|---|
| 1 | आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण | समस्त आपदाओं में विभागीय समन्वय, खोज एवं बचाव, आपातकालीन परिचालन केन्द्रों का संचालन | आपदा कि स्थिति में शासन स्तर पर समन्वय स्थापित कर आवश्यक दिशा–निर्देश प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करना। |
| 2 | पुलिस | समस्त आपदाओं में कानून व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, नागरिक सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, संचार व्यवस्था | चेतावनी प्रसारण, खोज एवं बचाव, राहत वितरण, परिवहन व्यवस्था, आबादी निष्क्रमण |
| 3 | वन एंव फॉयर सर्विस | अग्नि दुर्घटना नियंत्रण, समस्त आपदाओं में मलबा निस्तारण, शव निपटान, सफाई एवं स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था। | राहत बचाव कार्य एवं समय–समय पर दिये गये अन्य दिशा निर्देशों का अनुपालन |
| 4 | स्थानीय प्रशासन | समस्त आपदाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में चेतावनी प्रसारण, राहत कैंप व्यवस्था, मलबा निस्तारण, शव निपटान, सफाई एवं स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण सड़कों एवं पुल, पुलियों का रख रखाव । | कानून व्यवस्था, चेतावनी प्रसारण, आबादी निष्क्रमण, स्थानीय तैराक, गोताखोर, सिविल डिफेंस, एस0डी0आर0एफ0, एन0डी0आर0एफ0, एनसीसी, एनएसएस आदि से समन्वय |

| क्र. स. | प्रमुख विभाग | मुख्य भूमिका | सहयोगी भूमिका |
|---|---|---|---|
| 5 | पंचायत एवं ग्रामीण विकास | समस्त प्राकृतिक आपदाओं में आबादी निष्क्रमण, क्षति आंकलन, राहत शिविरों का संचालन | राहत शिविर एवं बुनियादी सुविधाओं की स्थापना, खोज एवं बचाव, आबादी निष्क्रमण, महामारी नियंत्रण |
| 6 | राजस्व विभाग | समस्त प्राकृतिक आपदाओं में आबादी निष्क्रमण, क्षति आंकलन, राहत वितरण, वित्तीय व्यवस्था | आबादी निष्क्रमण, खोज एवं बचाव, राहत वितरण, महामारी नियंत्रण |
| 7 | स्वास्थ्य | महामारी नियंत्रण, समस्त आपदाओं में स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रबंधन | चेतावनी प्रसारण,आश्रय एवं राहत कैंप प्रबंधन |
| **9** | जनसम्पर्क कार्यालय | समस्त आपदाओं में मीडिया प्रबंधन, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आवश्यक सूचनाओं का सम्प्रेषण। | सफाई एवं स्वच्छ्ता |
| **10** | खाद्य आपूर्ति | समस्त आपदाओं में आश्रय एवं राहत कैंप प्रबंधन, स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों से समन्वय | राहत सामग्री/खाद्यान वितरण |
| **11** | शिक्षा विभाग | आपातकालीन राहव शिविरों कि व्यवस्था एंव समन्वय | जनजागरूकता |
| **13** | लोक निर्माण विभाग | समस्त आपदाओं में अस्थायी सड़क/डाइवरसन, राहत शिविर, चिकित्सा पोस्ट, हेलीपैड, इनसिडेंट कमांड पोस्ट्स एवं अन्य अस्थायी संरचनाओं का निर्माण, क्षतिग्रस्त पुल/पुलियों, सड़कों की मरम्मत, अधोसंरचना क्षति आंकलन | अन्य विभागों को तकनीकि सहयोग |
| **14** | विद्युत विभाग | समस्त आपदाओं में सतत एवं सुचारू विद्युत सप्लाई व्यवस्था | राहत कार्यो व शिविरों में विद्युत व्यवस्था |
| **15** | सिंचाई विभाग | सिचांई योजनाओं तथा बाढ से आबादी की सुरक्षा | क्षतिग्रस्त भवनों में खोज बचाव कार्यों में सहयोग, मजदूरों की व्यवस्था |
| **16** | पशुपालन विभाग | पशुजनित रोग नियंत्रण, पशुराहत कैंप व्यवस्था, चारे व घास की व्यवस्था | पशु शव निस्तारण |
| **17** | क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी | समस्त आपदाओं में परिवहन व्यवस्था | राहत कार्यो में यथाआवश्यक परिवहन व्यवस्था |
| **18** | भारत संचार निगम लिमिटेड | समस्त क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधा सुचारू रखना | वैकल्पिक दूरसंचार व्यवस्था |

**जनपद स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति के नातिम सदस्य–** आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अध्याय 04 के प्राविधानों के अनुसार जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन किया गया है। जनपद में आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण निम्न प्रकार अधिसूचित है–

| क्र.सं | पदनाम | |
|---|---|---|
| 1 | जिला मजिस्ट्रेट | अध्यक्ष |
| 2 | जिला पंचायत अध्यक्ष | सह अध्यक्ष |
| 3 | पुलिस अधीक्षक | सदस्य |
| 4 | मुख्य विकास अधिकारी | सदस्य |
| 5 | प्रभारी अधिकारी, आपदा प्रबन्धन/अपर जिला मजिस्ट्रेट कार्यकारी अधिकारी | सदस्य एवं मुख्य |
| 6 | मुख्य चिकित्सा अधिकारी | सदस्य |
| 7 | अधीशासी अभियंता, प्रा0 ख0, लो0 नि0 वि0 | सदस्य |

**7.6 जनपद स्तरीय आई0आर0एंस0 एंव उत्तरदाायित्व–** किसी भी आपदा की स्थिति में जनपद में आई0आर0एस0 तंत्र सक्रिय किया जाता है। समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया है किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में उपस्थित होगे तथा आई0आर0एस0 कार्ययोजना के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। **(नामित अधिकारियों का विवरण अध्याय 3 के बिन्दु 3.4 पर है)**

**7.7 तहसील स्तरीय आई0आर0एंस0 एंव उत्तरदाायित्व–** किसी भी आपदा की स्थिति में जनपद में आई0आर0एस0 तंत्र सक्रिय किया जाता है। **(नामित अधिकारियों का विवरण अध्याय 3 के बिन्दु 3.10 पर है)**

# अध्याय 08 – आपदा पुनर्निर्माण एंव पुनर्स्थापना उपाय

## (RECONSTRUCTION, REHABILITATION AND RECOVERY MEASURES)

**8.1 परिचय** – ब्यूलट बैक बेटर (BBB) एक रणनीति है जिसका उद्देश्य भविष्य की आपदाओं के दृष्टिगत समुदायों के लोगों के लिए जोखिम को कम करना है। बीबीबी (BBB) दृष्टिकोण आपदा जोखिम में कमी के उपायों को बुनियादी ढांचे, सामाजिक प्रणालियों और आजीविका, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के पुनरूद्धार में एकीकृत करता है।

**8.2 पुनःनिर्माण एवं पुर्नस्थापन के चरण–** आपदा के उपरान्त समितियों/विभागों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनःस्थापन एवं पुनर्निर्माण के निम्नांकित कार्यो को सम्बंधित विभागों द्वारा पूर्ण किया जायेगा।

- आपदा प्रभावित क्षेत्रो का विभाग द्वारा निर्धारित प्रारुप अनुसार क्षति एवं प्रभाव आंकलन
- जनहानि क्षति आंकलन
- पशुधन क्षति आंकलन
- सामुदायिक अधोसंरचना क्षति एवं प्रभाव आंकलन
- आधारभूत आवश्यक सेवाओं की क्षति एवं प्रभाव आंकलन
- मकान एवं अन्य संपत्तियो का क्षति आंकलन
- स्वास्थ्य सेवाओं एवं संक्रामक बीमारियों का आंकलन
- पर्यावरणीय क्षति आंकलन
- आपदा प्रभावितो की आजीविका पर प्रभाव का आंकलन
- संवेदनशील वर्गों (दिब्यांग, बीमार, वृद्ध, नवजात शिशु, महिलाओं आदि) पर सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रभाव का आंकलन
- क्षति आंकलन के आधार पर लघु अवधि पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापन कार्य
- दीर्घ अवधि संरचनात्मक पुनर्निर्माण कार्य

**8.3–पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापन कार्यो हेतु विभागीय दायित्व–** आपदा घटित होने के पश्चात पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापन के कार्यो हेतु विभागीय जिम्मेदारी निम्नानुसार निर्धारित की जाती है –

Table 8.1: Sector-specific approach and processes for Reconstruction, Rehabilitation and Recovery

| क्र.सं. | प्रमुख विभाग | मुख्य भूमिका |
|---|---|---|
| 1 | पंचायत राज एवं विकास विभाग | • ग्रामीण क्षेत्रो में आपदा प्रभावित अधोसंरचना (पंचायत भवन, विद्यालय आदि) का क्षति सर्वेक्षण करना।<br>• जनहानी, आजीविका हानी का निर्धारित प्रारूप में सर्वेक्षण।<br>• राजस्व इभाग के समन्वय में प्रभावितों को शासन के नियमानुसार मुआवजा एवं अनुग्रह अनुदान वितरण।<br>• क्षति आंकलन के आधारपर पुनर्निर्माण की लघु एवं दीर्घ अवधि योजना तैयार करना।।<br>• कार्य योजना अनुसार आगामी कार्यवाही।<br>• दीर्घ अवधि पुनः स्थापन हेतु स्थायी एवं अस्थायी राहत केन्द्रों का संबन्धित विभागों के समन्वय में निर्माण।<br>• मनरेगा एवं रोजगार से संबन्धित अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आजीविका प्रदान करना। |

| क्र.सं. | प्रमुख विभाग | मुख्य भूमिका |
|---|---|---|
| 2 | राजस्व विभाग | • क्षति आंकलन कार्य में सभी संबन्धित विभागो के साथ समनवय तथा कुल क्षति का क्षेत्रवार आंकलन।<br>• शासन के नियमानुसार अनुग्रह अनुदान राशि एवं मुआवजा वितरण।<br>• क्षति आंकलन हेतु कुल वित्तीय आवश्यकताओं का आंकलन एवं जिला प्राधिकरण को रिपोर्टिंग।<br>• संबन्धित विभागों द्वारा प्रस्तावित लघु एवं दीर्घ अवधि पुनः स्थापन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु वित्तीय आवश्यकताओं का आंकलन।<br>• आपदा प्रभावितों की पुनः स्थापन में सहायता हेतु जिला प्रशासन के समाबंधित अधिकारियों का संपर्क नंबर। |
| 3 | कृषि विकास विभाग | • फसलो की क्षति का आकलन करना।<br>• क्षतिग्रस्त फसलों के सेंपल को जांच हेतु प्रयोगशाला भेजना एवं उनका उन्मूलन करना।<br>• फसल बीमा एवं मुआवजे के वितरण की व्यवस्था।<br>• कृषकों को बीमा एवं मुआवजा संबंधी जानकारी प्रदान करने हेतु सहायता केन्द्रों की स्थापना करना।<br>• बीज और अन्य कृषि इनपुट की सुविधा प्रदान करना।<br>• सूखा एवं बाढ़ अनुकूलित बीजो का प्रचार।<br>• क्षतिग्रस्त खेत के औजारो के लिए ऋण की सुविधा प्रदान करना। |
| 4 | पुलिस विभाग | • कानून व्यवस्था बनाए रखना।<br>• अफवाहों के नियंत्रण हेतु सभी संबन्धित विभागों से समन्वय। |
| 5 | वन विभाग | • वन एवं वन्य जीवों की आपदा के कारण हुई क्षति तथा विपरीत प्रभाव का आंकलन तथा अन्य संबन्धित विभागों के समन्वय में लघु एवं दीर्घ अवधि योजना तैयार कर वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण। |
| 6 | मत्स्य विभाग | • आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मत्स्य उद्योग पर हुये क्षति का अंकलन।<br>• स्थानीय मछुवारों की नावों की क्षति का आंकलन करना एवं राजस्व विभाग के समन्वय में मुआवजा एवं राहत राशि प्रदान करने की व्यवस्था करना।<br>• मत्स्य विभाग की लघु एवं दीर्घ अवधि योजना तैयार करना। |
| 7 | सहकारिता विभाग | • कृषि विभाग के समन्वय से सहकारी संस्थाओं के माध्यम से आपदा प्रभावितों को बीज खाद एवं अन्य आवश्यक सामग्री का आंकलन एवं प्रदाय। |
| 8 | शिक्षा विभाग | • विद्यालय की संरचना पर आपदा के प्रभावों का आंकलन तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के समन्वय में मररामत का कार्य।<br>• विद्यालयों के सुचारु संचालन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था।<br>• विद्यालय में स्वस्थ्य सफाई को सुनिश्चित करना। |
| 9 | सांख्यकी विभाग | • आपदा से हुई क्षति का सम्पूर्ण डेटा का विभ्हिन्न विभागों द्वारा आंकलन क्षति के आधार पर जिला विकास योजना में आपदा प्रभावित क्षेत्र की योजनाओं को शामिल करना। |
| 10 | स्वास्थ्य विभाग | • महामारी फैलने वाली बीमारियोंध्संक्रमक बीमारियों वाले संवेदनशील क्षेत्रों का चिंहांकन एवं सर्वेक्षण।<br>• स्वच्छता हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना।<br>• संक्रांमक बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण करवाना।<br>• संक्रामक रोगों से बचाव हेतु जन समुदाय को आवश्यक निर्देश प्रदान करना। |

| क्र.सं. | प्रमुख विभाग | मुख्य भूमिका |
|---|---|---|
| | | • स्वास्थ्य की दृष्टि से सफाई एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु नगर निगम नगर पालिका लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी एवं अन्य विभागों के समन्वय।<br>• आपदा से आघात लोगो की काउन्सलिंग करना।<br>• चिकित्सा एवं घायलोंधविकलांगों के समाजिक चिकित्सकीय पुर्नवास हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना। |
| 11 | नगरीय निकाय | • आपदा प्रभावित क्षेत्रों से मलबा निपादन<br>• शुद्ध पेयजल की व्यवस्था<br>• आवश्यकतानुसार शौचालयों का निर्माण। |
| 12 | सूचना कार्यालय | • आपदा से संबन्धित समस्त जानकारियों को उचित मीडिया द्वारा जन समुदाय को जानकारी प्रदान करना।<br>• आपदा उपरान्त प्रदत्त किये जाने वाले विभिन्न सहायता, धनराशि इत्यादि के विषय में स्थानीय जन समुदाय को समय पर जानकारी प्रदान करने की व्यवस्था करना। |
| 13 | पूर्ति विभाग | • मुफ्त खाद्यान वितरण का आवश्यकता आंकलन तथा अन्य संबन्धित विभागों के माध्यम से वितरण।<br>• खाद्यान्न गोदामों का संरक्षण<br>• दान दाता एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त सामग्रियों का रखरखाव एवं वितरण। |
| 14 | लोक निर्माण विभाग | • अवरूद्ध सड़कों की साफ–सफाई।<br>• गड्ढ़ों का भराव करना, मलवा सफाई तथा सड़क अवरूद्ध करने वाले पेड़ो को हटाना।<br>• क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलो की मरम्मत करना तथा अतिशीघ्र यातायात व्यवस्था को बहाल करना।<br>• संवेदनशीलध्आपदा स्थलों पर वैकल्पिक रास्तों का चिन्हीकरण करना।<br>• क्षतिग्रस्त सड़क/डाइवरसन, राहत शिविर, चिकित्सा पोस्ट, पुलध्पुलियों, सड़कों अस्थायी संरचनाओं का क्षति आकलन .<br>• संरचनाओं का मजबूतीकरण तथा पुनः बहाली तथा जिन कारणों से संरचनाओ में नुकसान पहूँचा है, उनको यथा संभव दूर करना। |
| 15 | सिंचाई विभाग | • सिंचाई संरचनाओं का संरक्षण एवं निगरानी।<br>• जिले के प्रमुख बांधों, पुलो, तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण एवं क्षति आंकलन।<br>• संरचनाओं स्टेशन, उपकरण, पम्प, जनरेटर, मोटर इत्यादि का मरम्मत एवं निरीक्षण।<br>• बांध टूट स्थल पर रोक हेतु आवश्यक कार्य। |
| 16 | यू.पी.सी.एल. | • क्षतिग्रस्त बिजली के खंभे ट्रांसफार्मर आदि का सर्वेक्षण तथा तत्काल बहाली का कार्य।<br>• उच्च विद्युत क्षमता के तारो, विघुत उपकेन्द्रों ट्रांसफारर्मरध्पोल इत्यादि महत्वपूर्ण घटकों का निरीक्षण एवं संबन्धित विभाग को सूचना प्रदान करना।<br>• आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बिजली बहाली यथाशीघ्र सुनिश्चित करना।<br>• क्षतिग्रस्त पोल, ट्रांसफारर्मर, कनडकर्टस इत्यादि उपकरणों की मरम्मत एवं बदलाव शीघ्रातिशीघ्र करना। |

| क्र.सं. | प्रमुख विभाग | मुख्य भूमिका |
|---|---|---|
| 17 | पशुपालन विभाग | • पशुधन क्षति आंकलन<br>• आपदा उपरांत पशुजनित रोग नियंत्रण<br>• सामान्य स्थिति होने तक पशु चारे व घास की व्यवस्था।<br>• मवेशियो के शवों को हटाने तथा महामारी से बचने के लिए सफाई की उपयुक्त व्यवस्था हेतु नगर निगम एवं स्थानीय निकाय से समन्वय सुनिश्चित करना। |
| 18 | भारत संचार निगम लिमिटेड | • संचार व्यवस्था क्षति आंकलन.<br>• संचार नेटवर्क को त्वरित रूप से बहाल करने हेतु समस्त सर्विस प्रोवाईडर से संचार व्यवस्था से समन्वय। |
| 19 | जल संस्थान | • नगर निगमध्नगरपालिका के सहयोग से आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पेय जल स्त्रोतों तथा जल प्रदाय व्यवस्था का क्षति आंकलन।<br>• प्रभावित पेय जल स्रोतों के शुद्धीकरण की व्यवस्था।<br>• राहत केन्द्रों, अस्पतालों आदि महत्वपूर्ण स्थलों पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करना। |
| 20 | समाज कल्याण विभाग | • आपदा निःशक्तजनों एवं अन्य संवेदनशीलता।<br>• कमजोर वर्ग को सर्वेक्षण उपरांत ट्राई साइकिल एवं अन्य आवश्यक सामग्रियाँ, तथा उचित सहायता उपलब्ध करना।<br>• आपदा उपरांत निः शक्तजनों के देखभाल तथा पुनःस्थापन हेतु सम्बंधित विभागों से समन्वय। |
| 21 | महिला एंव बाल विकास विभाग | • स्वास्थ्य सर्वेक्षण में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार ल्याण के साथ समन्वय ।<br>• महिलाओं की आजीविका पर प्रभाव का आंकलन तथा पुनः स्थापन हेतु लघु एवं दीर्घ अवधि योजना तैयार करना। |

**8.4– क्षति आंकलन प्रक्रिया–** क्षति एवं प्रभाव का आंकलन शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सम्बंधित विभागों द्वारा की जायेगी। क्षति आकलन हेतु जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पदाधिकारियों के नेतृत्व में टीमें गठित कर, सभी प्रकार की क्षति का डिजिटल कैमरे से तिथियुक्त फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी कराना सुनिश्चित करेगा। ऐसे फोटो एवं वीडियों में किसी जिम्मेदार सरकारी कर्मी का फोटो होना आवश्यक होगा। विभागों द्वारा किये गये क्षति आंकलन के अनुरुप पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापन हेतु लघु अवधि एवं दीर्घ अवधि कार्य योजना बनाई जावेगी तथा इन कार्यो को संपन्न करने हेतु विभागीय बजट में प्रावधान किया जायेगा।

**क्षति आंकलन प्रपत्र–** आपदा के उपरान्त संभावित क्षति के आंकलन हेतु सम्बंधित विभागों द्वारा अनुमोदित प्रारूप का उपयोग किया जायेगा। यदि विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में बिंदु सम्मिलित नहीं हैं, तो इन्हें सम्मिलित करते हुए क्षति आंकलन का कार्य किया जायेगा।

**8.5– लघु अवधि पुनःस्थापन के महत्वपूर्ण कार्य–** आपदा के पश्चात प्रभावितों के तत्काल पुनःस्थापन एवं राहत तथा क्षति ग्रस्त एवं आपदा प्रभावित अधोसंरचनाओ एवं आवश्यक सेवाओ के बहाली हेतु तालिका–8.1 में उल्लेखित विभागों द्वारा निम्नाकित कार्य प्राथमिकता के आधार पर किये जायेंगे।

**मुफ्त खाद्यान्न का वितरण :** प्रभावितों को निर्धारित मान दर के अनुसार खाद्यान्न का वितरण तथा नगद अनुदान का भुगतान किया जायेगा।

**राहत वितरण :** क्षति आकलन करने के बाद प्रभावितो को निर्धारित मानदर के अनुसार राहत वितरण प्रारंभ किया जायेगा। राहत वितरण यथानुसार वार्ड / ग्राम स्तरीय समितियों के पर्यवेक्षण एवं परामर्श से किया जाएगा। यदि राहत वितरण में भेद–भाव अथवा किसी भी तरह की शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जांच एवं निष्पादन संबन्धित पदाधिकारियों की टीम से अविलम्ब कराया जाएगा ताकि राहत वितरण में अनावश्यक कठिनाइयाँ एवं विवाद पैदा न हो सके।

**क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचनाओं का पुनःस्थापन/पुनर्निर्माण :** संबंधित विभाग अपने नियंत्रणाधीन आधारभूत संरचना की क्षति के आकलन कराने के पश्चात् उनके त्वरित पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपना कर, सर्वप्रथम आधारभूत संरचनाओं का त्वरित पुनर्स्थापन करेंगे,तत्पश्चात् पुनर्निर्माण का कार्य किया जाएगा।

**महामारी की रोकथाम :** आपदा के पश्चात् प्रभावित क्षेत्रों में महामारी फैलने की संभावना रहती है। एवं महामारीकी रोकथाम हेतु तुरंत स्वास्थ्य विभाग एवं संबंधित विभागों द्वारा निरोधात्मक कदम उठाए जाऐंगे।

**जल जमाव वाले क्षेत्रों से जल निकासी की व्यवस्था :** जल जमाव से प्रभावित क्षेत्रों से तुरंत जल निकासी की व्यवस्था संबंधित विभाग द्वारा की जावेगी।

**8.6– दीर्घ अवधि की पुनर्निर्माण गतिविधियां–** दीर्घ अवधि पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापन कार्यो हेतु आपदा प्रभावित क्षेत्रो में आवश्यकताओ एवं सेवाओं का आंकलन कर, उनकी बहाली हेतु योजनाओं का चयन कर अथवा नवींन योजनाएं बनाकर, केंद्र शासन, राज्य शासन और जिला स्थित विभागों के समर्थन से संपन्न किया जायेगा।
जनपद के जोखिम विश्लेषण के आधार पर दीर्घ–अवधी संरचनात्मक कार्य योजना समय सीमा के साथ प्रस्तावित की जायेंगी।

# अध्याय – 09 आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय संसाधन (Financial Resources for Implementation of DDMP)

**9.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत उत्तराखंड में वित्तीय व्यवस्थाएँ–** भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए वित्तीय व्यवस्थाएँ की गई हैं। उत्तराखंड में इस अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित वित्तीय व्यवस्थाएँ लागू होती हैं:

### 1. राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF)

- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48(1) के तहत यह कोष स्थापित किया गया है।
- इसके दिशानिर्देश धारा 62 के अंतर्गत जारी किए गए हैं।
- इस कोष का उपयोग केवल चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना और कीट हमले जैसी आपदाओं से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किया जाता है।

### 2. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF)

- धारा 46 के तहत गठित इस कोष के दिशानिर्देश धारा 46(2) के तहत जारी किए गए हैं।
- जब किसी राज्य में आपदा इतनी गंभीर होती है कि SDRF का बजट पर्याप्त नहीं होता, तो NDRF से अतिरिक्त सहायता दी जाती है।
- इसमें उन्हीं आपदाओं को कवर किया जाता है, जो SDRF में शामिल होती हैं, लेकिन वे केंद्र सरकार द्वारा "गंभीर" मानी जाती हैं।

### 3. केंद्र प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes & CSS) के अंतर्गत फ्लेक्सी–फंड

- नीति आयोग द्वारा 17 अगस्त 2016 को जारी निर्देशों के अनुसार, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में फ्लेक्सी–फंड का प्रावधान किया गया है।
- इन फंड्स का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं के कारण शमन (mitigation) और पुनर्स्थापन (restoration) गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।
- यह धनराशि उन क्षेत्रों के लिए भी उपयोगी हो सकती है, जो आंतरिक सुरक्षा संकटों से प्रभावित हैं।

**9.2 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत बनाए जाने वाले कोष**

### 1. जिला आपदा प्रतिक्रिया कोष (DDRF)

- धारा 48 के तहत जिलास्तरीय आपदा प्रबंधन कोष बनाने का प्रस्ताव किया गया है।
- यह कोष जिला प्रशासन द्वारा आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास के लिए उपयोग किया जाएगा।
- इस कोष का संचालन भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा तय किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

**2. जिला आपदा शमन कोष (DDMF)**

- धारा 48 के तहत जिला स्तर पर आपदा शमन (mitigation) कोष की स्थापना की जाएगी।

**9.3 राज्य सरकार के विभागों और एजेंसियों की जिम्मेदारियाँ**

- धारा 40 के तहत राज्य सरकार के सभी विभागों, बोर्ड, निगमों, पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को अपने आपदा प्रबंधन योजनाएँ (DM Plans) तैयार करनी होंगी।
- प्रत्येक विभाग को वित्तीय प्रावधानों का अनुमान लगाकर उन्हें अपने वार्षिक बजट और चल रही योजनाओं में शामिल करना होगा।
- राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) से परामर्श कर शमन परियोजनाओं (mitigation projects) के लिए उपयुक्त वित्त पोषण एजेंसियों की पहचान करनी होगी।

**9.4 तकनीकी–वित्तीय व्यवस्था (Techno&Financial Regime)**

- सरकार द्वारा दी जाने वाली राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण सहायता से आपदा के दौरान हुए भारी नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती।
- इस समस्या से निपटने के लिए नए वित्तीय साधनों को बढ़ावा दिया जाएगा, जैसे:
- कैटास्ट्रॉफिक जोखिम वित्तपोषण (Catastrophe Risk Financing)
- जोखिम बीमा (Risk Insurance)
- कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड्स (Catastrophe Bonds)
- माइक्रो–फाइनेंस और माइक्रो–इंश्योरेंस
- पर्यावरण राहत कोष (Environmental Relief Fund), जो लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 के तहत स्थापित किया गया था, का उपयोग रासायनिक दुर्घटनाओं के पीड़ितों की सहायता के लिए किया जाता है।
- आपदा जोखिम बीमा, माइक्रो–इंश्योरेंस, नए बनाए गए घरों की वारंटी, और सुरक्षित निर्माण को होम लोन से जोड़ने जैसी रणनीतियों पर विचार किया जाएगा।

**9.5 अन्य वित्तीय विकल्प**

- DDMA विभिन्न विभागों के साथ मिलकर आपदा के बाद बुनियादी ढांचे और आजीविका की बहाली के लिए अन्य वित्तीय विकल्पों की पहचान करेगा।
- केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) में उपलब्ध फ्लेक्सी फंड का उपयोग आपदा शमन और पुनर्स्थापन कार्यों में किया जाएगा।
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) और सार्वजनिक–निजी भागीदारी (PPP) के तहत आपदा सहनशीलता (disaster resilience) को बढ़ाने के लिए निवेश की संभावनाएँ तलाशी जाएँगी।

**राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF)**

**<u>गृह, अनुगृह, अहैतुक (Ex-gratia)</u>**

प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के निजी परिसम्पत्ति (जन हानि, पशु हानि, भवन क्षति एवं कृषि व भूमि) के संबंध में सम्बन्धित तहसील के आख्यानुसार अनुमन्य राहत राशि का वितरण संबंधित तहसीलदार के स्तर से किया जाता है। इसके अतिरिक्त भवन में रखे खाद्यन्न सामग्री व कपड़ो हेतु तात्कालिक राहत सहित शीतलहर से बचाव हेतु आवश्यकतानुसार सार्वजनिक स्थलों में अलाव एवं जरूरत मदों को कम्बल व वस्त्र आदि वितरण किया जाता है।

## राज्य आपदा मोचन कोष (एस0डी0आर0एफ0) और राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एन0डी0आर0एफ0) से सहायता देने की मदों और मानदण्डों और मानदण्डों की सूची

| क्र.सं. | मद | सहायता के मानदण्ड |
|---|---|---|
| क | **मोचन एंव राहत (राज्य आपदा जोखिम प्रबन्धन कोष) (एस0डी0आर0एम0एफ0) का 40% अर्थात वर्ष के लिए एस0डी0आर0एफ0 आवंटन के 50% के बराबर** | |
| 1 | **आनुग्राहिक राहत** | |
| | क) मृतकों के परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान | प्रत्येक मृतक के लिए धनराशि रू0– 4.00 लाख<br>**(नवीन शासनादेश के अनुसार 4.00 लाख एसडीआरएफ एंव 1.00 लाख मा0 मुख्यमन्त्री राहत कोष से, इस प्रकार कुल धनराशि रू0– 5.00 लाख प्रदान की जा रही है)** |
| | ख) शरीर के किसी अंग (लिंब) अथवा ऑख/ऑखों की हानि होने पर अनुग्रह राशि का भुगतान | प्रति व्यक्ति धनराशि रू0– 74,000.00, जब अपंगता 40% और 60% के बीच हो।<br>प्रति व्यक्ति धनराशि रू0– 2.50 लाख जब अपंगता 60% से अधिक हो।<br>अपगंता की सीमा और उसके कारण के सम्बन्ध में सरकारी अस्पताल अथवा डिस्पेन्सरी के डॉक्टर द्वारा किए गये प्रमाणन के अध्यधीन। |
| | ग) ऐसा गहरा जख्म जिसमें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है | प्रति व्यक्ति 16,000/–रू0 जब एक सप्ताह से अधिक अवधि के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो।<br>प्रति व्यक्ति 5,400/–रू0 जब एक सप्ताह से कम की अवधि के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो।<br>**नोट–** आयुष्मान भारत योजना के तहत उपचार प्राप्त करने वाले व्यक्ति इस मद के तहत राहत के लिए पात्र नहीं होगें। |
| | घ) किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जिनके घर पानी में बह गए हैं/पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए है/दो दिन से अधिक पानी में डूबे हुए हैं, उन परिवारों के लिए कपडें और बर्तन/घरेलू सामान | 2,500/–रू0 प्रति परिवार, कपडों की हानि के लिए।<br>2,500/–रू0 प्रति परिवार, बर्तनों/घरेलू सामान की हानि के। |
| 2 | **कृषि** | |
| (i) | **ऐसे छोटे एंव सीमान्त किसानों जिनके पास 2 हैक्टेयर तक भूमि है को सहायता** | |
| क | **भूमि और अन्य नुकसान के लिए सहायता** | |
| | क) कृषि भूमि में गाद निकालना (जहॉ पर रेत/गाद निक्षेप की मोटाई 03 से0मी0 से अधिक है, जिस राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाऐगा) | प्रत्येक मद के लिए 18000/–रू0 प्रति हैक्टेयर।<br>उपरोक्त राशि प्रति किसान न्यूनतम धनराशि रू0–2200.00 की सहायता के अध्यधीन है।<br>इस शर्त के अध्यधीन कि लाभार्थी द्वारा अन्य किसी सरकारी योजना के तहत कोई अन्य सहायता/सब्सिडी प्राप्त नहीं की गई है तथा वह उसको प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है।) |
| | ख) पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि भूमि से मलबा हटाना | |
| | ग) गाद निकालना/पुनरूद्वार/मछली फार्मों की मरम्मत | |
| | घ) भू–स्खलन, हिमस्खलन, नदियों के मार्ग बदलने के कारण हुई पर्याप्त भू–भाग की हानि | केवल उन छोटे और सीमान्त किसानों को 47000/–रू0 प्रति हैक्टेयर, जिनकी भूमि का स्वामित्व राजस्व अभिलेखों के अनुसार वैध है।<br>उपरोक्त राशि प्रति किसान न्यूनतम 5000/–रू0 की सहायता के अध्यधीन है। |
| ख | **इनपुट सब्सिटी (जहॉ पर फसलों का नुकसान 60% और उससे अधिक है)** | |

| क्र.सं. | मद | सहायता के मानदण्ड |
|---|---|---|
| | क) कृषि फसलों, बागवानी फसलों और वार्षिक बागान फसलों के लिए | 8500/–रू0 प्रति हैक्टेयर, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में।<br><br>उपरोक्त सहायता प्रति किसान न्यूनतम 1,000/–रू0 के अधीन है और बोए गए क्षेत्रों तक सीमित है।<br><br>17,000/–रू0 प्रति हेक्टेयार, सुनिश्चित सिंचित क्षेत्रों में।<br><br>उपरोक्त सहायता प्रति किसान न्यूनतम 2000/–रू0 के अधीन है और बोए गए क्षेत्रों तक सीमित है। |
| | ख) बारहमासी फसलें/एग्रो फोरेस्ट्री (अपने खेतों में वृक्षारोपण) | 22,500/– रू0 प्रति हेक्टेयर, सभी प्रकार की बारहमासी फसलों/कृषि वानिकी (स्वयं के खेत में वृक्षारोपण के लिए और यह सहायता प्रति किसान न्यूनतम 2,500/– रूपये की सहायता के अध्यधीन तथा बोए गए क्षेत्रों तक सीमित है। |
| | ग) रेशमकीट पालन/उत्पादन | 6000/–रू0 प्रति हेक्टेयर, ऐरी, मलबरी, टसर के लिए<br><br>7500/–रू0 प्रति हेक्टेयर, मूगा के लिए। |
| **(ii)** | **ऐसे किसानों को इनपुट सब्सिडी जिनके पास 2 हैक्टेयर से ज्यादा भूमि है।** | 8,500/–रू0 प्रति हेक्टेयर, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में और बुवाई वाले क्षेत्रों तक सीमित।<br><br>17,000/–रू0 प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्रों के लिए बोए गए क्षेत्रों तक सीमित।<br><br>22,500/–रू0 प्रति हेक्टेयर, सभी प्रकार की बारहमासी फसलों/पेडों, जिसमें एग्रीफोरेस्ट्री (स्वयं के खेत में वृक्षारोपण) भी शामिल है, के लिए और यह सहायता बोए गए क्षेत्रों तक सीमित।<br><br>जहॉ फसल का नुकसान **33%** और उससे अधिक है, वहॉ सहायता प्रदान की जा सकती है, जो प्रति किसान 2 हेक्टेयर की सीमा के अधीन है। |
| | नोटः मद संख्या 5**(i)**(ख) और 5**(ii)** के तहत इनपुट सब्सिडी के लिए सहायता को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत प्राप्त बीमा दावे की सीमा तक तत्काल आपदा के लिए समायोजित किया जाएगा। | |
| **3** | **पशुपालन–छोटे और सीमान्त किसानों तथा भूमिहीन पशु मालिकों को सहायता** | |
| | i) दुधारू पशुओं, गैर दुधारू पशुओं अथवा ढुलाई के लिए उपयोग किए जाने वाले पशुओं की भरपाई हेतु सहायता | **दुधारू पशु–**<br>37500/–रू0 –भैंस/गाय/ऊॅट/याव/मिथुन आदि के लिए।<br>4000/–रू0 –भेड/बकरी/सूअर के लिए।<br><br>**गैर दुधारू पशु–**<br>32,000/–रू0 –ऊॅट/घोडा/बैल आदि के लिए।<br>20,000/–रू0 –बछडा/गधा/टट्टू/खच्चर/ हेपर आदि के लिए<br><br>**मुर्गीपालन–**<br>प्रति लाभार्थी परिवार को 10000/–रू0 की सहायता की सीमा के अध्यधीन मुर्गीपालन हेतु प्रति पक्षी 100/–रू0 कुक्कुटों की मृत्यु प्राकृतिक आपदा के कारण होनी चाहिए। |
| | i) पशु केम्पों में जलापूर्ति एंव दवाईयों सहित चारे/फीड कन्सन्ट्रेट का प्रावधान | **बडे पशु– 80 रू0 प्रतिदिन** |

| क्र.सं. | मद | सहायता के मानदण्ड |
|---|---|---|
| | **व्याख्याः** इसमें मौजूदा गौशालऐं, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधी पशु शिविर के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचना या सरकारी आदेश द्वारा अधिकृत किया गया है, भी शामिल होगीः–<br>(i) आपदा की अवधि के दौरान जिला प्रशासन पशु आश्रय की आवश्यकता और जिला/तहसील में पशु आश्रय के रूप में अधिसूचित किए जाने के लिए आवश्यक गौशालाओं की संख्या का आंकलन करेगा। पहले से आश्रय में रखे गए मवेशियों के बारे में बेसलाईन की जानकारी प्राप्त करने के बाद और अधिक मवेशियों की संख्या को प्राप्त करने के बाद, गौशाला को पशु आश्रय के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है।<br>(ii) अधिसूचित गोशाला अधिसूचित सूखे की अवधि के लिए एसएमएफ और भूमिहीन मजदूरों से सम्बन्धित अतिरिक्त मवेशियों का लेखा–जोखा रखेगी। एसएमएफ एंव भूमिहीन लाभग्राहियों की समेकित सूची, पशुओं की संख्या एंव प्रकार सहित, सत्यापन और सामाजिक लेखापरीक्षा के उद्वेश्य से ग्राम पंचायत, ब्लॉक, तहसील के नोटिस बोर्ड पर तथा सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट एंव जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय के साथ–साथ राज्य/जिला की वेबसाईठ पर प्रदर्शित की जायेगी।<br>(iii) एस0डी0आर0एफ0 निधियॉ केवल ऐसी अधिसूचित गौशाला को प्रतिपूर्ति के आधार पर जारी की जाऐगी और यह ऊपर क्रम संख्या **(ii)** में अधिसूचित एकल लाभार्थियों की सूची तक सीमित होगी। | **छोटे पशु– 45 रू0 प्रतिदिन**<br><br>राहत प्रदान किए जाने की अवधि राज्य कार्यकारी समिति द्वारा किए गए आंकलन तथा केन्द्रीय दल की सिफारिश (एन0डी0आर0एफ0 के मामले में) के आधार पर तय की जाएगी। सहायता के लिए डिफॉल्टर अवधि 30 दिन होगी जिस प्रथम बार 60 दिन तथा गम्भीर सूखे की स्थिति में 90 दिन तक बढाया जा सकता है। वास्तविक स्थिति के आधार पर राज्य कार्यकारी समिति इस समय सीमा को निर्धारित अवधि से अधिक समय के लिए बढा सकती है, बशर्ते कि इसके लिए किया गया व्यय वर्ष के दौरान एस0डी0आर0एफ0 के लिए इस विण्डों (मोचन एंव राहत) के तहत किए गए आवंटन के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।<br><br>वास्तविक लागत, जो पशुधन गणना के अनुसार पशुओं के अनुमान के समनुरूप एस0ई0सी0 द्वारा आवश्यकता के आंकलन और केन्द्रीय टीम की सिफारिश (एन0डी0आर0एफ0 के मामले में) पर आधारित होगी और दवाईयों व वैक्सीन की आवश्यकता के बारे में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने के अध्यधीन होगी। |
| | (iv) पशु शिविरों से बाहर रह रहे पशुओं के लिए चारा पंहुचाना | अधिसूचित आपदा के दौरान परिवहन की वास्तवित लागत के अनुसार, पशुधन गणना के आधार पर पशुओं के अनुमान के समनुरूप एस0ई0सी0 द्वारा आवश्यकता के आंकलन और केन्द्रीय टीम की सिफारिश (एन0डी0आर0एफ0 के मामले में) पर किया जाएगा। |
| **4** | **मत्स्यपालन** | |
| | (i) मछुआरों को क्षतिग्रस्त/गुम हो गई गैर–यंत्रीकृत नावों, जालों की मरम्मत /उन्हें बदलने हेतु सहायता।<br><br>(यदि लाभार्थी किसी अन्य सरकारी स्कीम के अन्तर्गत तात्कालिक आपदा हेतु पात्र है अथवा उसने कोई सब्सिडी/सहायता प्राप्त की है तो उसे यह सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाएगी) | 6000 रू0– केवल आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त नावों की मरम्मत के लिए।<br>3000 रू0– आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त जालों की मरम्मत के लिए।<br><br>15000 रू0– पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त नावों को बदलने के लिए।<br>4000 रू0– पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त जालों को बदलने के लिए। |

| क्र.सं. | मद | सहायता के मानदण्ड |
|---|---|---|
| | | |
| | (ii) छोटे एंव सीमान्त किसानों को मछली के चारे हेतु इनपुट सब्सिडी | 10,000 रू0 प्रति हैक्टेयर।<br><br>मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की योजना के तहत प्रदान की जाने वाली एकबारगी सब्सिडी को छोडकर, यदि लाभार्थी किसी अन्य सरकारी योजना के तहत मौजूदा आपदा के लिए पात्र है या कोई सब्सिडी/सहायता प्राप्त की है, तो उसे यह सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। |
| 5 | **हस्तशिल्प/हथकरघा शिल्पकारों की सहायता** | |
| | i) क्षतिग्रस्त मुख्य कार्यत्मक औजारों/उपकरणों को बदलने हेतु | उपकरणों के लिए प्रति शिल्पकार 5000 रू0<br><br>सरकार द्वारा क्षति और इसकी भरपाई के सम्बन्ध में नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन के अध्यधीन। |
| | ii) सामान तैयार होने के दौरान कच्चे माल/तैयार माल की हानि के लिए | कच्चे माल के लिए प्रति शिल्पकार 5000 रू0<br>सरकार द्वारा क्षति और इसकी भरपाई के सम्बन्ध में में नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन के अध्यधीन। |
| ख | **रिकवरी और पुनर्निर्माण (एस0डी0आर0एफ0एफ0 का 30% अर्थात वर्ष के लिए एसडीआरएफ आवंटन के 37.50% के बराबर)** | |
| 6 | **आवासन** | |
| | **क) पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नष्ट हुए घर और गम्भीर रूप से क्षतिग्रस्त घर** | |
| | i) पक्का घर<br>ii) कच्चा घर | मैदानी इलाकों में 1,20,000/–रू0 प्रति घर।<br>पहाडी क्षेत्रों में 1,30,000/–रू0 प्रति घर। **(नवीन शासनादेश के अनुसार 2.00 लाख एसडीआरएफ एंव 3.00 लाख मा0 मुख्यमन्त्री राहत कोष से, इस प्रकार कुल धनराशि रू0– 5.00 लाख प्रदान की जा रही है)** |
| | **ख) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान (झोपडियों के सिवाय) जहॉ क्षति कम से कम 15% है** | |
| | i) पक्का घर<br><br>ii) कच्चा घर | 65,00/–रू0 प्रति घर<br><br>4000/–रू0 प्रति घर |
| | ग) क्षतिग्रस्त/नष्ट हो गई झोपडियॉ | 8000/–रू0 प्रति झोपडी |
| | **ड़) घर से जुडा पशुओं का बाडा** | 3000/–रू0 प्रति शेड |
| 7 | **अवसंरचना**<br>(क्षतिग्रस्त अवसंरचना की (तत्काल प्रकृति की) मरम्मत एंव पुनरूद्वार) | |
| | **(1) सडकें और पुल–** जिसमें निम्नलिखित गतिविधियॉ शामिल हो सकती हैः–<br>i) दरारों ओर गड्ढों को भरना, जलमार्ग बनाने के लिए पाइप का उपयोग, तटबन्धों की मरम्मत और पत्थर की पिंचिंग<br>ii) टूटी पुलियों की मरम्मत।<br>iii) तत्काल सम्पर्क बहाल करने के लिए पुलों के क्षतिग्रस्त /बह गए हिस्सों को डायवर्जन प्रदान करना।<br>iv) पुलों/तटबंधों तक पहुंचने के लिए अस्थायी मार्गों की मरम्मत, पुलों की क्षतिग्रस्त रेलिंग की मरम्मत, तत्काल सम्पर्क बहाल करने के लिए कॉजवे की | **आवश्यकताओं का आंकलनः**<br><br>एसईसी द्वारा किये गए आंकलन और केन्द्रीय टीम की सिफारिश (एन0डी0आर0एफ0 के मामले में) के आधार पर राज्यों द्वारा अधिसूचित दरों की सूची के अनुसार।<br>सड़कों की मरम्मत के मामले में राज्य के अधिसूचित साधारण मरम्मत (ओआर) और आवधिक नवीनीकरण (पीआर) के आधार पर सहायता दी जाएगी। यदि ओआर एंव पीआर उपलब्ध नहीं है, तो इस मद में निर्धारित दर के अनुसार सहायता प्रदान की जाएगी। तथापि किसी भी स्थिति में जो भी कम हो उस दर पर सहायता प्रदान की जाएगी।<br>निर्धारित दर इस प्रकार हैः–<br>**राज्य राजमार्गों/प्रमुख जिला सडकों (एमडीआर) की** |

| क्र.सं. | मद | सहायता के मानदण्ड |
|---|---|---|
| | मरम्मत, यातायात बहाल करने के लिए क्षतिग्रस्त सडकों पर दानेदार सब–बेस | **मरम्मत**<br>–सामान्य क्षेत्रों में 1.0 लाख रू0 प्रति कि0मी0 की दर से।<br>–पहाडी क्षेत्रों में 1.25 लाख रू0 प्रति कि0मी0 की दर से।<br><br>**ग्रामीण सडकों/पुलिया वाली गॉव की सडकों की मरम्मत**<br>–सामान्य क्षेत्रों में 60,000/–रू0 प्रति कि0मी0 की दर से।<br>–पहाडी क्षेत्रों में 75,000/–रू0 प्रति कि0मी0 की दर से।<br><br>**आर0सी0सी0 पुलिया/पुल की मरम्मत**<br>–सामान्य क्षेत्रों में 60,000/–रू0 प्रति पुलिया की दर से।<br>–पहाडी क्षेत्रों में 75,000/–रू0 प्रति पुलिया की दर से। |
| | **(2) पेयजल आपूर्ति योजनाऐं–** जिसमें निम्नलिखित गतिविधियॉ शामिल हो सकती हैः–<br>i) हैण्डपंप/रिंग वेल/स्प्रिंग–टैप्ड चैंबर्स/सार्वजनिक स्टैण्ड पोस्ट, सिस्टर्न के क्षतिग्रस्त प्लेटफार्मों की मरम्मत।<br>ii) क्षतिग्रस्त स्टैण्ड पोस्टों का पुनर्निर्माण, जिसमें क्षतिग्रस्त पाईपों को नई पाइपों से बदलना, साफ पानी के जलाशय की सफाई (इसे लीक प्रूफ बनाना) शामिल है।<br>iii) क्षतिग्रस्त पंपिंग मशीनों की मरम्मत ओवरहेड जलाशयों और पानी के लीक हो रहे पंपों की मरम्मत, जिसमें क्षतिग्रस्त इंटेक–आउटटेक संरचना, एप्रोच गैन्ट्री/जेटी शामिल है। | – क्षतिग्रस्त पेयजल आपूर्ति योजनाऐं प्रति क्षतिग्रस्त योजना के लिए 2.00 लाख रूपये की सीमा के अधीन वास्तविक व्यय के अनुसार सहायता के लिए पात्र होगी।<br><br>– 10,000/–रूपये प्रति कुएं की सीमा के अधीन सामुदायिक पेयजल कुंओं पर हुए वास्तविक व्यय के अनुसार सफाई। |
| | **(3) लघु सिंचाई योजनाऐं–** जिसमें निम्नलिखित गतिविधियॉ शामिल हो सकती हैः–<br>i) सीमेन्ट, रेत के बोरों और पत्थरों का उपयोग करके क्षतिग्रस्त नहर संरचनाओं और टैंको और छोटे जलाशयों के मिट्टी/चिनाई कार्यों की तत्काल मरम्मत।<br>ii) बॉध की दीवारों/तटबंधों में पाइपिंग या रैट होल जैसे कमजोर क्षेत्रों की मरम्मत।<br>iii) नहर और जल निकासी व्यवस्था से वनस्पति सामग्री/निर्माण सामग्री/मलबे का हटाना।<br>iv) लघु सिंचाई परियोजनाओं के तटबंधों की मरम्मत। | लघु सिंचाई कार्यों की मरम्मत के मामले में सम्बन्धित राज्य द्वारा अधिसूचित मरम्मत के लिए दरों की अनुसूची (एसओआर) के अनुसार सहायता दी जाएगी।)<br><br>–प्रति क्षतिग्रस्त लघु योजना के लिए 2.00 लाख रूपये। |
| | **(4) बिजली– (केवल प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की तत्काल बहाली तक सीमित):**<br><br>11 के0वी0 तक के क्षतिग्रस्त पोल/कंडक्टर और ट्रांसफार्मर | क्षतिग्रस्त विद्युत क्षेत्र की मरम्मत के सम्बन्ध में बेयर कंडक्टर के साथ 11 के0वी0 और एल0टी0 लाईन के स्तर तक के क्षतिग्रस्त कंडक्टरों, खम्बों और ट्रांसफार्मरों के लिए सहायता निम्नानुसार दी जाएगीः–<br>सहायता की दर होगीः |

| क्र.सं. | मद | सहायता के मानदण्ड |
|---|---|---|
| | | – 5000 रूपये प्रति पोल।<br>– क्षतिग्रस्त एल0टी0 लाईनों की मरम्मत के लिए 0.50 लाख रू0 प्रति कि0मी0<br>– एक क्षतिग्रस्त डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए 1.00 लाख रूपये) |
| | **(5) विद्यालय**<br>क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों की मरम्मत | प्रति विद्यालय 2.00 लाख रूपये की सीमा के अध्यधीन वास्तविक व्यय के अनुसार। |
| | **(6) प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र**<br>प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की मरम्मत | प्रति यूनिट 2.00 लाख रूपये की सीमा के अध्यधीन वास्तविक व्यय के अनुसार। |
| | **(7) पंचायत के स्वामित्व वाली सामुदायिक संपत्ति**<br>महिला मंगल, युवा केन्द्र, पंचायत घर, सामुदायिक भवन, आंगनबाडी आदि की अस्थाई मरम्मत | 2.50 लाख रूपये प्रति यूनिट की अधिकतम सीमा के अध्यधीन वास्तविक व्यय के अनुसार |

## परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण (Recovery and Reconstruction)

प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विभिन्न विभागों के परिसम्पत्तियों के मरम्मत एवं पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या–33-7/2021-NDM-1 दिनांक–14 अगस्त, 2024 के द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि के नये मानक निर्धारित किये गये है। उक्त नवीन मानकों के अनुसार एस.डी.आर.एफ. व एन.डी.आर.एफ. की रिकवरी व पुनर्निर्माण सहायता हेतु विभिन्न विभागों की क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों यथा पुल, सड़क, तटबन्ध, पेयजल टेंक, पाईप लाईन, सामुदायिक शौचालय, आंगनबाडी, स्वास्थ्य केन्द्र, स्कूल भवन तथा उपकरण एवं मशीनरी सहित निजी परिसम्पत्तियों अन्तर्गत भवन क्षति हेतु 30 से 70 प्रतिशत तथा 70 प्रतिशत से अधिक के लिये पृथक–पृथक मानक निर्धारित किये गये हैं।

## क्षमता विकास (Capacity Building)

आपदा प्रबन्धन हेतु विभिन्न विभागों की क्षमताओं के विकास हेतु विभिन्न प्रशीक्षण व आवश्यक कार्य तथा राहत बचाव उपकरणों का क्रय किया जाना।

1. पंद्रहवें वित्त आयोग (15-FC) ने आपदा प्रबंधन अनुदान की सिफारिश करते समय अन्य बातों के साथ–साथ आपदा प्रबंधन प्रणाली के महत्वपूर्ण संस्थागत, कार्यात्मक और तकनीकी घटकों का समर्थन करने के लिए तैयारी और क्षमता निर्माण (P-CB) उप–खिड़की के लिए राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (SDRMF) और राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (NDRMF) का 10% आवंटित किया है।

## तैयारी और क्षमता निर्माण उपाय–

1. आपदा प्रबंधन (DM) अधिनियम, 2005 राष्ट्रीय, राज्य और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को आपदाओं की रोकथाम या शमन या आपदा की आशंका की स्थिति या आपदाओं से निपटने के लिए तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए उपाय करने का अधिकार देता है। आपदा प्रबंधन (DM) अधिनियम, 2005 की धारा 2 (M) के अनुसार तैयारी के दृष्टिगत किसी आपदा की आशंका वाली स्थिति या आपदा और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्परता की स्थिति के लिये

2. इसके अलावा आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 2 (B) के अनुसार क्षमता निर्माण में शामिल हैं–

- मौजूदा संसाधनों और अर्जित या निर्मित किए जाने वाले संसाधनों की पहचान।
- उपरोक्त उप–खण्ड के अंतर्गत पहचाने गए संसाधनों का अधिग्रहण या सृजन करना।
- आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए कार्मिकों का संगठन एवं प्रशिक्षण तथा ऐसे प्रशिक्षण का समन्वय।

## 9.7 आपदा न्यूनीकरण निधि (DMF)

आपदा के न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन तथा जन–धन हानि की रोकथाम की दृष्टि से तात्कालिक रूप से कराये जाने अपरिहार्य हों, आपदा से सम्बन्धित ऐसे कार्यों के सम्पादन हेतु आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 48 के अन्तर्गत **''राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि''** का गठन किये जाने एवं इस निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों एवं धनराशि व्यय किये जाने हेतु उत्तराखण्ड़ शासन, आपदा प्रबन्धन अनुभाग–01 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–284(1)/XVIII-(2)/19-12(07)/2018 दिनांक 08 मार्च, 2019 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–1296/XVIII-B-1/22-12(7)/2018 दिनांक 21 अक्टूबर, 2022 द्वारा सम्यक दिशा निर्देश निर्गत किये गये है।

### 9.8–राज्य आपदा मोचन निधि से आच्छादित न होने वाले प्रस्ताव (NON SDRF)

ऐसे कार्य जो राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) द्वारा निर्धारित मानकों में नहीं आते हैं एवं आपदा के दौरान तत्काल जन सुविधा बहाल किये जाने हेतु अपरिहार्य एवं आवश्यक हों तथा उक्त कार्य हेतु अन्य विभागीय बजट की अनुपलब्धता के कारण कार्य कराया जाना संभव न हों तथा प्रस्तावित कार्य समान्य प्रकृति के नहीं हो एवं विभागीय मदों से नहीं कराया जा सकते हों का उल्लेख शासनादेश में किया गया है।

सचिव, आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–1244/XVIII-B-1/2024-12(05)/2023 दिनांक–18.12.2024 के क्रम में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF), 15–जिलाधिकारी (NON SDRF) हेतु आपदा से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण (राज्य सेक्टर) एवं 11–आपदा न्यूनीकरण निधि (SDMF) (राज्य सेक्टर) के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रस्तावों का परीक्षण कर स्वीकृति किये जाने हेतु जनपद अन्तर्गत मूल्यांकन समिति एवं जिला कार्यकारिणी समिति का निम्नवत् गठित किया गया है–

1. उक्त मद अन्तर्गत जनपद को प्राप्त होने वाले प्रस्तावों के मूल्यांकन हेतु निम्न मूल्यांकन समिति गठित की जाती है। जो प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण/मूल्याकन कर प्रस्ताव संस्तुति सहित जिला कार्यकारिणी समिति को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगी।

    1. मुख्य विकास अधिकारी, चमोली –अध्यक्ष।
    2. अपर जिलाधिकारी चमोली –सदस्य।
    3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि., गोपेश्वर –सदस्य।
    4. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, चमोली –सदस्य।
    5. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग गोपेश्वर –सदस्य।
    6. मुख्य कोषाधिकारी, चमोली –सदस्य।
    7. जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, चमोली –सदस्य।

2. मूल्यांकन समिति द्वारा संस्तुत प्रस्तावों को स्वीकृति किये जाने हेतु जिला कार्यकारिणी समिति निम्न प्रकार से गठित की जाती है–

    1. जिलाधिकारी, चमोली –अध्यक्ष।
    2. मुख्य विकास अधिकारी, चमोली –सदस्य।
    3. अपर जिलाधिकारी चमोली –सदस्य।
    4. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि., गोपेश्वर –सदस्य।
    5. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, चमोली –सदस्य।
    6. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग गोपेश्वर –सदस्य।
    7. मुख्य कोषाधिकारी, चमोली –सदस्य।
    8. जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, चमोली –सदस्य।

उपरोक्तानुसार गठित मूल्यांकन समिति द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि, 15–जिलाधिकारी हेतु आपदा से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण (राज्य सेक्टर) एवं 11–आपदा न्यूनीकरण निधि (राज्य सेक्टर) अन्तर्गत जनपद हेतु आंविटत धनराशि के सापेक्ष प्राप्त होने प्रस्तावों का परीक्षण/मूल्यांकन कर सुस्पष्ट प्रस्ताव संस्तुति सहित जिला कार्यकारिणी समिति को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगी। जिसके उपरान्त जिला कार्यकारिणी समिति द्वारा मूल्यांकन समिति के संस्तुत प्राप्त प्रस्तावों की नियमानुसार स्वीकृति प्रदान

किये जाने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त सभी सम्बन्धित कार्यदायी विभाग द्वारा मूल्यांकन समिति की आहूत बैठक में समिति के समक्ष कार्ययोजना के स्वीकृति के सम्बन्ध में स्वयं उपस्थिति होकर शासनादेश के अनुसार प्रस्तावित कार्य के संबंध में औचित्य एवं प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करने के उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बन्धित विभागों को धनराशि आवंटित की जायेगी–

1. प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत/पुननिर्माण एवं अन्य मदों में स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मद में ही व्यय की जायेगी।
2. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग की दरों/विशिष्टियों के अनुरूप कार्यो को सम्पादित कराते हुये समय से पालन करना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. कार्य कराने से पूर्व कम से कम अधिशासी अभियन्ता स्तर के अधिकारी स्थल का निरीक्षण करते हुए सुनिश्चित करें कि आंगणन में जो प्राविधान इंगित किये गये हैं, वह स्थल की आवश्कतानुसार सही हैं तथा स्थल की आवश्यकतानुसार ही कार्य कराना सुनिश्चित किया जाये।
4. आंगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद की राशि का उपयोग दूसरी मदों में किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/कार्यालयाध्यक्ष का होगा।
5. राज्य आपदा मोचन निधि मद अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में नवनिर्माण कार्यो में नहीं किया जायेगा।
6. प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यो के मरम्मत/पुनर्निर्माण एवं अन्य मदों हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय, कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, अनियमितता, गुणवत्ता तथा विभागीय मानकों की अवहेलना आदि के सम्बन्ध में जॉच कर धनराशि के दुरूपयोग व अनियमित उपयोग की स्थिति में सम्बन्धित निर्माण ईकाई के विरूद्व प्रथम दण्ड के रूप में वसूली, द्वितीय दण्ड के रूप में वसूली एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा तृतीय दण्ड के रूप में एफ.आई.आर. की कार्यवाही की जायेगी।
7. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिये सम्बन्धित निर्माण ईकाई के अधिकारी, जिनके नाम पर धनराशि स्वीकृत की गई है, पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।
8. स्वीकृत कार्य, स्वीकृत लागत में पूर्ण किये जायेगें और लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा, कार्यदायी संस्था द्वारा स्वीकृत कार्य प्रारम्भ करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम) आय–व्ययक से संबंधित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य संग्रह नियमों, समय–समय पर जारी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य सम्पन्न होने के बाद क्षतिग्रस्त कार्य योजनाओं एवं प्रस्तावित कार्यों की फोटो ली जायेगी।
10. कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य के पूर्ण होने के उपरान्त तीनों स्थिति की फोटोग्राफ्स मय Co-ordinates (कोर्डिनेट्स) उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।
11. स्वीकृत कार्य से सम्बन्धित अभिलेख एवं पंजिकाएं, आदि कार्यदायी संस्था द्वारा अपने कार्यालय में संरक्षित किए जायेगें तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड अथवा अन्य विभागीय लेखादल के द्वारा लेखा परीक्षण हेतु मांगे जाने पर आवश्यक रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे तथा आडिट भी अपने स्तर से करवाया जायेगा।
12. स्वीकृत धनराशि उक्त मद में नियमानुसार व्यय की जायेगी, स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष यदि धनराशि अवशेष रहती है तो उसे समर्पित किया जायेगा।
13. उक्त मदों में प्रस्तावित कार्य अपरिहार्य व तात्कालिक प्रवृत्ति के होने के कारण जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मानसून अवधि के पूर्व किये जाने की संस्तुति प्रदान की जाती है। अतः जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुरूप प्रस्तावित कार्यों को ससमय पूर्ण किया जाना होता है। लापरवाही की स्थिति में आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही का प्रावधान है।
14. उक्त मदों में स्वीकृत समस्त कार्यों को 45 दिन के अंदर पूर्ण करते हुए कार्य समाप्त होने के उपरांत सम्बन्धित विभाग द्वारा शासन के निर्देशानुसार कार्य पूर्ण कर सम्बन्धित उप जिलाधिकारी द्वारा कार्य की सत्यता, कार्य निर्धारित मानकानुसार होने एवं गुणवत्ता पूर्वक कार्य पूर्ण होने का प्रमाणीकरण संबंधी आंख्या, उपयोगिता प्रमाण पत्र, मय फोटोग्राफ, वित्तीय वर्ष, मद का नाम, से

निर्मित व स्वीकृत धनराशि का विवरण का सूचना पट पर अनिवार्य रूप से अंकित करते हुए प्रत्येक योजनावार उपयोग की गयी धनराशि व अवशेष धनराशि का विवरण उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को उपलब्ध किया जाना होगा।

## 9.9 पुनर्वास/विस्थापन

राज्य में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को नवीन पुनर्वास नीति–2021 के प्राविधानों के अधीन पुनर्वास/विस्थापन शासन स्तर से धनराशि प्राप्त होने पर भू–वैज्ञानिक तथा तहसील स्तर से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार प्रभावित परिवारों के पुनर्वास/विस्थापन हेतु वर्तमान में लागू पुनर्वास नीति–2021 सम्बंधी शासनादेश संख्या–886/xviii-(B-2)/21-16(1) पुनर्वास नीति/2007 दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 के बिन्दु संख्या 03 में दिये गये निर्देश के क्रम में निम्नवत् जिला स्तरीय समिति गठित है।

- जिलाधिकारी चमोली – अध्यक्ष।
- उप जिलाधिकारी (सम्बन्धित क्षेत्र) –सदस्य
- सहायक अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, गोपेश्वर –सदस्य
- भू–वैज्ञानिक, चमोली –सदस्य
- जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, चमोली –सदस्य

उपरोक्तानुसार प्रभावित परिवारों के विस्थापन हेतु धनराशि सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय की जायेगी–

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा, जिस मद/प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की जायेगी, यह सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार का होगा।
2. प्राकृतिक आपदा से संकटग्रस्त ग्रामों के अन्यत्र विस्थापन/पुनर्वास के सम्बन्ध में शासनादेश संख्याः–886/XVIII-(B-2)21-16(1)/पुनर्वास नीति/2007, दिनांक–31.12.2021 के माध्यम से जारी नीति/दिशा–निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
3. किसी परिवार के मुखिया के पुत्र/पुत्रियों को अलग–अलग परिवार तभी माना जायेगा, जब मुखिया के पुत्र/पुत्रियों के नाम परिवार रजिस्टर में अंकित होने के साथ ही उनके पृथक–पृथक राशन कार्ड हों, तो सभी परिवारों को पृथक–पृथक मानते हुये वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।
4. उक्त धनराशि की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आपदा प्रभावित परिवारों द्वारा विस्थापित स्थल पर निर्मित किये जाने वाले भवन भूकम्परोधी बनाये जाने होंगें तथा इस हेतु जनपद में प्रशिक्षित ट्रेनर (राजमिस्त्री) का सहयोग लिया जायेगा, एवं निर्मित किये जाने वाले आवासीय भवनों का सत्यापन ब्लाक स्तर पर तैनात ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के अवर अभियन्ता द्वारा सत्यापित किया जायेगा तथा ऐसे निर्मित भवनों की सूचना निर्धारित प्रारूप पर उप जिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा अपने कार्यालय में रखी जायेगी एवं इसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
5. पुनर्वास हेतु वित्तीय सहायता परिवार की महिला मुखिया/पत्नी को उपलब्ध करायी जायेगी। यदि परिवार में महिला मुखिया/पत्नी नहीं है, तो वित्तीय सहायता संबंधित पुरूष को उपलब्ध करायी जायेगी।
6. पुनर्वास/विस्थापन हेतु बनाये जाने वाले भवन का निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक एवं भूकम्परोधी मानकों के अनुसार समय से पूर्ण कराये जाने के लिये निर्माण कार्य की समय–समय पर स्थलीय

निरीक्षण कर मॉनिटरिंग एवं गुणवत्ता का पर्यवेक्षण संबंधित उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा ग्रामीण निर्माण विभाग के अभियन्ता, संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं संबंधित ग्राम प्रधान की समिति के रूप में किया जायेगा।

7. संकटग्रस्त एवं संवेदनशील ग्रामों/क्षेत्रों के आपदा प्रभावित परिवारों के विस्थापन हेतु शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से भवन निर्माण कार्य हेतु उप जिलाधिकारी/तहसीलदार के स्तर से संबंधित व्यक्ति को दो समान किश्तों में उपलब्ध करायी जायेगी।
8. भवन निर्माण की प्रथम किस्त प्राप्त होने के उपरान्त अधिकतम 12 माह के अन्दर भवन का निर्माण कार्य पूर्ण किया जायेगा। बिन्दु संख्या–06 पर गठित समिति द्वारा भवन में लैंटर (Slab) पड़ने पर स्थलीय निरीक्षण करते हुए निर्मित किये गये भवन की फोटोग्रेप्स सहित द्वितीय किश्त संबंधित उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को मांग प्रेषित करने के उपरान्त प्रभावितों को उपलब्ध करायी जायेगी।
9. भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने पर प्रभावित परिवार द्वारा पुनर्वासित भवन में निवास करने एवं पुनर्वास नीति के बिन्दु संख्या–17 का अनुपालन करना सुनिश्चित करने के उपरान्त ही विस्थापन भत्ता एवं गौशाला निर्माण सहित अन्य भत्तों का भुगतान किया जायेगा।
10. प्रथम किश्त की धनराशि आवंटित किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि भवन निर्माण का ले–आउट प्लान भूकम्परोधी तकनीक के अनुरूप हो।
11. प्रभावितों को उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से ही आवंटित की जायेगी।
12. यदि किसी व्यक्ति द्वारा पुनर्वास हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि से भवन का निर्माण नहीं किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति से बैंक की प्रचलित गृह ऋण ब्याज की दर सहित धनराशि की वसूली कर संगत राजकीय कोष में जमा की जायेगी।
13. उक्त कार्य के विभिन्न चरणों की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी संबंधित उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा करायी जायेगी।
14. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग कर उसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति व मदवार व्यय विवरण उपलब्ध कराया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
15. उपयोग की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जायेगा।

### 9.10– एसडीआरएफ/न्यूनीकरण/नॉन एसडीआरएफ हेतु बजट व्यवस्था–

**वित्तीय वर्ष 2025–26 में एस0डी0आर0एफ0 के तहत प्राप्त एंव व्यय धनराशि का विवरण**

| मद का नाम | प्राप्त धनराशि (लाख में) | व्यय धनराशि (लाख में) | अवशेष धनराशि (लाख में) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| Relief and Response | 1500.00 | 1289.89 | 210.11 | – |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Recovery and Reconstruction | 1400.00 | 1400.00 | 0.00 | विभागीय परिसम्मपत्तियो के पुर्ननिर्माण हेतु अवमुक्त की गयी है। |
| Capacity Building | 260.00 | 102.49 | 157.51 | — |
| कुल योग— | **3160.00** | **2792.38** | **367.62** | — |

**वित्तीय वर्ष 2025—26 में आपदा न्यूनीकरण के तहत प्राप्त एंव व्यय धनराशि का विवरण**

| मद का नाम | प्राप्त धनराशि (लाख में) | व्यय धनराशि (लाख में) | अवशेष धनराशि (लाख में) | अभ्यक्ति |
|---|---|---|---|---|
| न्यूनीकरण निधि | 250.00 | 250.00 | 0 | — |

**वित्तीय वर्ष 2025—26 में नॉन एस0डी0आर0एफ0 के तहत प्राप्त एंव व्यय धनराशि का विवरण**

| मद का नाम | प्राप्त धनराशि (लाख में) | व्यय धनराशि (लाख में) | अवशेष धनराशि (लाख में) | अभ्यक्ति |
|---|---|---|---|---|
| नॉन एस0डी0आर0एफ0 (पुल—पुलिया) | 400.00 | 400.00 | 0 | — |

# अध्याय – 10 जिला आपदा प्रबंधन योजना का रखरखाव और समीक्षा
# (Procedure And Methodology for Monitoring, Evaluation, Updation And Maintenance of DDMP)

**10.1 परिचयः** जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) क्षैतिज (Horizontal) और ऊर्ध्वाधर (Vertical) स्तरों पर बनाई गई योजनाओं का समग्र रूप है।

- जनपद चमोली जिले की जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) एक सार्वजनिक दस्तावेज है, जो किसी भी विभाग या प्रशासन के किसी विशेष भाग तक सीमित नहीं है।
- आपदा प्रबंधन का मूल सिद्धांत यह है कि यह सभी विभागों का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए, और कोई भी इससे अछूता नहीं रह सकता।

## 10.2 DDMP के रखरखाव और समीक्षा की जिम्मेदारी

- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), चमोली प्रतिवर्ष इस योजना को अपडेट करेगा और इसकी स्वीकृत प्रति सभी हितधारकों को वितरित करेगा।
- DDMA, चमोली निम्नलिखित आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धाराओं के अनुसार योजना के संचालन, समन्वय, निगरानी और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा।
- धारा 31, उपधारा (4) – जिला योजना की हर वर्ष समीक्षा और अद्यतन (Update) किया जाना अनिवार्य है।
- धारा 31, उपधारा (7) – जिला प्राधिकरण समय–समय पर योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगा और जिले के विभिन्न सरकारी विभागों को आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

## 10.3 DDMP की उचित निगरानी और मूल्यांकन

- DDMA, चमोली हर छह महीने में अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक आयोजित करेगा, जिसमें राज्य में आपदा प्रबंधन गतिविधियों की समीक्षा और DDMP का अद्यतन किया जाएगा।
- सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों को इस बैठक में भाग लेना अनिवार्य होगा।
- ये विभाग अपनी रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही (हर तीन महीने) में प्रस्तुत करेंगे और आपदा प्रबंधन से जुड़े विशिष्ट मुद्दों पर सिफारिशें (recommendations) देंगे।

## 10.4 DDMP के लिये आपदा के बाद मूल्यांकन तंत्र

- DDMA अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि हर आपदा के बाद, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसके प्रभावों पर डेटा एकत्र करने की विशेष व्यवस्था की जाए।
- पोस्ट–डिजास्टर मूल्यांकन तंत्र के लिए विशेषज्ञों, पेशेवरों और शोधकर्ताओं की एक टीम बनाई जाएगी, जो एकत्र किए गए डेटा का सत्यापन और दस्तावेजीकरण करेगी।
- यह डेटा आपातकालीन संचालन केंद्र (EOC) में संग्रहीत किया जाएगा और भविष्य की संदर्भ सामग्री के रूप में उपयोग किया जाएगा।
- DDMA आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) का मूल्यांकन बैठकों और हितधारकों से परामर्श करके करेगा।

## 10.5 DDMP के अद्यतनीकरण की अनुसूची–

DDMP को उपरोक्त प्रक्रियाओं के साथ निम्नलिखित तरीकों से अपडेट किया जाएगा।

1. जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (EOC) से नियमित रूप से डेटा संग्रह।
2. डेटा का गहन विश्लेषण।
3. DDMA अध्यक्ष द्वारा समीक्षा।
4. योजना का अद्यतन और इसे हितधारकों के बीच प्रचारित करना।

अपडेटेड DDMP डेटा को जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC) की वेबसाइट पर रखा जाएगा ताकि इसे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत उपयोग किया जा सके।

DDMA अध्यक्ष निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर योजना को छमाही आधार (biannual basis) पर अपडेट करने की जिम्मेदारी लेंगे:

- जिले में उपलब्ध उपकरणों की सूची (DDMRI)।

- मानव संसाधन का विवरण, संपर्क पता और फोन नंबर (DDMRI)।
- पिछली आपदाओं के अनुभव और उनकी विस्तृत मैट्रिक्स को अपडेट करना।
- संचालन गतिविधियों और स्थान में प्रमुख परिवर्तन (SOPs और चेकलिस्ट के माध्यम से)।
- प्रशिक्षण और आपदा से निपटने के अभ्यास (Mock Drills) से मिली सीख।
- आपदा की घटनाओं में बदलाव।
- संभावित खतरों की पहचान में तकनीकी नवाचार और नई तकनीकों का उपयोग।
- जनसंख्या संरचना में बदलाव।
- भू–राजनीतिक (Geo&political) माहौल में बदलाव।

| क्र.स. | माह | प्रस्तावित गतिविधियां |
|---|---|---|
| 01 | अक्टूबर | जीवन रेखीय विभागों द्वारा DDMP की समीक्षा |
| 02 | अक्टूबर – नंवबर | DDMA को सिफारिशों का प्रस्तुतिकरण |
| 03 | नंवबर – दिसंबर | संशोधनों का सभी हितधारकों में वितरण |
| 04 | मई – जून | SDMA को अनुमोदन के लिए प्रस्तुतिकरण/अपडेटेड योजना को DDMA/SDMA वेबसाइट पर अपलोड करना |

### 10.6 DDMA/SDMA वेबसाइट पर अद्यतन योजनाओं को अपलोड करना

जिले की जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) एक सार्वजनिक दस्तावेज है।

- प्रत्येक अद्यतन के बाद इसे जिला सूचना अधिकारी (District Information Officer) की निगरानी में DDMA/SDMA वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
- यह अपलोडिंग DDMA अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति के बाद ही की जाएगी।

**10.7 मॉक ड्रिल का आयोजन (Conduct of Mock Drills)-** जनपद चमोली आपदा संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण समय–समय पर विभिन्न स्तरों पर मॉक ड्रिल (Mock Drill) आयोजित की जाती हैं, ताकि सभी विभागों, संस्थाओं तथा समुदायों की प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण किया जा सके। मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपदा के समय विभागों के बीच बेहतर समन्वय, त्वरित निर्णय एवं संसाधनों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करना है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (DM Act, 2005) की धारा 30 (2) (x) के अनुसार:

- जिला प्राधिकरण को यह समीक्षा करनी होगी कि जिले में किसी भी आपदा या संभावित आपदा स्थिति से निपटने की क्षमता कैसी है।
- प्रशासन को आवश्यकतानुसार संबंधित विभागों और अधिकारियों को सुधार एवं उन्नयन के निर्देश देने होंगे।

इसी तरह, DM Act, 2005 की धारा 30 (2) (xi) यह निर्धारित करती है कि:

- जिला प्राधिकरण को तैयारी उपायों (Preparedness Measures) की समीक्षा करनी चाहिए।
- संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए ताकि वे प्रभावी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रह सकें।

**10.8 जिला अभ्यास आयोजित करने के लिए जिम्मेदार पक्ष**– जनपद चमोली में मॉक ड्रिल के आयोजन की जिम्मेदारी निम्नलिखित एजेंसियों पर होती है –

- जिलाधिकारी, चमोली (District Magistrate, Chamoli)– मॉक ड्रिल की समग्र निगरानी, निर्देशन एवं अनुमोदन हेतु उत्तरदायी प्रमुख अधिकारी।
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), चमोली– ड्रिल की योजना, तैयारी, समन्वय एवं संबंधित विभागों के बीच सहयोग सुनिश्चित करता है।
- राजस्व विभाग एवं आपदा नियंत्रण कक्ष (EOC), चमोली – अलर्ट जारी करने, संचार व्यवस्था, रिपोर्टिंग एवं डेटा संकलन का कार्य करता है।
- एसडीआरएफ/एनडीआरएफ/फायर सर्विस/पुलिस विभाग– खोज, बचाव और राहत कार्यों के लिए प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन प्रदान करते हैं।
- स्वास्थ्य विभाग एवं रेडक्रॉस सोसाइटी– प्राथमिक उपचार, एम्बुलेंस सेवा और घायलों के प्रबंधन में सहयोग प्रदान करते हैं।

- शिक्षा विभाग, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट–गाइड– विद्यालयों एवं युवाओं को मॉक ड्रिल में भागीदारी हेतु प्रेरित करते हैं।
- स्थानीय निकाय एवं ग्राम पंचायतें– सामुदायिक स्तर पर ड्रिल संचालन, प्रचार–प्रसार एवं जन–सहभागिता सुनिश्चित करती हैं।

**10.9 ड्रिल के आयोजन का कार्यक्रम–** जनपद चमोली में मॉक ड्रिल का आयोजन एक निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार किया जाता है –

| क्रमांक | ड्रिल का प्रकार | आवृत्ति | संबंधित विभाग/संस्थान | उद्देश्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जिला स्तरीय मॉक ड्रिल | वर्ष में कम से कम 1 बार | DDMA,DDRF, SDRF, Police, Health Dept- | जिला स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया एवं समन्वय की जांच |
| 2 | ब्लॉक/तहसील स्तरीय ड्रिल | प्रत्येक 6 माह में | तहसील प्रशासन, राजस्व, फायर यूनिट | स्थानीय स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया अभ्यास |
| 3 | विद्यालय सुरक्षा ड्रिल | वर्ष में 2 बार | शिक्षा विभाग, DDMA | बच्चों को सुरक्षित निकासी एवं प्राथमिक उपचार की जानकारी देना |
| 4 | सामुदायिक स्तर की ड्रिल | प्रत्येक ग्राम/वार्ड में वार्षिक रूप से | ग्राम पंचायत, स्वयंसेवी संगठन | समुदाय को "पहला प्रत्युत्तरदाता" बनाने हेतु अभ्यास |
| 5 | अंतर–विभागीय ड्रिल | आवश्यकता अनुसार | सभी विभाग | संयुक्त आपदा प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण |

ड्रिल के बाद संबंधित विभाग अपनी रिपोर्ट जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को प्रस्तुत करते हैं, ताकि योजना के सुधारात्मक सुझाव सम्मिलित किए जा सकें।

**10.10 निगरानी और अंतराल मूल्यांकन (Monitoring and Gap Evaluation)-** मॉक ड्रिल एवं आपदा प्रबंधन गतिविधियों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने हेतु जनपद चमोली में नियमित निगरानी (Monitoring) एवं अंतराल मूल्यांकन (Gap Evaluation) किया जाता है।

मुख्य बिंदु:

1. प्रत्येक मॉक ड्रिल के बाद पश्च मूल्यांकन बैठक (Post&Drill Review Meeting) आयोजित की जाती है।
2. ड्रिल में शामिल सभी विभागों से फीडबैक रिपोर्ट प्राप्त की जाती है।
3. रिपोर्ट के आधार पर कमियों (Gaps) की पहचान कर सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है।
4. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) इन बिंदुओं को अगली समीक्षा बैठक में सम्मिलित करता है।
5. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) को वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित की जाती है।
6. आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण, संसाधन, और योजना में संशोधन कर प्रभावशीलता बढ़ाई जाती है।

- **परिणाम–** इन प्रक्रियाओं से जनपद चमोली में आपदा प्रबंधन प्रणाली अधिक सक्रिय, सक्षम और उत्तरदायी बनी है। विभागों के बीच समन्वय बेहतर हुआ है तथा समुदायों की आपदा प्रतिक्रिया क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

# अध्याय – 11 डी.डी.एम.पी. के कार्यान्वयन के लिए समन्वय तंत्र (Coordination Mechanism for implementation of DDMP)

उचित आपदा प्रबंधन के लिए जिला और स्थानीय सरकारों के बीच समन्वय महत्वपूर्ण है। इसके लिए सभी हितधारक विभागों और स्थानीय निकायों जैसे लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, फायर एंड होम गार्ड, पुलिस, बीएसएनएल, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, वन, राजस्व शिक्षा, कृषि बागवानी, एचआरटीसी, रेड क्रॉस, एमसी, एनजीओ के साथ अंतर–विभागीय और अंतर–विभागीय समन्वय की आवश्यकता है। सी.बी.ओ. और अन्य स्थानीय प्राधिकरण ये साझेदारी इस बात को मान्यता देती है कि आपदा प्रबंधन व्यवस्था के प्रत्येक स्तर को व्यापक आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक योजना, सेवाओं, सूचना और संसाधनों का प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करना चाहिए।

जिले का डीडीएमपी एक तीन स्तरीय आपदा प्रबंधन समन्वय है जो नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण पर आधारित है। तहसील स्तर, उप–मंडल स्तर और जिला स्तर। यह प्रणाली समर्थन और सहायता को प्रगतिशील रूप से बढ़ाने में सक्षम बनाती है।

व्यवस्थाओं में कई प्रमुख प्रबंधन और समन्वय संरचनाएँ शामिल हैं। व्यवस्थाओं को बनाने वाली प्रमुख संरचनाएँ हैं:

- आपदा प्रबंधन समितियाँ तहसील, उप–मंडल और जिला स्तर पर कार्यरत हैं। उपरोक्त समितियाँ अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली आपदाओं को कम करने, रोकने, तैयार करने, प्रतिक्रिया देने और उनसे उबरने के लिए आवश्यक सभी उपायों की योजना, आयोजन, समन्वय और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं।
- तहसील, उप–मंडल और जिला स्तर पर आपातकालीन संचालन केंद्र आपदा संचालन के लिए आवश्यक जानकारी, संसाधनों और सेवाओं का समन्वय करते हुए आपदा प्रबंधन समूहों का समर्थन करते हैं।
- जिला प्रशासन, डी.डी.एम.ए. और डी.डी.ई.सी. की कार्यात्मक एजेंसियां विशिष्ट खतरों के समन्वय और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं और आवश्यकतानुसार अन्य एजेंसियों को सहायता प्रदान करती हैं।

## 11.1 अंतर्विभागीय (Intra) तथा अंतर–विभागीय (Inter) समन्वय एवं क्षैतिज समन्वय (Horizontal Linkages)

आपदा प्रबंधन एक बहु–विभागीय तथा समन्वित प्रक्रिया है। किसी भी आपदा की स्थिति में प्रभावी प्रतिक्रिया और राहत कार्य तभी संभव हो पाते हैं जब विभिन्न विभाग, संस्थाएँ तथा संगठन एक–दूसरे के साथ समन्वित रूप से कार्य करें। अंतर्विभागीय (Intra-departmental) समन्वय से आशय किसी एक विभाग के भीतर विभिन्न इकाइयों, अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच कार्यों के उचित तालमेल से है, जबकि अंतर–विभागीय (Inter–departmental) समन्वय विभिन्न विभागों के बीच सहयोग, सूचना के आदान–प्रदान और संयुक्त कार्रवाई को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, क्षैतिज समन्वय (Horizontal Linkages) का अर्थ समान स्तर पर कार्य करने वाली विभिन्न संस्थाओं, संगठनों तथा समुदायों के बीच सहयोग से है। जिला आपदा प्रबंधन योजना चमोली में इन तीनों प्रकार के समन्वय को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है ताकि आपदा के समय त्वरित, प्रभावी और संगठित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

### (अ) अंतर्विभागीय समन्वय (Intra-Department Coordination)

अंतर्विभागीय समन्वय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक विभाग के भीतर सभी इकाइयाँ और अधिकारी स्पष्ट रूप से अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझें और आपदा की स्थिति में तुरंत कार्यवाही कर सकें।

- **स्पष्ट कार्य–विभाजन–** प्रत्येक विभाग अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पूर्व निर्धारित कार्य–विभाजन करता है। आपदा की स्थिति में किस अधिकारी को कौन–सा कार्य करना है, इसका स्पष्ट उल्लेख विभागीय योजना में किया जाता है।
- **नियंत्रण एवं संचार व्यवस्था–** विभागों के भीतर प्रभावी संचार प्रणाली स्थापित की जाती है ताकि सूचना का त्वरित आदान–प्रदान हो सके। इसके लिए नियंत्रण कक्ष (Control Room), वायरलेस, टेलीफोन और अन्य संचार साधनों का उपयोग किया जाता है।
- **संसाधनों का प्रबंधन–** प्रत्येक विभाग अपने संसाधनों जैसे मानव संसाधन, उपकरण, वाहन, दवाइयाँ,

मशीनरी आदि का सूचीबद्ध प्रबंधन करता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका तुरंत उपयोग किया जा सके।

- **प्रशिक्षण एवं अभ्यास–** विभाग अपने कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और समय–समय पर मॉक ड्रिल तथा अभ्यास कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इससे कर्मचारियों की तैयारी और दक्षता बढ़ती है।
- **नियमित समीक्षा–** आपदा तैयारी की स्थिति का आकलन करने के लिए विभागीय स्तर पर नियमित बैठकें और समीक्षा की जाती है ताकि आवश्यक सुधार किए जा सकें।

## (ब) अंतर–विभागीय समन्वय (Inter–Department Coordination)

अंतर–विभागीय समन्वय का उद्देष्य विभिन्न विभागों के बीच सहयोग और तालमेल सीापित करना है ताकि आपदा के समय सभी विभाग मिलकर समन्वित रू‍प से कार्य कर सकें।

- जिला प्रषासन की भूमिका– जिले में आपदा प्रबंधन की समग्र जिम्मेदारी जिलाधिकारी के नेतृत्व में होती है। जिला प्रषासन सभी विभागों के कार्यों का समन्वय करता है और आवष्यक दिषा–निर्देष प्रदान करता है।
- प्रमुख विभागों की सहभागिता– आपदा प्रबंधन में कई विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे–
  - ✓ राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, मोटर मार्ग विभाग, जल संस्थान/जल निगम, विद्युत विभाग, अग्निशमन सेवा, शिक्षा विभाग, वन विभाग एवंपरिवहन विभाग इन सभी विभागों के बीच सहयोग और समन्वय आपदा के समय अत्यंत आवश्यक होता है।
  - संयुक्त बैठकें एवं योजना निर्माण–जिला स्तर पर विभिन्न विभागों के बीच नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों में आपदा जोखिम, तैयारी, संसाधनों की उपलब्धता और कार्ययोजना पर चर्चा की जाती है।
  - संयुक्त नियंत्रण कक्ष– आपदा की स्थिति में जिला आपदा संचालन केंद्र (Emergency Operation Centre) सक्रिय किया जाता है, जहाँ से सभी विभागों के कार्यों का समन्वय और निगरानी की जाती है।
  - संसाधनों का साझा उपयोग– आपदा के समय विभिन्न विभाग अपने संसाधनों को साझा करते हैं, जैसे वाहन, मशीनरी, राहत सामग्री, चिकित्सा सुविधाएँ आदि। इससे राहत और बचाव कार्य अधिक प्रभावी बनते हैं।

## (स) क्षैतिज समन्वय (Horizontal Linkages)

क्षैतिज समन्वय का उद्देश्य सरकारी विभागों के साथ–साथ अन्य संस्थाओं और समुदायों को भी आपदा प्रबंधन प्रक्रिया में शामिल करना है।

- सामुदायिक भागीदारी– स्थानीय समुदाय आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्राम स्तर पर स्वयंसेवक, युवक मंडल और महिला समूह आपदा के समय राहत और बचाव कार्यों में सहायता करते हैं।
- गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका– गैर–सरकारी संगठन (NGOs) राहत सामग्री वितरण, स्वास्थ्य सेवाएँ, पुनर्वास कार्य और जागरूकता कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं।
- निजी क्षेत्र का सहयोग– निजी संस्थान और उद्योग भी संसाधन, उपकरण और वित्तीय सहायता प्रदान करके आपदा प्रबंधन में योगदान देते हैं।
- मीडिया की भूमिका– मीडिया आपदा से संबंधित जानकारी को तेजी से लोगों तक पहुँचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। यह लोगों को चेतावनी, सावधानियों और राहत उपायों के बारे में जागरूक करता है।

**(द) समन्वय व्यवस्था–**चमोली जिले में आपदा प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन के नेतृत्व में एक संगठित समन्वय प्रणाली कार्य करती है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) और जिला आपदा संचालन केंद्र के माध्यम से विभिन्न विभागों, संस्थाओं और संगठनों के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है। आपदा के समय त्वरित निर्णय लेने, संसाधनों के प्रबंधन और राहत कार्यों के संचालन के लिए यह समन्वय प्रणाली

अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।

## 11.2 गैर सरकारी संगठनों/स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के साथ समन्वय तंत्र उद्योगों, निजी विद्यालयों एवं अस्पतालों के साथ समन्वय तथा ब्लॉक/ग्राम स्तर की टास्क फोर्स के साथ समन्वय

आपदा प्रबंधन में सरकारी विभागों के साथ–साथ गैर–सरकारी संगठनों, सामुदायिक संगठनों तथा स्वयं सहायता समूहों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये संगठन स्थानीय स्तर पर लोगों के साथ सीधे जुड़े होते हैं, इसलिए आपदा के समय त्वरित सहायता, जागरूकता तथा राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने में सहयोग प्रदान करते हैं। जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) चमोली के अंतर्गत NGOs, CBOs और SHGs, उद्योगों, निजी विद्यालयों और निजी अस्पतालों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए एक संगठित व्यवस्था बनाई जाती है ताकि आपदा से पूर्व तैयारी, आपदा के दौरान राहत कार्य और आपदा के बाद पुनर्वास कार्यों को प्रभावी बनाया जा सके। इसके साथ–साथ ब्लॉक तथा ग्राम स्तर पर गठित टास्क फोर्स के साथ भी प्रभावी समन्वय स्थापित किया जाता है ताकि आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया और राहत कार्य सुनिश्चित किए जा सकें। इस समन्वय प्रणाली में क्षैतिज (Horizontal) और ऊर्ध्वाधर (Vertical) दोनों प्रकार की लिंकिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

### ➢ NGOs की भूमिका एवं समन्वय

गैर–सरकारी संगठन (NGOs) आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं।

**प्रमुख कार्य**

- आपदा से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।
- प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री (भोजन, कपड़े, दवाइयाँ) वितरित करना।
- स्वास्थ्य शिविर और प्राथमिक चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध कराना।
- आपदा के बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में सहायता करना।
- बच्चों, महिलाओं और वृद्ध लोगों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना।

**समन्वय व्यवस्था**

- जिला प्रशासन NGOs के साथ पूर्व–समन्वय बैठकें आयोजित करता है।
- NGOs को जिला आपदा प्रबंधन योजना में सहयोगी संस्था के रूप में शामिल किया जाता है।
- आपदा के समय NGOs को विशिष्ट कार्य क्षेत्रों में राहत कार्यों की जिम्मेदारी दी जाती है।
- जिला आपदा संचालन केंद्र के माध्यम से छळ्व् के साथ सूचना और संसाधनों का आदान–प्रदान किया जाता है।

### ➢ CBOs (Community Based Organizations) की भूमिका

सामुदायिक आधारित संगठन (CBOs) स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाले संगठन होते हैं जो समुदाय के लोगों को संगठित करते हैं।

**प्रमुख कार्य**

- स्थानीय समुदाय को आपदा जोखिम और सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक करना।
- आपदा के समय स्थानीय स्तर पर बचाव और राहत कार्यों में सहयोग करना।
- प्रभावित लोगों की आवश्यकताओं की जानकारी प्रशासन तक पहुँचाना।
- राहत सामग्री के सही वितरण में सहयोग करना।

**समन्वय व्यवस्था**

- ग्राम पंचायत स्तर पर CBOs को आपदा प्रबंधन गतिविधियों में शामिल किया जाता है।
- जिला प्रशासन और CBOs के बीच नियमित संवाद और बैठकें आयोजित की जाती हैं।
- CBOs के माध्यम से समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।

## ➢ स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups – SHGs) की भूमिका

स्वयं सहायता समूह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के संगठित समूह होते हैं जो सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं।

**प्रमुख कार्य**

- आपदा के समय राहत सामग्री के वितरण में सहयोग।
- प्रभावित परिवारों के लिए भोजन और आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था।
- आपदा के बाद जीविका पुनर्स्थापन (Livelihood Restoration) में सहायता।
- समुदाय में स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी जागरूकता फैलाना।

**समन्वय व्यवस्था**

- ग्राम स्तर पर SHGs को आपदा प्रबंधन योजनाओं में शामिल किया जाता है।
- जिला प्रशासन और ग्रामीण विकास विभाग SHGs के साथ समन्वय स्थापित करते हैं।
- SHGs के सदस्यों को आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान किए जाते हैं।

## ➢ समन्वय तंत्र (Coordination Mechanism)

NGOs, CBOs और SHGs के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए चमोली जिले में निम्नलिखित तंत्र अपनाया जाता है–

- पंजीकरण और डाटाबेस तैयार करना– जिले में कार्यरत सभी NGOs, CBOs और SHGs का डाटाबेस तैयार किया जाता है।
- नियमित बैठकें और संवाद– जिला प्रशासन समय–समय पर इन संगठनों के साथ बैठकें आयोजित करता है।
- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण– इन संगठनों के सदस्यों को आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है।
- संसाधनों का समन्वित उपयोग– आपदा के समय उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त रूप से कार्य किया जाता है।
- सूचना और चेतावनी प्रणाली– आपदा की स्थिति में चेतावनी और महत्वपूर्ण जानकारी इन संगठनों के माध्यम से तेजी से समुदाय तक पहुँचाई जाती है।

## ➢ उद्योगों (Industries) के साथ समन्वय

जिले में स्थापित उद्योग आपदा प्रबंधन में संसाधनों, उपकरणों और तकनीकी सहायता के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

**उद्योगों की भूमिका**

- आपदा के समय मशीनरी, वाहन और उपकरण उपलब्ध कराना।
- राहत कार्यों के लिए भोजन, पानी और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना।
- प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक सहायता और पुनर्वास कार्यक्रम चलाना।
- कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण प्रदान करना।
- औद्योगिक क्षेत्रों में आपदा सुरक्षा मानकों का पालन करना।

**समन्वय व्यवस्था**

- जिला प्रशासन द्वारा उद्योगों का डेटाबेस तैयार किया जाता है।
- उद्योगों के प्रतिनिधियों को जिला आपदा प्रबंधन बैठकों में शामिल किया जाता है।
- आपदा की स्थिति में उद्योगों के संसाधनों का समन्वित उपयोग किया जाता है।

## ➢ निजी विद्यालयों (Private Schools) के साथ समन्वय

निजी विद्यालय आपदा प्रबंधन में जागरूकता और सामुदायिक सहायता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

**विद्यालयों की भूमिका**

- छात्रों और शिक्षकों को आपदा सुरक्षा और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण देना।
- विद्यालयों में मॉक ड्रिल और आपदा अभ्यास कार्यक्रम आयोजित करना।
- आपदा के समय विद्यालय भवनों को अस्थायी राहत शिविर (Relief Camp) के रूप में उपयोग करना।
- विद्यार्थियों के माध्यम से समुदाय में जागरूकता फैलाना।

**समन्वय व्यवस्था**

- जिला शिक्षा विभाग के माध्यम से निजी विद्यालयों को आपदा प्रबंधन कार्यक्रमों में शामिल किया जाता है।
- विद्यालयों में आपदा प्रबंधन योजना (School Disaster Management Plan) तैयार की जाती है।
- समय–समय पर प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल आयोजित की जाती हैं।

## ➢ निजी अस्पतालों (Private Hospitals) के साथ समन्वय

आपदा के समय स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए निजी अस्पतालों का सहयोग आवश्यक होता है।

**अस्पतालों की भूमिका**

- घायल व्यक्तियों को तत्काल चिकित्सा सुविधा प्रदान करना।
- आपातकालीन चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध कराना।
- आवश्यक दवाइयाँ, रक्त और चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराना।
- आपदा के समय अतिरिक्त चिकित्सा कर्मियों और एम्बुलेंस सेवाओं की व्यवस्था करना।

**समन्वय व्यवस्था**

- स्वास्थ्य विभाग निजी अस्पतालों का पंजीकरण और सूची तैयार करता है।
- आपदा की स्थिति में निजी अस्पतालों को आपातकालीन चिकित्सा सहायता के लिए सक्रिय किया जाता है।
- जिला प्रशासन और अस्पतालों के बीच संचार व्यवस्था स्थापित की जाती है।

## ➢ क्षैतिज समन्वय (Horizontal Linkages)

क्षैतिज समन्वय का अर्थ विभिन्न संस्थाओं और संगठनों के बीच समान स्तर पर सहयोग से है।

**इसमें शामिल संस्थाएँ**

- उद्योग
- निजी विद्यालय
- निजी अस्पताल
- गैर–सरकारी संगठन
- सामुदायिक संगठन

**उद्देश्य**

- संसाधनों का साझा उपयोग
- त्वरित सूचना का आदान–प्रदान
- राहत और बचाव कार्यों में सहयोग
- सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना

## ➢ ब्लॉक स्तर की टास्क फोर्स के साथ समन्वय (Vertical Linkages)

ब्लॉक स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए टास्क फोर्स गठित की जाती है जो जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करती है।

**प्रमुख कार्य**

- आपदा की स्थिति में प्रारंभिक सूचना जिला प्रशासन तक पहुँचाना।
- प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्यों का संचालन।
- राहत सामग्री का सही वितरण सुनिश्चित करना।
- स्थानीय संसाधनों का प्रभावी उपयोग करना।

### ➢ ग्राम स्तर की टास्क फोर्स के साथ समन्वय

ग्राम स्तर पर गठित टास्क फोर्स स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर कार्य करती है।

**ग्राम टास्क फोर्स की भूमिका**

- आपदा के समय प्रारंभिक बचाव कार्य करना।
- प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाना।
- राहत शिविरों की व्यवस्था करना।
- स्थानीय स्तर पर जानकारी और चेतावनी का प्रसार करना।

**समन्वय व्यवस्था**

- ग्राम टास्क फोर्स → ब्लॉक प्रशासन → जिला प्रशासन के बीच ऊर्ध्वाधर समन्वय (Vertical Linkage) स्थापित किया जाता है।
- नियमित प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल आयोजित की जाती हैं।

## 11.3 ब्लॉक/ग्राम स्तर की टास्क फोर्स के साथ समन्वय (Vertical Linkages) तथा अंतर–ब्लॉक एवं अंतर–ग्राम समन्वय (Horizontal Linkages)

आपदा प्रबंधन में स्थानीय स्तर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि किसी भी आपदा का पहला प्रभाव गाँव और स्थानीय समुदाय पर पड़ता है। इसलिए जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) चमोली में ब्लॉक और ग्राम स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इन टास्क फोर्स का उद्देश्य आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया देना, राहत एवं बचाव कार्यों में सहयोग करना तथा जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करना है।

इस समन्वय व्यवस्था में दो प्रकार की लिंकिंग महत्वपूर्ण होती हैं–

- ऊर्ध्वाधर समन्वय (Vertical Linkages)– जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर के बीच समन्वय।
- क्षैतिज समन्वय (Horizontal Linkages)– एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तथा एक गाँव से दूसरे गाँव के बीच सहयोग और समन्वय।

### ➢ ब्लॉक स्तर की टास्क फोर्स के साथ समन्वय (Vertical Linkages)

ब्लॉक स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए एक टास्क फोर्स गठित की जाती है जो स्थानीय प्रशासन और ग्राम स्तर की समितियों के साथ मिलकर कार्य करती है।

**ब्लॉक टास्क फोर्स की संरचना**

- ब्लॉक स्तर की टास्क फोर्स में सामान्यतः निम्न सदस्य शामिल होते हैं–
- खंड विकास अधिकारी
- पुलिस प्रतिनिधि
- स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी
- शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि
- राजस्व विभाग के अधिकारी
- पंचायत प्रतिनिधि
- स्वयंसेवी संगठन एवं स्थानीय स्वयंसेवक

**प्रमुख कार्य**

- आपदा की सूचना जिला प्रशासन तक पहुँचाना।
- प्रभावित क्षेत्रों में बचाव एवं राहत कार्यों का समन्वय करना।
- राहत सामग्री के संग्रहण और वितरण की व्यवस्था करना।
- स्थानीय संसाधनों जैसे वाहन, उपकरण और मानव संसाधन का प्रभावी उपयोग करना।
- ग्राम स्तर की टास्क फोर्स को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना।

**समन्वय प्रणाली**

- ब्लॉक टास्क फोर्स नियमित रूप से जिला प्रशासन के साथ संपर्क बनाए रखती है।
- आपदा के समय ब्लॉक प्रशासन जिला आपदा संचालन केंद्र को स्थिति की जानकारी देता है।
- जिला प्रशासन से प्राप्त निर्देशों को ब्लॉक स्तर से ग्राम स्तर तक पहुँचाया जाता है।

## ➢ ग्राम स्तर की टास्क फोर्स के साथ समन्वय (Vertical Linkages)

ग्राम स्तर की टास्क फोर्स स्थानीय समुदाय के सबसे निकट होती है और आपदा के समय सबसे पहले प्रतिक्रिया देती है।

**ग्राम टास्क फोर्स की संरचना**

- ग्राम प्रधान
- ग्राम पंचायत सदस्य
- स्थानीय शिक्षक
- आशा कार्यकर्ता/स्वास्थ्य कार्यकर्ता
- युवक मंडल एवं महिला समूह
- स्वयंसेवक

**प्रमुख कार्य**

- आपदा की स्थिति में तत्काल चेतावनी और सूचना का प्रसार करना।
- लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाने में सहायता करना।
- प्राथमिक स्तर पर बचाव कार्य और प्राथमिक उपचार प्रदान करना।
- राहत शिविरों की व्यवस्था और प्रभावित लोगों की सहायता करना।
- प्रभावित परिवारों की आवश्यकताओं की जानकारी ब्लॉक प्रशासन को देना।

**समन्वय प्रणाली**

- ग्राम टास्क फोर्स → ब्लॉक प्रशासन → जिला प्रशासन के बीच ऊर्ध्वाधर समन्वय स्थापित होता है।
- ग्राम स्तर की सूचना ब्लॉक स्तर पर भेजी जाती है और फिर जिला स्तर तक पहुँचती है।

## ➢ अंतर–ब्लॉक समन्वय (Inter&Block Coordination) – Horizontal Linkages

कई बार आपदा का प्रभाव एक से अधिक ब्लॉकों में फैल सकता है। ऐसी स्थिति में विभिन्न ब्लॉकों के बीच समन्वय आवश्यक होता है।

**उद्देश्य**

- संसाधनों का साझा उपयोग
- राहत और बचाव कार्यों में सहयोग
- प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित सहायता प्रदान करना

**प्रमुख गतिविधियाँ**

- एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक को वाहन, उपकरण और मानव संसाधन उपलब्ध कराना।
- संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव अभियान चलाना।
- आपदा की स्थिति से संबंधित सूचना का आदान–प्रदान करना।

### ➢ अंतर–ग्राम समन्वय (Inter–Village Coordination) – Horizontal Linkages

आपदा के समय पड़ोसी गाँव एक–दूसरे की सहायता कर सकते हैं। यह सहयोग स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाता है।

प्रमुख कार्य

- पड़ोसी गाँवों के बीच संसाधनों और स्वयंसेवकों का साझा उपयोग।
- प्रभावित गाँवों को राहत सामग्री और आश्रय प्रदान करना।
- सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी आश्रय व्यवस्था करना।
- सूचना और चेतावनी का तेजी से प्रसार करना।

### ➢ प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण

ब्लॉक और ग्राम स्तर की टास्क फोर्स को प्रभावी बनाने के लिए निम्न गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं–

- आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम
- मॉक ड्रिल और अभ्यास
- प्राथमिक उपचार और खोज एवं बचाव प्रशिक्षण
- सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम

## 11.4 राज्य स्तरीय विभागों एवं प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय प्रणाली

आपदा प्रबंधन एक व्यापक और बहु–स्तरीय प्रक्रिया है जिसमें जिला स्तर के साथ–साथ राज्य स्तर के विभागों और प्रशिक्षण संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करना आवश्यक होता है। जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) चमोली के अंतर्गत राज्य स्तर और जिला स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है ताकि आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया, संसाधनों का उचित उपयोग तथा अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता को मजबूत बनाया जा सके।

### ➢ राज्य स्तरीय विभागों के साथ समन्वय

जिले में आपदा प्रबंधन गतिविधियों के संचालन के लिए विभिन्न राज्य स्तरीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है। **प्रमुख राज्य स्तरीय विभाग**

- राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
- पुलिस विभाग
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
- मोटर मार्ग विभाग
- सिंचाई विभाग
- विद्युत विभाग
- वन विभाग
- परिवहन विभाग
- ग्रामीण विकास विभाग
- शिक्षा विभाग

**समन्वय के प्रमुख उद्देश्य**

- आपदा से संबंधित नीतियों और दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना।
- आवश्यक संसाधनों और तकनीकी सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- आपदा के समय राज्य स्तर से अतिरिक्त सहायता प्राप्त करना।
- राहत एवं पुनर्वास कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करना।

**समन्वय की प्रक्रिया**

- जिला प्रशासन राज्य सरकार को आपदा की स्थिति से संबंधित नियमित रिपोर्ट और सूचना भेजता है।
- राज्य स्तर के विभाग आवश्यकतानुसार तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध कराते हैं।
- राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों और नीतियों को जिला स्तर पर लागू किया जाता है।

### ➢ राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय

आपदा प्रबंधन में अधिकारियों, कर्मचारियों और समुदाय की क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है।

**प्रमुख उद्देश्य**

- आपदा प्रबंधन से संबंधित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- अधिकारियों और कर्मचारियों को तकनीकी ज्ञान और कौशल प्रदान करना।
- खोज एवं बचाव, प्राथमिक उपचार तथा राहत कार्यों के लिए विशेष प्रशिक्षण देना।

**प्रशिक्षण की प्रमुख गतिविधियाँ**

- आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यशालाएँ
- सेमिनार और जागरूकता कार्यक्रम
- मॉक ड्रिल और अभ्यास कार्यक्रम
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction) प्रशिक्षण

## 11.5 जिला स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय

जिला स्तर पर भी विभिन्न प्रशिक्षण संस्थान और विभाग आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण में सहयोग प्रदान करते हैं।

**प्रमुख संस्थान**

- जिला प्रशिक्षण केंद्र
- पुलिस प्रशिक्षण केंद्र
- स्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्थान
- शिक्षा विभाग के प्रशिक्षण केंद्र

**प्रमुख कार्य**

- सरकारी कर्मचारियों और स्वयंसेवकों को आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण प्रदान करना।
- खोज एवं बचाव (Search and Rescue) प्रशिक्षण आयोजित करना।
- प्राथमिक उपचार और आपातकालीन चिकित्सा प्रशिक्षण देना।
- विद्यालयों और समुदायों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

### ➢ समन्वय की व्यवस्था

राज्य और जिला स्तर के विभागों तथा प्रशिक्षण संस्थानों के बीच समन्वय के लिए निम्न व्यवस्था अपनाई जाती है–

- नियमित बैठकें और संवाद आयोजित करना।
- आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संयुक्त योजना बनाना।
- विभिन्न विभागों के बीच सूचना और अनुभव का आदान–प्रदान करना।
- आपदा की स्थिति में संयुक्त रूप से राहत और बचाव कार्यों का संचालन करना।

## 11.6 विकासखण्ड स्तर पर समन्वय–**इंट्रा–ब्लॉक एवं इंट्रा–ग्राम समन्वय (Intra-Block and Intra-Village Coordination)**

आपदा प्रबंधन में स्थानीय स्तर पर समन्वय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि किसी भी आपदा की स्थिति में प्रारम्भिक प्रतिक्रिया स्थानीय प्रशासन और समुदाय द्वारा ही दी जाती है। जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) चमोली के अंतर्गत ब्लॉक और ग्राम स्तर पर विभिन्न विभागों, समितियों तथा समुदाय के बीच समन्वय स्थापित करने की व्यवस्था की गई है।

इंट्रा–ब्लॉक समन्वय का अर्थ ब्लॉक स्तर पर विभिन्न विभागों और इकाइयों के बीच तालमेल से है, जबकि इंट्रा–ग्राम समन्वय का अर्थ ग्राम स्तर पर पंचायत, स्थानीय संगठनों और समुदाय के बीच सहयोग और समन्वय से है।

### ➢ इंट्रा–ब्लॉक समन्वय (Intra-Block Coordination)

ब्लॉक स्तर पर आपदा प्रबंधन गतिविधियों को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न विभागों और संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है।

**प्रमुख सहभागी**

- खंड विकास अधिकारी, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग एवं पंचायत प्रतिनिधि

**प्रमुख उद्देश्य**

- ब्लॉक स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना का प्रभावी क्रियान्वयन।
- आपदा के समय बचाव और राहत कार्यों का समन्वय।
- विभिन्न विभागों के बीच सूचना और संसाधनों का आदान–प्रदान।
- स्थानीय संसाधनों का संगठित और प्रभावी उपयोग।

**प्रमुख गतिविधियाँ**

- ब्लॉक स्तर पर आपदा प्रबंधन बैठकें आयोजित करना।
- विभागों के बीच समन्वित कार्ययोजना तैयार करना।
- राहत सामग्री के भंडारण और वितरण की व्यवस्था करना।
- प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल का आयोजन करना।

### ➢ इंट्रा–ग्राम समन्वय (Intra-Village Coordination)

ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन में स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक होती है।

**प्रमुख सहभागी**

- ग्राम प्रधान
- ग्राम पंचायत सदस्य
- आशा कार्यकर्ता / स्वास्थ्य कार्यकर्ता
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
- शिक्षक
- स्वयं सहायता समूह (SHGs)
- युवक मंडल एवं स्वयंसेवक

**प्रमुख उद्देश्य**

- आपदा के समय तत्काल प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना।
- ग्राम स्तर पर चेतावनी और सूचना का प्रसार करना।
- स्थानीय संसाधनों और स्वयंसेवकों का प्रभावी उपयोग करना।
- प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाना।

**प्रमुख गतिविधियाँ**

- ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समितियों का गठन।
- समुदाय को आपदा सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक करना।
- प्राथमिक उपचार और बचाव कार्यों के लिए स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करना।
- राहत शिविरों और आश्रय स्थलों की व्यवस्था करना।

### ➢ समन्वय को मजबूत करने के उपाय

इंट्रा–ब्लॉक और इंट्रा–ग्राम समन्वय को मजबूत बनाने के लिए निम्न उपाय अपनाए जाते हैं–

- नियमित बैठकें और संवाद आयोजित करना।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम और मॉक ड्रिल आयोजित करना।
- स्थानीय संसाधनों और उपकरणों की सूची तैयार करना।
- आपदा से संबंधित सूचना और चेतावनी प्रणाली विकसित करना।
- समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।

## 11.7 स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के साथ समन्वय (पंचायती राज संस्थाएँ – जिला परिषद, मध्यवर्ती स्तर एवं ग्राम पंचायत तथा शहरी स्थानीय निकाय)

आपदा प्रबंधन में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये संस्थाएँ सीधे स्थानीय समुदाय से जुड़ी होती हैं। पंचायती राज संस्थाएँ जैसे जिला परिषद, मध्यवर्ती स्तर (ब्लॉक/क्षेत्र पंचायत) और ग्राम पंचायत तथा शहरी स्थानीय निकाय आपदा की स्थिति में राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार स्थानीय निकायों की जिम्मेदारियाँ निर्धारित की गई हैं। अधिनियम की धारा 41 के अनुसार ये स्थानीय प्राधिकरण जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशों के अधीन कार्य करते हैं। इसलिए जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर पर प्रभावी तथा सक्रिय समन्वय प्रणाली का होना अत्यंत आवश्यक है।

### ➢ जिला पंचायत (Zila Panchyat) के साथ समन्वय

जिला पंचायत जिला स्तर की प्रमुख पंचायती राज संस्था होती है जो जिला प्रशासन के साथ मिलकर आपदा प्रबंधन गतिविधियों में सहयोग करती है।

**प्रमुख जिम्मेदारियाँ**

- जिले में आपदा प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करना।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण और सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देना।
- राहत एवं पुनर्वास कार्यों में संसाधनों और मानव शक्ति की व्यवस्था करना।
- पंचायत स्तर पर आपदा प्रबंधन गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।

**समन्वय व्यवस्था**

- जिला प्रशासन और जिला परिषद के बीच नियमित बैठकें और संवाद आयोजित किए जाते हैं।
- जिला परिषद के माध्यम से पंचायतों तक आपदा संबंधी निर्देश और योजनाएँ पहुँचाई जाती हैं।
- विकास योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को शामिल किया जाता है।

## ➢ मध्यवर्ती स्तर (Intermediate Level / Block Panchayat) के साथ समन्वय

मध्यवर्ती स्तर की पंचायतें (क्षेत्र पंचायत/ब्लॉक पंचायत) जिला प्रशासन और ग्राम पंचायतों के बीच समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

**प्रमुख जिम्मेदारियाँ**

- ब्लॉक स्तर पर आपदा प्रबंधन गतिविधियों का संचालन करना।
- ग्राम पंचायतों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना।
- राहत सामग्री के संग्रहण और वितरण की व्यवस्था करना।
- आपदा से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की जानकारी जिला प्रशासन तक पहुँचाना।

**समन्वय व्यवस्था**

- ब्लॉक प्रशासन और पंचायत प्रतिनिधियों के बीच नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं।
- ग्राम स्तर की सूचनाएँ ब्लॉक स्तर के माध्यम से जिला प्रशासन तक पहुँचती हैं।

## ➢ ग्राम पंचायत के साथ समन्वय

ग्राम पंचायत स्थानीय स्तर की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जो आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया देने में सक्षम होती है।

**प्रमुख जिम्मेदारियाँ**

- ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना।
- समुदाय को आपदा सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक करना।
- आपदा के समय लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाना।
- राहत शिविरों और आश्रय स्थलों की व्यवस्था करना।
- प्रभावित परिवारों की जानकारी प्रशासन को उपलब्ध कराना।

समन्वय व्यवस्था

- ग्राम पंचायत जिला प्रशासन और ब्लॉक प्रशासन के निर्देशों के अनुसार कार्य करती है।
- ग्राम स्तर पर स्वयंसेवकों और समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।

## ➢ शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies) के साथ समन्वय

जिले के शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका या नगर पंचायत जैसी संस्थाएँ आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

प्रमुख जिम्मेदारियाँ

- शहरी क्षेत्रों में आपदा जोखिम को कम करने के उपाय लागू करना।
- आपदा के समय आपातकालीन सेवाएँ और राहत कार्यों का संचालन करना।
- जल निकासी, स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था बनाए रखना।
- प्रभावित लोगों के लिए अस्थायी आश्रय और राहत शिविरों की व्यवस्था करना।

समन्वय व्यवस्था

- शहरी निकाय जिला प्रशासन के साथ नियमित संपर्क बनाए रखते हैं।
- आपदा की स्थिति में शहरी निकाय जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं।

## ➢ समन्वय प्रणाली की आवश्यकता

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 41 के अनुसार स्थानीय प्राधिकरण जिला प्राधिकरण के निर्देशों के अधीन कार्य करते हैं। इसलिए प्रभावी समन्वय प्रणाली की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है–

- आपदा के समय त्वरित निर्णय और कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए।
- विभिन्न स्तरों के प्रशासन के बीच सूचना का प्रभावी आदान–प्रदान करने के लिए।
- संसाधनों और मानव शक्ति का संगठित उपयोग करने के लिए।
- राहत एवं पुनर्वास कार्यों को सुगम और प्रभावी बनाने के लिए।

**11.8 पड़ोसी जिलों के DDMPs के साथ समन्वय–** आपदा अक्सर एक जिले की सीमा तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि यह पड़ोसी जिलों तक फैल सकती है। इसलिए पड़ोसी जिलों के जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं (DDMPs) के साथ समन्वय अत्यंत आवश्यक है। इस समन्वय से आपदा के समय संसाधनों का साझा उपयोग, त्वरित राहत कार्य और प्रभावी बचाव सुनिश्चित किया जा सकता है। चमोली जिले में पड़ोसी जिलों के साथ यह समन्वय क्षैतिज लिंकिंग (Horizontal Linkages) के रूप में कार्य करता है।

### ➢ समन्वय के उद्देश्य

- आपदा सूचना का त्वरित आदान–प्रदान– पड़ोसी जिलों की आपदा की स्थिति, चेतावनी और प्रभाव की जानकारी तुरंत साझा करना।
- संसाधनों और मानव शक्ति का साझा उपयोग– बचाव वाहन, मेडिकल टीम, राहत सामग्री और उपकरण एक जिले से दूसरे जिले में जरूरत पड़ने पर उपलब्ध कराना।
- सहयोगी राहत और बचाव कार्य– सीमा क्षेत्र में प्रभावित लोगों तक राहत पहुँचाने और बचाव कार्यों का साझा संचालन।
- अनुभव और रणनीति साझा करना– आपदा प्रबंधन में मिले अनुभव और प्रशिक्षण का आदान–प्रदान करना।

### ➢ समन्वय के प्रमुख माध्यम

- आपदा संचालन केंद्र (EOC) के माध्यम से संपर्क– प्रत्येक जिले का EOC पड़ोसी जिलों के EOC से सीधे संपर्क बनाए रखता है।
- साझा बैठकें और समीक्षा– आपदा पूर्व और आपदा के समय जिला अधिकारियों के बीच नियमित बैठकें आयोजित करना।
- साझा मॉक ड्रिल (Joint Mock Drills)– सीमा क्षेत्र में संयुक्त अभ्यास आयोजित करके आपदा प्रतिक्रिया को प्रभावी बनाना।
- सूचना और अलर्ट प्रणाली– पड़ोसी जिलों के बीच रेडियो, वायरलेस, मोबाइल और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सूचना साझा करना।

### ➢ लाभ

- आपदा प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित और समन्वित बचाव कार्य।
- संसाधनों और तकनीकी सहायता का प्रभावी उपयोग।
- आपदा प्रबंधन में क्षेत्रीय सहयोग और अनुभव साझा करना।
- सीमा क्षेत्र में राहत और पुनर्वास कार्यों का सुव्यवस्थित संचालन।

## 11.9 राज्य आपदा प्रबंधन योजना (SDMP) के साथ समन्वय (Linkage with SDMP)

राज्य आपदा प्रबंधन योजना (State Disaster Management Plan – SDMP) राज्य सरकार द्वारा तैयार की जाती है और इसमें आपदा से निपटने की रणनीति, संसाधनों की व्यवस्था, प्रशिक्षण और राहत–निवारण की दिशा–निर्देश शामिल होते हैं।

चमोली जिले की जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) को राज्य स्तर की SDMP के साथ लिंक करना अनिवार्य है ताकि जिले की गतिविधियाँ राज्य नीतियों और दिशा–निर्देशों के अनुरूप संचालित हों। यह लिंकिंग ऊर्ध्वाधर समन्वय (Vertical Linkage) के रूप में काम करती है।

### 1. समन्वय के उद्देश्य

- राज्य नीति के अनुरूप जिला योजना का क्रियान्वयन– राज्य स्तर के दिशानिर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं को जिले में लागू करना।
- अतिरिक्त संसाधनों और तकनीकी सहायता का उपयोग– आपदा की स्थिति में राज्य EOC से अतिरिक्त मानव संसाधन, वाहन, राहत सामग्री और विशेषज्ञ तकनीकी सहायता प्राप्त करना।
- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण– जिला अधिकारियों, ब्लॉक और ग्राम स्तर के स्वयंसेवकों के लिए राज्य

स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

- सूचना और रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित करना– जिले की आपदा स्थिति, प्रभावित क्षेत्र, राहत और बचाव कार्यों की नियमित रिपोर्ट राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) तक भेजना।

## 2. समन्वय के माध्यम

- जिला आपदा संचालन केंद्र (District EOC)- जिला स्तर पर ैक्डच् के अनुसार गतिविधियों का नियंत्रण और निगरानी।
- रिपोर्टिंग और सूचना आदान–प्रदान– आपदा की स्थिति में त्वरित रिपोर्टिंग और निर्देश प्राप्त करना।
- राज्य स्तर के प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल– SDMP के अनुसार जिला स्तर पर प्रशिक्षण और आपदा अभ्यास (mock drills) आयोजित करना।
- संसाधन और सहायता अनुरोध प्रणाली– आपदा के समय राज्य से आपातकालीन संसाधन प्राप्त करना।

## 3. लाभ

- जिला स्तर की योजना राज्य स्तर की रणनीति और दिशा–निर्देशों के अनुरूप होती है।
- त्वरित निर्णय और आपदा प्रतिक्रिया सुनिश्चित होती है।
- संसाधनों का प्रभावी और संगठित उपयोग संभव होता है।
- जिले में आपदा प्रबंधन क्षमता और दक्षता बढ़ती है।

# अध्याय – 12 मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) एवं चैकलिस्ट
# (Standard Operating Procedures (SOPs) and checklist)

## 12.1 आपदा स्थिति की परिभाषा

आपदा स्थिति वह अवस्था है जब किसी प्राकृतिक या मानव–निर्मित घटना के कारण अचानक या धीरे–धीरे ऐसी गंभीर परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे मानव जीवन, संपत्ति, आधारभूत संरचना, आजीविका तथा पर्यावरण को व्यापक क्षति पहुँचती है और सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो जाता हैं। ऐसी स्थिति में स्थानीय समुदाय की अपनी क्षमता और संसाधन पर्याप्त नहीं होते, इसलिए स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन, राज्य सरकार तथा अन्य एजेंसियों की सहायता और समन्वित आपदा प्रबंधन व्यवस्था की आवश्यकता होती है।

उत्तराखंड के चमोली जिले में पहाड़ी भौगोलिक स्थिति के कारण कई प्रकार की आपदाएँ देखने को मिलती हैं, जैसे–

- **भूस्खलन (Landslide)–** भारी वर्षा के कारण पहाड़ों का खिसकना।
- **बादल फटना (Cloudburst)–** अचानक बहुत तेज वर्षा होना।
- **बाढ़ (Flood)**– नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ जाना।
- **भूकम्प (Earthquake)–** पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण भूकंपीय खतरा।
- **वनाग्नि (Forest Fire)–** गर्मियों में जंगलों में आग लगना।

जब किसी घटना से लोगों का जीवन, घर, सड़कें, खेती और पर्यावरण को भारी नुकसान होता है और स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन और बाहरी सहायता की जरूरत पड़ती है, तो उसे आपदा स्थिति कहा जाता है।

**उदाहरण–**

- अगर चमोली जिले में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हो जाए और सड़कें बंद हो जाएँ, घरों को नुकसान पहुँचे और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़े, तो यह एक आपदा स्थिति मानी जाएगी।

## 12.2 चेतावनी प्राप्त होने पर की जाने वाली कार्यवाही तथा चेतावनी का प्रसार

जब किसी संभावित आपदा के बारे में मौसम विभाग, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या अन्य संबंधित एजेंसियों से चेतावनी प्राप्त होती है, तो जिला प्रशासन द्वारा तुरंत आवश्यक कदम उठाए जाते हैं ताकि लोगों की जान–माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और नुकसान को कम किया जा सके।

- **चेतावनी प्राप्त होने पर की जाने वाली कार्यवाही–** चेतावनी प्राप्त होते ही जिला प्रशासन निम्न कार्य करता हैरू
  - ✓ जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र (EOC) को सक्रिय किया जाता है।
  - ✓ जिलाधिकारी (DM) और अन्य संबंधित विभागों को तुरंत सूचना दी जाती है।
  - ✓ पुलिस, स्वास्थ्य, अग्निशमन, पीडब्ल्यूडी, बिजली, जल संस्थान आदि विभागों को अलर्ट मोड पर रखा जाता है।
  - ✓ संवेदनशील और जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान कर तत्काल तैयारी की जाती है।
  - ✓ आवश्यक होने पर राहत और बचाव दल (SDRF, NDRF, पुलिस, होमगार्ड) को तैयार रखा जाता है।
  - ✓ लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की निकासी योजना (Evacuation Plan) लागू की जाती है।
- **चेतावनी का प्रसार (Warning Dissemination)–** चेतावनी को अधिक से अधिक लोगों तक जल्दी पहुँचाने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जाता हैरू
  - ✓ मोबाइल संदेश (SMS) और फोन कॉल के माध्यम से।

- ✓ टीवी, रेडियो और समाचार पत्र के माध्यम से।
- ✓ सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से।
- ✓ पुलिस वाहन, लाउडस्पीकर और सायरन के माध्यम से।
- ✓ ग्राम प्रधान, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और स्वयंसेवकों के माध्यम से।
- ✓ स्थानीय प्रशासन और पंचायत स्तर पर लोगों को तुरंत सूचना देकर सतर्क किया जाता है।

## 12.3 आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए वित्तीय और तकनीकी संसाधनों तक पहुँच की प्रक्रिया

किसी भी आपदा की स्थिति में प्रभावी राहत एवं बचाव कार्यों के लिए वित्तीय (Financial) और तकनीकी (Technical) संसाधनों की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक होती है। इन संसाधनों को प्राप्त करने के लिए जिला प्रशासन विभिन्न विभागों और हितधारकों (Stakeholders) के साथ समन्वय स्थापित करता है।

- वित्तीय संसाधनों तक पहुँच (Financial Resources)– आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्यों के लिए निम्न स्रोतों से धनराशि प्राप्त की जाती है:
  - ✓ जिला आपदा प्रतिक्रिया निधि (DDRF) से तत्काल राहत कार्यों के लिए धन का उपयोग।
  - ✓ राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (SDRF) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त करना।
  - ✓ आवश्यकता होने पर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (NDRF) से सहायता प्राप्त करना।
  - ✓ जिला प्रशासन द्वारा आपातकालीन खर्चों के लिए विशेष बजट का उपयोग।
  - ✓ सरकारी योजनाओं और विभागीय निधियों का उपयोग।
  - ✓ गैर–सरकारी संगठन (NGO), निजी क्षेत्र और स्वयंसेवी संस्थाओं से सहयोग।
- तकनीकी संसाधनों तक पहुँच (Technical Resources)– आपदा प्रबंधन में विभिन्न विभागों और एजेंसियों की तकनीकी सहायता ली जाती है:
  - ✓ स्वास्थ्य विभाग – चिकित्सा सहायता, एम्बुलेंस और डॉक्टरों की उपलब्धता।
  - ✓ पुलिस एवं होमगार्ड – सुरक्षा, खोज एवं बचाव कार्य।
  - ✓ अग्निशमन विभाग – आग बुझाने और बचाव कार्य।
  - ✓ लोक निर्माण विभाग (PWD) – सड़कों और पुलों की मरम्मत।
  - ✓ बिजली विभाग – बिजली आपूर्ति की बहाली।
  - ✓ जल संस्थान / जल निगम दृ स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था।
  - ✓ SDRF / NDRF – विशेषज्ञ बचाव कार्य और आपदा प्रबंधन सहायता।
  - ✓ दूरसंचार विभाग – संचार सेवाओं को चालू रखना।
- हितधारकों (Stakeholders) की भूमिका– आपदा के समय विभिन्न हितधारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं:
  - ✓ जिला प्रशासन – समन्वय और नेतृत्व।
  - ✓ स्थानीय निकाय और पंचायतें – स्थानीय स्तर पर सहायता।
  - ✓ छळ८ और स्वयंसेवी संगठन – राहत सामग्री और सेवाएँ प्रदान करना।
  - ✓ निजी क्षेत्र – संसाधन और तकनीकी सहयोग देना।
  - ✓ स्थानीय समुदाय और स्वयंसेवक – बचाव और राहत कार्यों में सहयोग।

## 12.4 आपातकालीन प्रतिक्रिया में विभागों एवं हितधारकों की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

किसी भी आपदा की स्थिति में प्रभावी आपातकालीन प्रतिक्रिया (Emergency Response) के लिए विभिन्न विभागों और हितधारकों की स्पष्ट भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ निर्धारित की जाती हैं। इन सभी का उद्देश्य राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करना होता है।

| क्र.सं. | प्राधिकरण | कर्तव्य |
|---|---|---|
| 1. | जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) | • आकस्मिक योजना का क्रियान्वयन।<br>• आपातकालीन सुविधाओं की स्थापना के लिए स्थानीय प्रशासन, सैन्य बलों, गैर–सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के सहयोग से सहायता प्रदान करना।<br>• समस्त आपदाओं में विभागीय समन्वय, आपातकालीन परिचालन केन्द्र का संचालन।<br>• आपदा की स्थिति में शासन स्तर पर समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक दिशा–निर्देश प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करना। |
| 2. | पुलिस, होम गार्ड, पी.आर.डी. | • कानून और शंति व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, नागरिक सुरक्षा।<br>• मोटर मार्ग बाधित होने पर यातायात व्यवस्था।<br>• दूरसंचार विहीन क्षेत्रों में वायरलैस के माध्यम से वैकल्पिक संचार व्यवस्था।<br>• चेतावनी प्रसारण, खोज एवं बचाव, राहत वितरण, परिवहन व्यवस्था, आबादी निष्क्रमण |
| 3. | सशस्त्र बल | • एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस आदि संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुये आपातकालीन राहत और प्रतिक्रिया गतिविधियों को अंजाम देना। |
| 4. | स्वास्थ्य विभाग | • कर्मियों व प्रभावितों को चिकित्सीय सुविधा तथा उक्त सम्बन्धी उपकरणों/दवाइयों की व्यवस्था किया जाना।<br>• रोगियों की निकासी का समन्वय करना। |
| 5. | विद्युत विभाग | • बाहरी उपकरणों की आवश्यकताओं की पहचान करना, जैसे डीजी सेट आदि।<br>• क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना।<br>• आपदा की स्थिति में विद्युत बहाल करते हुये वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था किया जाना।<br>• राहत कार्यो व शिविरों में विद्युत व्यवस्था |
| 6. | संचार विभाग | • जिले में दूरसंचार व्यवस्था सुनिश्चित कराना।<br>• प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी दूरसंचार आवश्यकताओं का समन्वय करना। |
| 7. | जनसंपर्क विभाग | • आपदा और पीड़ितों की स्थिति पर विश्वसनीय जानकारी प्रदान करना और एकत्र करना ताकि जनपद स्तर पर राहत कार्यों का प्रभावी समन्वय हो सके।<br>• सभी टीवी और रेडियो नेटवर्क के साथ समन्वय कर विशेष जरूरतों की खबरें प्रसारित करना।<br>• समस्त आपदाओं में मीडिया प्रबंधन, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आवश्यक सूचनाओं का सम्प्रेषण। |
| 8. | परिवहन विभाग | • परिवहन आवश्यकताओं का समग्र समन्वय।<br>• विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपलब्ध वाहनों की सूची तैयार करना।<br>• आपातकालीन प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति कार्यों, खोज और बचाव तथा नुकसान के ऑकलन को समन्वित और कार्यान्वित करना। |

| क्र.सं. | प्राधिकरण | कर्तव्य |
|---|---|---|
| 9. | राष्ट्रीय राजमार्ग / लोक निर्माण विभाग / पी. एम.जी.एस.वाई. | • नियंत्रणाधीन मोटर मार्गों को सुचारू व सुगम रखा जाना।<br>• ग्रामीण सड़कों एवं पुल, पुलिया का रख रखाव।<br>• सड़क मार्ग अवरूद्ध होने पर डाइवर्जन, आपातकालीन स्थिति में हेलीपैड सक्रिय किया जाना, क्षतिग्रस्त पुल / पुलिया, सड़कों की मरम्मत, अधोसंरचना क्षति आंकलन अन्य विभागों को तकनीकी सहयोग। |
| 10. | राजस्व विभाग | • वास्तविक या संभावित आपदा स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करना, प्रतिक्रिया करना और प्रसारित करना ताकि प्रभावित क्षेत्र में सहायता प्रदान करने के लिए सभी प्रतिक्रियाकर्ताओं की समग्र गतिविधियों को सुगम बनाया जा सके।<br>• आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित गतिविधियों का समन्वय व प्रभावितों को राहत वितरण। |
| 11. | वन विभाग | • वन्यजीव मानव संर्घष की रोकथाम तथा आपदा के समय राहत बचाव कार्य में सहयोग।<br>• वैकल्पिक वन मार्गों को आपदा की स्थिति में सुचारू किया जाना। |
| 12. | खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग | • आपदा की स्थिति में खाद्यान्न, ईधन, रसोई गैस की आपूर्ति की सुनिश्चितता, राहत शिविरों व राहत कार्य में लगे व्यक्तियों हेतु खाद्य आपूर्ति व भोजन की व्यवस्था।<br>• आपदाओं में आश्रय एवं राहत कैंप में भोजन प्रबंधन, स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों से समन्वय कर राहत सामग्री / खाद्यान्न वितरण। |
| 13. | पेयजल विभाग | • स्वच्छ पेयजल व्यवस्था। |
| 14. | नगर पालिका एवं जिला पंचायत | • सफाई एवं स्वच्छता व्यवस्था। |
| 15. | पंचायत एवं ग्रामीण विकास | • प्राकृतिक आपदाओं में आबादी निष्क्रमण, क्षति आंकलन, राहत शिविरों एवं बुनियादी सुविधाओं की स्थापना एवं संचालन , खोज एवं बचाव |
| 16. | शिक्षा विभाग | • चिन्हित आपातकालीन राहत शिविरों कि व्यवस्था एंव समन्वय।<br>• मतदेय स्थलों में ए.एम.एफ. सम्बन्धी सुविधाएं एवं कर्मिकों हेतु भोजन आदि व्यवस्था। |
| 17. | सिंचाई विभाग | • नदी नालों से कटाव तथा जल भराव की स्थिति में तात्कालिक रूप से आबादी की सुरक्षा हेतु कार्य। |
| 18. | उरेडा विभाग | • विद्युत विहीन क्षेत्रों में वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था। |
| 19. | पशुपालन | • आपदाओं के मद्देनजर पशुओं से संबंधित मुद्दों के लिये रणनीति और योजना विकसित करना।<br>• किसी भी महामारी के प्रकोप को नियंत्रित और जांचना।<br>• सभी पशु चिकित्सा केन्द्रों की सूची तैयार करना और आपदा की स्थिति से निपटने की उनकी क्षमता का ऑकलन करना। |

## 12.5 सूचना प्रबंधन एवं प्रसार रणनीति

आपदा की स्थिति में सही और समय पर सूचना का प्रबंधन तथा उसका प्रसार बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका उद्देश्य सटीक जानकारी एकत्र करना, उसे व्यवस्थित करना और समय पर संबंधित विभागों तथा जनता तक पहुँचाना होता है, ताकि प्रभावी आपातकालीन प्रतिक्रिया दी जा सके।

- सूचना प्रबंधन (Information Management)– आपदा के समय सूचना प्रबंधन की प्रक्रिया निम्न प्रकार से की जाती है–
  - ✓ सूचना एकत्र करना – प्रभावित क्षेत्रों से नुकसान, जनहानि, और आवश्यकताओं की जानकारी एकत्र की जाती है।
  - ✓ सूचना का विश्लेषण – प्राप्त जानकारी का विश्लेषण कर स्थिति का आकलन किया जाता है।
  - ✓ रिकॉर्ड और डाटा प्रबंधन – सभी जानकारी को व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड और सुरक्षित रखा जाता है।
  - ✓ समन्वय – विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच सूचना का आदान–प्रदान किया जाता है।
  - ✓ रिपोर्ट तैयार करना – जिला प्रशासन को नियमित रूप से स्थिति की रिपोर्ट भेजी जाती है।
- सूचना का प्रसार (Information Dissemination)– आपदा के समय लोगों तक सूचना पहुँचाने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जाता है:
  - ✓ टेलीविजन और रेडियो के माध्यम से चेतावनी और जानकारी देना।
  - ✓ मोबाइल संदेश (SMS) और फोन कॉल के माध्यम से सूचना भेजना।
  - ✓ सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से अपडेट देना।
  - ✓ लाउडस्पीकर, सायरन और पुलिस वाहन के माध्यम से लोगों को सतर्क करना।
  - ✓ ग्राम पंचायत, स्थानीय निकाय और स्वयंसेवकों के माध्यम से सूचना फैलाना।
  - ✓ मीडिया और प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से सही जानकारी प्रदान करना।
- रणनीति के मुख्य उद्देश्य
  - ✓ लोगों तक सही और समय पर सूचना पहुँचाना।
  - ✓ अफवाहों और गलत जानकारी को रोकना।
  - ✓ सभी विभागों के बीच समन्वय बनाए रखना।
  - ✓ राहत और बचाव कार्यों को प्रभावी बनाना।

## 12.6 मीडिया प्रबंधन रणनीति आपातकालीन प्रतिक्रिया के दौरान

आपदा के समय मीडिया प्रबंधन एक महत्वपूर्ण रणनीति है, जिसका उद्देश्य है सटीक जानकारी समय पर जनता और संबंधित विभागों तक पहुँचाना, अफवाहों को रोकना और आपदा प्रतिक्रिया कार्यों में सहयोग सुनिश्चित करना।

- मीडिया प्रबंधन के उद्देश्य
  - ✓ प्रभावित जनता को तत्काल और सटीक जानकारी प्रदान करना।
  - ✓ आपदा की गंभीरता, बचाव कार्य और सुरक्षा उपायों के बारे में जनजागरूकता बढ़ाना।
  - ✓ अफवाहों और गलत सूचनाओं को रोकना।
  - ✓ मीडिया के माध्यम से सरकारी राहत और बचाव गतिविधियों की स्थिति साझा करना।
  - ✓ विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना।
- मुख्य रणनीतियाँ
  - I. समान्य मीडिया ब्रीफिंग (Press Briefing)
    - ✓ नियमित अंतराल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करना।
    - ✓ आपदा की स्थिति, राहत कार्य और सहायता योजनाओं की जानकारी साझा करना।
  - II. मीडिया संपर्क अधिकारी (Media Liaison Officer)
    - ✓ जिला प्रशासन द्वारा एक अधिकारी को मीडिया संपर्क का प्रभारी नियुक्त करना।
    - ✓ मीडिया से सीधे संपर्क और क्वेरी का उत्तर देना।
  - III. सत्यापन और पुष्टि
    - ✓ सभी सूचना और आंकड़े सत्यापित स्रोतों से ही साझा करना।

- ✓ अफवाहों या असत्य सूचना का प्रसार रोकना।

IV. मल्टीमीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग
- ✓ सोशल मीडिया, वेबसाइट और मोबाइल संदेशों के माध्यम से जानकारी साझा करना।
- ✓ फोटो, वीडियो और लाइव अपडेट के माध्यम से स्थिति की स्पष्टता प्रदान करना।

V. स्थानीय मीडिया और सामुदायिक चौनल्स का उपयोग
- ✓ रेडियो, स्थानीय टीवी चौनल और ग्राम स्तर के लाउडस्पीकर से सूचना पहुँचाना।
- ✓ जनता को चेतावनी और सुरक्षा निर्देश देने के लिए स्थानीय प्रतिनिधियों का सहयोग लेना।

**12.7 राज्य सरकार से सहायता का अनुरोध–** जब किसी आपदा की स्थिति में जिला प्रशासन की अपनी संसाधन क्षमता पर्याप्त नहीं होती, तो तत्काल राज्य सरकार से सहायता प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है। इसका उद्देश्य राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों को प्रभावी और समयबद्ध तरीके से संचालित करना है।

- राज्य सरकार से सहायता अनुरोध की प्रक्रिया
  - ✓ स्थिति का आकलन (Assessment of Situation)– आपदा प्रभावित क्षेत्रों से नुकसान, जनहानि, आवश्यकताओं और राहत कार्य की स्थिति का विवरण तैयार करना।
  - ✓ जिला आपदा प्रबंधन समिति (DDMC) की सिफारिश– जिलाधिकारी (DM) की अध्यक्षता में समिति आपदा के प्रभाव और आवश्यक संसाधनों का मूल्यांकन करती है।
  - ✓ आधिकारिक अनुरोध पत्र (वर्पिबपंस त्मुनमेज स्मजजमत)– जिलाधिकारी या जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी (DDMO) के माध्यम से राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) को लिखित अनुरोध भेजा जाता है।
  - ✓ अनुरोध पत्र में शामिल जानकारी:
    - ❖ प्रभावित क्षेत्रों का विवरण
    - ❖ मानव और संपत्ति को हुए नुकसान का अनुमान
    - ❖ आवश्यक वित्तीय, तकनीकी और भौतिक संसाधन
    - ❖ राहत और बचाव कार्यों की प्राथमिकताएँ
  - ✓ संसाधनों की स्वीकृति और वितरण (Approval & Allocation)– राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता (SDRF / Special Grants), तकनीकी संसाधन, विशेषज्ञ टीम (NDRF/SDRF) और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।
  - ✓ समन्वय और रिपोर्टिंग (Coordination – Reporting)– राज्य सरकार और जिला प्रशासन के बीच समन्वय कायम रहता है। सहायता के उपयोग और कार्य की प्रगति की नियमित रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाती है।
- सहायता के प्रकार
  - वित्तीय सहायता (Financial Assistance)
    - ✓ SDRF (State Disaster Response Fund)
    - ✓ विशेष अनुदान (Special Grants)
  - तकनीकी और विशेषज्ञ सहायता (Technical – Expert Support)
    - ✓ NDRF/SDRF टीम
    - ✓ स्वास्थ्य और चिकित्सा टीम
    - ✓ अग्निशमन और खोज–बचाव दल
  - भौतिक संसाधन (Material Resources)
    - ✓ राहत सामग्री (खाद्य, कपड़े, दवाइयाँ)
    - ✓ अस्थायी आश्रय (Tents, Shelters)
    - ✓ उपकरण और वाहन

## 12.8 राहत और पुनर्वास मानक (आपातकालीन प्रतिक्रिया /सहायता कार्य)

आपदा की स्थिति में राहत और पुनर्वास के मानक यह सुनिश्चित करते हैं कि आपातकालीन प्रतिक्रिया समय पर, प्रभावी और सुरक्षित तरीके से की जाए। ये मानक निकासी, खोज और बचाव, सुरक्षा, यातायात नियंत्रण, मृतकों और पशु शवों के निस्तारण सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को कवर करते हैं।

## ➢ निकासी

✓ **उद्देश्य–** खतरे वाले क्षेत्र से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाना।

✓ **मानक–**

- Voulnerable groups (बच्चे, वृद्ध, गर्भवती महिलाएँ, दिव्यांग) को प्राथमिकता।
- एसेंबली पॉइंट / सुरक्षित स्थल: स्थानीय स्तर पर स्पष्ट रूप से चिन्हित।
- शरणस्थल: भोजन, पानी, स्वच्छता और चिकित्सा सुविधाओं से लैस।
- परिवहन: बस, वैन, नाव आदि पर्याप्त।
- रिपोर्टिंगरू निकाले गए व्यक्तियों की सूची और दैनिक रिकॉर्ड बनाए रखना।

## ➢ खोज और बचाव

✓ **उद्देश्य–** फंसे या असुरक्षित लोगों को ढूँढना और सुरक्षित निकालना।

✓ **मानक–**

- प्रशिक्षित कर्मी– SDRF/NDRF, अग्निशमन विभाग, पुलिस।
- उपकरण: लाइफ जैकेट, रस्सी, स्ट्रेचर, कटिंग टूल, नाव।
- समन्वय: रेडियोध्टेलीकोम के माध्यम से टीमों में संपर्क।
- रिकॉर्डिंग: बचाए गए लोगों की सूची तैयार करना।

## ➢ क्षेत्र की घेराबंदी

✓ **उद्देश्य:** प्रभावित या खतरनाक क्षेत्रों में अनधिकृत प्रवेश रोकना।

✓ **मानक:**

- सीमा निर्धारण: बैरिकेड, टेप या सुरक्षा कर्मियों के माध्यम से।
- प्रवेश नियंत्रण: केवल अधिकृत कर्मी (बचाव, चिकित्सा, राहत) को अनुमति।
- जन जागरूकता: मीडिया और घोषणा के माध्यम से खतरे से अवगत कराना।

## ➢ यातायात नियंत्रण

✓ **उद्देश्य:** राहत और बचाव वाहनों तथा निकासी में बाधा न हो।

✓ **मानक**:

- आपातकालीन सेवाओं के लिए प्राथमिक लेन।
- दिशा परिवर्तन और संकेत (Diversions – Signage)।
- महत्वपूर्ण स्थानों पर यातायात कर्मी तैनात।

## ➢ कानून, व्यवस्था और सुरक्षा उपाय

✓ **उद्देश्य:** शांति बनाए रखना, लूटपाट रोकना और लोगों एवं संपत्ति की सुरक्षा।

✓ पुलिस और सुरक्षा बल तैनात।

✓ भीड़ प्रबंधन और राहत वितरण नियंत्रण।

✓ आवश्यक होने पर कर्फ्यू या प्रतिबंधित क्षेत्र लागू करना।

## ➢ मृतकों के शव निस्तारण

✓ **उद्देश्य:** स्वास्थ्य और स्वच्छता सुनिश्चित करना।

✓ **मानक:**

- मृत और गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों (दिव्यांग सहित) का रिकॉर्ड।
- निधन पद्धति: संस्कार या दफन, स्थानीय रीति–रिवाज और स्वास्थ्य दिशा–निर्देशों के अनुसार।
- स्वास्थ्य सुरक्षा: कर्मियों के लिए सुरक्षा उपकरण और प्रभावित क्षेत्र का डिजइंफेक्शन।

## ➢ पशु शवों का निस्तारण

✓ **उद्देश्य:** रोग और संक्रमण फैलने से रोकना।
✓ **मानक:**
- गहरे गड्ढों में दफन, जल स्रोत से दूर।
- लाइम या डिजइंफेक्टेंट का उपयोग।
- निस्तारित पशु शवों का रिकॉर्ड रखना।

## ➢ अतिरिक्त मानक

✓ **चिकित्सा सहायता:** शरणस्थलों और निकासी बिंदुओं पर प्राथमिक चिकित्सा।
✓ **राहत वितरण:** भोजन, पानी, कपड़े, दवा आदि के मानक प्रति व्यक्तिध्परिवार।
✓ **मनोवैज्ञानिक सहायता:** प्रभावित लोगों के लिए काउंसलिंग।
✓ **अस्थायी शरण स्थल:** स्थान, स्वच्छता और प्रकाश व्यवस्था के मानक।

## ➢ मानवतावादी राहत और सहायता

आपदा के समय मानवतावादी राहत और सहायता का उद्देश्य प्रभावित जनसंख्या को तत्काल आवश्यक संसाधन और सेवाएँ प्रदान करना है। इसमें भोजन, पानी, दवाइयाँ, आश्रय, कपड़े, मनोवैज्ञानिक सहायता और बुनियादी सुविधाओं की बहाली शामिल है।

## ➢ भोजन

✓ **उद्देश्य–**प्रभावित लोगों को पर्याप्त और पोषणयुक्त भोजन प्रदान करना।
✓ मानक–
- प्रत्येक व्यक्ति के लिए दैनिक भोजन पैकेज।
- बच्चों, गर्भवती महिलाओं और वृद्धों के लिए विशेष पोषण।
- वितरण में समन्वय और रिकॉर्डिंग।
- **पेयजल**

✓ **उद्देश्य–** स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता।
✓ **मानक–**
- 1 व्यक्ति/दिन कम से कम 3–5 लीटर।
- पानी की स्रोतों का नियमित परीक्षण और शुद्धिकरण।
- टैंकर, बोतल या पानी के वितरण बिंदु बनाए जाएँ।

## ➢ दवाइयाँ

✓ उद्देश्य– प्राथमिक चिकित्सा और आवश्यक दवाइयाँ उपलब्ध कराना।
✓ मानक–
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्थायी चिकित्सा शिविरों में आपूर्ति।
- गंभीर और आकस्मिक मामलों के लिए एम्बुलेंस और डॉक्टर उपलब्ध।

## ➢ मनोवैज्ञानिक और ट्रॉमा सहायता

✓ उद्देश्य– आपदा से प्रभावित लोगों को मानसिक और भावनात्मक सहायता।

✓ मानक–

- प्रभावित बच्चों और वयस्कों के लिए काउंसलिंग सेंटर।
- प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक और स्वयंसेवी सहायता।
- सामाजिक समर्थन और सामुदायिक गतिविधियाँ।

### ➢ कपड़े

✓ उद्देश्य– प्रभावितों को मौसमी और आवश्यक वस्त्र प्रदान करना।

✓ मानक–

- परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए उपयुक्त कपड़े।
- बच्चों, गर्भवती महिलाओं और वृद्धों के लिए विशेष जरूरतें।

### ➢ अन्य आवश्यक वस्तुएँ

✓ उद्देश्य– जीवन–निर्वाह के लिए अन्य वस्तुएँ उपलब्ध कराना।

✓ मानक–

- रजाई, कंबल, बर्तन, खाने की सामग्री।
- महिला और बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना।

### ➢ शरण स्थल प्रबंधन

✓ उद्देश्य– सुरक्षित और समावेशी अस्थायी आश्रय स्थल।

✓ मानक–

- दिव्यांगजन के लिए सुलभ (Accessible) सुविधाएँ।
- पर्याप्त जगह, स्वच्छता, पानी और सुरक्षा।
- राहत और प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों का समन्वय।

### ➢ हेल्पलाइन प्रदान करना

✓ उद्देश्य– प्रभावितों के लिए जानकारी और सहायता की तुरंत पहुँच।

✓ मानक–

- 24x7 हेल्पलाइन नंबर।
- राहत, खोज–बचाव और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित जानकारी।
- स्थानीय भाषा और सरल संदेश।

### ➢ बुनियादी सुविधाओं की मरम्मत और बहाली

✓ उद्देश्य– प्रभावित क्षेत्रों में जीवन सामान्य करना।

✓ मानक–

- जल, बिजली, परिवहन, संचार और अन्य बुनियादी सेवाओं की बहाली।
- प्राथमिकता प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में।
- मरम्मत कार्यों की नियमित निगरानी और रिपोर्टिंग।

### ➢ वीआईपी/उच्च अधिकारी दौरे का प्रबंधन

आपदा के समय वीआईपी या उच्च अधिकारियों के दौरे का प्रबंधन विशेष महत्व रखता है। इसका उद्देश्य है दौरे को सुरक्षित, व्यवस्थित और प्रभावी बनाना ताकि अधिकारी प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर सकें और राहत कार्यों की स्थिति का आकलन कर सकें।

✓ उद्देश्य

- वीआईपी/उच्च अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्र का सटीक और समय पर अवलोकन कराना।
- अधिकारियों की यात्रा के दौरान राहत और बचाव कार्यों में व्यवधान न आने देना।

- मीडिया और जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाए रखना।

✓ प्रबंधन के मुख्य उपाय (Key Management Measures)

- पूर्व योजना (Pre-Planning)
  - ❖ दौरे के दिन, समय, मार्ग और सुरक्षा उपायों का निर्धारण।
  - ❖ प्रभावित क्षेत्रों में भाष्य और ब्रीफिंग तैयार करना।
- सुरक्षा प्रबंधन (Security Management)
  - ❖ पुलिस और होमगार्ड द्वारा मार्ग की सुरक्षा।
  - ❖ भीड़ नियंत्रण और सड़क मार्गों का अवरोधन।
- समन्वय (Coordination)
  - ❖ सभी विभागों के साथ संचार और नियंत्रण कक्ष (Control Room) सक्रिय करना।
  - ❖ आवश्यकतानुसार SDRF/NDRF और राहत दलों की तत्परता।
- सूचना और मीडिया प्रबंधन (Information – Media Management)
  - ❖ दौरे की सूचना जनता और मीडिया को समय पर देना।
  - ❖ वीआईपी दौरे के दौरान सूचना और मीडिया कवरेज का नियंत्रण।
- आपातकालीन तैयारी (Emergency Preparedness)
  - ❖ दौरे के मार्ग पर प्राथमिक चिकित्सा और बचाव सुविधाओं का प्रबंध।
  - ❖ संभावित जोखिम और आपात स्थिति के लिए बैकअप योजना।

## ➢ आपातकालीन भंडार का रखरखाव

आपदा की स्थिति में आपातकालीन भंडार (Emergency Reserves) का उचित रखरखाव अत्यंत आवश्यक है। इसमें सरकारी और निजी दोनों प्रकार के भंडार शामिल हैं, ताकि प्रभावित जनसंख्या को समय पर भोजन, पानी, दवा, उपकरण और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो सकें।

✓ उद्देश्य

- आपदा के समय तत्काल राहत और बचाव सुनिश्चित करना।
- प्रभावित लोगों को संसाधनों की कमी से बचाना।
- सरकारी और निजी संसाधनों का समन्वित उपयोग करना।
- संसाधनों की गुणवत्ता और उपलब्धता बनाए रखना।

✓ आपातकालीन भंडार के प्रकार (Types of Emergency Reserves)

- भोजन और पेयजल (Food – Drinking Water)
- दवाइयाँ और प्राथमिक चिकित्सा सामग्री (Medicines – First Aid Kits)
- राहत सामग्री (Relief Kits, Blankets, Clothing)
- मुकदमाती उपकरण (Rescue – Safety Equipment)
- जैविक और पर्यावरणीय सुरक्षा सामग्री (Disinfectant, Sanitation Kits)

✓ रखरखाव मानक (Maintenance Standards)

- संग्रहण स्थल: साफ, सूखा, सुरक्षित और सुलभ।
- सामग्री का निरीक्षण: समय–समय पर मुद्दत समाप्ति, गुणवत्ता और उपलब्धता की जांच।
- लेखा–जोखा (Inventory Management): हर वस्तु का रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग।
- रोटेशन नीति: भंडार की सामग्री को नियमित रूप से नवीनीकरण।
- निजी एजेंसियों के भंडार: जिला प्रशासन द्वारा सत्यापन और समन्वय।

# !! सहायता हेतु संपर्क करें !!

## जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र

**टोल-फ्री हेल्पलाइन :**

**1077**

**☎ दूरभाष :**

**01372-251437, 251077**

**📱 मोबाइल :**

**+91 9411352136 | 7895500501 |**

**✉ ई-मेल :**

**joshinandkishor19gmail.com**

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
जिलाधिकारी कार्यालय परिसर,
जनपद चमोली, उत्तराखंड ।